नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

मुख्य लेखापरीक्षक की
वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट
मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

New Delhi Municipal Council

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

मुख्य लेखापरीक्षक की
वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

विषय सूची

	पैरा संख्या	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		**v**
विहंगावलोकन		**vi**
भाग- क: वर्ष 2013-14 के लिए लेखाओं की लेखापरीक्षा		
अध्याय-I: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के लेखे		
भाग-1		
प्रस्तावना	1.1	1
परिषद् की वित्तीय स्थिति	1.2	1
निधि के स्रोत्र एवं उसका व्यय	1.3	1
नई दिल्ली नगरपालिका निधि	1.4	2
राजस्व प्राप्तियाँ	1.5	2
कर राजस्व	1.6	4
गैर-कर की राजस्व	1.7	5
सहायता अनुदान	1.8	7
राजस्व प्राप्तियों के बकाया	1.9	7
व्यय	1.10	7
गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता	1.11	8
आधिक्य एवं आरक्षित निधि	1.12	9
बजटीय अनुमानों का विश्लेषण	1.13	10
व्यय की अधिकता	1.14	15
भाग-II		
वार्षिक लेखाओं पर सामान्य टिप्पणियाँ	1.15	17
भाग- III		
ऑडिट रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.16	27

भाग-ब निष्पादन लेखापरीक्षा		
अध्याय- II: सिविल तथा विद्युत इंजीनियरिंग विभाग	**2**	29
अनुबंध प्रबंधन (सिविल तथा विद्युत विभाग)		
अध्याय- III: प्रवर्तन विभाग	**3**	77
प्रवर्त्तन विभाग की निष्पादित लेखापरीक्षा		
अध्याय- IV: निवेश विभाग	**4**	101
निवेश विभाग के निष्पादन लेखापरीक्षा		
भाग- स अनपालन लेखापरीक्षा		
अध्याय- V: लेखा विभाग	**5**	
स्वीकार्य अवधि की समाप्ति के बाद भी बढ़ी दरों पर पारिवारिक पेंशन का भुगतान करने के कारण ₹19.76 लाख का अधिक भुगतान।	**5.1**	115
अध्याय- VI: सिविल इंजीनियरिंग विभाग	**6**	
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की भूखण्ड हस्तांतरित करने के संबंध में ₹6.98 करोड़ की नहीं।	**6.1**	117
दिल्ली ट्रांसको लि0 को हस्तांतरित परियोजना पर व्यय हुए ₹12.45 लाख की वसूली नहीं।	**6.2**	118
अध्याय- VII: वाणिज्य विभाग	**7**	
अस्थाई कनैक्शन के संबंध में ₹4.27 करोड़ की बकाया की वसूली नहीं।	**7.1**	120
अध्याय- VIII: विद्युत इंजीनियरिंग विभाग	**8**	
खराब ट्रांसफार्मर्स की आपूर्तिकर्ता से ₹30.96 लाख क्षतिप्रभार की वसूली में असाधारण विलम्ब	**8.1**	122
जमा कार्यों में हुए आधिक्य व्यय की वसूली न होना ।	**8.2**	123
अवास्तविक मांग के आधार पर भण्डार वस्तुओं की खरीद से ₹11.58 लाख निधि अवरूद्ध	**8.3**	124
अध्याय- IX: सम्पदा विभाग	**9**	
खान मार्किट के दुकान मालिकों से ₹1.01 करोड़ के दुरूपयोग प्रभार की वसूली/अंतिम रूप देने की कार्यवाही नहीं।	**9.1**	125
अध्याय- X : पालिका आवास विभाग	**10**	
लाईसेंस फीस की दरों के संशोधन में अत्यंत विलम्ब के परिणामस्वरूप आवासियों	**10.1**	126

से ₹27.99 लाख की कम वसूली।		
अध्याय- XI: सम्पति कर विभाग	**11**	
निर्धारिती से प्राप्त अस्वीकार चैकों के कारण ₹4.84 करोड़ के सम्पति कर की वसूली न होना।	11.1	127
अध्याय- XII: परिवहन विभाग	**12**	
ऊँची दरों पर डीजल खरीदनें पर ₹30.41 लाख की हानि ।	**12.1**	128
अध्याय- XIII	**13**	
₹5.13 करोड़ की सुरक्षा जमा राशि का वापिस या सरकारी लेखे में हस्तांतरण न होना ।	**13.1**	129
अध्याय- XIV: लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियाँ ।	**14**	130
अनुलग्नक		
मार्च, 2014 (देयताएँ) को समाप्त वर्ष पर प्रतिकूल शेष दर्शाते हुए लेखाशीर्ष	I	131
मार्च, 2014 (परिसम्पतियाँ) को अंत वर्ष पर प्रतिकूल शेष दर्शाते हुए लेखाशीर्ष	II	132
पूंजीगत कार्य में प्रगति	III	133
प्रगति में कार्य की सूची	IV	134
बैंक समाधान इकाई	V	139
नहीं हटाई गई स्टोर आइटम	VI	143
अनुबंध प्रबंधन पर पूर्ववर्त्ती आडिट रिपोर्ट का सार	VII	144
जाँच के लिए अनुपलब्ध फाईलों की सूची	VIII	148
भवन रखरखाव-I (सिविल) द्वारा लिए गए सुधार कार्यों की सूची	IX	150
ठेकेदारों से जुर्माने की गैर-वसूली	X	151
अनुबंध के अंतर्गत श्रम वृद्धि के संबंध में ठेकेदार को भुगतान	XI	154
पार्किंग स्थल के संबंध में बकाया लाईसेंस फीस का ब्यौरा	XII	156
बकाया मरम्मत/रखरखाव/निर्माण गतिविधियों के तहत	XIII	157
नोटिस का विवरण	XIV	158
लाइसेंस फीस की वसूली के तहत	XV	163
डी एंड सी रजिस्टर में गलत योग के उदाहरण	XVI	164

डी एंड सी रजिस्टर में कटिंग/ओवरराईटिंग के उदाहरण	XVII	165
2011-2014 से निधि के निवेश में विलम्ब के कारण बकाया ब्याज की हानि	XVIII	166
पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कुल निवेश	XIX	170
बैंकों में वर्षवार निवेश	XX	171
वर्ष 2011-14 के दौरान आंमत्रित की गई कोटेशनस	XXI	172
परिवारिक पेंशन के अधिक भुगतान पर - ₹19.76 लाख	XXII	175
सी-I तथा सी-II प्रभाग (विद्युत) द्वारा किया गया अधिक व्यय	XXIII	177
बकाया नुकसान और दुरूपयोग के आरोप का विवरण	XXIV	178
लाईसेंस फीस से कम वसूली ₹27.99 लाख	XXV	180
अस्वीकृत चैकों का विवरण	XXVI	181
थोक में डीजल की खरीद पर अतिरिक्त व्यय	XXVII	182
लावारिस ईएमडी/प्रतिभूति जमा	XXVIII	183

प्राक्कथन

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष की यह वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 59 की उपधारा 17 के अनुसार परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि मुख्य लेखापरीक्षक परिषद् के पिछले वर्ष के समस्त लेखाओं पर अपनी रिपोर्ट परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

इस रिपोर्ट में वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखाओं, अनुबंध प्रबंधन (सिविल तथा विद्युत विभाग), प्रवर्तन विभाग तथा निवेश विभाग पर तथा लेन-देन/मामलों पर टिप्पणियाँ निहित हैं। इस रिपोर्ट में उल्लिखित लेन/देन/मामलें उनमें से है जो वर्ष 2013-14 के दौरान नमूना लेखा परीक्षा के ध्यान में आए तथा जो पिछले वर्षों में ध्यान में आए परन्तु पिछली रिपोर्टों में शामिल नहीं किए जा सके, 2013-14 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी आवश्यकतानुसार शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रत्येक अवस्था पर विभिन्न विभागों से प्राप्त सहयोग के लिए लेखापरीक्षा अपना आभार व्यक्त करता है।

विहंगावलोकन

इस रिपोर्ट में एक अध्याय नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की वर्ष 2013-14 की वित्तीय स्थिति से संबंधित है, 3 अध्याय अनुबंध प्रबंधन (सिविल तथा विद्युत विभाग), प्रवर्तन एवं निवेश विभाग तथा 9 अध्याय जिसमें 12 पैराग्राफ सम्मिलित है परिषद् के विभिन्न विभागों की लेखापरीक्षा के परिणामों तथा लेखापरीक्षा के कहने पर ₹128 करोड़ की वसूलियों से संबंधित हैं।

वित्त लेखा विभाग

वित्तीय परिणाम

परिषद् की वित्तीय स्थिति मुख्यत: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 44 के अन्तर्गत परिषद् द्वारा पोषित नई दिल्ली नगरपालिका निधि से प्रदर्शित होती है। सभी प्राप्तियां और व्यय इस निधि में लेखांकित किए जाते हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान ₹482.36 करोड़ का आधिक्य था तथा 31 मार्च, 2014 को ₹143.19 करोड़ का अंत शेष था।

निम्नलिखित ग्राफ राजस्व प्राप्तियों तथा उसके विभिन्न घटकों की वृद्धि को दर्शाते हैं:

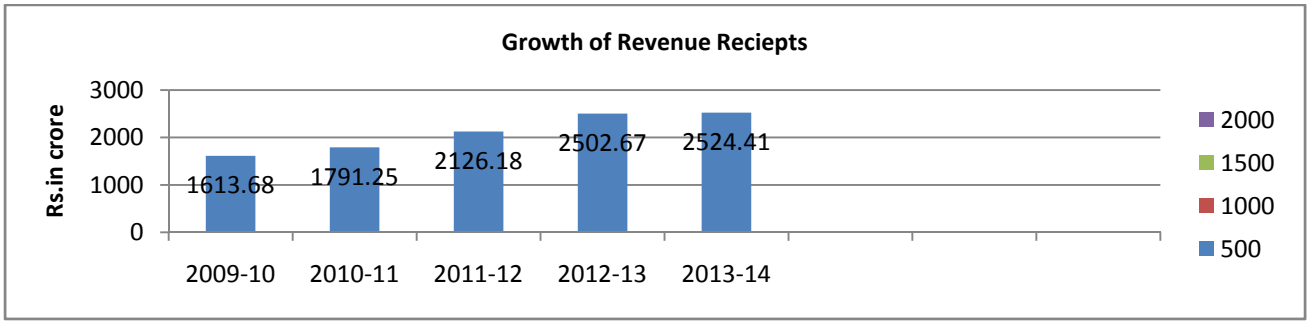

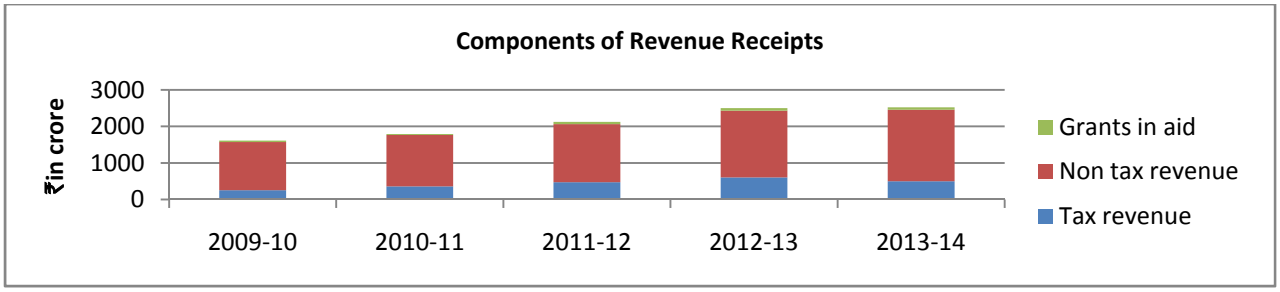

गैर-कर राजस्व के प्रमुख स्रोत ऊर्जा की बिक्री (43.46 प्रतिशत), निवेश पर ब्याज (433.81 प्रतिशत) तथा किराया/लाइसेंस शुल्क से प्राप्तियां और अन्य वाणिज्यिक क्रियाकलापों से प्राप्तियां (19.10 प्रतिशत) थी । ऊर्जा की बिक्री से प्राप्तियां पिछले पांच वर्षों से कुल गैर-कर राजस्व के हिस्से के रूप में 35.88 तथा 43.46 प्रतिशत

के बीच घट-बढ़ रही थी। पिछले वर्ष से गैर-कर राजस्व में वृद्धि निवेश पर ब्याज में वृद्धि ऊर्जा की बिक्री तथा जल की बिक्री के कारण थी।

परिषद् का व्यय 2012-13 में ₹2503.40 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹2617.79 करोड हो गया अर्थात पिछले वर्ष की तुलना मे 4.57 प्रतिशत बढ़ गया जिसे निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:

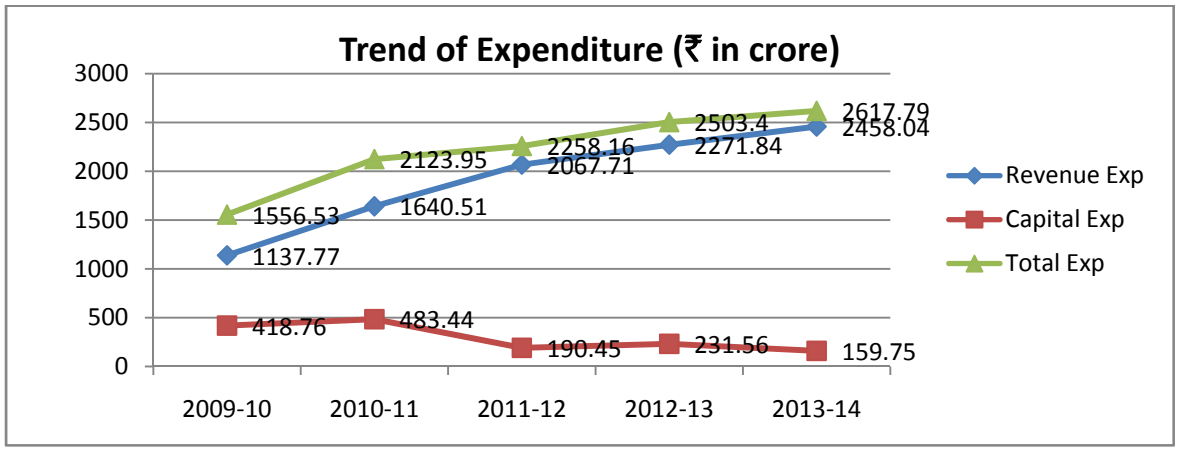

(i) कुल व्यय 2009-10 में ₹1556.53 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹2617.79 करोड़ हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान किया गया व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 4.57 प्रतिशत बढ़ गया।

(ii) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् से संबंधित कार्यों पर पूंजीगत व्यय 2012-13 में ₹231.56 करोड़ से घटकर 2013-14 में ₹159.75 करोड़ हो गया अर्थात् इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 31.01 प्रतिशत की कमी हुई। इसी प्रकार 2013-14 के दौरान राजस्व व्यय भी पिछले वर्ष की तुलना में 8.19 प्रतिशत बढ़ गया।

परिषद् के लेखाओं पर प्रमुख लेखापरीक्षा आपत्तियां निम्नलिखित हैं:

(क) वर्ष 2013-14 के दौरान वास्तविक व्यय ₹2073.93 करोड़ के संशोधित अनुमानों के प्रति ₹2042.05 करोड़ था। इस प्रकार 2013-14 का व्यय संशोधित अनुमानों से ₹31.88 करोड़ बढ़ गया था। 8 लेखा शीर्षों के अन्तर्गत व्यय संशोधित अनुमान से अधिक किया गया था। अधिक व्यय संशोधित अनुमानों के 0.04 तथा 980 प्रतिशत के बीच था।

(ख) ''कर्जे, अग्रिम तथा जमा'' के अन्तर्गत (अनुसूची बी-18) शीर्ष में दर्शाई गई (-) ₹46.59 करोड़ की राशि समाहित है जैसा कि बाह्य एंजेसियों के साथ जमा है। (खाता कोड - 46060)

(ग) बी-17 अनुसूची के अनुसार, वर्ष 2013-14 के न.दि.न.परिषद् खाता में दर्शाया गया नकद तथा नकद शेष ₹143,19,05,937.26 था जबकि नकद पुस्तिका में ₹(-) 1,70,684.89 के अन्तर के साथ ₹143,17,35,252.37 था ।

(घ) तीन भिन्न अनुसूचियाँ यथा अनुसूची बी-12, निवेश- सामान्य निधि, अनुसूची बी-13, निवेश - अन्य निधि तथा अनुसूची बी-15 विविध देनदार (प्राप्तव्य) राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली (एनएमएएम) के अनुसार तैयार नहीं की गई ।

(अध्याय 1)

इंजीनियरिंग विभागों में अनुबंध प्रबंधन

- निर्माण प्रभागों (सिविल) तीन साल के लिए पर्याप्त कार्यभार के बिना प्रभागों की निरंतरता का औचित्य नहीं था।
- बापूधाम के टाइप-I के फ्लैटों के पुनः निर्माण तथा समय से प्हले गिराए गए थे।
- मुख्य अभियंता-III डिविजन (सिविल) द्वारा रखरखाव किए गए अनुबंध रजिस्टर अनुसार, परामर्श अनुबंध, असामान्य किए गए अनुबंध रजिस्टर अनुसार, परामर्श अनुबंध, असामान्य कम दरों पर सौंपे गए।
- फायर ब्रिज लेन पर सर्विस सेंटर के निर्माण हेतु कार्यक्षेत्र अनुबंध को सौंपने में देरी हुई।
- भवन रखरखाव प्रमाण (सिविल), उपभोगी आवश्यकताओं के संबंध में लगातार परिवर्तन तथा कार्यों के विषय से कार्यों के आरंभन में देरी हुई है।
- अनुबंध और संबंद्ध अनियमितताओं को सौंपने के पश्चात् कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन थे।
- भवन रखरखाव प्रभाग (सिविल) में उद्धृत दरों को अनुकूल करने के लिए न्यायोचित दरों को टालने हेतु स्पष्ट साक्ष्य थे।
- भवन रखरखाव प्रमाग (सिविल) में स्वीकृत सम्पूर्ण राशि के सशक्त प्राधिकारी के स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात्, संबंधित प्राधिकारी की प्रदत्त शक्तियों की सीमा के अंतर्गत अलावा/अतिरिक्त/प्रति स्थापित मदों को प्राप्त करने हेतु विभक्त किया।
- अनधिकृत निर्माण के कारण कार्य के पूर्व होने में विलंब हुआ।
- अनुबंधों में उचित संदिग्धता के अनुसार अनुबंधता प्रावधानों के गैर-अनुपालन तथा अनुबंधों को विभक्त करने के मामले थे।
- भवन रखरखाव प्रभाग ने अनिवार्य रजिस्टरों अर्थात् भवनों के रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया।
- स्टोर डिविजन (सिविल), ने भवन सामग्री/संबद्ध भण्डारों के उपलब्ध कराने में अनियमितताएँ पाई गई।
- न.दि.न. परिषद् के सड़क प्रभाग द्वारा निष्पादित विभिन्न परियोजनाओं/कार्यों की निविदा फाइलों की जाँच के दौरान ज्ञात हुआ कि निविदा आमंत्रण सूचना/करार में अपेक्षित अनुसार कोडल प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।
- सड़क प्रभाग (सिविल) ने करार की अनूसूची 'एफ' में श्रम तत्वों के प्रावधान के बगैर श्रम वृद्धि के संबंध में ठेकदरों को 16 परियोजनाओं में 2.01 करोड़ का भुगतान किया।

- सड़क प्रभाग (सिविल) ने आन्तरिक नियत्रंयक प्रणाली एवं मैकेनिज्म की कमी के कारण ठेकेदारों से 1.23 करोड़ की राशि करार की अनुसूची का अधिक्य भुगतान/अल्प वसूली एवं कम राजस्व का भुगतान किया।
- सड़क प्रभाग (सिविल) में, वर्ष 2010-14 के दौरान कार्य सौंपने तथा निविदा दस्तावेजों की छानबीन में बिलंब हुआ। इसके अलावा करार के निष्पदन तथा कार्य के निष्पादन में भी विलंब हुआ।
- सड़क-III प्रभाग (सिविल) ने एजेंसियों को (50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक) अग्रिम भुगतान किया जो जीएफआर के प्रावधान का अतिक्रमण है।
- पथ प्रकाश प्रभाग में कार्य के समापन में विलंब पाया गया जिसके परिणामस्वरूप 8.18 लाख का अवरोध हुआ।
- भवन रखरखाव प्रभाग में (बीएम-I) मयूर भवन प्र विद्युत कार्य में 14.24 लाख का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त डिविजन ने ठेकेदार से परफार्मेंस गारंटी डिपाजिट कम प्राप्त किया तथा ठेकदार पर विलंब के संबंध में जुर्माना नहीं वसूला।
- प्रभाग (एम/एन) ने बोलियों के संबंध में योग्यता मानदण/न्यायोचितता को तैयार करने के लिए गलत प्रक्रिया अपनाई।
- न्वयुग स्कूल में पुराने एल्युमिनियम तारों को बदलने का कार्य भवन रखरखाव-II (विद्युत) द्वारा उच्चतम दरों पर सौंपा गया।
- जल आपूर्ति प्रभाग में, एक समान अवधि के दौरान कार्यों को सौंपने की अनुमति में विभिन्न दरों पर कार्य सौंपा गया।

(अध्याय 2)

प्रवर्तन विभाग की समीक्षा

- न.दि.न.परिषद् ने वास्तविक राजस्व प्राप्तियों के साथ चालान पुस्तिका को जारी करना, अभिरक्षा, लेखा, प्रत्यक्ष सत्यापन तथा समाधान हेतु कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए है। उनके विरूद्ध जमा किए गए राजस्व तथा उपयोग की गई चालान प्रातिकाओं की संख्या में विभिन्न विसंगतियाँ हैं।
- पार्किंग लाट्स के लाइसैंस शुल्क के संबंध में निर्गामी ठेकेदार के पास 31 अक्टूबर 2014 का ₹9.49 करोड़ की राशि बकाया थी।
- थारेजा, पुरानी तहबाजारी, टैक्सी स्टैण्ड, साइकिल मरम्मत, प्रैस प्लेटफार्म तथा मोची थड़ा, टैक्सी एवं पीसीओ बूथों के 755 लाइसैसियों के पास 31 मार्च, 2014 को ₹1.14 करोड़ की राशि बकाया थी।
- माँग एवं संग्रहण (डी एण्ड सी) रजिस्टरों से ज्ञात होता है कि प्रविष्टियों के आन्तरिक नियंत्रण मैकेनिडम में गंभीर निर्गामी है।
- जब्त किए गए वाहनों/सामान के स्टोर रिकार्ड का रखरखाव नहीं है।

- तहबाजारी शुल्क के संशोधन हेतु परिषद् के निर्णय को लागू करने में विलंब के कारण, न.दि.न.परिषद् 1 सितम्बर, 2009 से 31 अगस्त 2014 तक की अवधि हेतु थड़ों के लाइसैंस होल्डर से बढ़ी हुई लाइसैंस फीस ₹96.36 लाख की वसूली नहीं कर सकी ।
- किराए पर ली गई रेड डालने वाली वैनों तथा क्रेनों का बिना किसी स्पष्टीकरण के निर्दिष्ट घंटों से अधिक का भुगतान किया गया ।

(अध्याय 3)

निवेश विभाग की समीक्षा

- आधिक्य निधि के निर्धारण दोषपूर्ण है।
- अप्रैल 2011 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान 54 मामलों में निधियों के निवेश में विलंब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹2.35 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।
- निवेश समिति ने अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (इण्डियन ओवरसीज़ बैंक @ 8.80%)द्वारा दी गई ब्याज की उच्च दर की उपेक्षा कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में ₹30.01 करोड़ के निवेश का निर्णय लिया ।
- निवेश शाखा ने राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंकों के संबंध में क्रेडिट रेंटिग पर विचार नहीं किया। पुन: दो क्रेडिट एंजेसियों सीआरआईएसआईएल तथा आईसीआरए के बजाय एक क्रेडिट एंजेसी द्वारा रेंटिग करने के उपरांत प्राइवेट बैंको की क्रेडिट रेंटिग की गई ।
- बैंको में उनकी कैंपिग सीमा से अधिक एवं ऊपर आधिक्य निधि-निवेश की गई ।
- विभाग ने वार्षिक आधार पर निवेश नीति की समीक्षा नहीं की ।
- पब्लिक एन्टरप्राइजिज विभाग (डीपीई) के दिशा-निर्देशों का अतिक्रमण कर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के बैंकों में कम निवेश किया गया ।
- कम संख्या में बैंकों की भागीदारी तथा सूचिबद्ध बैंकों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा न करने से कारण अपर्याप्त प्रतिस्पर्धा है।
- बैंकों के मध्य-निधि का गैर प्रभाजन है।

(अध्याय 4)

लेखा विभाग

स्वीकार्य अवधि के बीत जाने के उपरांत बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन के भुगतान के कारण ₹19.76 लाख का अधिक भुगतान ।

(अध्याय 5: पैरा 5.1)

सिविल इंजिनियरिंग विभाग

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को हस्तांतरित प्लॉट पर न.दि.न.परिषद् द्वारा व्यय किए गए ₹6.98 करोड़ की वसूली न होना ।

(अध्याय 6: पैरा 6.1)

दिल्ली ट्रासंको लि. को हस्तांतरित परियोजना पर न.दि.न.परिषद् द्वारा व्यय किए गए ₹12.45 लाख की वसूली न होना ।

(अध्याय 6: पैरा 6.2)

वाणिज्यिक विभाग

अस्थाई कनैक्शनों के संबंध में बकाया ₹4.27 करोड़ की वूसली न होना है।

(अध्याय 7: पैरा 7.1)

विद्युत अभियांत्रिक विभाग

ट्रांसफार्मरों के दोषी आपूर्तिकर्ता से क्षति प्रभार ₹30.96 लाख की वसूली में अत्याधिक विलंब ।

(अध्याय 8: पैरा 8.1)

जमा कार्यों पर खर्च किए गए अधिक व्यय की वसूली न होना ।

(अध्याय 8: पैरा 8.2)

अवास्तविक मांगों पर आधारित स्टोरर्स के क्रय के कारण ₹11.58 लाख की निधि का अवरोध ।

(अध्याय 8: पैरा 8.3)

सम्पदा विभाग

खान मार्किट में ओनर (मालिको) से ₹1.01 करोड़ के दुरूपयोग को अन्तिम रूप न देना/वसूली न होना ।

(अध्याय 9: पैरा 9.1)

पालिका आवास विभाग

लाइसैंस फीस की दरों के संशोधन में अत्यंत विलंब के परिणामस्वरूप आवासियों से ₹27.99 लाख की वसूली ।

(अध्याय 10: पैरा 10.1)

सम्पत्ति कर विभाग

निर्धारिती से प्राप्त अस्वीकार चैकों के कारण ₹4.84 करोड़ के सम्पत्ति कर की वसूली न होना ।

(अध्याय 11: पैरा 11.1)

परिवहन विभाग

ऊँची दरों पर डीजल का क्रय करने के परिणामस्वरूप ₹30.41 लाख की हानि हुई।

(अध्याय 12: पैरा 12.1)

सामान्य पैराग्राफ

सरकारी लेखे में ₹5.13 करोड़ की राशि वापिस/सुरक्षा जमा का हस्तातंरण न होना ।

(अध्याय 13: पैरा 13.1)

आडिट के आग्रह पर वसूली

आडिट के कहने पर (जून-2015) न.दि.न.परिषद् के विभिन्न विभागों से औसतन ₹128 करोड़ की वसूलियाँ की।

(अध्याय 14)

अध्याय-1

भाग-1

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के वार्षिक लेखे

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय वर्ष 2013-14 हेतु परिषद् के लेखाओं में सम्मिलित सूचना के विश्लेषण पर आधारित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। यह विश्लेषण परिषद् की प्राप्तियों एवं व्यय के रूझान और वित्तीय प्रबंधन पर आधारित है।

1.2 परिषद् की वित्तीय स्थिति

परिषद् के लेखे नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994, की धारा 58 के अनुसार तैयार किए जाते हैं। नई दिल्ली नगरपालिका ने परिषद् के प्रस्ताव सं. 3 (xii) दिनांक 24.04.2002 के द्वारा वर्ष 2004-05 से लागू उपार्जन आधारित दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के लेखाओं को बंद करने का निर्णय लिया । अत: नई दिल्ली नगरपालिका ने वर्ष 2013-14 हेतु लेखे परिषद् हेतु विकसित ई-फाइनेंस सॉफ्टवेयर के द्वारा दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का प्रयोग करके तैयार किए। लेखाओं को तैयार करने हेतु फॉरमेट राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली (एनएमएएम) में निर्धारित है।

परिषद् की वित्तीय स्थिति मुख्य रूप से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 44 के अन्तर्गत परिषद् द्वारा अनुरक्षित नई दिल्ली नगरपालिका निधि से प्रदर्शित होती है। सभी प्राप्तियों तथा व्ययों को इस निधि के अधीन लेखांकित किया जाता है। वर्ष 2013-14 के दौरान ₹482.36 करोड़ का अधिशेष था तथा 31 मार्च 2014 को अन्त शेष ₹143.19 करोड़ था।

1.3 निधि के स्रोत एवं उसका व्यय

निधि के मुख्य स्त्रोतों में परिषद् के राजस्व की प्राप्तियां सम्मिलित हैं। इनका विस्तृत रूप से उपयोग राजस्व एवं पूँजीगत व्यय पर होता है। वर्ष 2012-13 में वास्तविक राजस्व प्राप्तियां ₹2502.67 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 0.86 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹2524.41 करोड़ हो गई।

वर्ष 2012-13 में राजस्व व्यय ₹2271.84 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹2458.04 करोड़ हो गया। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् से संबंधित कार्यों पर जमा कार्यों को छोड़ कर पूँजीगत व्यय वर्ष 2012-13 में ₹231.56 करोड़ से घटकर वर्ष 2013-14 में ₹159.75 करोड़ हो गया।

1.4 नई दिल्ली नगरपालिका निधि

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994, की धारा 44 के अनुसार ''नई दिल्ली नगरपालिका निधि'' के नाम से जानी जाने वाली निधि का रखरखाव परिषद् द्वारा किया जाता है। परिषद् द्वारा अथवा परिषद् की ओर से प्राप्त धन निधि का हिस्सा कहलाएगा। परिषद् अथवा इसकी ओर से किया गया व्यय, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस निधि में से किया जाता है। ई-फाइनेंस अनुप्रयोग के अनुसार वर्ष 2013-14 हेतु इस निधि के अन्तर्गत कुल व्यय तथा प्राप्तियाँ निम्नलिखित थीं:

तालिका 1.1: नई दिल्ली नगरपालिका निधि **(₹ करोड़ में)**

वर्ष	**2013-14**	**2012-13**
1 अप्रैल को अथशेष	173.21	76.86
जमा-वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	2777.81	2566.53
कुल	2951.02	2643.39
घटा-वर्ष के दौरान व्यय	2808.06	2470.18
वर्ष के दौरान निवल आधिक्य (+)/घाटा(-)	30.25	96.35
31 मार्च को अंत शेष	142.96	173.21

उक्त तालिका को देखने पर ज्ञात होगा कि वर्ष 2013-14 के दौरान ₹30.25 करोड़ का अधिशेष था। निधि का अंतशेष वर्ष 2012-13 ₹173.21 करोड़ से घटकर वर्ष 2013-14 के अंत में ₹142.96 करोड़ हो गया। ₹2777.81 करोड़ की प्राप्तियों में अन्य के साथ-साथ ₹500.13 करोड़ का कर राजस्व तथा ₹1954.63 करोड़ का गैर-कर राजस्व और ₹69.65 करोड़ का सहायता अनुदान आदि शामिल था ₹2808.06 करोड़ के व्यय में अन्य के साथ-साथ ₹753.03 करोड़ के स्थापना प्रभार, ₹76.97 करोड़ के प्रशासनिक खर्चे तथा ₹1124.96 करोड़ के प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय शामिल थे।

1.5 राजस्व प्राप्तियां

1.5.1 राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि

परिषद् की राजस्व प्राप्तियों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के अतिरिक्त मुख्य रूप से गैर कर राजस्व निहित है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान सहित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति का विवरण निम्न प्रकार है :-

तालिका 1.2.: राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि (₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ	पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि (+) कमी (-)
2013-14	2524.41	0.87
2012-13	2502.67	17.71
2011-12	2126.18	18.70
2010-11	1791.25	11.00
2009-10	1613.68	14.20

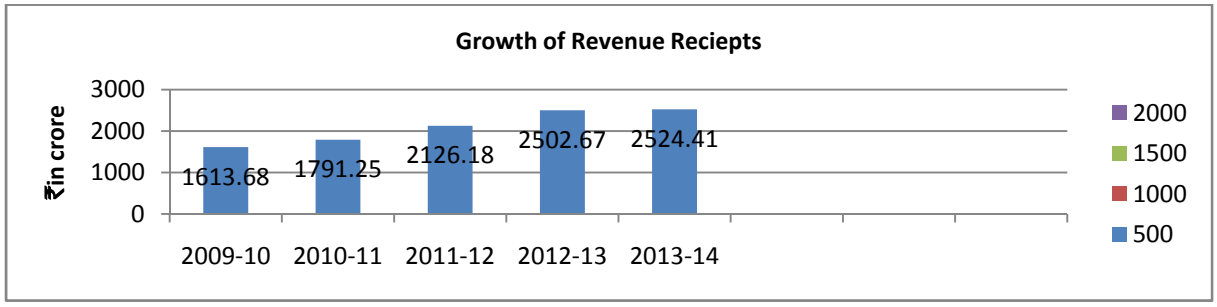

पूर्व वर्ष में 2013-14 की राजस्व प्राप्तियों में 0.87 प्रतिशत की वृद्धि परिषद् की कर राजस्व में वृद्धि (7.01 प्रतिशत) के कारण है।

1.5.2 राजस्व प्राप्तियों के घटक

पिछले पाँच वर्षों के दौरान इसके विभिन्न घटकों के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियां निम्न प्रकार है :

तालिका 1.3 : राजस्व प्राप्तियों के घटक (₹ करोड़ में)

घटक	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
कर राजस्व	500.13 (19.81)	604.19(24.14)	473.51 (22.27)	359.40 (20.06)	255.68 (15.85)
गैर-कर राजस्व	1954.63 (77.43)	1826.58 (72.99)	1588.01 (74.69)	1407.71 (78.59)	1314.69 (81.47)
केन्द्र सरकार/ दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान	69.65 (2.76)	71.90 (2.87)	64.66 (3.04)	24.14 (1.35)	43.31 (2.68)
कुल	2524.41 (100.00)	2502.67 (100.00)	2126.18 (100.00)	1791.25 (100.00)	1613.68 (100.00)

नोट: ब्रेकेट में दिए गए आंकड़े कुल प्राप्तियों के संबंध में प्रतिशतता दर्शाते हैं।

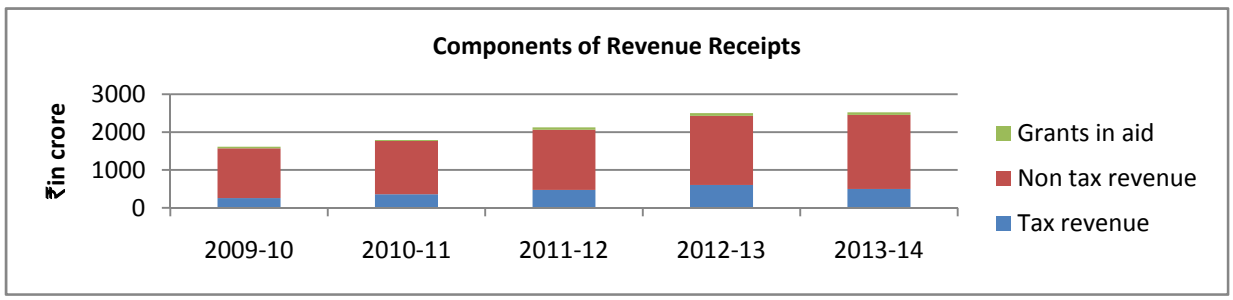

गैर-कर राजस्व, राजस्व प्राप्तियों का मुख्य घटक बना हुआ है । कुल गैर-कर राजस्व वर्ष 2012-13 में 72. 99 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 77.43 प्रतिशत हो गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली/केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान जो कुल स्रोतों का बहुत कम भाग है, वर्ष 2012-13 में 2.87 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013-14 में 2.76 प्रतिशत हो गया। कर राजस्व का हिस्सा भी वर्ष 2012-13 में 24.14 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013-14 में 19.81 प्रतिशत हो गया।

1.6 कर राजस्व

1.6.1 कर राजस्व प्रवृत्ति

परिषद् के कर राजस्व में गृह कर, संपति के हस्तांतरण पर डयूटी, विज्ञापन कर इत्यादि शामिल हैं। कर राजस्व की प्रवृत्ति वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान निम्न प्रकार थी :

तालिका 1.4: कर राजस्व की वृद्धि (₹करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक कर राजस्व	पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशतता में वृद्धि (+) घाटा (-)	कुल राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता
2013-14	500.13	(-)17.22	19.81
2012-13	604.19	27.59	24.14
2011-12	473.51	31.75	22.27
2010-11	359.40	40.57	20.06
2009-10	255.68	(-) 2.95	15.85

कर राजस्व, जो 2009-10 को छोड़कर, बढ़ोतरी का रुझान दिखा रहा था पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 में 17.22 प्रतिशत घट गया। कर राजस्व के अन्तर्गत प्राप्तियाँ वर्ष 2009-10 में ₹255.68 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹500.13 करोड़ हो गई।

1.6.2 कर राजस्व के घटक

पिछले पाँच वर्षों के दौरान कर राजस्व के विभिन्न घटकों का वृद्धि का पैटर्न निम्न प्रकार था:

तालिका 1.5: कर राजस्व के घटक (₹ करोड़ में)

घटक	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
गृह कर	405.06 (80.99)	488.19 (80.80)	382.88 (80.86)	300.78 (83.69)	207.92 (81.32)
संपति के हस्तांतरण पर शुल्क	26.16 (5.23)	48.68 (8.05)	36.56 (7.72)	24.20 (6.73)	19.77 (7.73)
विद्युत/विज्ञापन/शो-कर	42.70 (8.54)	40.22 (6.66)	30.41 (6.42)	25.39 (7.06)	11.96 (4.68)
करों का नियत हिस्सा	26.21 (5.24)	27.10 (4.49)	23.66 (5.00)	9.03 (2.51)	16.03 (6.27)
कुल	500.13(100.00)	604.19 (100.00)	473.51 (100.00)	359.40 (100.00)	255.68 (100.00)

नोट: ब्रेकेट में दिए गए आंकड़े कुल प्राप्तियों के संबंध में प्रतिशतता दर्शाते हैं।

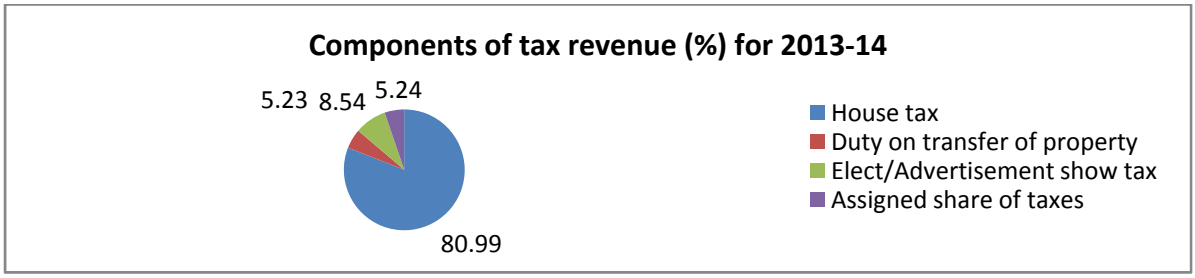

गृह कर, कर राजस्व का एक बहुत बड़ा अंशदाता है। वर्ष 2009-10 से वर्ष 2010-11 के दौरान इसका हिस्सा बढ़कर 81.32 से 83.69 प्रतिशत हो गया। तथा 2013-14 में कुल कर राजस्व घटकर 80.99 प्रतिशत हो गया । ''संपति के हस्तांतरण पर कर'' के अन्तर्गत प्राप्तियाँ वर्ष 2009-10 में ₹19.77 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹26.16 करोड़ हो गई। करों के सौपे गए हिस्से के प्रति प्राप्तियाँ भी वर्ष 2012-13 की तुलना में 2013-14 के दौरान ₹27.10 करोड़ से ₹26.21 करोड़ कम हो गई।

1.7 गैर-कर राजस्व

1.7.1 गैर-कर राजस्व में वृद्धि

परिषद् के गैर-कर राजस्व में ऊर्जा/पानी की बिक्री, किराया/लाईसेंस फीस, निवेश पर ब्याज तथा अन्य विविध प्राप्तियाँ शामिल हैं। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान गैर-कर राजस्व में वृद्धि निम्न अनुसार थी:

तालिका 1.6: गैर कर राजस्व में वृद्धि (₹करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक गैर-कर राजस्व	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशतता में वृद्धि (+) घाटा (-)	कुल राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता
2013-14	1954.63	7.01	77.43
2012-13	1826.58	15.02	72.99
2011-12	1588.01	12.81	74.69
2010-11	1407.71	7.08	78.59
2009-10	1314.69	32.06	81.47

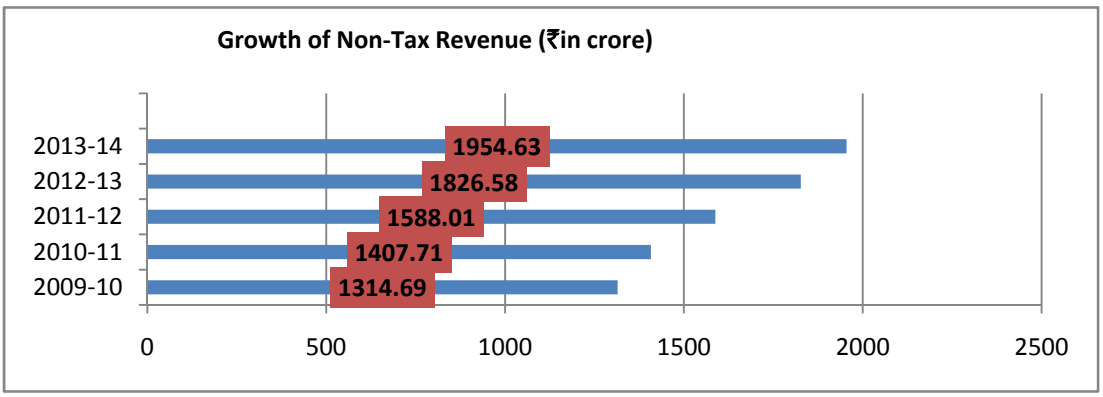

गैर कर राजस्व वर्ष 2013-14 के दौरान परिषद् की कुल राजस्व प्राप्तियों का 77.43 प्रतिशत था। इसका हिस्सा वर्ष 2012-13 में 72.99 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 77.43 प्रतिशत हो गया। गैर-कर राजस्व की वृद्धि/कमी की प्रतिशतता पिछले पाँच वर्षों के दौरान 81.47 प्रतिशत से 72.99 प्रतिशत के मध्य थी। पूर्ण रूप से गैर-कर राजस्व वर्ष 2012-13 में ₹1826.58 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹1954.63 करोड़ हो गया, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 7.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

1.7.2 गैर-कर राजस्व की रचना

पिछले पांच वर्षों के दौरान गैर-कर राजस्व के विभिन्न घटकों के वृद्धि पैटर्न का विवरण निम्न प्रकार है :

तालिका 1.7 गैर -कर राजस्व के घटक (₹करोड़ में)

घटक	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
ऊर्जा की बिक्री	849.46 (43.46)	785.65 (43.01)	613.64 (38.65)	505.08 (35.88)	535.84 (40.76)
जल की बिक्री	89.28 (4.57)	92.77 (5.07)	143.51 (9.03)	78.10 (5.55)	49.23 (3.74)
व्यावसायिक गतिविधियों से किराया/लाइसेंस शुल्क तथा प्राप्तियाँ	373.24 (19.10)	322.18 (17.65)	263.98 (16.62)	254.78 (18.10)	253.85 (19.31)
शुल्क, जुर्माना तथा विविध प्राप्तियाँ	208.83 (10.68)	208.42 (11.41)	182.66 (11.50)	203.2 (14.43)	101.26 (7.70)
निवेश पर ब्याज	433.81 (22.19)	417.56 (22.86)	384.22 (24.20)	366.55 (26.04)	374.51 (28.49)
कुल	1954.63 (100.00)	1826.58 (100.00)	1588.01 (100.00)	1407.71 (100.00)	1314.69 (100.00)

नोट : ब्रेकेट में दिए आंकड़े कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

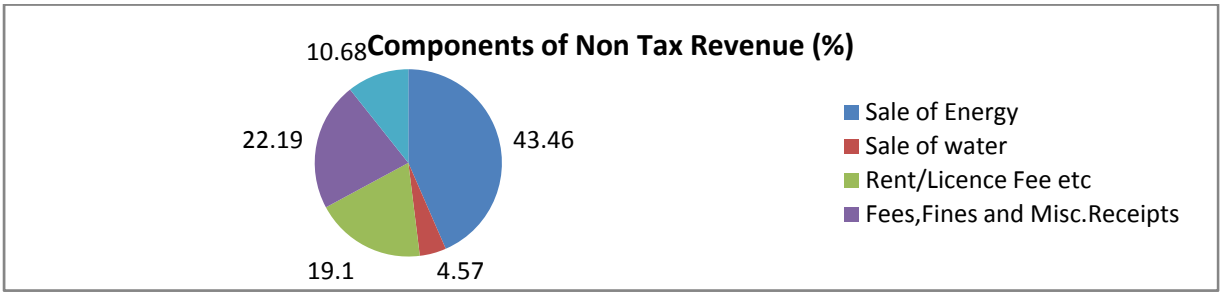

गैर कर राजस्व के मुख्य स्रोत, ऊर्जा की बिक्री (43.46 प्रतिशत), निवेश पर ब्याज (22.19 प्रतिशत) तथा किराया/लाइसेंस शुल्क की प्राप्तियाँ एवं अन्य व्यावसायिक गतिविधियों (19.10 प्रतिशत) से प्राप्तियाँ थीं। ऊर्जा की बिक्री की प्राप्तियाँ, पिछले पाँच वर्षों में कुल गैर-कर राजस्व के संबंध में 35.88 से 43.46 प्रतिशत के मध्य थी। पिछले वर्ष की तुलना में गैर-कर राजस्व में वृद्धि का मुख्य कारण निवेश के ब्याज में बढ़ोतरी, ऊर्जा की बिक्री तथा जल की बिक्री है तथा किराया/लाइसैंस फीस की प्राप्ति और व्यवसायिक गतिविधियों में प्राप्ति है।

1.8 सहायता अनुदान

1.8.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सहायता

परिषद् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान के रूप में सहायता लेती है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त सहायता की प्रवृत्ति निम्न प्रकार से थी :

तालिका 1.8 : सहायता अनुदान (₹करोड़ में)

वर्ष	सहायता अनुदान	कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता
2013-14	69.65	2.76
2012-13	71.90	2.87
2011-12	64.66	3.04
2010-11	24.14	1.35
2009-10	43.31	2.68

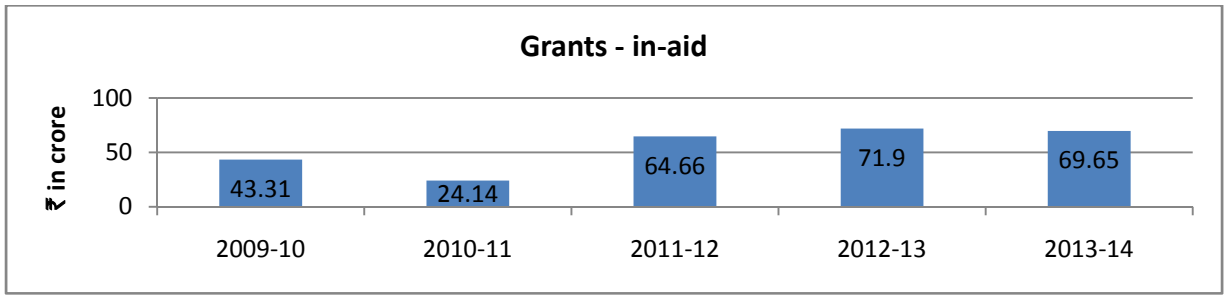

1.9 राजस्व प्राप्तियों के बकाया

लेखाओं में मार्च 2014 को गृह कर का बकाया ₹846.25 करोड़ दर्शाया गया था, लेकिन बकाया का वर्ष-वार ब्यौरा नहीं बताया गया था। ये पूर्व ऑडिट रिपोर्टों में भी बताया गया था लेकिन विभाग द्वारा अभी सही कदम उठाए जाने अपेक्षित है। बकायों की वसूली की सही मॉनीटरिंग करने के लिए, बकायों के वर्षवार विवरण का रखरखाव किया जाना अपेक्षित है ताकि उनकी वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

1.10 व्यय

1.10.1 व्यय की प्रवृत्ति

इस रिपोर्ट में कुल व्यय से तात्पर्य राजस्व एवं पूँजी के समस्त व्यय तथा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के कर्मचारियों को ऋण बाँटने से है। परिषद् ने वर्ष 2013-14 में कुल ₹2617.79 करोड़ खर्च किए थे। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान व्यय की प्रवृत्ति निम्न प्रकार दर्शायी गई थी :

तालिका 1.9 : व्यय की प्रवृत्ति (₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय		दिल्ली सरकार/बाहरी सहायता के ऋणों का भुगतान	न.दि.न.परिषद् कर्मचारियों को ऋणों का भुगतान	कुल
		परिषद् कार्य	जमा कार्य			
2013-14	2458.04	159.75	0	0	0	2617.79
2012-13	2271.84	231.56	0	0	0	2503.40
2011-12	2067.71	190.45	0	0	0	2258.16
2010-11	1640.51	483.44	0	0	0	2123.95
2009-10	1137.77	418.76	शून्य	शून्य	शून्य	1556.53

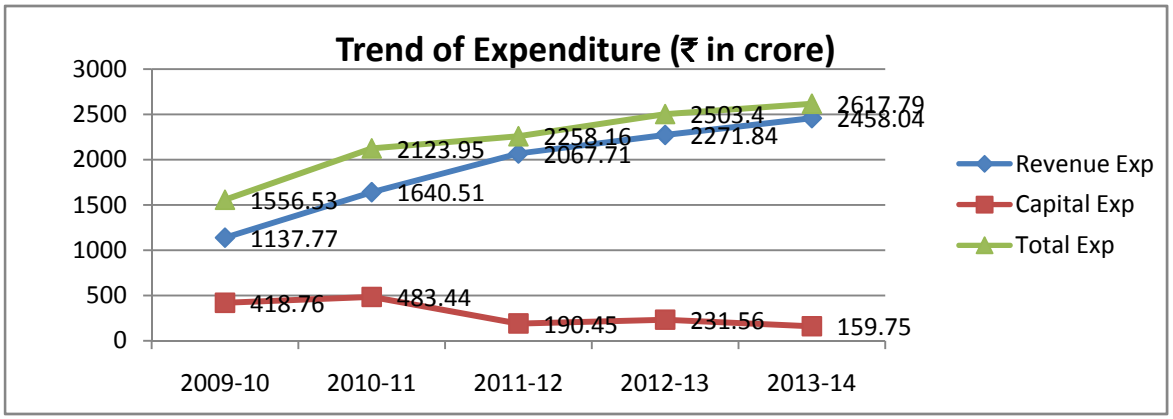

(i) कुल व्यय वर्ष 2009-10 में ₹1556.53 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹2617.79 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष के व्यय की तुलना में व्यय वर्ष 2013-14 के दौरान 4.57 प्रतिशत बढ़ गया।

(ii) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् से संबंधित कार्यों के संबंध में पूँजीगत व्यय वर्ष 2012-13 में ₹231.56 करोड़ से घटकर 2013-14 में ₹159.75 करोड़ हो गया अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में 31.01 प्रतिशत तक की कमी हुई। इसी प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय भी 2013-14 के दौरान बढ़कर 8.19 प्रतिशत हो गया।

1.11 गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

परिषद् विद्यालयों/गैर सरकारी संस्थाओं इत्यादि को सहायता अनुदान उपलब्ध कराती है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान परिषद् द्वारा विभिन्न संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई सहायता अनुदान की राशि निम्न प्रकार से थी :

तालिका 1.10 : परिषद् द्वारा सहायता अनुदान (₹ लाख में)

	निकाय का नाम	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
1	नवयुग स्कूल सोसायटी	3382.37	2904.73	2596.29	2500.14	2102.35
2	आर.एम. आर्य गर्ल्स प्राइमरी विद्यालय नं. II	43.15	67.10	43.49	24.7	24.24
3	निर्मल प्राइमरी विद्यालय, कोटा हाऊस	88.00	74.35	84.53	53.03	55.06
4	आर.एम. गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नं. I,	70.00	60.92	94.10	51.3	60.38
5	खालसा बाल प्राथमिक विद्यालय	शून्य	शून्य	शून्य	46.52	शून्य
6	सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था/गैर सरकारी संस्था	14.59	10.00	12.37	शून्य	16.00
7	समाज कल्याण समिति	157.64	164.79	249.58	200.17	168.01
8	धोबी घाटों हेतु विद्युत जल प्रभारों के लिए सब्सिडी	10.00	10.00	शून्य		
9	पोषक तत्व-मध्यान्ह भोजन	122.56	116.51			
	कुल	3898.30	3408.40	3080.36	2875.86	2426.04

परिषद् द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान 2012-13 में 3408.40 लाख से बढ़कर 2013-14 में 3898.30 लाख हो गए।

1.12 आधिक्य एवं आरक्षित निधि

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की विभिन्न खंड निधियां हैं । ये निधियां नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् निधि के अन्दर खंडों के रूप में अधिशेष राजस्व की अभिवृद्धियां हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान इन निधियों की स्थिति निम्न प्रकार से थी :

तालिका 1.11 : आधिक्य एवं आरक्षित निधिया (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्णन	अथ शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	जोड़	वर्ष के दौरान व्यय	अन्त शेष
1	विद्युत निधि					
	(i) नियामक आरक्षित निधि	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
	(ii) डीआरएफ	247.08	30.00	277.08	7.51	269.57
	कुल विद्युत निधि	252.08	30.00	282.08	7.51	274.57
2	जल आपूर्ति एवं सीवरेज निधि					
	(i)डीआरएफ	233.91	25.00	258.91	1.59	257.32
3	सम्पदा निधि					
	(i) वाणिज्यिक भवन निधि	305.00	50.00	355.00	2.14	352.86
	(ii) ट्रांस मार्किट निधि	74.27	5.50	79.77	0.45	79.32
	(iii) डीआरएफ	329.42	22.00	351.42	2.10	349.32

	(iv) लोक कला निधि	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
	कुल सम्पदा निधि	713.70	77.50	791.20	4.70	786.50
4	कर्मचारी निधि					
	(i) पेंशन निधि	924.45	278.00	1202.45	209.43	993.02
	(ii) कर्मचारी कल्याण निधि	10.13	5.0	15.13	3.51	11.62
	कुल कर्मचारी निधि	934.58	283.00	1217.58	212.94	1004.64
5	सामान्य निधि					
	(i) हस्तगत रोकड़	173.21				142.96
	(ii) निवेश सामान्य निधि	3733.94				4074.08
	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् सामान्य निधि (1+2+3+4+5)	3907.15 6041.43				4217.04 6540.07

बजट आंकड़ों के तीन सैट प्रस्तुत करता है (क) पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े, (ख) चालू वर्ष के संशोधित अनुमान, तथा (ग) आगामी वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान। इस भाग में बजटीय अनुमानों के संदर्भ में परिषद् के वित्त के विभिन्न घटकों की चर्चा की गई है।

1.13 बजटीय अनुमानों का विश्लेषण

1.13.1 संशोधित अनुमानों की तुलना में राजस्व का वास्तविक संग्रहण

विगत पांच वर्षों के दौरान संशोधित अनुमानों के प्रति राजस्व प्राप्तियों का वास्तविक संग्रहण निम्न प्रकार से था :

तालिका 1.12 :संशोधित अनुमानों की तुलना में राजस्व का वास्तविक संग्रहण (₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ	संशोधित अनुमानों की तुलना में वृद्धि	संशोधित अनुमानों की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि
2013-14	2490.64	2524.41	33.76	1.36
2012-13	2214.56	2502.67	288.11	13.00
2011-12	1930.05	2126.18	196.13	10.16
2010-11	1918.70	1791.25	-127.45	-6.64
2009-10	1377.20	1613.68	236.48	17.17

2013-14 के दौरान वास्तविक राजस्व प्राप्तियां, संशोधित अनुमानों से ₹33.76 करोड़ अधिक थी। निम्नलिखित 15 कार्यों के संबंध में, संशोधित अनुमानों की तुलना में 2013-14 के दौरान प्राप्तियों में कमी 0. 01 से 35.46 प्रतिशत के बीच थी।

तालिका 1.13 : प्राप्तियों में कमी (₹ हजार में)

कार्य कोड	वर्णन	संशोधित अनुमान	प्राप्तियां	कमी	प्रतिशतता कमी
2	प्रशासन	56912	48161	8750	15.38
6	सम्पदा	4024604	3700853	323751	8
7	स्टोर एवं क्रय	29630	21807	7822	26.40
8	कार्यशाला	3020	2449	571	18.91
21	सड़क एवं पटरी	50973	40254	10719	21.03
24	पथ-प्रकाश	260	214	46	17.70
35	अस्पताल सेवाएँ	3002	2797	2056	6.83
42	जन-सुविधाएं	43167	35786	7380	17.10
43	पशु-चिकित्सा सेवाएँ	51	37	14	27.45
55	सामुदायिक/विवाह केन्द्र	43370	38965	4404	10.15
58	नगरपालिका मार्किट	57205	39213	17991	31.45
61	पार्क, गार्डन	6822	4403	2419	35.46
71	महिलाओं का कल्याण	450	430	20	4.44
81	विद्युत	9432561	9321844	110717	1.17
82	शिक्षा	657277	657231	450	0.01

चूंकि संशोधित अनुमान वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अन्त में ही बनाए गए थे, अतः संशोधित अनुमानों के प्रति प्राप्तियों में भारी कमी अवास्तविक बजटिंग को दर्शाती है। संशोधित अनुमानों के संदर्भ में प्राप्तियां निम्नलिखित 14 मामलों में अधिक थी जो 100.31 प्रतिशत से 406 प्रतिशत के बीच थी।

तालिका 1.14 : प्राप्तियों का अधिक संग्रहण (₹ हजार में)

कार्य कोड	कार्य का विवरण	संशोधित अनुमान (राजस्व)	प्राप्तियां	संशोधित अनुमानों के संदर्भ में वास्तविक संग्रहण की प्रतिशतता
3	वित्त, लेखे, लेखापरीक्षा	4224878	4330538	102.50
11	शहर एवं नगर योजना	32179	45483	141.34
12	भवन-विनियम	10002	13202	131.99
14	अतिक्रमण हटाना	17605	41384	235.07
15	व्यापार लाइसैंस/विनियम	2000	2141	107.05
31	जन-स्वास्थ्य	5965	17179	303.24
51	जलापूर्ति	968595	971633	100.31
52	सीवरेज	527130	539019	102.25
53	अग्नि सेवा एवं आपता प्रबन्धन	100	406	406

57	मनोरंजन	24600	24936	101.36
74	विक्लांग कल्याण	250	274	109.6
79	अन्य	820	948	115.60
91	सम्पत्ति कर	4000000	4316037	107.90
99	अन्य कर	681946	706829	103.65

1.13.2 संशोधित अनुमानों की तुलना में कर राजस्व का वास्तविक संग्रहण

विगत पांच वर्षों के दौरान संशोधित अनुमानों की तुलना में कर राजस्व का वास्तविक संग्रहण निम्न प्रकार से था :

तालिका 1.15 : संशोधित अनुमानों की तुलना में कर-राजस्व का वास्तविक संग्रहण (₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक कर राजस्व	संशोधित अनुमानों की तुलना में वृद्धि (+) कमी (-)	संशोधित अनुमानों की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि (+) कमी (-)
2013-14	468.19	500.13	31.94	06.82
2012-13	399.10	604.19	205.09	51.39
2011-12	339.49	473.51	134.02	39.48
2010-11	312.56	359.40	46.84	14.99
2009-10	278.13	255.68	-22.45	(-)8.07

संशोधित अनुमानों के संदर्भ में कर राजस्व के वास्तविक संग्रहण में 2013-14 के दौरान 06.82 प्रतिशत की वृद्धि थी।

1.13.3 संशोधित अनुमानों की तुलना में गैर-कर राजस्व का वास्तविक संग्रहण

विगत पांच वर्षों के दौरान संशोधित अनुमानों की तुलना में गैर-कर राजस्व का वास्तविक संग्रहण निम्न प्रकार से था :

तालिका 1.16 : संशोधित अनुमानों की तुलना में गैर-कर राजस्व का वास्तविक संग्रहण (₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक गैर कर राजस्व	संशोधित अनुमानों की तुलना में वृद्धि (+) कमी (-)	संशोधित अनुमानों की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि (+) कमी (-)
2013-14	1951.76	1954.63	(-)2.87	(-)0.15
2012-13	1744.65	2502.68	758.03	43.45
2011-12	1527.77	1588.01	60.24	3.94
2010-11	1561.54	1407.71	(-)153.83	(-)9.85
2009-10	1055.32	1314.69	259.37	24.58

2013-14 के दौरान वास्तविक गैर-कर राजस्व संग्रहण, संशोधित अनुमानों से (-) 0.15 प्रतिशत कम था।

1.13.4 संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक व्यय (राजस्व)

2009-10, 2010-11 तथा 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक व्यय निम्न प्रकार था :

तालिका 1.17 : संशोधित अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय (राजस्व) (₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	अधिकतम (+)बचत (-)	प्रतिशतता
2013-14	2073.93	2042.05	31.88	1.53
2012-13	1938.04	2271.84	333.80	17.22
2011-12	1844.96	2067.71	222.75	12.07
2010-11	1623.46	1640.51	17.05	1.05
2009-10	1300.56	1137.77	-162.79	-12.52

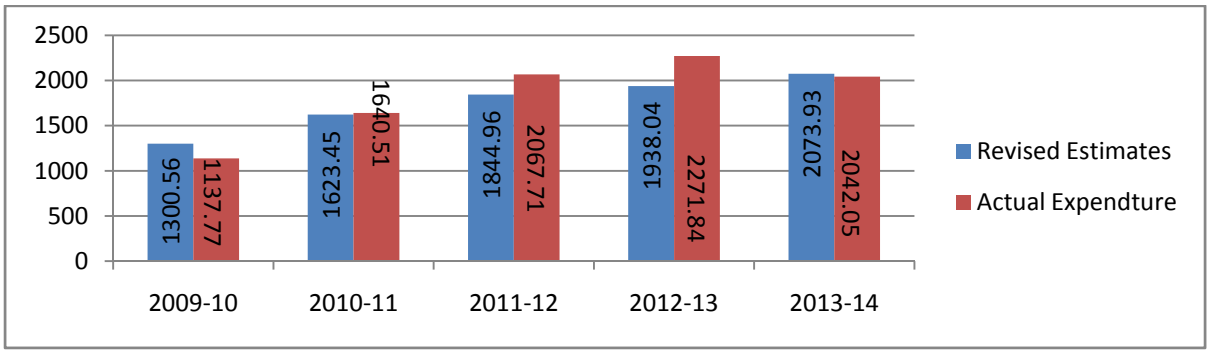

वर्ष 2013-14 के लिए वास्तविक व्यय, ₹2073.93 करोड़ के संशोधित अनुमान के प्रति ₹2042.05 करोड़ था। अत: 2013-14 के लिए व्यय संशोधित अनुमानों से ₹31.88 करोड़ बढ़ गया था। (1.53 प्रतिशत)

1.13.5 संशोधित अनुमानों की तुलना में बचत

2013-14 के दौरान निम्नलिखित 32 कार्यों में बचतें थी :

तालिका 1.18 : संशोधित अनुमानों के प्रति किया गया कम व्यय (₹ हजार में)

कार्य कोड	वर्णन	संशोधित अनुमान	व्यय	कमी	प्रतिशतता
2	प्रशासन	7146734	6878804	267929	3.74
3	वित्त,लेखे,लेखापरीक्षा	129540	116862	12677	9.78
7	भण्डार एवं खरीद	104100.00	92183	11917	11.45
8	कार्यशाला	89328	81936	7391	8.27
11	शहर एवं नगर योजना	37042	34026	3015	8.14
12	भवन विनियम	700	485	215	30.71
14	अतिक्रमण हटाना	51221	46693	4527	8.84
15	लाइसैंस/विनियम	4099	3813	286	6.98

21	सड़क एवं पटरी	512128	493667	18461	3.60
23	सब-वे एंड कॉजवे	5700	4799	901	15.81
31	जन-स्वास्थ्य	81244	75163	6081	7.48
32	आपदा रोकथाम नियंत्रण	119838	112253	7584	6.33
33	परिवार-नियोजन	18275	16881	1393	7.63
34	प्राथमिक चिकित्सा देखभाल	199535	177484	22050	11.05
35	अस्पताल सेवाएँ	381570	363906	176634	4.63
37	परिवार नियोजन आंकड़े	13274	8396	4878	36.75
41	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	773186	713751	59435	7.69
43	पशु-चिकित्सा सेवाएँ	13397	12340	1057	7.89
51	जलापूर्ति	1122823	1121704	1119	0.09
52	सीवरेज	428995	422737	6258	1.46
54	कला एवं संस्कृति	3509	2373	1136	32.37
55	सामुदायिक/विवाह केन्द्र	31390	31233	157	0.50
56	मनोरंजन	64303	59890	4412	6.86
58	नगरपालिका मार्किट	644593	623264	21329	3.31
61	पार्क एवं गार्डन	639540	596959	42581	6.66
71	महिलाओं का कल्याण	21463	20410	1053	4.91
72	बच्चों का कल्याण	34586	31477	3109	0.99
73	बुजुर्गों का कल्याण	560	523	37	0.61
74	विक्लागों का कल्याण	5562	3750	1812	32.58
75	अनुसूचित जाति/अनु.जन जाति/ अन्य पि.वर्ग का कल्याण	1310	1308	2	0.15
79	अन्य	114529	98666	15862	13.85
82	शिक्षा	1234656	1143929	90727	7.35

8 कार्याक्लापों में बचत 11.05 प्रतिशत से 36.75 प्रतिशत थी।

1.13.6 संशोधित अनुमान की तुलना से अधिक व्यय

वर्ष 2013-14 में निम्नलिखित 8 कार्यों में अधिक व्यय था ।

तालिका 1.19 संशोधित अनुमानों की तुलना से किया गया अधिक व्यय (₹ हजार में)

कार्य कोड	वर्णन	अनुमान संशोधित	व्यय	अधिक	संशोधित व्यय से अधिक व्यय प्रतिशत
1	नगरपालिका निकाय	12363	13484	1121	9.07
5	रिकार्ड कक्ष	498	5381	4882	980

6	सम्पदा	82316	527223	444907	540.48
24	पथ-प्रकाश	150991	186025	35034	23.20
25	बरसाती जल नाले	12962	13465	503	3.89
42	जन-सुविधाएँ	6557	6559	2.00	0.04
53	अग्निशमन सेवाएँ तथा आपद प्रबंधन	92112	95048	2936	3.19
81	विद्युत	10491135	10703454	212320	2.03

बचत मुख्यत: चार कार्यों में 9.07 प्रतिशत से 980 प्रतिशत तक थी।

1.13.7 बजट प्रावधानों के बिना व्यय

निम्नलिखित कार्यों में वर्ष 2013-14 के लिए संशोधित अनुमान के अंतर्गत बिना किसी प्रावधान के बुक किया गया:-

तालिका 1.20 कार्य कोड के अनुसार शून्य संशाधित अनुमान के विरूद्ध (₹ हजार में)

कार्य कोड	कार्य विवरण	व्यय
4	चुनाव	43
22	ब्रिज तथा फ्लाई ओवरस	807
57	म्यूज़ियमस	7084

1.14 व्यय की अधिकता

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 56 (3) के अनुसार वित्तीय वर्ष के विशेषकर अन्तिम मासों में अत्याधिक व्यय को वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाएगा तथा उससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत, वित्तीय वर्ष के मार्च मास तथा अन्तिम तिमाही में बहुत व्यय किया गया। अत्याधिक व्यय के कुछ उदाहरण प्रतिशतता के रूप में निम्न प्रकार हैं:

तालिका 1.21 मार्च में व्यय की अधिकता (₹ हजार में)

कार्य सं०	कार्य का विवरण	किया गया कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में किए गए व्यय की प्रतिशतता
2	प्रशासन	6878804	3425931	49
6	सम्पदा	527223	446771	84
22	ब्रिज तथा फ्लाईओवरस	806	806	100
23	भूमिगत पारपथ तथा सेतुपथ (सबवे तथा काज़वे)	4798	3909	81
42	जन-सुविधाएँ	6559	3512	53
58	नगरपालिका मार्किट	623264	566196	90

तालिका 1.22 पिछली तिमाही में व्यय की अधिकता (₹ हजार में)

कार्य सं०	कार्य का विवरण	कुल व्यय	अन्तिम तिमाही का व्यय	अन्तिम तिमाही में खर्च किया गया कुल व्यय
2	प्रशासन	6878804	3940924	57
12	भवन विनियम	485	200	41
22	ब्रिज तथा फ्लाईओवर	807	807	100
23	भूमिगत पारपथ तथा सेतुपथ (सबवे तथा काज़वे)	4799	3909	81
24	पथ-प्रकाश	186025	90477	48
25	बरसाती जल नाले	13466	8160	60
54	कला तथा संस्कृति	2374	1500	63
55	सामुदायिक/विवाह केन्द्र	31232	26898	86
56	मनोरंजन	59891	28250	47
58	नगरपालिका मार्किट	623264	570793	91
73	वृद्धो का कल्याण	523	544	103
75	अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.वर्ग का कल्याण	1309	1299	99

भाग-II

1.15 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए परिषद् के लेखाओं पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्, 1994 की धारा 59 के अंतर्गत मुख्य लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिर्पोट ।

हमने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एन.डी.एम.सी.) के 31 मार्च, 2014 तक के तुलन-पत्र की लेखा परीक्षा की तथा 2013-14 के वर्ष हेतु आय एवं व्यय की विवरणिका की लेखापरीक्षा की । ये वित्तीय विवरण परिषद् के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं तथा हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना हैं।

यह लेखापरीक्षा राष्ट्रीय नगरपालिका लेखाकरण नियमावली (एनएमएएम) तथा लागू नियमों में निहित लेखाकरण सिद्धांतों तथा भारत में सामान्य: स्वीकार्य लेखाकरण मानदण्डो के अनुसार की गई है। इन मानदंडों में अपेक्षित हैं कि लेखापरीक्षा की योजना तथा उसका निष्पादन इस बात का समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए किया जाता है कि क्या महत्वपूर्ण वित्तीय विवरणियाँ गलत कथनों से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में नमूना आधार पर, राशियों के समर्थन में दस्तावेज तथा वित्तीय विवरणियों में प्रकरणों की जांच सम्मिलित है। एक लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धान्तों तथा महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन तथा वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण तथा मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए समुचित आधार उपलब्ध कराती है।

अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह सूचित करते है कि:-

(i) **हमने वे समस्त सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक था।**

(ii) **इस रिपोर्ट में 31 मार्च, 2014 तक डील किए गए देयताओं तथा परिसम्पत्तियों तथा वर्ष 2013-14 हेतु आय एवम् व्यय की विवरणियाँ एन.एम.ए.एम. के अनुसार अनुमोदित प्रारूप में बनाई गई हैं।**

(iii) **हमारी राय में लेखा पुस्तके तथा संबंद्ध रिकार्ड न.दि.न.परिषद् द्वारा एनएमएएम की अपेक्षा के अनुसार अनुरक्षित किए गए हैं जैसाकि आगामी पैराग्राफों में दर्शाई गई ऐसी आपत्तियों को छोड़कर उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता हैं।**

(ए) 31 मार्च, 2014 को देयताओं और परिसम्पत्तियों की विवरणी ।

I भविष्य निधि/एनपीएस के संबंध में देयता का अप्रकटन

उपरोक्त विवरणी में सामान्य भविष्य निधि के संबंध में तथा नई पेंशन योजना, 2004 के अन्तर्गत कर्मचारी, अंशदान से संबंधित परिसम्पत्तियाँ तथा देयताएँ न तो सम्मिलित की गई तथा न ही प्रकट की गई हैं, जिसमें परिषद् कर्मचारी को उसकी सेवा-निवृत्ति/अवकाश-प्राप्ति/मृत्यु के समय पर उसकी संबंधित निधियों के अंतर्गत से भुगतान करने हेतु वैधानिक रूप से देय हैं।

खाते केवल अधशेष, अभिदान, वसूलियाँ, नकद चालान, ब्याज, अग्रिम निकासी, अंतिम निपटान एवं सामान्य भविष्य निधि के अंतशेष का प्रकट करते है। पुनः यह (नोट 6 के) में स्पष्ट किया गया कि एनपीएस सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन न होने के कारण अथशेष तथा अंतशेष उपलब्ध नहीं कराया जा सका ।

विभाग को साधारण भविष्य निधि तथा एनपीएस के पृथक खाते बनाने चाहिए। निवेश से प्राप्त ब्याज तथा ग्राहकों के दिए गए ब्याज का अंतर निश्चित किया जाए तथा खाते में उल्लेख किया जाए।

विभाग ने बताया कि संबद्ध मामला निधि शाखा को भेज दिया गया हैं तथा अबास (एबीएएस) को संकलित अंतिम संदेश अभी प्रतीक्षारत है

II लेखा शीर्षों में प्रतिकूल शेष

(i) 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु शेष परीक्षण की नमूना जांच से यह ज्ञात हुआ कि देयताओं तथा परिसम्पत्तियों से संबंधित कुछ लेखा शीर्ष क्रमशः **अनुलग्नक-। तथा अनुलग्नक-॥** में दिए गए अनुसार दृष्टांत मामलों अनुसार ₹117.31 करोड़ तथा ₹926.79 करोड़ के प्रतिकूल शेष दर्शाते है। इन्हें संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

(ii) **ऋण, अग्रिम तथा जमा (अनुसूची बी-18)**

बाह्य एजेंसियों (खाता कोड 46060) के साथ जमा के रूप में दर्शाए गए अनुसार (-)₹46.59 करोड़ की राशि उपरोक्त शीर्ष में सम्मिलित है। जैसाकि जमा घाटे के आंकडों में नहीं हो सकते, इसकी समीक्षा तथा संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

(iii) उपरोक्त से अतिरिक्त स्टॉक इन हेंड के प्रतिकूल शेष ''स्टॉक इन हेंड'' ''4301036 विद्युत मीटर्स'' लेखों के कोड के अंतर्गत ₹1000868.00 का दिनाँक 31 मार्च, 2014 को प्रतिकूल शेष था।

यह मामला पिछले वर्ष भी उठाया गया था तथा विभाग ने वर्ष 2013-14 हेतु वार्षिक लेखों को अन्तिम रूप देते हुए प्रतिकूल शेर्षों को सही/शुद्ध करना सुनिश्चित किया। यद्यपि, शेष अभी भी बने हुए है।

विभाग ने यह बताया कि प्रतिकूल शेष राशि वर्ष 2004-05 तथा उससे आगे वर्ष दर वर्ष आगे बढ़ाई गई तथा पिछले वर्षों की तुलना में अधिकतम लेखे परिशोधन, वर्ष 2014-15 के लिए लेखों में प्रतिकूल शेषों को (मार्च 2015) ठीक करना सुनिश्चित किया गया।

III एनएमएएम में निर्धारित प्रारूप (पों) में अनुसूचियों का तैयार न होना।

निम्नलिखित अनुसूचियाँ एवं तुलन पत्र वर्ष 2013-14 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र का हिस्सा बनाने तथा संलग्न करने हेतु एनएमएएम में निर्धारित प्रारूप (पों) के अनुसार तैयार नहीं की गई:

(i) अनुसूची बी-12: निवेश - सामान्य निधि (कोड-420)

(ii) अनुसूची बी-13: निवेश - अन्य निधियाँ (कोड-421)

(iii) अनुसूची बी-15: फुटकर देनदार (प्रातियाँ) (कोड-431)

यह मामला आडिट में पिछले वर्ष भी उठाया गया था। ऑडिट में इंगित किए जाने पर, एन.एम.ए.एम. के अनुसार 10 में से 7 अनुसूचियां तैयार की गई। यद्यपि, एनएमएएम की आवश्यक्ताओं के अनुसार उपरोक्त तीन अनुसूचियां नहीं है।

विभाग आश्वस्त करें (मार्च 2015) कि सिस्टम में अनुसूची के विकास हेतु अनिवार्य प्रयास किए जाएगे तथा तब अनुसूची पुस्तिका रूप में तैयार की जाएगी तथा वर्ष 2014-15 के लेखों के साथ जोड़ी जाएगी ।

ए-I <u>देयताएँ</u>

ए. <u>नगरपालिका सामान्य निधि (अनुसूची बी-1)- ₹4784.45 करोड़</u>

₹4070.01 करोड़ के बजट अनुमान के विरूद्ध ₹714.44 करोड़ का अधिक प्रावधान था जिसकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

विभाग से स्पष्टीकरण प्रतीक्षारत हैं।

बी. <u>विशेष निधि/उद्दिष्ट निधि (अनुसूची बी-2)</u>

न.दि.न.परिषद् ने क्रमशः अतिरिक्त एफएआर तथा मिश्रित उपयोग संपरिवर्तन प्रभार (एक बार पार्किंग विकास प्रभार) के कारण वर्ष 2013-14 के ₹2.00 करोड़ तथा ₹0.86 करोड़ एकत्रित किए। राशि राजस्व प्राप्ति शीर्ष क्रमशः ''1401504'' तथा ''1401502'' के अंतर्गत बुक की गई है जोकि देयता शीर्ष ''3111202'' के अंतर्गत बुक किए जाने चाहिए जब तक कि पृथक एस्क्रो लेखे कानूनों और विकास के नियमों द्वारा दिल्ली भवन की शर्तों के अनुपालन में खुला हैं।

सी. <u>अन्य देयताएं- फुटकर लेनदार - ₹24.78 करोड़ (अनुसूची बी-9)</u>

(i) (अन्य देयताओं में लेखा कोड ''3502005 स्रोतों में आयकर कटौती'' के अन्तर्गत ₹3.72 करोड़ तथा 31 मार्च, 2014 को ''3502006- वैट'' लेखा कोड के अंतर्गत ₹1.29 करोड़ की संविधिक कटौती सम्मिलित हैं। उपरोक्त वर्णित लेखा कोड के अंतर्गत की गई कटौतियाँ संबंधित प्राधिकारियों को नहीं भेजी गई। चूंकि देरी से भेजी गई राशि संबंधित कर प्राधिकारियों को जुर्माने की ओर खीच सकती हैं, कर देयताएं पुनः बढ़ जाएगी।

यह मामला पिछले वर्ष आडिट में भी उठाया गया था तथा विभाग ने मामले को सुलझाने का तथा वर्ष 2013-14 के लेखों से आवश्यक कार्य करने का आवश्वासन दिया।

विभाग ने सुनिश्चित किया कि (मार्च 2015) वर्ष 2014-15 के लिए लेखों को अन्तिम रूप देते हुए आयकर, वैट, उपकर तथा अन्य जमा के शेष के परिशोधन हेतु विशेष प्रयास किए जाएगे।

(ii) अनुसूची (बी-7) में ₹182.17 करोड़ की राशि की प्रतिभूति जमा का वर्षानुसार (3 वर्ष से कम तथा 3 वर्षो से अधिक)ब्यौरा का प्रकटन नहीं किया गया। प्रतिभूति जमा जो तीन वर्षो से अधिक पुरानी हैं भूल-चूक जमा लेखा में स्थांतरित करने की आवश्यकता है।

विभाग ने बताया कि (मार्च 2015) प्रतिभूति जमा वर्षावार ब्यौरा का वर्तमान में रखरखाव नहीं किया गया हैं तथा वर्ष 2014-15 में ऐसे लेखों को भूल-चूक लेखों में स्थांतरित किए जाने का आवश्वासन दिया।

(iii) न.दि.न.परिषद् ने अपने उपभोक्ताओं को वितरण करने हेतु थोक में विद्युत और जल का क्रय किया। न.दि.न.परिषद् ने ₹57.15 करोड़ (पूर्व के भुगतान का ₹1.20 करोड़ की नकद रियायत के समंजन करने के पश्चात्) की राशि के मार्च 2014 मास के दौरान एनटीपीसी से थोक में विद्युत तथा जल क्रय किया जोकि अप्रैल 2014 में अदा किया गया था। जैसाकि वर्ष 2013-14 हेतु इन लेखों में कोई प्रावधान नहीं था, थोक देयता प्रभार हेतु देयता (एचओए 3508006) के अंतर्गत इस सीमा तक न्यून रूप से उक्त थी।

विभाग ने (मार्च 2015) अवलोकन पावर शाखा को अग्रेषित कर दिया हैं तथा संबंधित विभाग से अनुपालन प्रतीक्षारत हैं।

ए-II <u>परिसम्पत्तियाँ</u>

I. अचल परिसम्पत्ति (अनुसूची बी-11 तथा बी-11 बी)

(i) बाह्य सत्यापन

आडिट ने न.दि.न.परिषद् में रखरखाव किए गए विभिन्न अचल सम्पत्तियों की शीट/बाह्य सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा तथा यदि कोई विसंगति नोट की गई, तो उसके लिए उपचारात्मक कदम लिए गए।

यह मामला पिछले वर्ष भी आडिट में उठाया गया। विभाग में वर्ष 2013-14 के अपने लेखों के नोट द्वारा बताया कि सभी अचल परिसम्पत्तियों के बाह्य सत्यापन का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

विभाग ने बताया कि (मार्च 2015) चलायमान परिसम्पत्तियों की सूची संबंधित विभाग द्वारा प्रबंधन अनुसार बाह्य रूप से सत्यापित की गई। कमियों/अधिक्ता का प्रमाणीकरण अपरिवर्तनीय रूप से परिसम्पत्ति रजिस्टर में परिसम्पत्तियों के सत्यापक द्वारा रिकार्ड की गई ।

लेखों के नोटस के अनुसार प्रकरण तथा विभाग के प्रत्युत्तर विरोधात्मक हैं, जिसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

(ii) न.दि.न.परिषद् ने द्वारका तथा साकेत में क्रमशः 1996 तथा 2001 में ₹4.94 करोड़ की राशि के दो भूमि के प्लाट खरीदे। द्वारका में आवंटन यद्यपि, अप्रैल 2012 में रद्ध कर दिया गया। स्थायी भूमि परिसम्पत्ति के रजिस्टर की जांच अबास द्वारा रखरखाव किया गया यह अवलोकन किया गया कि यह लेन-देन लेखा पुस्तकों में नहीं दिया गया। स्थायी परिसम्पत्तियों के रजिस्टर की समीक्षा तथा अद्यतन किए जाने की आवश्यकता हैं, जोकि अभी नहीं किया गया।

यह मामला पिछले वर्ष भी उठाया गया था।

वर्ष 2013-14 के लेखों के नोट से प्रकट होता हैं कि एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के संशोधन न होने के कारण जवाबदेह नहीं हो सकता।

विभाग सॉफ्टवेयर को संशोधित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

(iii) **पूँजीगत कार्य प्रणाली में (अनुसूची बी-11(बी)**- ₹475.26 करोड़ की मूल्य वाले 419 कार्यों के लिए पिछले वर्ष (वर्षों) से उक्त राशि आगे लाई गई **(अनुलग्नक-III)** जिससे पता चलता है कि यह कार्य पहले ही पूर्ण किए गए है। पुनः 419 कार्यों में से ₹63.01करोड़ की राशि का 46 कार्यों का जांच परीक्षण, **(अनुलग्नक-IV)** 7 विभिन्न विभागों द्वारा निस्पादित किया गया, इससे ज्ञात होता हैं कि यह पूर्ण किया गया हैं तथा उनका अन्तिम भुगतान किया गया हैं इसके परिणामस्वरूप, पूँजीगत परिसम्पत्तियों के विवरण के अंतर्गत तथा कार्य का अधिविवरण प्रगति में हैं।

यह पूँजीगत किया जाना चाहिए तथा निर्धारित दरों का मूल्याह्रास निकाला गया तथा आय तथा व्यय लेखों में प्रभारित किया गया।

यह मामला आडिट में पिछले वर्ष भी उठाया गया था।

विभाग वर्ष 2014-15 के लेखों के अन्तिम रूप देने में पूर्ण किए गए कार्यों के लेखों को स्थांतरित करने में किए गए प्रयासों को सुनिश्चित करें।

ए- III चालू परिसम्पत्तियाँ, तथा ऋण, अग्रिम एवं जमा

I नकद तथा बैंक शेष (अनुसूची बी-17)

(1) **बैंक समाधान विवरण:-** पैरा 30.5 के अनुसार आगामी मास के प्रथम सप्ताह तक नई दिल्ली म्यूनिसिपल लेखा मैन्यूल, नकद तथा बैंक शेष का मासिक आधार पर समाधान किया जाना अपेक्षित है।
नकद पुस्तिका के अनुसार दिनाँक 31.03.2014 को बैंक शेष ₹143,17,35,252.37/- था तथा समाधान के पश्चात् यह ₹86,59,65,831/- **(अनुलग्नक-v)** तक बनता है।
मार्च 2014 को बैंक समाधान विवरण में दर्शाए गए वृहद्ध लंबित अंतर निम्न प्रकार हैं:-

(क) चैक तथा नकद जमा के लिए बैंक द्वारा क्रेडिट उपलब्ध नहीं करा सके।

₹159.94 करोड़ की राशि अप्रैल 2005 तथा मार्च 2014 के मध्य जमा चैक तथा नकद के कारण समंजन हेतु लंबित थी किन्तु क्रेडिट स्टेट बैंक द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

(बी) वर्ष 2005 से समंजन लंबित

दिनाँक 31 मार्च, 2014 को ₹23208535.13 (₹2.32 करोड़) की राशि अप्रैल 2005 से पूर्व जारी चैंको के संबंध में समंजन हेतु लंबित दिखाई गई है।

(सी) बैंक द्वारा दिया गया अतिरिक्त डेबिट

₹222649172.00 (₹22.26 करोड़) की राशि बैंक द्वारा उपलब्ध कराया गया अधिक डेबिट के कारण समंजन हेतु लंबित थी।

(डी) बैंक द्वारा उपलब्ध कराया गया अधि क्रेडिट

₹522335017.77 (₹52.23 करोड़) की राशि लेखा वर्ष 2005 से 2014 से संबंधित बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए अधिक क्रेडिट के कारण समंजन हेतु लंबित थी।

(ई) चैक जारी किए गए किन्तु मार्च 2014 तक नकद नहीं कराए गए

₹455544401.94 (₹45.55 करोड़) की राशि वर्ष 2005-2014 तक के लेखा वर्ष से संबंधित जारी चैक के कारण लंबित थे किन्तु चैक मार्च 2014 तक नकद नहीं कराए गए।

(एफ) बैंक प्रभार

₹26,20,995.87 (₹26.20 लाख) की राशि अस्वीकृत चैक/लौटाए गए उदृत्त चैक/चैक बुक तथा अन्य प्रभारों के संबंध में बैंक द्वारा प्रभारित किए गए किन्तु मार्च 2014 तक नकद नहीं कराए गए।

(जी) विविध मदें

(i) ₹64,23,50,869/- (₹64.24 करोड़) की राशि मार्च 2014 तक माइन्स एन्ट्री, अतिरिक्त निधि, नकदी मिलान तथा कैश बुक इत्यादि के मध्य अंतर के कारण समंजन नहीं हुआ था।

(ii) मार्च 2014 तक, शेष निधि क्लियरिंग इत्यादि एक्सिस बैंक द्वारा दिए गए लैस क्रेडिट, अनट्रेसड फंड के संबंध में ₹52,07,65,072.38 (₹52.08 करोड़) की राशि का संमजन नहीं किया गया था।

(एच) अनुसूची बी-17 (तुलन पत्र) में प्रदर्शित विवरण अनुसार दिनाँक 31.03.2014 को राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ अंतशेष (-) ₹80,98,47,985.92/- था यद्यपि, उक्त अवधि हेतु बैंक समाधान अनुसार अंतशेष ₹86,59,65,831.65/- दर्शाता है।

अत: पिछले तथा वर्तमान के लेखा वर्षो से संबंधित बैंक समाधान विवरण में दर्शाए गए इन लेन-देन बकायों को संमजित करने के लिए किए गए अनुपयुक्त प्रयासों के कारण न.दि.न.परिषद् की आय तथा व्यय के साथ-साथ परिसम्पत्तियाँ तथा देयताएँ सही तथा स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं दिखाया गया ।

विभाग ने ब्रू (बीआरयू) के अवलोकन (मार्च 2015) अग्रेषित कर दिए हैं तथा अनुपालन प्रतीक्षारत हैं।

(2) नकदी के अंत शेष में अंतर

अनुसूची बी-17 के अनुसार, न.दि.न.परिषद् लेखा 2013-14 में नकद तथा बैंक शेष ₹143,19,05,937.26 दर्शाया गया था जबकि कैश बुक के अनुसार ₹143,17,35,252.37/- में से ₹(-) 1,70,684.89/- का अंतर छूट रहा है।

विभाग ने बताया कि (मार्च 2015) अंतर नकदी के अंतशेष की समंश्रित प्रविष्टियों के कारण था। जून 2014 तक संमजन पहले ही जुलाई 2014 मास की कैश बुक में किया गया है।

प्रत्युत्तर मान्य नहीं है चूंकि ₹(-) 1,70,684.89/- के अंतर हेतु संमजन वर्ष 2013-14 के लेखों में स्वयं ही अनिवार्य रूप से लिया गया था।

<u>राजस्व आय तथा व्यय</u>

राजस्व अनुदान अंशदान तथा आर्थिक सहायता (अनुसूची I-15)

आडिट को ₹38.98 करोड़ के संबंध में कोई उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत/दिखाया नहीं किया गया। ऐसा न होने पर, व्यय की वैधता का प्रभार आडिट के सत्यापित नहीं किया जा सका।

विभाग से प्रत्युत्तर प्रतीक्षारत है।

<u>लेखों के नोट पर टिप्पणीयाँ (अनुसूची बी-22)</u>

वर्ष 2013-14 हेतु तुलन पत्र की अनुसूची बी-22 में लेखों की टिप्पणी से निम्नलिखित कमियां पता चली:-

नाममात्र मूल्य पर चल परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन ''''

लेखों के नोट के अनुसार, दिनाँक 01.01.2004 से पूर्व विद्यमान परिसम्पत्तियों जिनके लिए वर्तमान वर्ष में सूचनाएं प्राप्त की गई चल परिसम्पत्तियों के साथ-साथ नाममात्र राशि ₹1 पर समरूप आरक्षित पूंजी दोनों को

अनिवार्य समंजन करते हुए गणना की गई। जैसाकि तुलन-पत्र की तिथि को ₹1 पर निम्नलिखित परिसम्पत्तियाँ सम्मिलित है।

तालिका 1.23

खातों का कोड	खाते का नाम	परिसम्पत्तियों की संख्या	राशि (₹में)
4101099	भूमि	1111	1111
4102099	भवन	735	735
4103099	सड़क पुल	312	312
4103199	सीवरेज तथा ड्रेनेज	1281	1281
4103299	(वाटर वे) जलमार्ग	680	680
4103399	सार्वजनिक पथ-प्रकाश	38954	38954
4104099	संयत्र मशीनरी	1456268	1456268
4105099	वाहन	354	354
4106099	कार्यालय तथा अन्य उपकरण	893	893
4107099	फर्नीचर फिक्सचर	29837	29837
4108099	अन्य अचल परिसम्पत्तियाँ	149010	149010

वास्तविक मूल्य के अतिरिक्त ₹1 पर परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन जारी किया गया यह पिछले वर्ष आडिट में भी उठाया गया था। विभाग ने अपने नोट के द्वारा लेखों में प्रकट किया कि परिसम्पत्तियों ₹1 की नाममात्र राशि पर निरन्तर दर्शायी जाएगी जब तक कि इनका पुर्नमूल्यांकन किया जाए।

<u>सामान्य:</u>

ऑडिट में कुछ अन्य मामले नोट किए गए जिन्हें संबधित प्राधिकारी के ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है:

(ए) न.दि.न.परिषद् के लेखा पुस्तिका के पैरा सं० 21.18 के अनुसार, अचल और चल सम्पत्ति तथा सार्वजनिक पथ-प्रकाश व्यवस्था का फार्म-जी ई एन-30, जी ई एन-31 तथा जीईएन-36 से क्रमश: रखरखाव किया जाएगा।

जून 2014 में एग्ज़िट कांफ्रेस में विभाग ने सुनिश्चित किया कि स्थाई परिसम्पत्तियों के रजिस्टरों का रखरखाव किया जाएगा । इस संदर्भ में विभाग को परिसम्पत्तियों के रजिस्टारों का रखरखाव करने की पुष्टि करने को कहा गया कि क्या संबंधित विभाग निर्धारित प्रारूप में अचल परिसम्पत्तियों का रखरखाव कर रही है, यद्यपि, सूचना प्रतीक्षारत है।

(बी) पैरा 16.38(एफ) के पैरानुसार एनएमएएम के साथ न.दि.न.परिषद् लेखा पुस्तिका के पैरा 29.3 (iii) (जे) के साथ पढ़ा जाए, विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध नकद का त्रैमासिक आधार पर लेखा विभाग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सत्यापन किया जाएगा तथा विभाग द्वारा रखरखाव किए जा रहे रिकार्ड से मिलाया जाएगा

इसके साथ-साथ अग्रिमों के रजिस्टर (फार्म जीईएन-16) का लेखा विभाग में रखरखाव किया जाएगा। किन्तु उक्त नहीं किया गया।

(सी) दिनाँक 31.03.2014 को भण्डारों/ उपभोज्यों के संबंध में प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट आडिट में मंगवाई गई, जो उपलब्ध नहीं कराई गई।

विभाग ने सुनिश्चितता दी कि (मार्च 2015) प्रत्यक्ष सत्यापन के प्रमाणपत्र के संबंध में वार्षिक लेखा 2014-15 के साथ आडिट में दर्शाया जाएगा।

(डी) अनुसूची बी-14 की ₹4.44 करोड़ के मूल्य वाली 11 मदें अप्रैल 2010 से मार्च 2014 तक की अवधि में नहीं ली गई। इन्हें सत्यापित किए जाने की आवश्यकता हैं क्या यह उपयोग करने की स्थिति में है, यदि नहीं, अनिवार्य प्रावधान किए जाने की आवश्यकता हैं। (अनुलग्नक- VI)

विभाग ने बताया कि (मार्च 2015) अनिवार्य संशोधन न.दि.न.परिषद् लेखे 2014-15 को अन्तिम रूप देते हुए किए जाएगें।

(ई) वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखे तथा मासिक लेखों के अनुसार कार्यानुसार संगणित किए गए शेषों का अंतर निम्न विवरणानुसार है:-

तालिका **1.24** (₹ हजार में)

क्र. सं.	विवरण	मासिक लेखों अनुसार संगणित राशि (12 मास)	वार्षिक लेखों अनुसार राशि (कार्य अनुसार लेजर रिपोर्ट)	अंतर
1.	कुल राजस्व प्राप्ति	24931594	25244075	312481
2.	कुल राजस्व व्यय	24580472	24575504	4968
3.	कुल राजस्व पूंजीगत प्राप्ति/देयता	3954099	3954099	--
4.	कुल पूंजीगत व्यय/परिसम्पत्तियाँ	6304036	4925165	1378871

अंतरों के लिए कारण आडिट में प्रतीक्षारत हैं।

(एफ) लेखों के चार्ट के अनुसार वर्ष के अंत तक निम्नलिखित लेखा शीर्षों में शेष नहीं था, किन्तु शीर्ष मार्च 2014 के अंत में अंतशेष दर्शा रहे है।

350-11-46 - ''कैश शाखा का भुगतान नियंत्रण लेखा''

350-20-11 - ''सीबीएस की विविध रिकवरी''

470-10-01 - ''अन्य परिसम्पत्तियाँ जमा कार्य सिविल''

470-10-02 - ''अन्य परिसम्पत्तियाँ जमा कार्य विद्युत''

431-80-05 - ''प्राप्य नियंत्रण लेखा - न.दि.न.परिषद् सम्पत्तियों से लाइसेंस शुल्क ।

यह मामला आडिट में पिछले वर्ष भी उठाया गया था तथा विभाग ने वर्ष 2013-14 के लेखों को अन्तिम रूप देते हुए अनिवार्य संशोधन करने की सुनिश्चितता की थी। यद्यपि, इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

विभाग ने बताया (मार्च 2015) कि प्रतिकूल शेष वर्ष 2004-05 से वर्ष दर वर्ष तथा इसके बाद भी आगे लगाया गया इस कारण कार्यकलाप कोड के लेखों चार्ट का चयन उचित रूप से नहीं किया गया।
आवश्यक लेखा संशोधन, वर्ष 2014-15 के लेखों के प्रतिकूल शेष को ठीक करने हेतु किए जाएगे तथा उक्त वर्ष 2015-16 में संशोधति होगें।

विभाग को ऐसी त्रुटियों के संशोधन हेतु कुछ समयसीमा निर्धारित करनी चाहिए।

दावा-त्याग रिपोर्ट में दिए गए सभी तथ्य/आंकड़े लेखा विभाग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर हैं तथा यह कि आडिट विभाग इस संबंध में किसी प्रकार की विसंगति के लिए उत्तरदायी नहीं है।

भाग-III

1.16 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

संतोषजनक प्रत्युत्तर की गई कार्रवाई के टिप्पण न होने पर वार्षिक आडिट रिपोर्ट तथा स्थानीय आडिट रिपोर्ट के बकायो हेतु पैराग्राफो की स्थिति निम्न तालिका में दी गई हैं:

वार्षिक आडिट रिपोर्ट

तालिका सं०.1.25

विभाग	दिनाँक 01.07.2014 के अथ शेष	अतिरिक्त	कुल	निपटान/ स्थानांतरण	दिनाँक फरवरी 2015 को अंत शेष
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ) = (डी-ई)
वित्तीय एवं लेखा	07	01	08	शून्य	08
सम्पदा-I	05	03	08	01	07
सम्पदा-II	01	02	03	शून्य	03
सम्पत्ति कर	12	01	13	01	12
प्रवर्त्तन	18	02	20	02	18
उद्यान	01	शून्य	01	शून्य	01
सिविल इंजीनियरिंग	06	03	09	शून्य	09
विद्युत	10	शून्य	10	05	05
वाणिज्य	03	01	04	शून्य	04
कार्मिक	01	01	02	शून्य	02
वास्तुविद् तथा पर्यावरण	07	शून्य	07	शून्य	07
जन स्वास्थ्य	08	02	10	03	07
शिक्षा नवोदय स्कूल शिक्षा सोसाइटी	04 02	शून्य शून्य	04 02	शून्य 02	04 शून्य
सूचना प्रौद्योगिकी	02	शून्य	02	शून्य	02
नगरपालिका हाउसिंग	04	शून्य	04	शून्य	04
कुल	91	16	107	14	93

स्थानीय आडिट रिपोर्ट

तालिका सं० **1.26**

क्र.सं.	विभाग का नाम	दिनाँक 01.07.2014 को बकाया पैरों की सं०	दिनाँक 28.02.2015 तक जोड़े गए पैरे	कुल (सी + डी)	दिनाँक 1.03.2015 तक निपटाए गए/ सम्मिलित किए गए पैरों की सख्या	शेष बकाया पैरों की सं०
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(ई-एफ)
01.	लेखा एवं वित्त	423	9	432	12	420
02.	वास्तुविद् तथा पर्यावरण	131	-	131	--	--
03.	सिविल इंजीनियरिंग	1628	133	1761	22	1739
04.	वाणिज्य	119	--	119	48	71
05.	शिक्षा	1844	101	1945	262	1683
06.	विद्युत	1553	70	1623	24	1599
07.	प्रवर्त्तन	82	--	82	2	80
08.	सम्पदा	232	17	249	3	246
09.	अग्नि	97	--	97	--	97
10.	सामान्य प्रशासन	243	8	251	--	251
11.	स्वास्थ्य सेवाएँ/ जन स्वास्थ्य	795	26	821	312	509
12.	उद्यान	104	11	115	29	86
13.	सम्पत्ति कर	114	18	132	11	121
14.	सूचना प्रौद्योगिकी	76	--	76	--	76
15.	विधि	28	8	36	--	36
16.	कार्मिक	544	24	568	1	567
17.	जनसम्पर्क	122	-	122	--	122
18.	सुरक्षा	118	6	124	---	124
19.	कल्याण	846	47	893	39	854
20.	परियोजना	9	3	12	-	12
	कुल	9108	481	9589	765	8693

अध्याय-2

सिविल तथा विद्युत इंजीनियरिंग विभाग

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में, सिविल तथा विद्युत विभाग में अनुबंध प्रबंधन की निष्पादन ऑडिट रिपोर्ट।

2. परिचय

2.1.1 नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् निर्माण कार्य तथा अन्य गौणे सेवाएँ अधिकतर अनुबंधों के माध्यम से करती हैं। हमने पूर्व में किए गए संव्यवहार ऑडिट में विभिन्न मुद्दों पर जोर दिया है। न.दि.न.परिषद् में कार्य सेवाओं से संबंधित अनुबंधों पर मार्च 2007 से मार्च 2011 के अंत हेतु वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाए गए आवर्ती ऑडिट मामलों का निष्कर्ष **अनुलग्नक-VII** में दिया गया है। ऑडिट की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हम वर्ष 2010 से 2014 के दौरान किए गए अनुबंधों का निष्पादन ऑडिट प्रारंभ करते हैं। निष्पादन ऑडिट का परिणाम अनुवर्ती पैराग्राफों में वर्णित किया गया है।

2.1.2 कार्यकारी संरचना/संस्थागत डिजाइन

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम की धारा-18 के अंतर्गत, अधिनियम के प्रावधानों में से करने के उद्देश्य हेतु सम्पूर्ण कार्यकारी शक्ति अध्यक्ष के पास निहित है। अध्यक्ष, सिविल/विद्युत इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों को वित्तीय शक्तियाँ सौंपते हैं जैसाकि वे कार्य सेवाओं से संबंधित होती हैं।

इंजीनियर-इन-चीफ सिविल/विद्युत इंजीनियरिंग विभागों का प्रमुख होता है। यद्यपि, जब इंजीनियर-इन-चीफ के न होने पर सचिव, इंजीनियर-इन-चीफ को सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करता है।

चीफइंजीनियर, (सी ई) सिविल-I, सिविल-II, सिविल-III तथा विद्युत-I तथा विद्युत-II संबंधित विभागों की अगुआई[1] करते हैं तथा उन्हें आवंटित किए गए संबंधित विभागों के संबंध में सड़कों की मरम्मत/रखरखाव, भवनों, जलापूति तथा विद्युत कायों के लिए आवंटित किया गया है। अधिशासी अभियंता (एसई) सर्कल स्थर पर तथा प्रभागीय स्तर पर कार्यकारी अभियंता (ईई), मुख्य अभियंताओं के अन्तर्गत कार्य करते हैं, जो उन्हें आवंटित क्षेत्रों/फील्ड में सौंपी गई सेवाओं को प्रदान करना तथा सक्षम कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु

[1] मूल कार्य से अभिप्राय (i) सभी नए निमार्ण (ii) नई अर्जित परिसम्पत्तियों की सभी प्रकार के परिवर्तन, परिवर्धन तथा/अथवा विशेष मरम्मत, परित्यक्त अथवा क्षतिग्रस्त परिसम्पतियाँ कार्य योग्य बनाना (iii) वर्तमान संरचना के एक भाग में मुख्य परिवर्तन अथवा नया रूप देना, संस्थापन अथवा अन्य कार्य जिसमें सम्पत्ति के मूल्य तथा उपयोगी अवधि में वृद्धि हो।

प्राधिकृत है। गुणवत्ता नियंत्रण तथा तकनीकी ऑडिट (क्यू सी टी ए) के ई ई एस इन-चार्ज गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं तथा एस ई (क्यू सी टी ए) को रिपोर्ट भेजते हैं।

2.1.3 ऑडिट का कार्यक्षेत्र

वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013 से 2014 के दौरान सिविल/विद्युत इंजीनियरिंग विभागों द्वारा किया गया। ऑडिट में कार्यों के निष्पादन का संतोषजनक स्तर जानने के लिए कार्य की स्वीकृति हेतु बैकग्राउंड पेपरों की जांच तथा मूल्यांकन प्रणाली की जांच का कार्य सम्मलित है।

2.1.4 ऑडिट मापदण्ड

अनुबंध प्रबंधन के मूल्यांकन हेतु मापदण्ड के स्रोत

(i) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम
(ii) जी एफ आर
(iii) केन्द्रीय लोक कल्याण विभाग कार्य नियमावली
(iv) वित्तीय शक्तियों का प्रत्यारोपण
(v) राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली
(vi) सी वी सी द्वारा जारी दिशा-निर्देश
(vii) परिषद् बैठकों का निर्णय तथा
(viii) सभी अन्य लागू नियम, आदेश

2.1.5 ऑडिट उद्देश्य

निष्पादन ऑडिट का मुख्य उद्देश्य यह जांच करना है कि क्या:

(i) न.दि.न.परिषद् कार्य सेवाओं की जिम्मेदारी लेने हेतु एक दक्ष तथा प्रभावशाली संस्था है।
(ii) न.दि.न.परिषद् के पास कार्य सेवाओं की योजना, अनुमान करने की उचित निर्धारित प्राक्रिया है।
(iii) प्रणाली, दक्ष, प्रभावशाली तथा आर्थिक अनुबंध प्रबंधन हेतु डिजाइन किया गया है।
(iv) सभी लागू नियम एवं केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों का नीति पूर्वक पालन किया गया है।
(v) कार्यों की गुणवत्ता, उनका समय पर पूर्ण होना तथा उपयोगकर्ता को संतोषजनक स्तर सुनिश्चित करने हेतु एक प्रभावशाली निरीक्षण प्रणाली है।

2.1.6 ऑडिट कार्य प्रणाली

निष्पादन ऑडिट तीन ऑडिट पार्टियों के द्वारा किया गया, प्रत्येक पार्टी भवनो, सड़कों तथा विद्युत डिविजनों के लिए लगाई गई। सिविल (विशेष परियोजनाओं को छोड़कर) और सड़कों के सभी डिवीजनों को निष्पादन

ऑडिट की सीमा में लाया गया। विद्युत विभाग के मामले में 19 में से केवल 12[2] प्रभागों को ऑडिट के दायरे में लाया गया।

स्वीकृत नमूनों के आधार पर अनुबंधों का चयन किया गया प्रत्येक प्रभाग में करार रजिस्टरों की सामान्य समीक्षा आरंभ करने के अलावा 2136 अनुबंधों में से 376 का ऑडिट किया गया। हालांकि संबंधित प्रभागों से कुछ फाईलें उपलब्ध न होने के कारण कुछ अनुबंधों का ऑडिट नहीं हो पाया जैसाकि ये फाईलें समय के विस्तार विचलन इत्यादि की स्वीकृति हेतु उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुत की गई थीं। सिविल विभाग में ऑडिट हेतु अप्राप्य फाईलों की सूची **अनुलग्नक-VIII** में दी गई है।

इस रिपोर्ट में शामिल करने से पूर्व उनके मतों के प्राप्त करने हेतु संबंधित ई ई को ऑडिट आश्वासन तथा अवलोकन जारी किए गए। यहाँ से प्रत्युत्तर प्राप्त हुए इस रिपोर्ट में शामिल किए गए।

2.1.7 ऑडिट परिणाम

हमने नोट किया कि पिछली ऑडिट रिपोर्टों में दर्शाए गए (अनुलग्नक-I) आवर्ती ऑडिट अवलोकन जैसाकि बोली वैद्यता की समाप्ति से पूर्व अस्वीकृत निविदा के कारण तथा निरन्तर निविदा प्रक्रिया में प्राप्त उच्च बोलियों की स्वीकृति के कारण, इनमें कमी आई है, जो प्रणाली में सुधार है। हलाँकि कई क्षेत्रों में प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है जैसाकि वर्तमान निष्पादन ऑडिट की जांच-पड़ताल से दृष्टिगत होता है जिसकी रिपोर्ट यहाँ नीचे दी गई है।

2.2 निमार्ण-सिविल

2.2.1 वर्कलोड के बगैर डिवीजनों की निर्माण तथा निरंतरता

वर्ष 2010-13 की अवधि के दौरान तीन निर्माण डिवीजन, अर्थात सी-I, सी-III, तथा सी-VI थे, हमने अवलोकित किया कि पूरे तीन वर्षों हेतु सी-III प्रभाग, सी-I तथा सी-VI के पास कोई कार्य नहीं था।

सी-III के पास बजट आऊटले ₹24.84 करोड़ के साथ 18 अनुबंध थे।

सी-I को हनुमान मंदिर के पीछे एक विद्युत सब-स्टेशन के संस्थापन हेतु (2010-11 की करार संख्या 1) एक अनुबंध सौंपा गया था, जो क्षेत्र के निवासियों के विरोध के कारण प्रारम्भ नहीं हो सका। इसी प्रकार सी-VI के पास मोती बाग में 250 बिस्तरों वाले अस्पताल के निमार्ण हेतु मात्र एक परामर्श अनुबंध था, जिसकी कोई प्रगति नहीं हुई। तीन वर्ष की अवधि के दौरान डिविजन (सी-I) द्वारा खर्च किया गया व्यय ₹60.50 लाख था। बाद में, जून 2013 में सी-I तथा सी-VI का विलय कर दिया गया।

यह, यद्यपि, तीन वर्षों हेतु पर्याप्त वर्कलोड के बगैर डिविजनों की निरन्तरता की सार्थकता सिद्ध नहीं करता।

[2] ईई 33के वी स्टोर, 11 के वी स्टोर, सी-III, सी-IV, सी-VI, बी एम-I, बी एम-II, पथ प्रकाश, रखरखाव उत्तर, 33 के वी रखरखाव, जलापूर्ति तथा सीवरेज रखरखाव

डिविजन ने सूचित किया कि (नवम्बर-2013) मध्यस्थ के दो मामले थे तथा चार निविदाओं (वर्ष 2013-14 के दौरान) को आमंत्रित किया गया जिन्हें यह इंगित करते हुए कि पर्याप्त वर्कलोड नहीं था, एक को कार्य सौंपा गया ।

2.2.2 बापूधाम स्थित टाइप-I फ्लैटों को समय से पहले गिराना तथा पुनः निर्माण करना।

(ए) वर्ष 1995-96 के दौरान संरचनात्मक विफलता नोटिस आने के कारण बापूधाम स्थित टाइप-I के 288 फ्लैटों को जिनका निर्माण 1969 को लिया गया था, न.दि.न.परिषद् ने समय से पहले गिरा दिए थे। यद्यपि भवनों की उपयोग अवधि का अनुमान 75 वर्षों का था, परन्तु क्षतिग्रस्त होने के कारण इन बिल्डिगों को गिराने का प्रस्ताव तथा सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा टाईप-I के 336 नए भवनों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया। परिषद् की प्रस्ताव संख्या 29(ए-96) दिनांक 30.09.2009 के द्वारा फ्लैटों की संख्या में कमी कर 296 फ्लैटों हेतु परिषद् से प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त की गई। मैसर्स कमला कंस्ट्रक्शन कम्पनी (बाद में मैसर्स कमलादित्या कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.) को ₹39.55 करोड़ हेतु करार संख्या 4/ईई सी-III/ए बी/2010-11 द्वारा कार्य सौंपा गया तथा दिसम्बर 2014 तक पूर्ण होना है।

(बी) कार्य का निष्पादन तीन चरणों में किया गया, जिसमें से प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण का 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। सितम्बर 2013 के अंत तक कार्य की कुल प्रगति 60 प्रतिशत है। अनुबंध में इंगित मील के पत्थर में विहित अनुसार, जनवरी 2014 तक 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। लेकिन अतिरिक्त लागत ₹6.15 करोड़ पर जून 2015 तक पूरा किया जा सकता है। कार्य के लिए अंतिम भुगतान अभी तक जारी नहीं किया गया ।

(सी) इस कार्य के संरचनात्मक डिजाइन हेतु परामर्श के लिए अनुबंध ₹17 लाख की राशि हेतु मैसर्स स्वाती स्ट्रक्चर सॉल्यूशन प्रा0लि0 को सौंपा गया। जोकि निविदा आमंत्रण से पूर्व तैयार अनुमान से 94.80 प्रतिशत कम था। संरचनात्मक विफलता के पूर्व इतिहास को ध्यान में रखते हुए, जिन फ्लैटों की उपयोगी अवधि 50 प्रतिशत से अधिक है उन्हें समय से पूर्व गिराना अनिवार्य है, ऐसे असामान्य न्यूनतम दर की स्वीकृति की आवश्कता के लिए अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है, जिनका ऐसे मामलों में कोई साक्ष्य नहीं मिला।

अनुशंसा

बापूधाम हाऊसिंग कॉम्पलैक्स में विशेषतः समय से पहले संरचनात्मक विफलता की पृष्ठभूमि में, बिल्डिंग के संरचनात्मक डिजाईन हेतु परामर्शदाताओं के चयन में अतिरिक्त देखभाल तथा सावधानी की आवश्यकता है।

2.2.3 कम दरों पर परामर्श अनुबंध सौंपना

मुख्य अभियंता-III डिविजन द्वारा बनाए गए करार रजिस्टर की जांच से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 2010-11 के दौरान मैसर्स स्वाति स्ट्रक्चर सॉल्यूशनस प्रा0लि0 को दो परामर्श अनुबंध सौंपे गए जो निम्न प्रकार हैं:

क्र. सं.	अनुबंध संख्या	कार्य की प्रकृति	अनुमानित राशि	निविदा राशि	अनुमानित लागत से नीचे निविदा राशि की प्रतिशतता
1	1/ईई/(सी-III) /2010-11	296 टाईप-I फ्लैटों के निर्माण के लिए परामर्श (संरचनात्मक डिजाईन तथा पर्यवेक्षण	₹3.27 करोड़	₹0.17 करोड़	94.80
2	3/ईई/(सी-III) /2010-11	फायर बिग्रेड लैन स्थित सर्विस सेंटर के निर्माण हेतु परामर्श	₹37.51 लाख	₹ 5.25 लाख	86.01

निविदा मूल्य का न्यूनतम प्रतिशत जो स्वीकार किया गया, यह इंगित करता है कि या तो निविदा आमंत्रण सूचना (एन आई टी) के जारी होने से पूर्व कार्य की लागत का अनुमान बहुत उच्च था अथवा परामर्श का कार्य क्षेत्र तथा कार्य पर समझोता लिया गया था। कार्य पूर्ण होने तक परामर्श कार्य का कार्य क्षेत्र में निर्माण कार्य का निरीक्षण शामिल है। यद्यपि निमार्ण कार्य का निरीक्षण न.दि.न.परिषद् के इंजीनियरों द्वारा किया गया है।

अनुशंसा

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् परामर्श अनुबंधों को सौंपने से पूर्व कार्यों का उचित अनुमान तथा मार्किट दरों हेतु दिशा-निर्देशों को निकाले।

2.3 भवन रखरखाव-सिविल

ऑडिट के अन्तर्गत अवधि के दौरान चार भवन रखरखाव डिविजन विद्यमान थे इन डिविजनों का कार्य प्रोफाइल निम्न प्रकार है।

प्रभाग	क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र	वर्ष 2010-13 के दौरान अनुबंधों की कुल संख्या	सौंपे गए अनुबंधों का मूल्य (करोड़ ₹ में)
भवन रखरखाव-I	पंचकुइयां रोड, अपर रिज रोड, सरदार पटेल मार्ग, विलिंग्डन क्रीसेंट, संसंद मार्ग, क्नाट प्लेस से घिरा क्षेत्र	245	19.29
भवन रखरखाव-II	लोधी रोड, तीन मूर्ति मार्ग, विलिंग्डन क्रीसेंट, सरदार पटेल मार्ग, रिंग रोड, नौरोजी नगर, सफदर जंग अस्पताल, एम्स, किदवई नगर, अरविंदो मार्ग, लोधी कॉलोनी एण्ड लोधी रोड से घिरा क्षेत्र	250	12.38
भवन रखरखाव-III	पंचकुइयाँ, बंसत लेन, रेलवे लाइन, मथुरा रोड, सफदर जंग रोड, तीन मूर्ति मार्ग, साउथ एवेन्यू, डलहौजी रोड, रफी मार्ग, संसंद मार्ग, क्नाट प्लेस तथा पंचकुइयाँ रोड से घिरा क्षेत्र	191	11.00
भवन रखरखाव पालिका केन्द्र	संसंद मार्ग, क्नाट प्लेस, शंकर मार्किट, बाबर रोड, भगवानदास लेन, सांगलीमैस, जोरबाग, अलीगंज, हनुमान लेन तथा जय सिंह रोड से घिरा क्षेत्र	245	23.84
	कुल	931	66.51

उक्त रखरखाव डिविजनों द्वारा लिए गए कार्यों के संबंध में ऑडिट जांच नीचे दी गई है:

2.3.1 आवश्यक्ताओं को पूरा करने में विलम्ब

भवन रखरखाव डिविजनों के अन्तर्गत न.दि.न.परिषद् की हाऊसिंग कॉलोनियों में सुधार हेतु लिए गए कार्यों के संबंध में पेपरों की जांच के दौरान यह देखा गया कि रेजीडेन्टस वेलफेयर एसोसिएशन (आर डब्ल्यू ए) के अनुरोध पर तथा/अथवा इंजीनियरों द्वारा निरीक्षण के आधार पर हाऊसिंग कॉलोनी के सुधार के कार्यों को आरम्भ किया गया। यह भी अवलोकित किया गया कि उपयोगकर्ता की आवश्यकताएँ तथा कार्य सूची में लगातार परिवर्तन से कार्यों के प्रारम्भ होने में विलम्ब हो रहा है यह निम्नलिखित से स्पष्ट प्रकट होता है:

(i) पालिका निकेतन हाऊसिंग काम्पलेक्स का सुधार, सैक्टर-10, आर के पुरम (करार संख्या 78 ई ई बी एम-II/2010-11 के साथ मैसर्स भसीन कंस्ट्रक्शन कम्पनी) बी एम-II डिविजन द्वारा अक्टूबर-2005 में ₹13.43 लाख की अनुमानित लागत के साथ प्रारम्भ की गई, को मई 2010 में अंतिम रूप से स्वीकृत किया गया, जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है।

विलम्ब का विश्लेषण

दिनाँक	कार्रवाई
अक्टूबर- 2005	आंतरिक क्षतिग्रस्त प्लास्टर की मरम्मत के लिए रेजीडेन्स के अनुराध के आधार पर, ए ई ने ₹13.43 लाख की अनुमानित लागत पर मरम्मत प्रस्तावित की।
नवम्बर- 2006	कार्य की लागत में वृद्धि के कारण ₹24.62 लाख का संशोधित प्रारंभिक अनुमान (लागत में ₹11.19 लाख की तेजी - इस प्रकार आशय विलंब से 83 प्रतिशत की वृद्धि।
अप्रैल- 2007	कार्यक्षेत्र में वृद्धि के कारण ₹49.15 लाख का द्वितीय संशोधित प्रारंभिक अनुमान अर्थात् ग्रिट वाश प्लास्टरिंग का अतिरिक्त कार्य।
मई- 2007	जी आई पाइप्स फ्लोरिंग इत्यादि को बदलने के अतिरिक्त कार्य के कारण ₹1.88 करोड़ का तृतीय संशोधित प्रारंभिक अनुमान।
अप्रैल- 2008	डी एस आर 2007 को अपनाने के कारण ₹2.03 करोड़ का चतुर्थ संशोधन।
अप्रैल- 2010	प्रारंभिक अनुमान के परिवर्तन के कारण ₹2.12 करोड़ का पाँचवा संशोधन।
मई- 2010	परिषद् ने कार्य का अनुमोदन किया।
जुलाई- 2010	₹2.18 करोड़ हेतु विस्तृत अनुमान।
जुलाई- 2010	निविदा आमंत्रण सूचना ₹2.12 करोड़।
अक्टूबर- 2010	परिषद् ने ठेकेदार मैसर्स भसीन कंस्ट्रक्शन कम्पनी को ₹2.29 करोड़ हेतु अनुबंध सौंपने का अनुमोदन किया।
दिसम्बर- 2011	कार्य दिसम्बर-2011 में आरम्भ किया गया तथा दिसम्बर-2012 तक पूर्ण होना था।
सितम्बर- 2015	ठेकेदार के साथ विवाद होने के कारण कार्य अभी तक (98 प्रतिशत) प्रगति में है।

इस प्रकार ₹13.43 लाख की अनुमानित लागत के साथ ब्लॉकों के आंतरिक प्लास्टर की मरम्मत के साथ कार्य अक्टूबर-2005 में प्रारम्भ हो गया था, जो विभिन्न स्तरों पर कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ बढ़कर ₹2.29 करोड़ हो गया।

(ii) भवन रखरखाव-I में, कार्यों में सुधार के लिए सौंपे गए अनुबंध **अनुलग्नक-IX** में दर्शाए गए हैं। इसके अतिरिक्त भवन रखरखाव-II, भवन रखरखाव-I के स्वीकृत कार्य तीव्र गति पर हैं। हालांकि, न.दि.न. परिषद् क्षेत्र में बरसाती जल संचयन ढाँचा के निर्माण के लिए, ₹31.17 लाख की लागत पर दिसम्बर-2012 में भवन रखरखाव-I डिविजन के कार्य हेतु अनुबंध, जो सितम्बर-2013 तक पूर्ण होना था, डिजाइन का अनुमोदन न मिलने के कारण प्रगति पर नहीं है। चूँकि निविदाओं के जारी होने से पूर्व डिजाइन बनाना है, कर्य सौंपने के पश्चात् बाधा न्यायोचित नहीं था।

अनुशंसा

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् को प्रत्येक स्तर पर पूर्व- अनुबंधीय गतिविधि हेतु एक समय सीमा तैयार करने एवं उसका पालन करने की आवश्यकता है।

आवासीय कॉम्पलैक्सों में कार्यों की अधिकृत मदों को उपलब्ध कराने हेतु मानकों को निर्धारित किया जाए तथा कार्यों की आवश्यकता तथा स्वीकृति को स्वीकार करने हेतु इसे सुप्रवाही किया जाए। सुधार कार्य के प्रारम्भिक अभियान के उपयोगकर्ता के वर्तमान प्रथा के स्थान पर, के.लो.नि.विभाग कार्य नियमावली के पैरा 6.6.1 के अत्तर्गत अपेक्षित के अनुसार, अभियंता के निरीक्षण, संरचना की उपयोगी अवधि, पहले से लिए गए सुधार कार्यों का विवरण, इत्यादि ऐसे कार्य को आरम्भ करने के लिए निर्देशन घटक है।

2.3.2 अनुबंध सौंपने के बाद कार्य के कार्यक्षेत्र में सामग्री परिवर्तन तथा संबद्ध अनियमितताएं

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कार्य नियमावली योजना तथा कार्य के निष्पादन में नियंत्रण के विभिन्न स्तरों को विहित करती है। इनमें प्रशासनिक अनुमोदन/ व्यय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक अनुमान की तैयारी, तकनीकी स्वीकृति के लिए विस्तृत अनुमान, एन आई टी को जारी करने के लिए मात्राओं की अनुसूची इत्यादि सम्मिलित है। व्यय में मितव्ययता तथा कार्य की गुणवत्ता को सम्मिलित किए बिना निष्पक्ष तथा तकनीकी स्वीकृति पद्धति में कार्य के निष्पादन की सुनिश्चितता के लिए ये कठोरताए विहित की गई। इस प्रकार प्रणाली अवरूद्ध अपेक्षा जोकि विज्ञासित है, के अनुसार उद्धृत दरें निविदादाता को प्लेइंग फील्ड के स्तर के लिए उपलबध कराती है। इन नियंत्रणों के बावजूद, यहाँ ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं कि कार्य जो अनुबंधित है में परिवर्तन की मांग है। अतिरिक्त, प्रतिस्थापित तथा अतिरिक्त मदों को पूरा करने के लिए इस प्रणाली में एसी आकस्मिकताओं को रखा गया है। प्रतिस्थापन, अतिरिक्त तथा अतिरिक्त मदें नियम के बजाय अपवाद है अनुबंध के ऑडिट के क्रम में, यह देखा गया कि अतिरिक्त, बढ़ी हुई तथा प्रतिस्थापित मदों का प्रावधान किया गया **जैसाकि अपवाद के बजाए नियम है तथा ऐसे परिवर्तन अनियमितताओं से संबंधित है जो नीचे दिए गए मामलों में वर्णित है।**

i) पालिका निकेतन हाउसिंग काम्पलैक्स, सैक्टर-10, आर.के. पुरम के सुधार के लिए अनुबंध में संदर्भित पैरा 7.2.1 में कार्य की अतिरिक्त मदों को के.लो.नि.विभाग कार्य नियामावली के अन्तर्गत अपेक्षित के अनुसार सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन प्राप्त किए बिना ₹51 लाख की कुल लागत पर निष्पादित किया गया।

ii) कार्य के निष्पादन के दौरान (करार सं. 3/ईई/बी एम-II/2011-12) चरक पालिका अस्पताल हाउसिंग काम्पलैक्स के सुधार में, अतिरिक्त/अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदों राशि ₹28.49 लाख का निष्पादन किया गया था तथा कार्य वास्तविक रूप में दिनांक 03.08.2012 को पूर्ण हो गया था। जोकि अनुबंध को सौंपने से पूर्व आवश्यकताओं को अपरिवर्तनशील न करने का संकेत है। कार्य के निष्पादन की अवधि में, अधीक्षक अभियंता ने बाहरी दीवारों पर वाशड स्टोन ग्रीट प्लास्टर के साथ वाशड मार्बल चीपींग ग्रीट प्लास्टर से प्रतिस्थापित करने की अनुशंसा की जिसमें ₹3.20 लाख का अतिरिक्त व्यय सम्मिलित है। मार्बल चिप्स के साथ बाहरी फिनिश का प्रावधान मुख्य अभियंता (सिविल-II) परिपत्र सं. 1814/एसई(बीएम)दिनांक 15.09.2008 में विहित मानकों के अनुसार भी नहीं है।

iii) अनुबंध करार सं. 27/ईई(बी एम पी के)/एबी/2010-11 मैसर्स त्रिमूर्ति कंस्ट्रक्शन को जून 2010 में अन्य बातों के साथ-साथ बराबर रोड स्कूल में वाशड स्टोन ग्रीट प्लास्टर उपलब्ध कराने के लिए सौंपा गया था। तथापि, जुलाई 2010 में अर्थात् अनुबंध सौंपने के बाद तत्काल, ई ई बी एम पी के ने वाशड मार्बल ग्रीट के प्रावधान के कार्य के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करने की आवश्यकता की रिपोर्ट की, कारण बताया कि उप-मुख्य वास्तुविद् ने मार्बल ग्रीट वाश प्लास्टर की उसी पद्धति को अपनाने का निर्णय लिया था जोकि न.दि.न.परिषद् के सभी स्कूलों में लक्ष्मीबाई नगर, नवयुग स्कूल के लिए अपनाया गया था। इसलिए ई ई ने ₹3,99,835/- की अनुमानित लागत पर मार्बल ग्रीट के साथ स्टोन ग्रीट को प्रतिस्थापित करना प्रस्तावित किया तथा उक्त हेतु सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन (ए आई पी) लिया गया। यद्यपि एस ई/सी ई द्वारा सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया था, ई ई द्वारा कार्य का निष्पादन किया गया था तथा अंत में सितम्बर-2012 के इंजीनियरिंग विभाग ने ₹8.67 लाख के बदले ₹11.47 लाख की अंतिम लागत के लिए अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति ले ली। इस प्रकार पूर्व स्वीकृति व्यय प्राप्त किए बिना प्रशासनिक अनुमोदन/व्यय स्वीकृति की 10 प्रतिशत की स्वीकार्य सीमा से अधिक था, जोकि अनियमित था।

iv) प्रसूति एवं शिशु कल्याण केन्द्र, सरोजिनी नगर (करार सं. 61/बी एम-II/2010-11) के सुधार हेतु मैसर्स नवीन कुमार गुप्ता को ₹28.01 लाख की स्वीकृति राशि के बदले ₹26.60 लाख की उद्धृत निविदा राशि पर कार्य सौंपा गया था। इस कार्य से संबंधित फाइल डिविजन में उपलब्ध नहीं थी जैसाकि ये सतर्कता

विभाग में कथित तौर पर था। जब से सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्राप्त किए बिना इस अनुबंध के अन्तर्गत अतिरिक्त/अतिरिक्त कार्य की विशेष राशि के लिए आदेश दिया गया तथा निष्पादित दिया गया था।

एम एस फ्लैटस, अलीगंज (टाइप-II के 85 फ्लैट) के अग्रभाग का पुनरूद्धार तथा संरचनात्मक पुनर्वास के लिए मैसर्स दीप कंस्ट्रक्शन के साथ करार सं. 24/ईई-बीएमपीके/एबी/2010-11 में ₹36.65 लाख की उद्धृत राशि पर 8653 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए स्टोन ग्रीट वाश के साथ बाहरी प्लस्तर का प्रावधान सम्मिलित है। जून-2010 में अनुबंध सौंपने के बाद ई ई बी एम-पी के ने सफेद मार्बल वाश के साथ बाहरी प्लस्तर के प्रतिस्थापन को इस तर्क के साथ प्रस्तावित किया कि उप-मुख्य वास्तुविद् ने मार्बल स्टोन ग्रीट प्लास्टर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। सक्षम प्राधिकारी का सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही वास्तव में कार्य पूर्ण किया गया था। सक्षम वित्तीय प्राधिकारी की संशोधित स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई थी। ₹46.89 लाख की पूर्णता लागत पर निष्पादित कार्य को अन्त में जून-2012 में अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति प्रदान कर मंजूर किया गया था। ₹33.16 लाख को प्रारंभिक अनुमोदित राशि से अधिक ₹13.73 लाख आधिक्य व्यय को अनुमोदित करते समय, अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि मुद्दे जैसे स्टोन ग्रीट अथवा मार्बल ग्रीट की आवश्यकता को अग्रिम रूप से निर्णित किया जाना चाहिए ना कि निष्पादन के स्तर पर। अध्यक्ष महोदय के आदेशों को अनुपालन के लिए सभी रखरखाव प्रभागों के बीच वितरित किया जाना अपेक्षित था। तथापि, ऐसा कोई परिपत्र फाइल में नहीं पाया गया था।

अनुबंध में इंगित के रूप में पुराने प्लास्टर को उखाड़ने के लिए भुगतान तथा बाहरी प्लास्टर के लिए कुल क्षेत्र 8653 वर्ग मीटर था। तथापि, मार्बल वाश प्लास्टर 10212 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र के लिए किया गया था, जैसलमेर येलो स्टोन के बिना 9822 वर्ग मीटर तथा जैसलमेर येलो स्टोन के साथ 390 वर्ग मीटर को 390.76 प्रति वर्ग मीटर की दर पर तथा 399.96 प्रति वर्ग मीटर क्रमशः की दर पर भुगतान किया गया था चूँकि भवन का सतह क्षेत्र स्थिर है, विभाग द्वारा बढ़े हुए क्षेत्र के लिए भुगतान ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

प्रतिस्थापित मद के लिए भुगतान भी मार्किट दर के आधार पर निकाला गया है। ऐसे मामलों में प्रतियोगी दर को सुनिश्चित करने का लाभ खो दिया है। यह देखा गया कि अनुबंध करार सं.27/ईई बी एम-पी के/ए बी/2010-11 के अन्तर्गत निष्पादित समान कार्य के लिए ₹390.76 प्रति वर्ग मीटर के बदले ₹374.29 प्रति वर्ग मीटर की दर पर भुगतान किया गया था। 9822 वर्ग मीटर के क्षेत्र के लिए अकेले दर में इस अन्तर के कारण अतिरिक्त व्यय मूल अनुबंध के अन्तर्गत ₹1.62 लाख था।

करबला में पालिका कुंज हाउसिंग काम्पलैक्स के सुधार हेतु अनुबंध सं.30/ईई/बीएमपीके/2012-13 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन प्राप्त किए बिना कार्य के निष्पादन की अवधि के सी आई पाइपों को बदलने के अतिरिक्त कार्य को निष्पादित किया गया। अतिरिक्त कार्य की लागत तथा व्यक्तिक अतिरिक्त कार्यों को ₹7.67 लाख में निष्पादित किया गया तथा मुख्य अभियंता द्वारा सितम्बर-2013 में अन्तिम

रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए अध्यक्ष महोदय को पूर्ववर्ती निर्देशों के बावजूद पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ईई द्वारा वैद्यानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया। यद्यपि, हटाए गए पुराने जी आई पाइपों केवल 852.03 मीटर था जैसाकि विचलन/पूर्णता विवरा से देखा गया है, नये जी आई पाइपों की लंबाई उपलब्ध कराई गई तथा (कुल राशि ₹3.35 लाख का भुगतान किया गया) 1431.45 मीटर के लिए भुगतान किया गया। बदले जाने वाले पुराने पाइपों (852.03 मीटर) के विरूद्ध नये जी आई पाइपों (1431.45 मीटर) की लम्बाई में की ईई द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण में जांचा नहीं गया था। ठेकेदार से पुराने पाइपों को उखाड़ने के लिए क्रेडिट भी ठेकेदार से प्रस्तुत नहीं किया गया यद्यपि हटाए गए जी आई पाइपों का स्क्रैप मूल्य था।

2.3.3 न्यायोचित दरों की टेलरिंग

ईई बी एम-I प्रभाग द्वारा वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान सौंपे गए कुल अनुबंधों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	करार की संख्या
2010-11	88
2011-12	107
2012-13	50

उपरोक्त मामलों में प्राप्त की गई निविदाओं का विश्लेषण दर्शाता है कि न्यूनतम निविदादाता द्वारा उद्धृत प्रतिशतता इन वर्षों के दौरान उपरोक्त अनुमानित लागत 51.51 प्रतिशत से नीचे तथा 148 प्रतिशत से अधिक के बीच विविधता के इन निविदाओं में प्राप्त दरे निविदाओं की प्राप्ति के बाद तैयार दरों की न्यायोचितता पर आधारित उचित माना गया था तथा अनुबंध सौंपा गया। निविदाओं की व्यापक रेंज नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:-

वर्ष	न्यूनतम-I द्वारा उद्धृत अनुमानों में प्रतिशत (+) अधिक, (-) कम					अनुबंधों की कुल संख्या
	सम मूल्य पर	10 प्रतिशत तक (+)/(-)	>10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत	>25 से 50 प्रतिशत तक	>50 प्रतिशत	
2010-11	1	+ 27 - 18	+ 11 - 8	+ 8 - 14	+ 1	88
2011-12	1	+ 46 - 13	+ 3 - 17	+ 9 - 16	+ 2	107
2012-13	1	+ 11 - 5	+ 0 - 9	+ 0 - 21	0 - 3	50
कुल	3	+ 84 - 36	+ 14 - 34	+ 17 - 51	+ 3 - 3	+ 118 - 124 सब मूल्य पर 3 = **245**

के.लो.नि.विभाग कार्य नियमावली का पैरा 20.4.3 में उल्लिखित प्रक्रिया न्यायोचित दरों के आधार पर दरों क र्तसंगतता को स्वयं संतुष्ट करने के लिए निविदा स्वीकार प्राधिकारी के लिए इसे अनिवार्य बनाता है। पैरा 20. 4.3.2 निर्दिष्ट करता है कि 5 प्रतिशत तक घट बढ़ को अनदेखा किया जा सकता है, 10 प्रतिशत तक घट बढ़ को विशिष्ट परिस्थितियों के लिए, इसके लिए कारणों को रिकार्ड कर अनुमति दी जाए यह देखा गया कि उद्धृत निविदा दर तथा निविदा नोटिस को जारी करने से पूर्व किए गए अनुमान के बीच भारी अंतर के बावजूद, निविदाओं की प्राप्ति के बाद निर्धारित की गई **न्यायोचित दरों को इस प्रकार से एक ही रूप में निकाला गया है कि घट बढ़ को पैरा 20.4.3.2 में विहित सहिष्णुता सीमा के भीतर लाया जाता है।** इस प्रकार निविदाएं स्वीकार की जाती हैं। मार्किट दरों का पता लगाने के बाद कनिष्ठ/सहायक अभियंता/हेड ड्राफट्समैन/चीफ ऐस्टीमेटर द्वारा न्यायोचित दरें निर्धारित की गई जोकि ईई/अनुमोदित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है अनुमानों से अधिक 148 प्रतिशत तक रेंज के विस्तृत अन्तर के बावजूद, न्यायोचित दरें उद्धृत (न्यूनतम-I) दरों के लगभग बराबर है। यहाँ रिकार्ड पर दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं है जैसेकि क्या अनुमोदन प्राधिकारी ने जांचने के लिए स्वतंत्र मार्किट निर्धारण बनाता है। क्या अवर प्राधिकारियों ने प्रचलित मार्किट दरों का सही निर्धारण किया है। ऐसे अभ्यास बीएम-II में विद्यमान हैं यह उद्धृत दर को अनुकूल करने के लिए न्यायोचित दरों की टेलरिंग का बहुत स्पष्ट सबूत है।

स्वतंत्र पूछताछ लाभप्रद परिणाम देता है जैसाकि पी एस ओ आई में चिल्ड्रन पार्क में (गैर अनुसूचित मदें) खेल उपकरण लगाने के मामले से स्पष्ट है, जोकि करार सं. 2012-13 का 58 के अन्तर्गत अनुबंधित था जहाँ योजना प्रभाग के हेड ड्राफ्ट्समैन द्वारा एक स्वतंत्र जांच की थी कि बी एम-III प्रभाग द्वारा तैयार प्रारंभिक अनुमान मार्किट दर की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक था।

इसके विपरीत, बी एम-III के पास निविदा खोलने से पूर्व, एन आई टी को जारी करने के बाद तत्काल दरों की न्यायोचिततता प्राप्त करने का प्रकट रूप से अच्छा अभ्यास है। इससे न्यायोचित दरों के समय बचाने के अतिरिक्त निविदाओं में प्राप्त दरों से प्रभावित होने के अलावा मार्किट दरों के उचित प्रतिनिधित्व को बनाने की संभावना है।

अनुशंसा

न्यायोचित दरों के निर्धारण के लिए तथा गैर अनुसूचित मदों को प्रारंभिक अनुमान की तैयारी के लिए प्रभागों द्वारा अपनाई गई मार्किट दरों को प्रभाग के स्वतंत्र प्राधिकारी द्वारा बीच-बीच में सत्यापित किया गया कि मामलों को अनुमोदन के लिए प्रस्तावित किया जाता है। निविदाओं को खोलने से पूर्व न्यायोचित दरों को तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

2.3.4 निविदा की अस्वीकृति में अनियमितता

पालिका ग्राम हाउसिंग काम्प्लैक्स, सरोजिनी नगर के सुधार हेतु कार्य के मामले में, मैसर्स भसीन कन्सट्रक्शन (97.42 लाख) जून-2012 में प्राप्त की गई न्यूनतम-I की निविदा को मुख्य अभियंता द्वारा नवम्बर-2012 में सैक्टर-10, आर.के. पुरम कार्य में ठेकेदार के खराब प्रदर्शन तथा निविदा को प्रस्तुत करते समय दिल्ली छावनी एवं एम ई एस के लिए किए गए कार्य के बारे में किए गए झूठे दावों को भी ध्यान में रखते हुए अस्वीकार कर दिया। मूल्य बोली को खोलने के बाद निविदा का अस्वीकृति के.लो.नि.विभाग कार्य नियमावली के पैरा 15.7.1.1 का उल्लंघन था जोकि वर्णित करता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पात्रता से संबंधित दस्तावेजों एवं पार्टियों की योग्यता/अयोग्यता का मूल्यांकन किया जाएगा। योग्य निविदादाता की वित्तीय बोली को अधिसूचित समय में खोला जाएगा। निविदादाता को अयोग्य वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व किया जाना चाहिए। निविदादाता की अयोग्यता परिहार्य है, जैसा कि वित्तीय बोली खोलने के उपरांत ये कानूनी अड़चने तथा आरोप को बढ़ाती है।

करार सं. 2011-12 का 47 से संबंधित पूर्व अनुबंध दस्तावेजों से देखा गया था कि मैसर्स प्रिसाइज कंस्ट्रक्शन की निविदा को इस आधार पर अस्वीकृत किया गया था कि फर्म ने बोली क्षमता प्रस्तुत नहीं की थी। प्रतिस्पर्धा फर्म अर्थात् मैसर्स मनीष बिल्डर्स को ₹25.01 लाख क वैद्य बोली की एकल निविदा होने के कारण अस्वीकार किया गया। तत्पश्चात् मैसर्स प्रिसाइज कंस्ट्रक्शन से प्राप्त (₹26.25 लाख) दर को स्वीकार किया गया तथा मैसर्स प्रिसाइज कंस्ट्रक्शन को कार्य सौंपा गया। मैसर्स प्रिसाइज कंस्ट्रक्शन की पूर्ववर्ती निविदा को इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि प्रस्तुत न की गई बोली क्षमता भी क्रम में नहीं थी। चूंकि फर्म ने समान प्रकृति के कार्य निष्पादित किए थे तथा दिनांक 14.12.2010 को बी एम-III प्रभाग द्वारा किए गए अनुरोध के प्रत्युत्तर में यह कहा गया कि बोली क्षमता श्री सी. श्री धरण नायडू द्वारा दी जाएगी जोकि इस उद्देश्य के लिए अधिकृत किए गए थे। निविदा को रद्द करने का एकमात्र कारण, एकल निविदा का होना था इसलिए प्रथम न्यूनतम फर्म की पेशकश को रद्द किया जा सकता है।

2.3.5 अतिरिक्त/प्रतिस्थापित/अतिरिक्त मदों की खंडश स्वीकृति

समस्त राशि की स्वीकृति के अधिकार को प्राधिकरण की स्वीकृति लेने के स्थान पर प्रत्येक प्राधिकरण को प्रत्यायोजित अधिकारों की सीमा के अन्तर्गत स्वीकृति के उद्देश्य हेतु प्रभागों ने अतिरिक्त/अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदों को विभाजित कर दिया है। कुछ मामलों के उदाहरण नीचे दिए गए है:-

(i) करार सं. 3/ईई-सी-III/एबी/2012-13 के अन्तर्गत, न.दि.न.परिषद् कॉलोनियों में पोर्टा केबिन के निर्माण हेतु अनुबंध में, मैसर्स के.आर. आनन्द को सौंपा गया अतिरिक्त/अतिरिक्त मदों के लिए जुलाई 2013 में ईई-सी-III द्वारा ₹4.83 लाख की स्वीकृति के लिए प्रस्तावित किया गया था। स्वीकृति के लिए प्रस्तावित राशि को ईई तथा एस ई के बीच निम्न प्रकार से विभाजित किया गया था:

ईई के अधिकारों के अन्तर्गत	**(₹ में)**
अतिरिक्त मद अनुसूची (ईआईएस) सं.-I	₹52,894
अतिरिक्त मात्रा अनुसूची (एक्यूएस) सं.-I	₹40,468
कुल योग	**₹93,362**
एस ई के अधिकारों के अन्तर्गत	
ई आई एस सं.-II	₹2,27,496
ए क्यू एस सं.-II	₹1,61,903
कुल योग	**₹3,89,399**

ई आई एस सं.-II के अन्तर्गत एस ई द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृत राशि ₹2.19 लाख अर्थात् ₹2.27 लाख की प्रस्तावित राशि में मामूली कमी के साथ थी। इस प्रकार ई आई एस/ए क्यू एस की कुल राशि ₹4.74 लाख की स्वीकृति थी।

(ii) विनय मार्ग पर हाउसिंग काम्पलैक्स के सुधार हेतु करार सं.-45/ईई बीएम-II/2011-12 द्वारा सौंपे गए कार्य का अन्य उदाहरण है। निष्पादित किए गए अतिरिक्त/अतिरिक्त मदों के लिए 1.33 लाख की स्वीकृति निम्न प्रकार से है:

कुल अतिरिक्त/अतिरिक्त मदें- ₹1.33 लाख

ईई द्वारा अनुमोदित

(i) अतिरिक्त मात्रा- ₹16,839/-

(ii) अतिरिक्त मदें- ₹18,060/-

एस ई द्वारा अनुमोदित-

(i) अतिरिक्त मात्रा- ₹48,343/-

(ii) अतिरिक्त मदें- ₹19,461/-

समस्त राशि का अनुमोदन मुख्य अभियंता द्वारा किया जाना चाहिए।

(iii) बी एम-III द्वारा सत्य सदन पर शौचालय के साथ अतिरिक्त कक्ष के लिए कार्य के निष्पादन की अवधि में, ₹1.56 लाख की अनुमान राशि पर अतिरिक्त मदों की स्वीकृति ईई बी एम-III द्वारा की गई थी तथा नवम्बर 2011 में ईई, एस ई तथा सी ई द्वारा निम्न प्रकार से अनुमोदन किया गया:-

ए क्यू एस सं.-I के लिए ₹19,300/- - ईई, बी एम-III

ए क्यू एस सं.-II के लिए ₹47,000/- - एसई, बी एम-II

ए क्यू एस सं.-III के लिए ₹89,500/- - सीई, सी-II

अनियमित बंटवारे के इसी तरह के मामलों को अन्य प्रभागों में भी देखा गया था। कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

2.3.6 अनधिकृत निर्माणों के कारण पूर्ण होने में देरी

ठेकेदार करार सं.-II/ईई (बी एम-I)/ए बी/2010-2011 के द्वारा सौंपे गए लाल बहादुर सदन काम्पलैक्स पर कार्य को पूर्ण नहीं कर सका क्योंकि निवासियों, जिन्होंने भूतल पर अपने फ्लैटों में नये कमरों का अनधिकृत निर्माण कर लिया था, द्वारा बाधाउएं उत्पन्न की गई। ठेकेदार इस बाधा के कारण ढाँचा निर्मित नहीं कर सका यद्यपि ऐसे अनधिकृत ढाँचों की विद्यमानता का कार्य सौंपने से पूर्व पता लगाया जा सकता था, इंजीनियरों ने पुष्टि की कि कार्य के निष्पादन के लिए स्पष्ट साइट उपलब्ध थी।

अलीगंज में एम एस फ्लैटों के संरचनात्मक पुनर्वास तथा अग्रभाग के पुनरूद्धार के लिए मैसर्स दीप कंस्ट्रक्शन के साथ करार सं.-24/ईई-बी एम-पी के/ ए बी/2010-11 के अन्तर्गत निष्पादित कार्य में ₹3.66 लाख की राशि को कार्य की पूर्णता में देरी के लिए ठेकेदार से रोके रखा गया। तत्पश्चात् इस आधार पर जारी किया गया कि देरी स्पष्ट साइट के उपलब्ध न होने, निवासियों द्वारा अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के आरोप्य के कारण थी। कार्य सौंपने से पूर्व अतिरिक्त कक्षों के निर्माण का पता नहीं लगाया जा सका था, क्यों कारण स्पष्ट नही थे।

पालिका कुंज हाउसिंग काम्पलैक्स (32 टाइप-I और 55 टाइप-II फ्लैट) में सैरामिक ग्लेज्ड फ्लोर तथा वॉल टाइलों को बिछाने के लिए कार्य बरार सं. 30/ईई-बी एम-पी के/ए बी/2012-13 के अन्तर्गत मैसर्स ए.के. बिल्डर्स को ₹40.37 लाख की उद्धृत निविदा राशि पर 25 मई 2012 को आरम्भ करने तथा 25 सितम्बर 2012 को पूरा करने के लिए सौंपा गया था। रिपोर्ट के अनुसार कार्य 30 अक्टूबर-2012 को पूर्व हुआ था समय के विस्तार का आधार कि न.दि.न.परिष् स्टोर में सीमेंट उपलब्ध न होने के कारण 38 दिनों की देरी क्षतिपूर्ति की वसूली के बिना प्रदान की गई थी। हालांकि यह देखा गया कि ठेकेदार ने मई 2013 में खाली साइट उपलब्ध न होने के कारण कार्य की धीमी प्रगति के लिए समय को अतिरिक्त बढ़ाने के लिए आवेदन किया था।

ईई द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया था तथा कार्य दिनांक 30 अक्टूबर 2012 को पूर्ण किये जाने की घोषणा की गई थी। पद्धति जिसमें यह रिपोर्ट की गई थी कि कार्य 30 अक्टूबर 2012 को पूर्ण हो गया था, जब ठेकेदार ने स्वयं मई 2013 में अतिरिक्त समय बढ़ाने के लिए कहा था, स्पष्ट नहीं है। निवासियों, जिनसे कार्य की पूर्णता में देरी हुई थी, कोई जुर्माना नहीं लगया गया था।

अनुशंसा

भवनों के अर्ध वार्षिक निरीक्षण के लिए जिम्मेदार इंजीनियर को अपने चार्ज के अन्तर्गत ऐसे अनधिकृत निर्माणों के लिए जिम्मेदार आवष्टियों पर जुर्माना लगाने के अलावा उनके गिराने के लिए कार्रवाई आरम्भ करने तथा अनधिकृत निर्माणों के लिए देखा जाना चाहिए।

2.3.7 अनुबंध के बंटवारे

बी एम-II के 250 अनुबधों में से 157 अनुबंधों का निष्कर्ष इसे 2 लाख रुपये की सीमा के अन्तर्गत लाता है। यह उल्लेखनीय है कि जब अप्रैल-2012 में ईई की वित्तीय शक्तियाँ 4 लाख रुपये से बढ़कर वर्ष 2012-13 में पूर्ववर्ती वर्षों में 4/5 अनुबंधों से बढ़कर वृद्धि सीमा के भीतर सौंपे गए अनुबंधों की संख्या 52 हो गई थी। प्रकायोजित शक्तियों के अन्तर्गत सौंपे गए अनुबंधों की प्रतिशतता उच्च थी जैसा कि वर्ष के दौरान सौंपे गए कुल अनुबंधों के 89 प्रतिशत थी।

1. कार्यों के बंटवारे के मामलों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं।

(क) नेताजी नगर में एन.पी. स्कूल नं.-I की छर्त पर जलरोधी (वाटरप्रूफींग) कार्य 3 अनुबंधों के अन्तर्गत, कारार सं.- 2010-11 का 71 (डीई ₹1.89 लाख), करार सं. 2010-11 का 20 (डीई ₹1.72 लाख) तथा 2010-11 का 21 (डीई ₹1.72 लाख)

2. मदें जो मरम्मत/रखरखाव की प्रकृति में नहीं है, को ए आर/ एम ओ के अन्तर्गत निष्पादित किया जा रहा था जैसे उदाहरण नीचे दिए गए हैं:-

(क) फ्लैट नं.-I, पालिका कुटुम्ब, सरदार पटेल मार्ग (करार सं. 57/ईई बी एम-II/2011-12) का सुधार:- फ्लैट नं.-I, पालिका कुटुम्ब के निवासी ने मार्च 2012 में मुख्य अभियंता को बाथरूम फिटिंग के रीवास को रोकने तथा लकड़ी की अलमारी की मरम्मत करने के लिए अनुरोध किया। ईई ने टाइलों, डब्ल्यू सी को बदलने, इमल्शन पेटिंग, एम एस कबर्ड तथा अलमारी के परिवर्तन करने जैसे सुधार कार्यों को ₹1.99 लाख की स्वीकृति के बदले ₹1.26 लाख की लागत पर किया। यद्यपि कार्य सुधार की प्रकृति का था, व्यय ए/आर तथा एम/ओ बजट से पूर्व किया गया।

(ख) पालिका विहार, विलिंग्डन क्रीसेंट रोड में फ्लैट नं.- 2/4 में गैराज का प्रावधान (करार सं.- 72/ईई बी एम-II/2010-11):- फ्लैट में एक नई गैराज ए/आर तथा एम/ओ के अन्तर्गत ₹90,373/- की लागत पर उपलब्ध कराई गई। यद्यपि यह मरम्मत एवं रखरखाव कार्य की प्रकृति का नहीं है। ए आर/एम ओ के अन्तर्गत मूल कार्यों का निष्पादन अनियमित था जैसे कि इसके लिए किया गया व्यय पूंजी प्राप्त नहीं होती है।

(ग) यशंवंत प्लेस मार्किट पर स्टेन लेस स्टील बैंच करार सं. 2012-13 के 15 के अन्तर्गत दुकानदारों के अनुरोध पर ₹1.71 लाख की स्वीकृत राशि के आधार पर उपलब्ध कराई गई थी। शौचालयों के विभाजन की अतिरिक्त मद को सम्मिलित कर ₹1.04 लाख की लागत पर कार्य निष्पादित किया गया था जिसे अनुबंध सौपते समय परिकल्पित नहीं किया गया था।

(घ) डिस्टैम्परिंग, पेटिंग, वाइट वाश तथा अन्य ऐसे आवधिक सेवाओं को अनुबंध सौंपने के उद्देश्य से वर्गों तथा अग्रिम में अनुमानित किया जा सकता है। फिर भी 18 अनुबंध विभिन्न भवनों में इन कार्यों के लिए वर्ष

2010-11 में, वर्ष 2011-12 के दौरान 13, वर्ष 2012-13 के दौरान 16 तथा वर्ष 2013-14 में 20 का निष्कर्ष निकाला गया था। ऐसी की गई आवधिक सेवाओं को लेने के लिए प्रभाग में विविध फाइलों को प्रक्रियारत करने से बचने के लिए तथा उत्तम प्रतिस्पर्धात्मक दरों को लेने के लाभ के लिए एक अनुबंध द्वारा भवनों को वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

अनुशंसाए

जैसाकि निविदाओं और अनुबंधों की साख को बढ़ाने की प्रक्रिया में अत्यधिक प्रशासनिक प्रयास, समय लागत तथा विशाल (पेपरवर्क) कागजी कार्य सम्मिलित है, अनुबंधों की संख्या को कम करने के उद्देश्य के साथ कार्यों का वर्गीकरण जैसे सफेदी/पेंट इत्यादि किया जाना आवश्यक है इससे यह निष्पादित किए गए कार्य की बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण तथा बेहतर दरों की सुनिश्चितता होगी। यह वैधानिक औपचारिकताओं के साथ उनका अनुपालन भी सुनिश्चित करेगा, तथा एआर/एमओ निधि के अंतर्गत सुधार तथा नए (मूल) कार्य नहीं किए जाने चाहिए।

2.3.8 अनुबन्ध में संविदात्मक प्रावधानों और अस्पष्टता का गैर-अनुपालन

आडिट के दौरान देखे गए संविदात्मक प्रावधानों की अस्पष्टता का गैर-अनुपालन निम्न प्रकार वर्जित है:-

(i) कंस्लटैंसी अनुबंध में निष्पादन गारंटी/ईएमडी जमा प्राप्त नहीं की गई:-

सी-III द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पैरा 7.1.3 के संदर्भित कंस्लटैंसी अनुबंध के मामले में, यह देखा गया कि निविदादाताओं/ठेकेदारों से कोई भी अग्रिम जमा राशि (ईएमडी) प्रतिभूति जमा (एसडी), अथवा निष्पादन गारंटी (पीजी) प्राप्त नहीं की गई थी। कोई भी संचालन नियम कंस्लटैंसी ठेकेदारों को ईएमडी/एसडी/पीजी को प्राप्त करने के दायरे से छूट प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता, जोकि आडिट में उपलब्ध करवाया गया हो।

(ii) परीक्षण की लागत की प्रतिपूर्ति की जा रही है

कांट्रेक्ट (अनुबंध) सं0 4/ईई/सि-III/एबी/2010-11 से अब तक (सितम्बर-2013) अदा किए गए बिलों के संबंध में चल खाते की जांच यह इंगित करती है कि **ठेकेदार की जांच की लागत की प्रतिपूर्ति की गई है, जबकि, अनुबंध का क्लॉज 10ए निर्धारित करता है कि जांच प्रभार जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किए जाए ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे।** अपवाद इंजीनियर-इन-चार्ज द्वारा स्टील की यादृच्छिक परीक्षण की लागत था। यद्यपि, ठेकेदार को सितम्बर-2013 तक इस खाते पर 1.26 लाख रुपये अदा किए गए, जोकि अतिरिक्त अनुबंधीय थे।

(iii) श्रम कानून का उल्लंघन

पाक्षिक श्रम रिपोर्ट प्राप्त करने में कमियाँ

अनुबंध सं0 25/ईई(बीएम-I)/एबी/2012 के क्लॉज सं0 19 के आधार पर ठेकदार मै0 मथरादास आहूजा एंड संस ने कांट्रेक्ट लेबर (विनियम तथा उन्मूलन) अधिनियम 1970, की धारा 12(1) के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि हेतु 30.1.2013 से 28 कामगारों के रोजगार के लिए लाइसेंस प्राप्त किया। यद्यपि यह देखा गया कि 23.99 लाख रुपये के लिए प्रथम आर.ए बिल के साथ ईई को प्रस्तुत पक्षिक श्रम रिर्पोट के अनुसार दिनांक 31.12.2012, 15.1.2013 तथा 31.3.2013 को समाप्त पाक्षिक हेतु कामगार नियुक्त किए गए। अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त करने से पूर्व कामगारों के रोजगार, अनुबंध के कलॉज सं0 19 का उल्लंघन था जोकि यह निर्धारित करता है कि ठेकेदार कार्य के आरंभ होने से पूर्व उक्त अधिनियम के अंतर्गत वैध लाइसेंस प्राप्त करेगा।

(अ) अनुबंध के शब्द कि किसी आवश्यकता के पूर्ण न होने पर किसी भी प्रकार की असफलता, कार्य के गैर-निष्पादन के परिणामस्वरूप आने वाले इस अनुबंध के दंडरूपक प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट करेगा, अस्पष्ट था। चूंकि अनुबंध की शर्ते स्पष्ट तथा गलत समझे जाने से मुक्त होनी चाहिए, संबंधित क्लॉज सख्ती तथा विशेषत: शब्दों में वर्णित होना चाहिए।

(ब) बापूधाम के टाइप-I के फ्लैटों के निर्माण के मामले में जुलाई 2011 से जनवरी 2012 तक के मासों के लिए पक्षिक श्रम रिपोर्ट 14.2.2012 को एक साथ ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की गई। पाक्षिक श्रम रिपोर्ट अनुबंध सं0 24/ईई/बीएम/पीके/एबी-2010-11 के अंतर्गत मै0 दीप कंस्ट्रक्शन द्वारा लिया गया, अलीगंज पर एम.एस. फ्लैट के बाह्य सौंदर्यकरण तथा संरचनात्मक पुर्नस्थापन के कार्य से संबंधित बिल के साथ नहीं पाई गई।

कार्यों तथा अन्य सेवाओं के लिए अनुबंध का क्लॉज 45 निर्धारित करता है कि **कार्य की प्रतिभूति जमा वापिस नहीं की जाएगी जब तक कि ठेकेदार श्रम अधिकारी से बेबाकी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता।** जैसे ही कार्य लगभग पूरा हो जाता है, ठेकेदार, इंजीनियर इन-चार्ज (ईई) को सूचित करते हुए, श्रम अधिकारी से बेबाकी प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करेगा। उक्त सम्प्रेषण की प्राप्ति पर (ईई) श्रम अधिकारी को, कार्य के संबंध में ठेकेदार के विरूद्ध यदि कोई शिकायत लंबित हैं, तो सूचित करते हुए लिखेगा। यदि कार्य के पूर्ण होने से 3 मास के भीतर कोई शिकायत रिकार्ड में लंबित नहीं हैं तथा/अथवा पूर्णता की तिथि के पश्चात् छ: मास तक इस प्रभाव से श्रम अधिकारी से कोई पत्र-व्यवहार प्राप्त नहीं किया गया, बेबाकी प्रमाण पत्र प्राप्त माना जाएगा तथा प्रतिभूति जमा दे दी जाएगी, यदि अन्यथा बकाया है। **श्रम अधिकारी से बेबाकी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता अथवा श्रम अधिकारी को लिखने की आवश्यकता को प्रतिभूति जमा की वापसी के किसी भी मामले में नहीं माना गया।**

अनुबंध का क्लॉज 31ए विभाग द्वारा ठेकेदार को जल उपलब्ध कराने हेतु एक समर्थकारी प्रावधान हैं, जहाँ, जल उपलब्ध है। तथा किए गए कार्य के 1 प्रतिशत की दर पर जल प्रभारों को वसूल करने हेतु एक समर्थकारी प्रावधान हैं। **शौचालयों की सफाई हेतु अनुबंधों के मामले में जहाँ कि जल उपलब्ध हैं, ठेकदारों से जल प्रभारों को वसूल नहीं किया जा रहा हैं।**

ठेकेदार श्रम विनियम (कांट्रेक्टर्स लेबर रेगूलेशन) के विनियम 5(x)तथा (xi) के विनियम अनुसार जोकि बोली दस्तावेज का एक हिस्सा है तथा यह स्वयंमेव (इफ्सो फेक्टो) अनुबंध है, कनिष्ठ अभियंता अथवा ईई के किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि की ड्यूटी होगी कि उपस्थिति के मजदूरी का संवितरण सुनिश्चित करें तथा जिसे ठेकेदार के द्वारा कामगारों को मजदूरी के संवितरण के समय तथा स्थान पर उपस्थित होना आवश्यक होगा।

ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत बिल के साथ मजदूरी संवितरण शीट में, कोई प्रमाण-पत्र संकेत नहीं थे कि संवितरण ईई द्वारा नामांकित कनिष्ठ अभियंता की उपस्थिति में किए गए थे।

अनुबंध में सम्मिलित लागत के अनुमान हेतु दरों के विश्लेषण को तैयार करते समय न्यूनतम मजदूरी के 13. 75 की दर से ठेकेदार के कामगारों की मजदूरी में ईपीएफ के घटको को लिया गया। **यद्यपि, गृह-प्रबंधन कार्यों के अनुबंधों की जांच से यह देखा गया जहाँ श्रम घटक अनुबंधीय राशि के लगभग 90 प्रतिशत हैं वहाँ यह सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हैं कि नियोक्ता ने मजदूरी का भुगतान करते समय ईपीएफ के लिए अंशदान किया हैं। यह भी देखा गया कि ठेकेदार ने मजदूरी शीट (वेजेस शीट) में ईपीएफ अंशदान में 'शून्य' वसूली वर्णित किया है।**

अनुबंध के क्लॉज 10(सी) के अंतर्गत कार्यों में सम्मिलित सामग्री के मूल्य में किसी भी नए कानून अथवा वैधानिक नियम अथवा आदेश के लागू होने के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में हुई वृद्धि के कारण एक ठेकेदार को प्रतिपूर्ति दी जा सकती हैं तथा/अथवा श्रम की मजदूरी में निविदा प्राप्ति की अंतिम निर्धारित तिथि के समय प्रचलित कीमतों/मजदूरी से अधिक वृद्धि हुई। के.लो.नि.वि. कार्य नियमावली के पैरा 33.8 के अनुसार किसी भी कार्य के लिए श्रम के घटक अनुबंध की अनुसूची 'एफ' में सम्मिलित तथा पूर्व निर्धारित किया जाएगा तथा श्रम में वृद्धि/कमी, किसी भी कानून अथवा वैधानिक नियम अथवा आदेश के अतंर्गत अकुशल व्यस्क मजदूर की रुपये में न्यूनतम दैनिक मजदूरी पर विचार किया जाएगा। यद्यपि, श्रम घटक के पूर्व-निर्धारित की स्थिति का अनुपालन नहीं किया गया तथा जब तथा जैसे मजदूरी में वृद्धि हेतु प्रतिपूर्ति के लिए दावे प्राप्त किए जाते हैं, अकुशल वयस्क मजदूरों की मजदूरी में अंतर के स्थान पर सभी श्रेणी के मजदूरों की मजदूरी में अंतर को ध्यान में रखते हुए दरों की दिल्ली अनुसूची के आधार पर दरों के आधार पर विश्लेषण के अनुसार विनियमित किया जाता है। यह आगमी अनुबंधों से स्पष्ट रूप में ठेकेदार को अतिरिक्त लाभ देने का प्रभाव है।

(ए) मोती बाग के चरक पालिका अस्पताल के सुधार हेतु अनुबंध सं0 3/बीएम-II/11-12

अनुबंध के क्लॉज 10सी के अनुसार, कार्य के श्रम घटक किए गए कार्य के मूल्य की अनुसूची एफ में निर्दिष्ट अनुसर प्रतिशत होगा। यद्यपि, अनुसूची एफ में श्रम घटक विनिर्दिष्ट नहीं किए। अनुसूची एक में श्रम घटक का संकेत न होने अनुबंध के क्लॉज 10(सी) के अंतर्गत भुगतान दरों की दिल्ली अनुसूची (दिल्ली शेड्यूल ऑफरेट्स) पर आधारित दरों के विश्लेषण के आधार पर किया गया था। ठेकेदार को अनुबंध के क्लॉज 10सी के अंतर्गत 3.65 लाख रुपये अदा किए गए थे। यद्यपि, ठेकेदार को एक शपथ पत्र दिया गया था कि मजदूरी के लिए 2.95 लाख रुपये की राशि दी गई। मजदूरी में 3.65 लाख रुपये की वृद्धि के लिए किए गए भुगतान को शपथ-पत्र में दी गई राशि के साथ समर्थन पूर्वक तुलना नहीं की गई।

(बी) एस.पी. मार्ग पर पालिका मिलान हाउसिंग कॉम्पलैक्स के सुधार हेतु अनुबंध सं0 68/बीएम-II/10-11

अंनुबंध के क्लॉज 6सी के अनुसार, कार्य के श्रम घटक किए गए कार्य के मूल्य की अनुसूची एफ में निर्दिष्ट अनुसार प्रतिशत होगा। यद्यपि, अनुसूची एफ में श्रम घटक विनिर्दिष्ट नहीं किए गए। अनुबंध एक में श्रम घटक का अनुबंध का संकेत न होने पर अनुबंध में क्लॉज 10सी के अंतर्गत भुगतान दरों की दिल्ली अनुसूची (दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स) पर आधारित दरों के विश्लेषण के आधार पर किया गया था। ठेकेदार को अनुबंध के क्लॉज 10सी के अंतर्गत 4.84 लाख रु0 दिए गए थे। यद्यपि, ठेकेदार को एक शपथ-पत्र दिया गया था कि 3.90 लाख की मजदूरी अदा की गई थी। मजदूरी में 4.84 लाख रुपये की वृद्धि के लिए किए गए भुगतान की शपथ-पत्र में दी गई राशि के साथ समर्थन पूर्वक तुलना नहीं की गई।

2.3.9 अनिवार्य रजिस्टरों का गैर-रखरखाव

वर्ष 2010-13 में बी.एम. प्रभागों में भवनों पर पर्याप्त राशि (62.18 करोड़) परिवर्धन/विशेष मरम्मतों तथा सुधार कार्यों पर व्यय किया गया। ऐसे कार्यों को न.दि.न.परिषद् के भवनों/परिसम्पत्तियों को पूंजीगत मूल्य में जोड़ा गया। भवन रजिस्टर के न होने पर, भवन के पूँजीगत मूल्य में वृद्धि बेहिसाब है। के.लो.नि.वि. कार्य नियमावली के पैरा 6.5 में वर्णित अनुसार ''प्रत्येक प्रभाग को भवनों के रजिस्टर का रखरखाव अद्यतन करना चाहिए। ईई को इस सुनिश्चितता के पश्चात् कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लागत तथा संरचना में अनिवार्य वृद्धि अद्यतन कर दी गई। इस परिणाम की पुष्टि करनी चाहिए।'' **भवन रजिस्टर न होने पर, किए गए कार्य की मात्रा सम्मिलित कार्य की मात्रा के सत्यापन हेतु बिना किसी साधन के संबंधित कनिष्ट अभियंता द्वारा तैयार आंकड़ों के आधार पर है। पुनः हाल ही के उन्नयनों को, आगामी सुधार कार्यों को करते हुए नोटिस में नहीं लिया गया।**

सुधार कार्य की लागत को, सुधार कार्यपर खर्च किए गए पर्याप्त व्यय के बावजूद, पूंजीकृत नहीं किया गया।

के.लो.नि.वि. कार्य नियमावली की धारा 10.1 प्राप्त आपूर्ति/कार्यों की प्राप्ति में उप-प्रभागों से प्राप्त सभी बिलों के समेकित रिकार्डो के रखरखाव की अनिवार्यता को प्रीभागीय कार्यालय में रजिस्टर ऑफ बिलस के नाम से एक रजिस्टर में रखा जाना को अनिवार्य करती है। बिलों की प्रक्रियारत करने में स्पष्ट डील को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। प्रभागों में ऐसे रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया है। समेकित बिल रजिस्टर के न होने पर, यह सुनिश्चित करना संभव नहीं हैं कि रसीद, प्रक्रियारत करने में तथा बिलों के भुगतान को व्यवस्थित ढंग से विनियमित किया जा रहा था।

के.लो.नि.वि. कार्य नियमावली की धारा 10.2 के अनुसार, अनुबंधों/आपूर्तियों से संबंधित लेखों को कांट्रेक्टर लेजर्स के रूप में जाने जानी वाली पुस्तक बाउंड बुक में सीपीडब्ल्यूए फार्म 43 में रखा जाना चाहिए। पर्सनल लेजर प्रत्येक ठेकदार के लिए लेजर में खोला जाना है। ऐसे रजिस्टरों का रखरखाव नहीं किया गया है। कांट्रेक्टर लेजर के न होने पर ठेकेदार को किया जाने वाले भुगतान का निर्धारण नहीं किया जा सका।

अनुशंसाए

संबंधित प्रभागों द्वारा के.लो.नि.वि. कार्य नियमावली के पैरा 6.5 के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार सम्पत्ति (भवन) रजिस्टर का रखरखाव किया जाना चाहिए तथा सम्पत्तियों के पूँजीगत मूल्य में वृद्धि तथा मूल लागत के परिणामस्वरूप सुधार/वृद्धियों की गणना की जानी हैं।

अन्य सभी अनिवार्य रजिस्टरों का रखरखाव किया जाना चाहिए।

स्टोर प्रभाग-सिविल

2.3.10 भवन सामग्री/संबद्ध स्टोर को उपलब्ध कराना।

(क) वर्ष 2010-13 के दौरान ईई(स्टोर) द्वारा स्टोर की कुल क्रय 14.70 करोड़ रु0 था अर्थात् लगभग 5 करोड़ रु0 का औसतन वर्षिय व्यय था। ऐसे आरसी के विरूद्ध डीपीएस एण्ड डी दर अनुबंध (आर.सी) पर (सीमेंट, स्टील, जीआईपाइपें, बिटुमन इत्यादि) स्टोरों ने इंडेट किया है। शेष मदों के लिए ईई(स्टोर) ने तीन वर्षो की अवधि में 99 निविदा आमंत्रण अधिसूचना द्वारा 113 अनुबंधों का निष्कर्ष निकाला था। चूंकि वार्षिक पूर्वानुमान आवश्यकताएँ वित्तीय वर्ष के पहले ही उचित रूप से अनुमानित की गई है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई है, आवश्यकताओं को निविदा आमंत्रण अधिसूचना के वृहद् संख्या में जारी किए जाने के द्वारा प्रयासों को बढ़ाने के स्थान पर एक बड़ी संख्या अथवा कुछ प्रबन्धनीय संख्या में विज्ञापन दिया जा सकता था। ऐसे मामलों में, अति संग्रहण अथवा कम अवधि तक रखी जाने वाली मदो, के संगंहण से बचने के लिए अनुबंध को इस प्रकार शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है कि आदेश को भवन/रखरखाव मौसम के आधार पर सम्पूर्ण अवधि में विस्तार पूर्वक करते हुए सुविधाजनक बैचों में वितरित किया जाता है।

(ख) 113 अनुबंधों में से, 38 अनुबंध (34 प्रतिशत) मै0 किशोरी लाल एण्ड संस को सौंपी गई। के.लो. नि.वि. कार्य नियमावली के पैरा 37.3(5) अनुसार बोलियाँ अथवा निविदा सीधे उत्पादनकर्त्ताओं से आमंत्रित की जानी चाहिए। यदि उत्पादनकर्त्ता सामग्री की आपूर्ति के लिए सहमत नहीं हैं, बोलियाँ/निविदाएँ प्राधिकृत डीलर से आमंत्रित की जा सकती हैं। करार(अनुबंध) की फाइलों की जाँच के दौरान यह स्पष्ट नहीं था कि उत्पादनकर्त्ता से सीधे क्रय करने हेतु क्या प्रयास किए गए थे। इनवॉइस के अनुसार, मै0 किशोरी लाल एण्ड संस ने उत्पादनकर्त्ता के प्रतिनिधि होने का दावा किया हैं। यद्यपि, यह नहीं बताया गया था कि क्या वह प्राधिकृत डीलर थे। आडिट में सत्यापन हेतु बुलाए जाने पर यद्यपि, न.दि.न.परिषद् को आपूर्ति की गई मदों के संबंध में मै0 किशोरी लाल एण्ड संस से डीलरशीप प्रभावपत्र की प्रतिलिपि आडिट में प्रस्तुत नहीं की गई।

(ग) निविदा आमंत्रण अधिसूचना के प्रत्युत्तर में उद्धृत दरें (न्यूनतम-I), निविदाओं के जारी करने से पूर्व आई अनुमानित लागत से(-) 94 प्रतिशत तथा (+) 197.34 प्रतिशत के बीच की घट-बढ़ में प्राप्त की गई। 113 अनुबंधों में से, 33 अनुबंध सौंपे गए जबकि उद्धृत दरें (न्यूनतम-I) अनुमानित लागत 10 प्रतिशत से अधिक थी। के.लो.नि.वि. कार्य नियमावली, के अनुसार न्यायोचित दरों को 5 प्रतिशत तक नजरअंदाज किया जा सकता है, तथा 10 प्रतिशत तक विशिष्ट परिस्थितियों में स्वीकार किया जा सकता हैं। यह अवलोकन किया गया कि न्यूनतम प्रथम में उद्धृत प्राप्त दरें निविदाओं में जारी करने से पूर्व ईई द्वारा बनाए गए अनुमान से अपेक्षाकृत अधिक थी। न्यायोचित दरों की टेलरिंग द्वारा न्यूनतम-I दरों के उचित करते हुए स्वीकार की गई थी। न्यायोचित दरों पर पहुँचने के लिए अनियमितताओं के कुछ स्पष्ट उदाहरण आडिट के निर्णय को सहारा देने के लिए निम्न प्रकार दिए गए कि दरों को टेलरड़ किया गया था:

(घ) अनुबंध सं0 2/ईई(स्टोर)/2011-12 में शकूर बस्ती आरएस से न.दि.न.परिषद् स्टोर तक 8000 एमटी सीमेंट के परिवहन हेतु सौंपा गया, 290/रु0 प्रति मीट्रिक टन की दर से 18.35 लाख /रु0 हेतु अनुमान बनाया गया। मै0 लाल सिंह यादव से 30.40 लाख रु0 की दर से 380 प्रति मी. टन की राशि पर एकल बोली प्राप्त की गई। निर्धारित फार्मूला(8)/(2एल/एस)+1 जहाँ एल=कि.मी. की बढ़त में है तथा एस=स्पीड प्रतिघंटा), का प्रयोग करते हुए न्यायोचितता बनाते समय, **प्रभाग ने 44 कि.मी. की बढ़त ली यद्यपि, इसे 22 कि.मी. में लिया जाना चाहिए।** इस अनियमितता के कारण, ट्रिपों की संख्या भी 3.02 से 1.88 तक घट गई तथा इसके परिणामस्वरूप उच्च दर न्यायोचितता हुई। इसी प्रकार डीजल तथा एम ऑयल की खपत तद्नुसार बढ़ गई।

(ड़) अनुबध सं0 18/ईई/(स्टोर)/10-11 में जमुना की रेत के ढेर तथा आपूर्ति के लिए जमुना रेत (डीएसआर मद) के लिए प्राप्त मार्किट दर के आधार पर प्रभाग ने न्यायोचितता तैयार की। निविादा आमंत्रण अधिसूचना के जारी होने से पूर्व प्रभाग द्वारा तैयार अनुमान डीएसआर 2007 से निकाली गई रु0 262.44 प्रति क्यूबिक मीटर था। न्यूनतम-I की प्राप्त दर 499/रु0 क्यूबिक मीटर (90.13 प्रतिशत उपरोक्त) था। न्यायोचित

दरें 499.10/ प्रति कयूबिक मीटर (90.18) प्रतिशत उपरोक्त निकाली गई, जिसका अर्थ है कि न्यूनतम-I दर की स्वीकृति की सुविधा के लिए बढ़ाया गया था।

(च) दरों की न्यायोचितता करते समय, प्रभाग ने कोटेशन में प्राप्त दरों से 15 प्रतिशत के अतिरिक्त दर से ठेकेदारों का लाभ घटक जोडा है। स्टोरों की आपूर्ति में ठेकेदारों को जोड़ते हुए, उद्धत दरों पर लाभ उचित नहीं हैं चूंकि, प्राप्त कोटेशनों में लाभ घटक सम्मिलित हैं। प्रभाग भविष्य के अनुपालन के लिए आडिट अवलोकनों को नोट करने हेतु सहमत हुआ।

अनुशंसाए

भवन सामग्री के क्रय हेतु विविध आदेश प्रस्तुत करने के चलन को परिवर्तित करने की आवश्यकता हो एक वर्ष हेतु वैध दर अनुबंध को समाप्त किया जाए। क्रय आपूर्तिकर्त्ताओं/भवन सामग्री के व्यापारियों से करने के बजाय उत्पादनकर्त्ताओं/प्राधिकृत डीलरों से किए जाने की आवश्यकता हैं।

सड़क प्रभाग

2.4 प्रस्तावना

न.दि.न.परिषद् के सड़क रखरखाव प्रभाग न.दि.न.परिषद् क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सड़कों, लेनों तथा उप-लेनों के रखरखाव हेतु उत्तरदायी हैं। सेवाएँ आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आपातिक आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। सड़क (रखरखाव प्रभाग अर्थात् आर-I, आर-II, आर-III, आर-IV, आर-V तथा गुणवत्ता परिचालन सुधार कार्यक्रम (आरआईपी) न.दि.न.परिषद् के क्षेत्राधिकार में आने वाली सड़कों के रखरखाव हेतु उत्तरदायी है।

वित्तीय व्यय

सड़क प्रभागों के संबंध में वर्ष 2010-2013 की अवधि हेतु बजट अनुमान/संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय पूँजीगत) निम्न विवरणानुसार है:

2010-11 **(₹ हजार में)**

प्रभाग का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	(-) बचत/ (+) अति व्यय	बचत/ अति व्यय की प्रतिशतता
	1	2	3	4	5
सड़क- I	244500	177761	133896	43865	24.68
सड़क- II	336350	508325	373505	-134820	26.53
सड़क- III	301933	327650	291403	-36247	11.10
सड़क- IV	352000	404800	291553	-113247	28.00
सड़क- V	207100	181100	124274	-56826	31.40
आर.आई.पी.	1168000	0	320627	+320627	100.00

2011-12 (₹ हजार में)

प्रभाग का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक्य (+)	बचत/आधिक्य की प्रतिशतता
	1	2	3	4	5
रोड-I	116500	78295	48859	-29436	37.60
रोड -II	218250	205740	181921	-23819	11.58
रोड -III	243089	424765	351829	-72936	11.18
रोड -IV	100794	131300	75929	-55371	42.18
रोड -V	139700	105551	94620	-10931	10.36
सड़क सुधार कार्य क्रम	220000	0	30915	+30915	100.00

2012-13 (₹ हजार में)

प्रभाग का नाम	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक्य (+)	बचत/आधिक्य की प्रतिशतता
	1	2	3	4	5
सड़क-I	793000	59852	75177	+15325	25.60
सड़क -II	136321	109121	147735	+38614	35.39
सड़क -III	259501	230633	347802	+117169	50.80
सड़क -IV	89800	101950	144219	+42269	41.46
सड़क -V	93300	60760	63082	+2322	3.82
सड़क सुधार कार्य क्रम	36000	11600	16800	+5200	44.82

1. जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि समीक्षा अवधि 2010 से 2013 के दौरान बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों तथा वास्तविक व्यय के मध्य कोई आपसी संबंध नहीं है।

2. वर्ष 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान 10.36 प्रतिशत से 42.18 प्रतिशत की सीमा तक सभी डिविजनों (आर-I से आर-V) में वृहद् बचत पाई गई।

3. वर्ष 2010-13 की अवधि के दौरान 3.82 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की सीमा तक उक्त डिविजनों में बड़ा आधिक्य व्यय नोटिस किया गया।

4. सड़क सुधार डिविजन ने वर्ष 2010-11 में बजट नहीं बनाया किंतु ₹32.06 करोड़ का व्यय किया तथा आगामी वर्ष हेतु भी बजट नहीं बनाया (2011-12) तथा ₹3.09 करोड़ का व्यय खर्च किया जो यह बताता है कि बजट वास्तविक आधार पर नहीं बनाया गया।

उक्त तालिका में दर्शाए अनुसार वृहद् बचत तथा आधिक्य व्यय, बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों की तैयारी के समय प्रयाप्त योजना तथा खराब प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण की कमी को इंगित करता है।

इस प्रकार भविष्य में, केन्द्रीय लोक कल्याण विभाग कार्य, नियमावली 2012 के क्लाज 47.4 के अनुसार बजटरी प्रावधानों का पालन तथा वास्तविक बजट तैयार करने के प्रयास किए जाए। पुनः वित्तीय वर्ष के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि किसी कारण से बजट में कुछ शीर्षो के अन्तर्गत प्रावधानों की तुलना में व्यय कम होने की संभावना है, तक उसे के.लो.नि.विभाग नियमावली 2012 के क्लॉज 48.1 के अनुसार समय से जमा कर दिया जाना चाहिए।

2.4.1 निविदा आमंत्रण सूचना में अनुमोदित कोडल प्रावधानों का अनुपालन न होना।

न.दि.न.परिषद् के सड़क डिविजन द्वारा निष्पादित विभिन्न परियोजनाओं/कार्यो की निविदा फाइलों के ऑडिट में जांच से ज्ञात होता है कि निविदा आ-सूचना में वर्णित कोडल प्रावधानों का निम्नलिखित मामलों में पालन नहीं हुआः-

(I) निम्नलिखित 7 मामलों में न.दि.न.परिषद् ने जांच के लिए थर्ड पार्टी गुणक्ता टीम को ₹8.60 लाख का भुगतान किया जो वास्तव में नि.आ.सूचना के अनुसार ठेकेदार द्वारा भुगतान किया जाना था।

क्र.सं	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुमान/उद्धृत लागत	नि.आ.सूचना की स्थिति	टिप्पणी
1.	**सड़क-V डिविजन** गोल मार्किट नई दिल्ली स्थित डी आई जेड क्षेत्र, सेक्टर-I एवं III में के.लो.नि.वि. से कालोनी सड़कों तथा पिछली लेनों का उन्नयन तथा सुधार	मैसर्स संजीव कुमार ब्रदर्स	₹5.74 करोड़	1. अनुबंध की विशेष शर्त सं. 34 के अनुसार, थर्ड पार्टी की गुणवत्ता जाँच, न.दि.न.परिषद् द्वारा की इच्छानुसार प्रतिष्टित एजेंसी द्वारा भी जाएगी, न.दि. न.परिषद् द्वारा नियुक्त अनुसार राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/निजि क्षेत्र की फर्म। दोनों पार्टियों द्वारा निर्णय मान्य होगा। इस जाँच की लागत का ठेकेदा द्वारा भुगतान किया जाएगा।	1. यह ज्ञात हुआ कि विभाग ने अनुबंध की शर्त सं.-34 का पालन नहीं किया तथा थर्ड पार्टी गुणवत्ता जाँच हेतु सेन्ट्रल रोड रिसर्च इस्टीट्यूट को न.दि.न.परिषद् निधि से ₹6.34 लाख का भुगतान किया तथा वर्णित राशि ठेकेदार से नहीं ली गई।
2.	**सड़क-V डिविजन** शिवाजी स्टेडियम बस टर्मिनल का सुधार	मैसर्स संजीव कुमार ब्रदर्स	₹77.34 लाख	1. अनुबंध की विशेष शर्त सं. 34 के अनुसार, थर्ड पार्टी की गुणवत्ता जाँच, न.दि.न.परिषद् द्वारा की इच्छानुसार प्रतिष्टित एजेंसी द्वारा भी जाएगी, न.दि. न.परिषद् द्वारा नियुक्त अनुसार राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/निजि क्षेत्र की फर्म। दोनों पार्टियों द्वारा निर्णय मान्य होगा। इस जाँच की लागत का ठेकेदार द्वारा भुगतान किया जाएगा।	1. यह ज्ञात हुआ कि विभाग ने अनुबंध की शर्त सं.-34 का पालन नहीं किया तथा थर्ड पार्टी गुणवत्ता जाँच हेतु दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को न.दि.न.परिषद् निधि से **₹85309/-** लाख का भुगतान किया तथा वर्णित राशि ठेकेदार से नहीं ली गई।

3.	**सड़क- II डिविजन** लोधी कॉलोनी के II तथा III एवेन्यूपर विद्यमान फुटपाथ का सुधार		₹56.05 लाख	अनुबंध की विशेष शर्त सं. -01 के अनुसार, थर्ड पार्टी गुणवत्ता सुनिश्चितता के नमूने के.लो.नि.वि. विशिष्टताओं के अनुसार सी आर आर आई/अथवा किसी अन्य सरकारी अनुमोदित संस्था द्वारा जाँच किए जाएगें जो इंजीनियर-इनचार्ज तथा एजेंसी की उपस्थिति में नमूने एकत्र करेंगे। प्राप्त परिणाम दोनों पार्टियों को मान्य होगा। खराब परिणाम यदि कोई होगा, तो उस पर कार्रवाई अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। ठेकेदार को अतिरिक्त कुछ भी भुगतान नहीं किया जाएगा। जाँच प्रभारों एवं अन्य अपेक्षित खर्चों का वहन ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।	यह ज्ञात हुआ कि विभाग ने करार की शर्त सं.-01 का अनुपालन नहीं किया तथा थर्ड पार्टी गुणवत्ता जाँच हेतु ₹33,091 की राशि का भुगतान न.दि.न. परिषद् निधि से किया गया तथा ठेकेदार से इस राशि की वसूली नहीं की गई।
4.	**सड़क-I डिविजन** नई दिल्ली स्थित बापा नगर में के.लो. नि.विभाग से लिए गए विद्यमान शेष पार्कों का सुधार	मैसर्स विजय त्यागी	₹31.17 लाख	4. करार की क्लॉज 10 ए के अनुसार, ठेकेदार, अपनी जोखिम एवं लागत पर सभी प्रबंध करेगा तथा सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा जैसा कि इंजीनियर-इनचार्ज द्वारा अपेक्षित प्रत्येक जाँच हेतु ऐसे समय में तथा ऐसे स्थान अथवा स्थानों नमूनों को एकत्र करने तथा तैयार करने का निर्देश दे सकता है तथा जाँच की लागत से सभी प्रभार जो अनुबंध अथवा विशिष्टताओं में नहीं तो कहीं और के लिए विशेषत: उपलब्ध कराए गए हैं। इंजीनियरिंग-इन-चार्ज अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि हमेशा सभी कार्यों तथा सभी वर्कशॉपों एवं स्थानों पर जहाँ कार्य तैयार किया जा रहा है अथवा जहाँ से कार्यों हेतु सामग्री, निर्भित आर्टिकल अथवा मशीनरी प्राप्त की गई	4. यह ज्ञात हुआ कि जाँच प्रभार की ₹33,091 की राशि ठेकेदार को भुगतान की गई जो वर्णित क्लॉज का उल्लंघन है। इस खर्च का वहन, करार अनुसार ठेकेदार द्वारा किया जाना था।
5.	**सड़क-II डिविजन** आपदा प्रबंधन नियंत्रण केन्द्र आंतरिक प्रकाश हेतु स्थल का सुधार एवं विकास।	मैसर्स आर.के. जैन एण्ड सन्स होस्पीटलिटी	₹93.10 लाख		5. यह ज्ञात हुआ कि जाँच प्रभार की ₹22,060 की राशि ठेकेदार को भुगतान की गई जो वर्णित क्लॉज का उल्लंघन है। इस खर्च का वहन, करार अनुसार ठेकेदार द्वारा किया जाना था।

				है, का निर्धारण करेगा, तथा ठेकदार इस प्रकार के सही निर्धारण को प्राप्त करने में प्रत्येक सुविधा तथा प्रत्यक्ष सहायता उपलब्ध कराएगा।	
6.	**सड़क-I डिविजन** शंकर मार्किट, नई दिल्ली, के चारों ओर पार्किंग स्थल का विकास तथा फुटपाथ का पुनः एकत्रीकरण।	मैसर्स विजय त्यागी	₹31 लाख	अनुबंध की विशेष शर्त सं. 29 के अनुसार, थर्ड पार्टी की गुणवत्ता जाँच, न.दि.न.परिषद् द्वारा की इच्छानुसार प्रतिष्टित एजेंसी द्वारा भी जाएगी, न.दि. न.परिषद् द्वारा नियुक्त अनुसार राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/निजि क्षेत्र की फर्म। दोनों पार्टियों द्वारा निर्णय मान्य होगा। इस जाँच की लागत का ठेकेदा द्वारा भुगतान किया जाएगा।	यह ज्ञात हुआ कि जाँच प्रभार की ₹7,444/- (केवल रुपये सात हजार चार सौ चवालिस) की राशि ठेकेदार को भुगतान की गई जो वर्णित क्लॉज का उल्लंघन है। इस खर्च का वहन, करार अनुसार ठेकेदार द्वारा किया जाना था।
7.	**सड़क-IV डिविजन**	मैसर्स विशेष बिल्डर्स	₹1.19 करोड़	अनुबंध की विशेष शर्त सं. 35 के अनुसार, थर्ड पार्टि की गुणवत्ता जाँच, न.दि.न.परिषद् द्वारा की इच्छानुसार प्रतिष्टित एजेंसी द्वारा भी जाएगी, न.दि. न.परिषद् द्वारा नियुक्त अनुसार राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/निजि क्षेत्र की फर्म। दोनों पार्टियों द्वारा निर्णय मान्य होगा। इस जाँच की लागत का ठेकेदा द्वारा भुगतान किया जाएगा।	यह ज्ञात हुआ कि विभाग ने अनुबंध की शर्त सं.-35 का पालन नहीं किया तथा थर्ड पार्टी गुणवत्ता जाँच हेतु दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को न.दि.न. परिषद् निधि से **₹45,443/-** लाख का भुगतान किया तथा वर्णित राशि ठेके से नहीं ली गई।

(II) निम्नलिखित 4 मामलों में, निविदा दस्तावेजों के साथ अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए, फिर भी निविदा स्वीकार कर ली गई, जो गैरकानूनी थी।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुमानित उद्धृत लागत	निविदा आमंत्रण सूचना की शर्त	आडिट टिप्पणियाँ
1	सड़क-I डिविजन में कालोनियों की लेन का पुनः- सतहीकरण	मै0 चौधरी कंस्ट्रकशन कम्पनी	₹2.66 करोड़	निविदा आमंत्रण सूचना की वांछनीय कसौटी की पैरा 2 के अनुसार ठेकेदार को निम्नलिखित कार्य अनुभवों के अनुसार सफलतापूर्वक पूर्ण	यह ज्ञात हुआ कि संबंधित ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत वांछनीय कसौटी निविदा आमंत्रण सूचना

2	चाणक्यपुरी सड़क-IV डिविजन में के.लो.नि.वि. कालोनी, डी-I, डी-II फ्लैटों में पार्कों का सुधार।	विशेष बिल्डर्स	₹1.07 करोड़	करना चाहिए:- 1. अनुमानित लागत से 40% की लागत से कम नहीं के तीन समान कार्य अथवा 2. अनुमानित लागत से 50% की लागत से कम नहीं के दो समान कार्य अथवा 3. अनुमानित लागत से 80% की लागत से कम नहीं का समान कार्य अथवा 1. समान कार्यों से आशय हांट मिक्स तकनीक का उपयोग कर सड़कों का सशक्तिकरण तथा पुन: सतहीकरण। (डैंस बिटुमिनियस मैकेडेम/डैंस बिटुमिनियस कंक्रीट/ एसडीबीसी) (क्र.सं.-1 में वर्णित कार्य हेतु) 2. समान कार्यों से आशय निर्माण कार्य, बाउंड्री वॉल एवं रेलिंग कार्यों से है। (क्र.सं-2 में वर्णित कार्य हेतु) 3. समान कार्यों से आशय, रेडी मिक्स सीमेंट कंक्रीट रोड का निर्माण है। सड़क-V -डिविजन (क्रं.सं.-3 में वर्णित कार्य हेतु)	की विहित शर्त को पूरा नहीं करती थी। इसके बावजूद विभाग ने अनुमोदित शर्त की न्यायोचितता के बगैर कार्य सौंप दिया।
3	सड़क-V डिविजन में के.लो.नि.वि. से ली गई पिछली लेनों, कालोनी रोड का उन्नयन तथा सुधार।	संजीव कुमार बदर्स	₹5.75 करोड़	1. समान कार्यों से आशय हांट मिक्स तकनीक का उपयोग कर सड़कों का सशक्तिकरण तथा पुन: सतहीकरण। (डैंस बिटुमिनियस मैकेडेम/डैंस बिटुमिनियस कंक्रीट/ एसडीबीसी) (क्र.सं.-1 में वर्णित कार्य हेतु) 2. समान कार्यों से आशय निर्माण कार्य, बाउंड्री वॉल एवं रेलिंग कार्यों से है। (क्र.सं-2 में वर्णित कार्य हेतु) 3. समान कार्यों से आशय, रेडी मिक्स सीमेंट कंक्रीट रोड का निर्माण है। सड़क-V -डिविजन (क्रं.सं.-3 में वर्णित कार्य हेतु)	ठेकेदार द्वारा समान कार्यों हेतु निविदा आमंत्रण सूचना में वर्णित अनुसार एक समान कार्य के लिए अनुमानित लागत का 80% के बजाय अनुमानित लागत का मात्र 33% प्रस्तुत की। यह नोटिस किया गया संबंधित ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत वांछनीय कसौटी नि.आ.सूचना की विहित शर्त को पूरा नहीं करती, इसके बावजूद विभाग ने नि.वि.सू. में अनुमोदित शर्त की न्यायोचितता के बगैर कार्य सौंप दिया।
4	डीआईजेड क्षेत्र, सैक्टर-II की कालोनी लेनों हेतु सीमेंट कंक्रीट पटरी का निर्माण	एच.आर. बिल्डर	₹8.61 करोड़	1. तीन समान कार्य, प्रत्येक ₹3.92 करोड़ से कम नहीं। 2. दो समान कार्य, प्रत्येक ₹4.90 करोड़ से कम नही। 3. एक समान कार्य, पिछले 7 वर्षों में प्रत्येक ₹7.84 करोड़ से कम नहीं। समान कार्य से आश्य सड़कों पुलों तथा पटरियों में रेडी मिक्स कंक्रीट बिछाना।	फ्रूट वेजीटेबल तथा फ्रूड ग्रेन मार्किट, आईएफसी, गाजीपुर, ₹24.15 करोड़ पर आर एम सी उपलब्ध/बिछाने के द्वारा कमीशन एजेंट शॉपस, होल सेलर शॉप, होल सेलर शॉफ के साथ आन्तरिक विद्युतीकरण सीवर लाइन, स्ट्रोम वाटर लाइन, जलापूर्ति एवं सड़क कार्यों हेतु 4

					विल्डिग ब्लॉक का एक निर्माण कार्य। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र भवन ब्लाकों के निर्माण से संबंधित कार्य का अधिकतम हिस्सा इंगित करते हैं। सड़क कार्यों के हिस्से को अनुभव प्रमाण पत्रों में इंगित नहीं था।

(III) निम्नलिखित तीन मामलों में सेवा कर विभाग का पंजीकृत प्रमाण-पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया। यदि ऐसा है निविदाएँ स्वीकृत की गई।

क्र. सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुमानित उद्धृत लागत	निविदा आमंत्रण सूचना की शर्त	आडिट टिप्पणियाँ
1	सड़क-I डिविजन के अन्तर्गत भूमिगत पैदल पारपथ का रख-रखाव	मै0 आर.के. जैन एण्ड संस हौस्पिटेबिलिटी सर्विसिस प्रा0 लि0	₹24.68 लाख	1. नि.आ.सू. के पैरा अनुमोदित 2.1 (एफ) के अनुसार, बोलीदाता सेवा कर विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए। (पंजीकृत प्रमाण पत्र की कौपी संलग्न) 2. नि.आ.सू. के पैरा 2.1 (जी) के अनुसार फर्म द्वारा न्यूनतम श्रम शक्ति 125 नं0 होनी चाहिए। 3. के.लो.नि.विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20.08.2009 तथा के.लो.नि. विभाग कार्य नियमावली 2012 के पैरा 24.3 के अनुसार सेवा कर हेतु दरों के विश्लेषण में कुछ भी नहीं जोड़ा गया चूंकि ठेकेदार को अलग से प्रतिपूर्ति की गई। (जोकि इंजीनियर-इन-चीफ द्वारा संतोषजनक ढंग से अर्थात ठेकेदार ने वास्तविक रूप से तथा सच में कर का भुगतान किया है, ठेकेदार की प्रतिपूर्ति कि जाएगी। 4. डी.ए.आर., पी.एफ. तथा ई.एस.आई. तत्व के अनुसार दरों के विश्लेषण में सम्मिलित नहीं है।	1. ठेकेदार ने नि.आ.सू. क प्रावधान के अनुसार निविदा दस्तावेजों को प्रस्तुत करते समय सेवा कर विभाग का पंजीकृत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया। 2. ठेकेदार ने नि.आ.सू. में अपेक्षित श्रम शक्ति की न्यूनतम संख्य के समर्थन में दस्तावेज/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए। 3. विभाग ने के.लो.नि. विभाग कार्य निर्मावली के पैरा 24.3 के उल्लंघन में दरों के विश्लेषण में 12.36% की दर पर सेवा कर जोड़ा है। 4. पुनः दिल्ली विश्लेषण
2	सड़क-I डिविजन के अन्तर्गत भूमिगत पैदल पारपथ की विभिन्न सेवाएँ।	मै0 आर.के. जैन एण्ड संस हौस्पिटेबिलिटी सर्विसिस प्रा0 लि0	₹3.68 लाख		
3	सड़क-I डिविजन के अन्तर्गत भूमिगत पैदल पारपथ की विभिन्न सेवाएँ।	मै0 आर.के. जैन एण्ड संस हौस्पिटेबिलिटी सर्विसिस प्रा0	₹3.84 लाख		

		लि0			दरों के उल्लंघन में 4.75% ई.एस.आई तथा 12% पी. एफ भी जोड़ दिया।

(IV) निम्नलिखित तीन मामलों में निविदा दस्तावेजों के साथ रोजगार 1996 अधिनियम के विनियम न. दि.न.परिषद्/बी.ओ.सी.डब्ल्यू. के साथ ठेकेदार अथवा पंजीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। यद्यपि निविदा मान ली गई थी।

क्र.सं. 2	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुमानित/उद्धृत लागत	निविदा आमंत्रण सूचना की शर्त	टिप्पणियाँ
1.	**सड़क डिविजन**-III नौरोजी नगर, नई दिल्ली स्थित पार्कों में खेल के उपकरणों को उपलब्ध कराना तथा लगाना।	कालिया इन्टरप्राइजिज	₹17.72 लाख	क्लॉज-II के अनुसार यदि ठेकेदार न.दि.न.परिषद् के साथ पंजीकृत नहीं है, तो वे प्रथम आर ए बिल भुगतान करने से पूर्व न.दि.न.परिषद् के साथ अपना पंजीकरण कराएँ।	वर्णित मामले में, कार्य सौंपने के समय ठेकेदार न. दि.न.परिषद् के साथ पंजीकृत नहीं था तथा कार्य की समाप्ति से पूर्व एवं अंतिम भुगतान ₹17.72 लाख के समय भी पंजीकृत नहीं था।
2.	**सड़क डिविजन**-IV के कामराज मार्ग की पटरी/पैदलपथ का सुधार।	बिपिन कुमार	₹38.17 लाख	सभी निविदा/ठेकेदार/ एजेंसी बिल्डिंग तथा अन्य निर्माण मजदूरों कल्याण, बीओसी डब्ल्यू, सीईएसएम अधिनियम-1996 तथा रोजगार-1996 अधिनियम के विनियम बी ओ सी डब्ल्यू की धारा-7 के अनुसार अवश्य पंजीकृत कराएं तथा इन ठेकेदारों/एजेंसियों के अन्तर्गत सभी मजदूर भी प्रथम रनिंग बिल का भुगतान करने से पूर्व लाभकारी वर्णित अधिनियम 1996 की धारा-12 के अनुसार, अवश्य पंजीकृत कराएँ।	ठेकेदार को प्रथम आर.ए. बिल, जनवरी 2013 में भुगतान किया गया तथा रोजगार 1996 अधिनियम के विभिन्न बीओसीडब्ल्यू के साथ तथा लाभार्थी, स्वास्थय एवं अन्य मजदूरी तथा दुर्घटना में ठेकेदार पंजीकृत नहीं दर्शाया गया है।

(V) ठेकेदारों द्वारा सीमेंट प्राप्ति में करार के नियमों का अनुपालन नहीं किया गया जैसा कि नीचे वर्णित है:-

सीमेंट के करार हेतु अतिरिक्त शर्तो/विशेष विशिष्टता के अनुसार, ठेकेदारों द्वारा सीमेंट की प्राप्ति मुख्य तथा प्रतिष्ठित निर्माताओं जैसे (i) ए सी सी सीमेंट (ii) अंबुजा सीमेंट (iii) श्री सीमेंट (iv) बिरला सीमेंट (v) जे पी बेला सीमेंट (vi) आदित्य सीमेंट (vii) जे.के. सीमेंट (viii) बिनानी सीमेंट (ix) मेहर सीमेंट (x) विक्रम सीमेंट तथा सभी प्रकार के कंक्रीट कार्यो में उपयोग में आने वाला आई एस. 1489-1991 के अनुरूप पोर्टलैण्ड पोज्जोलोना सीमेंट (पीपीसी) अथवा और कहीं से विशिष्टता प्राप्त, से ही प्राप्त की जाए। पुन: सीमेंट के निर्माता/आपूर्तिकर्ता के विवरण के साथ निर्मित होने की तिथि भी सीमेंट की प्रत्येक लॉट के साथ ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध कराई जाए। इंजीनियर-इन-चार्ज के समक्ष सीमेंट के क्रय के समर्थन में दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाएं।

निम्नलिखित परियोजनाओं में, ठेकेदारों ने करार में प्राधिकृत प्रतिष्ठित निर्माताओं के बजाय स्थानीय एजेंसियों से सीमेंट का क्रय किया तथा इंजीनियर-इन-चार्ज के समक्ष निर्मित तिथि के साथ सीमेंट निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के विवरण का रिकार्ड भी प्रस्तुत नहीं किया।

सड़क डिविजन-I

क्र. सं.	कार्य/डिविजन का नाम	ठेकेदार का नाम	उद्धृत राशि	उपयोग/क्रय किया गया सीमेंट
1	शंकर मार्किट के चारों ओर पार्किंग स्थल का विकास तथा फुटपाथों का पुन: एकत्रीकरण।	विजय त्यागी	₹31.91लाख	जगदम्बा बिल्डिंग मैट्रीरियल सप्लायर्स, लक्ष्मी सीमेंट ट्रेडर्स तथा पी.के. इन्टरप्राइजिज से सीमेंट का क्रय किया गया तथा ठेकेदार द्वारा उपयोग किया गया सीमेंट किस कम्पनी का है, इसके संबंधित कोई रिकार्ड नहीं है।
2	सड़क-I डिविजन के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत गोल चौराहे का सुधार।	खन्ना इंटरप्राइजिज	₹47.48 लाख	सीमेंट का क्रय मेमोडिया सीमेंटिड डिपो से किया गया तथा ठेकेदार द्वारा उपयोग किया गया सीमेंट किस कम्पनी का है, इससे संबंधित कोई रिकार्ड नहीं है।
3	भगवान दास रोड के मुहाने पर टेबल टॉप क्रासिंग का निर्माण।	एन वी बिल्डर्स	₹3.10 करोड़	सीमेंट का क्रय मेमोडिया सीमेंटिड डिपो से किया गया तथा ठेकेदार द्वारा उपयोग किया गया सीमेंट किस कम्पनी का है, इससे संबंधित कोई रिकार्ड नहीं है।
4	बापा नगर में के.लो.नि. विभाग से ली गई पिछली लेनों, कालोनी सड़कों का उन्नयन तथा सुधार	स्वास्तिक कंस्ट्रक्शन कम्पनी	₹2.35 करोड़	सूचीबद्ध प्रतिष्ठित निर्माताओं जैसे: ए सी सी, बिरला, जे के, बिनानी अथवा आदित्य सीमेंट इत्यादि के बजाय अल्ट्राटेक।
सड़क डिविजन-II				
1	आपदा प्रबंधन नियंत्रण केन्द्र, आंतरिक प्रकाश हेतु स्थल का	आर.के. जैन एण्ड संस	₹93.10	यह नोटिस किया गया कि ठेकेदार ने स्थानीय आपूर्ति कर्ताओं से सीमेंट का क्रय किया जैसे- गोयल सीमेंट एजेंसी

	विकास सुधार।	हॉस्पिटीलिटी	लाख	तथा ठेकेदार द्वारा किस कम्पनी का सीमेंट उपयोग में लाया गया, उस कम्पनी का कोई रिकार्ड नहीं है।
2	II तथा III एवेन्यू, लोधी कालोनी में विद्यमान फुटपाथ का सुधार	विजय त्यागी	₹56.05 लाख	जगदम्बा बिल्डिंग मेटीरियल स्प्लायर, लक्ष्मी सीमेंट तथा सी डी आर कारपोरेशन सी सीमेंट क्रय की गई जोकि स्थानीय आपूर्तिकर्ता है।
3	पंडारा रोड कालोनी में पार्कों तथा पार्कों के चारों ओर के खुले स्थल का सुधार।	यतेन्द्र सिंह	₹48.46 लाख	जगदम्बा बिल्डिंग मेटीरियल स्प्लायर, लक्ष्मी सीमेंट तथा सी डी आर कारपोरेशन सी सीमेंट क्रय की गई जोकि स्थानीय आपूर्तिकर्ता है।

सड़क प्रभाग-III

क्रं. सं.	**कार्य/ प्रभाग का नाम**	**ठेकेदार का नाम**	**उद्धृत राशि**	**प्रयोग/क्रय की गई सीमेंट**
1	मोती बाग क्षेत्र आर-III में के.लो.नि.विभाग से लिए गए कालोनी सड़कों, बैक लेनों का सुधार एवं उन्नयन	के.आर. आनन्द	₹7.94 करोड़	पी पी सी के स्थान पर ओ पी सी (यादव ट्रेडर्स)
2	पूर्वी किदवई नगर आर-III में के.लो.नि.विभाग से ली गई कालोनी सड़कों, बैक लेनों का सुधार एवं उन्नयन	दिनेश चन्द्रा आर अग्रवाल	₹11.30 करोड़	पी पी सी के स्थान पर ओ पी सी (यादव ट्रेडर्स)
3	लक्ष्मीबाई नगर आर-III में के.लो.नि.विभाग से ली गई कालोनी सड़कों, बैकलेनों का सुधार एवं उन्नयन	के.आर. आनन्द	₹8.36 करोड़	धोधी एण्ड कम्पनी तथा बेस्ट एजेंसिस

सड़क प्रभाग-IV

क्रं. सं.	कार्य/ प्रभाग का नाम	ठेकेदार का नाम	उद्धृत राशि	प्रयोग/क्रय की गई सीमेंट
1	विनय मार्ग में डी-I, डी-II, फ्लैटों में के.लो.नि.विभाग से ली गई कालोनी सड़कों, बैक लेनों का सुधार एवं उन्नयन।	हिमगिरी कन्सट्रक्शन	₹1.84 करोड़	पी पी सी के स्थान पर ओ पी सी (आर के ट्रेडर्स)

अनुशंसा

विभाग सुनिश्चित करें कि सीमेंट प्रतिष्ठित तथा अनुमोदित आपूर्तिकर्ता से प्राप्त है। सुपुर्दगी लेने से पूर्व ही गुणवत्ता तथा समाप्ति की तिथि को सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। सीमेंट की अनुमोदित गुणवत्ता अर्थात् पोर्टलैण्ड पोजोलोना सीमेंट (पी पी सी) क्रय तथा करार के अन्तर्गत अपेक्षित अनुसार उपयोग की जाएगी।

(VI) वर्ष 2010-13 के दौरान करार के क्लाज 19 डी के अनुसार अपेक्षित लेबर रिपोर्ट निम्नलिखित मामलों में प्रस्तुत नहीं की गई:-

करार के क्लाज 19 डी के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, ठेकेदार को चालू मास के तथा कार्रवाई मास के उत्तरार्द्ध के दौरान क्रमश: पूर्वार्द्ध इंगित करते हुए एक वास्तविक अनुसूची इंजीनियर इन चार्ज को प्रत्येक मास के 4 तथा 19 को प्रस्तुत करेगा।

- कार्य पर उसके द्वारा लगाए मजदूरों की संख्या
- उनके काम के घंटे
- उनको मजदूरी का भुगतान किया गया।
- दुर्घटना कि दुर्घटना के विस्तृत परिस्थितियों के साथ कथित पखवाड़े के दौरान घटित हुई।
- महिला कर्मियों की संख्या जिन्हें क्लाज 19 एफ के अनुसार प्रसूति लाभ की अनुमति दी गई तथा उनको राशि का भुगतान किया गया।

उपरोक्त शर्तों का पालन न करने के मामले में, ठेकेदार प्रत्येक त्रुटि अथवा भौतिक रूप से गलत विवरण के लिए न.दि.न.परिषद् की ₹200/- से अधिक न हो, की राशि का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा। आडिट के दौरान यह नोटिस किया गया है कि ठेकेदारों ने 18 परियोजनाओं के कार्यों के निष्पादन के दौरान पाक्षिक अपेक्षित श्रम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। सड़क प्रभागों की परियोजनाओं की अधिकतम फाइलों में अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं थी। विभाग ने करार के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित अनुसार ठेकेदार पर कोई जुर्माना नहीं लगाया था। 18 परियोजनाओं का विवरण **अनुलग्नक-X** में सूचीबद्ध किया जाता है। जिसका सार नीचे दिया गया है:-

(₹ हजार में)

प्रभाग	परियोजनाओं की कुल संख्या	ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई श्रम रिपोर्ट की कुल संख्या	₹200/- प्रति श्रम रिपोर्ट की दर पर जुर्माना।
सड़क-I	05	100	20,000/-
सड़क-II	01	28	5,600/-
सड़क-III	07	148	29,600/-
सड़क-IV	03	40	8,000/-
सड़क-V	02	17	8,200/-
कुल	**18**		**71400/-**

यह देखा जाएगा कि विभाग ने उपरोक्त वर्णित सभी परियोजनाओं में एनआईटी/करार की शर्तों का सख्ती से अनुपालन नहीं किया गया था।

2.4.2 अन्य अनियमितताएँ

(I) वर्ष 2010-13 के दौरान अनुबंध के क्लाज 10(सी) के अन्तर्गत श्रम वृद्धि के कारण ठेकेदारों का भुगतान

अनुबंध के क्लाज 10(सी) के अन्तर्गत, निविदा की प्राप्ति की अन्तिम निर्धारित तिथि के समय पर प्रचलित मजदूरी/मूल्यों में हुई वृद्धि से श्रम की मजदूरी अथवा/तथा कार्यों में सम्मिलित सामग्री के मूल्य में तत्समय प्रभावी नए कानून अथवा विधि अथवा संवैधानिक नियम अथवा आदेश के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में हुई वृद्धि के कारण ठेकेदार को प्रतिपूर्ति की जा सकती है। आगे, के.लो.नि. विभाग कार्य नियमावली के पैरा 33. 8 के अनुसार किसी कार्य के लिए श्रम के घटक अनुबंध के अनुसूची 'एफ' में पूर्वनिर्धारित तथा सम्मिलित किया जाना है तथा श्रम में वृद्धि/कमी को किसी कानून अथवा सवैधांनिक नियम अथवा आदेश के अन्तर्गत निर्धारित, किसी अकुशल व्यस्क मजदूर की रूपयों में न्यूनतम दैनिक मजूदरी पर विचार किया जाएगा।

आडिट के दौरान यह पता चला था कि विभाग करार की अनुसूची 'एफ' में श्रम घटकों के प्रावधान के बिना श्रम वृद्धि के कारण ठेकेदारों को (**अनुलग्नक-XI** में विवरण दिया गया है) को 16 परियोजनओं में ₹2.01 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है।

(II) के.लो.नि.विभाग कार्य नियमावली 2012 के क्लाज 33.10.1(2) के अनुसार सड़क कार्यों में अधिकतम कुल श्रम घटक किए गए कार्य के कुल मूल्य का 5 प्रतिशत है। निम्नलिखित मामलों में समीक्षा के दौरान यह नोटिस किया गया कि विभाग ने ठेकेदार को अत्यधिक उच्च रेंज 5 प्रतिशत से 11.9 प्रतिशत पर श्रम वृद्धि प्रभार का भुगतान किया जोकि मजदूरी में वृद्धि/कमी के आधार पर भुगतान किया जाना दिखाई नहीं देता है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य का कुल मूल्य	श्रम वृद्धि के कारण किया गया भुगतान	ठेकेदार को किए गए श्रम वृद्धि प्रभार भुगतान की प्रतिशतता
1	नेताजी नगर में के.लो.नि. विभाग से लिए गए कालोनी सड़कों, बैक लैनों का सुधार व उन्नयन	11.90 करोड़	1.32 करोड़	11.9
2	लक्ष्मीबाई नगर में ग्रिट वाश प्लास्टर लगाकर विद्यमान सुरक्षा दीवारों का सुधार।	36.65 लाख	4.15 लाख	11.5
3	लक्ष्मीबाई नगर में क्वार्टर (363-756) की पिछली ओर एम एस रेलिंग के साथ सुरक्षा ईटों की दीवार का निर्माण।	46.90 लाख	3.37 लाख	7%
4	आर-I प्रभाग के अन्तर्गत भूमिगत पैदलपथ का रखरखाव	28.71 लाख	1.97 लाख	6.84
5	काका नगर कॉलोनी तिलक लेन में शेष तैयार पार्कों का सुधार	33.48 लाख	2.11 लाख	6.30
6	भूमिगत पैदलपथ का रखरखाव	27.57 साथ	1.43 लाख	5

(III) **(ए)** निम्नलिखित तीन मामलों में श्रम वृद्धि प्रभार की गणना करते समय विभाग ने ठेकेदार के लाभ तथा ओ एच के लिए 15 प्रतिशत, जल प्रभार के लिए 1 प्रतिशत, उपकर 1 प्रतिशत तथा डी वी ए टी 2 प्रतिशत में दिल्ली सरकार द्वारा बढ़ाए न्यूनतम मजदूरी दरों से ऊपर तथा अधिक को भी जोड़ा गया था।

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार को किया गया भुगतान (₹ लाख में)	ठेकेदार को श्रम वृद्धि का भुगतान (ठेकेदार लाभ, जल प्रभार, उपकर तथा डी वी ए टी सहित)	श्रम वृद्धि प्रभारों का प्रतिशत
1	लक्ष्मीबाई नगर में ग्रिटवाश प्लास्टर लगाकर विद्यमान सुरक्षा दीवारों का सुधार	36.65 लाख	4.15	11.5
2	लोधी कालोनी, II तथा III एवेन्यू पर विद्यमान फुटपाथ का सुधार	68.29 लाख	2.82	4.13
3	लक्ष्मीबाई नगर में क्वार्टर (363-756) के पिछली ओर में एस एस रेलिंग सहित सुरक्षा ईटों की दीवार का निर्माण।	46.90 लाख	3.37	7%

(III) **(बी)** इसकी तुलना में, निम्नलिखित 5 मामलों में श्रम घटकों की गणना करते समय विभाग ने ठेकेदार लाभ तथा ओ एच के लिए 15 प्रतिशत, जल प्रभार के लिए 1 प्रतिशत, उपकर 1 प्रतिशत तथा डी वी ए टी 2 प्रतिशत में दिल्ली सरकार द्वारा बढ़ाये गये न्यूनतम मजदूरी दरों से ऊपर तथा अधिक को भी जोड़ा नहीं गया था।

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार को किया गया भुगतान (₹ लाख में)	ठेकेदार को श्रम वृद्धि का भुगतान (ठेकेदार लाभ, जल प्रभार, उपकर तथा डी वी ए टी सहित)	श्रम वृद्धि प्रभारों का प्रतिशत
1	भारती नगर में विद्यमान चारदीवारी का सुधार	37.39 लाख	1.23	3.29
2	काका नगर कालोनी तिलक लेन में शेष तैयार पार्कों का सुधार	33.49 लाख	2.11	6.30
3	भगवान दास रोड के प्रवेश के लिए टेबल-टाप क्रासिंग का निर्माण।	12.05 लाख	0.59	4.82

(IV) **(ए)** वैधानिक प्रावधान के अनुसार श्रम वृद्धि प्रभार का ठेकेदार को वृद्धि की तिथि से भुगतान होना चाहिए। जबकि निम्नलिखित दो मामलों में यह देखा गया है कि विभाग ने दिनांक 25.02.2010 से 30.07.2011 के बीच निष्पादित कुल कार्य पर श्रम वृद्धि प्रभार के कारण ठेकेदार को भुगतान किया है जबकि यह दिनांक 01.02.2011 से भुगतान किया जाना था जोकि दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, वृद्धि की तिथि अर्थात श्रम घटकों की गणना के लिए लागू तिथि थी।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार को किया गया भुगतान	ठेकेदार को श्रम वृद्धि का भुगतान (25.02.10 से 30.07.2011)	श्रम वृद्धि प्रभारों का प्रतिशत
1	लक्ष्मीबाई नगर में ग्रिट वाश प्लास्टर लगाकर विद्यमान सुरक्षा दीवारों का सुधार	36.65 लाख	4.15 लाख	11.5
2	लोधी कालोनी, एवेन्यू II तथा III में विद्यमान फुटपाथ का सुधार।	68.29 लाख	2.82 लाख	4.13

(V) **(बी)** निम्नलिखित मामले की तुलना में यह नोटिस किया गया कि विभाग ने दिनांक 01.02.2011 से पूर्व किए गए कार्य को घटाने के बाद श्रम विधि के कारण ठेकेदार को भुगतान किया गया।

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार को किया गया भुगतान	ठेकेदार को श्रम वृद्धि का भुगतान (दिनांक 01.02.2011)	श्रम वृद्धि प्रभारों का प्रतिशत
1	भारती नगर में विद्यमान चारदीवारी का सुधार।	37.39 लाख	1.23 लाख	3.29%
2	लक्ष्मीबाई नगर में क्वाटर (363-756) पिछली ओर एम एस रेलिंग के साथ सुरक्षा ईंट की दीवार का निर्माण।	46.90 लाख	3.37 लाख	7%

इस प्रकार, श्रम वृद्धि प्रभारों पर विभाग द्वारा कोई समरूप नीति नहीं अपनाई है।

(VI) के.लो.नि.विभाग कार्य नियमावली के पैरा 33.10.2 के अनुसार ठेकेदार प्रत्येक तीन मासों के अन्त तक वृद्धि अथवा तीव्रता की कमी का विवरण तैयार करेगा तथा इंजीनियर-इन-चार्ज को प्रस्तुत किया जाएगा। अधिशासी अभियंता प्रत्येक कार्य के संबंध में ठेकेदार को आधार सूचकांक बताएगा। अधिशासी अभियंता वृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति की स्वीकृति करेगा तथा इस प्रकार स्वीकृत राशि अगले रनिंग बिल में सम्मिलित की जाएगी। सोलह परियोजना फाईलों की जांच के दौरान यह नोटिस किया गया कि केन्द्रीय लोक निमार्ण विभाग कार्य नियावली के पैरा 33.10.2 के अनुसार वृद्धि का विवरण रिकार्डों में उपलब्ध नहीं था। आगे, निम्नलिखित मामलों के संबंध में 10/सी के लिए भुगतान की गई राशि की कोई गणना शीट नहीं थी इसलिए भुगतान की न्यायोचितता की नियम के संदर्भ में सत्यापित जांच नहीं की जा सकती थी। विभाग से तथ्यों के सत्यापन के लिए उनके संबंधित रिकार्डों तथा गणना शीट को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था।

सड़क प्रभाग- I

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार को किया गया भुगतान	ठेकेदार को श्रम वृद्धि का भुगतान	श्रम वृद्धि प्रभारों का भुगतान
1	आर-I प्रभाग के अन्तर्गत भूमिगत पैदल पथ का रखरखाव	28.71 लाख	1.97	6.84
2	सैन्ट्रल वर्ज का सुधार	36.57 लाख	0.74	2.02

सड़क प्रभाग- II

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार को किया गया भुगतान	ठेकेदार को श्रम वृद्धि का भुगतान	श्रम वृद्धि प्रभारों का भुगतान
1	पंडारा रोड कालोनी में पार्कों के चारों ओर खुले स्थान तथा पार्कों का सुधार।	47.18 लाख	1.7	3.62

सड़क प्रभाग- III

(₹)

क्र.सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार को किया गया भुगतान	ठेकेदार को श्रम वृद्धि का भुगतान	श्रम वृद्धि प्रभारों का प्रतिशत
1	नेताजी नगर में के.लो.नि.विभाग से लिए गए कालोनी सड़कों, बैक लेनों का सुधार एवं उन्नयन	11.90 करोड़	1.32 करोड़	11.09
2	भूमिगत पैदल पथ का रखरखाव	27.57 लाख	1.43 लाख	5
3	नेताजी नगर, नौरोजी नगर तथा सरोजनी नगर क्षेत्र में विद्यमान फुपाथ का सुधार।	4.54 करोड़	15.52 करोड़	3.42
4	मोती बाग क्षेत्र, नई दिल्ली में के.लो.नि.वि. से लिए गए कालोनी सड़क, बैक लेन का सुधार एवं उन्नयन	8.23 करोड़	14.05 लाख	1.70
5	पूर्वी किदवई नगर में के.लो.नि.वि. से लिए गए कालोनी सड़क, बैक लेन का सुधार एवं उन्नयन	9.34 करोड़	9.76 लाख	1.04

6	लक्ष्मीबाई नगर में के.लो.नि.वि. से लिए गए कालोनी सड़क, बैक लेन का सुधार एवं उन्नयन	7.16 करोड़	6.50 लाख	0.91
7	नेताजी नगर, नई दिल्ली के डी एण्ड एफ ब्लॉक टाईप-2 के क्वाटरों की पिछली लेन सुरक्षा दीवार का निर्माण।	59.47 लाख	1.91 लाख	0.32

यहां श्रम वृद्धि प्रभारों की गणना करते समय कोई समरूप नीति नहीं है।

अनुशंसा

श्रम वृद्धि प्रभारों के भुगतान के लिए मानदण्ड तथा मानकों को विभाग द्वारा तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

2.4.3 निम्नलिखित मामलों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा क्रियाविधि की कमी के कारण ठेकेदारों से ₹1.23 करोड़ का आधिक्य भुगतान, कम वसूली तथा अल्प राजस्व

सड़क प्रभाग-III

(I) सरोजिनी नगर में के.लो.नि.विभाग से लिए गए कालोनी सड़कों बैक लेन का सुधार एवं उन्नयन (करार सं. 22 एवं 23)

सरोजिनी नगर में के.लो.नि.विभाग से लिए गए कालोनी सड़कों बैक लेनों के सुधार तथा उन्नयन के कार्य के प्रारंभिक अनुमान के लिए दिनांक 25.02.2010 के मद सं. 06(ए-148) से परिषद् द्वारा ₹21. 47 करोड़ की राशि का प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की गई।

एन आई टी को 2 भागों (I एंव II) में विभाजित करने के अनुमोदन को प्रस्तावित किया तथा अध्यक्ष महोदय ने दिनांक 30.11.2011 को निम्नलिखित कारणो से अनुमोदित किया गया।

- मोती बाग, नेताजी नगर, नौरोजी नगर, लक्ष्मीबाई नगर, पूर्वी किदवई नगर तथा पश्चिम किदवई नगर की के.लो.नि.विभाग कालोनियों में बड़ी संख्या में आर एम सी कार्यो को किया जा रहा है।
- सभी कार्यो की पूर्णता अवधि 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो चुकी है, आवासीय क्षेत्र होने के कारण अब तक कार्य प्रगति पर है।
- यदि हम उपरोक्त के रूप में कुल राशि की निविदा आमंत्रित करते हैं तो समापन अवधि लगभग 2 से 3 वर्षो की अपेक्षित होगी जैसे कि अन्य मामलों में जिसमें लम्बा समय लगेगा तत्पश्चात् इच्छा व्यक्त की गई कि एन आई टी की निविदा सीमा ₹10.00 करोड़ से अधिक के लिए एन आई टी के इन्हीं नियमों एवं शर्तो के रखरखाव के लिए दो भागों में विभाजित किया जाए जिसमें समस्त सरोजिनी नगर में दो निविदाओं के लिए पृथक निविदा आमंत्रित की जा सकती है।

इसके लिए निविदा आमंत्रित की गई तथा मै0 एटकॉन इंडिया लि0 की न्यूनतम पेशकश को भाग-I तथा भाग-II को स्वीकार किया गया था जिसका निम्नलिखित राशि पर दिनांक 03.05.2012 को अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदन किया गया था।

करार-I में, मै0 एटकॉन इंडिया लि0 की ₹9.74 करोड़ की न्यूनतम पेशकश को स्वीकार किया गया था जोकि सरोजिनी नगर (भाग-I) में के.लो.नि.वि. से लिए गए कालोनी सड़कों, बैक लेनों के सुधार तथा उन्नयन के कार्य के लिए न्यायोचित लागत से 14.13 प्रतिशत कम तथा ₹10.43 करोड़ की अनुमानित लागत से 5.42 प्रतिशत कम था। न्यायोचितता अनुमानित लागत से 10.14 प्रतिशत अधिक निकाली गई।

करार-II में, पुनः मै0 एटकॉन इंडिया लि0 की ₹9.63 करोड़ की न्यूनतम पेशकश, जोकि सरोजिनी नगर (भाग-II) में के.लो.नि.वि. से लिए गए कालोनी सड़कों, बैक लेनों के सुधार तथा उन्नयन के कार्य की न्यायोचित लागत से 14.66 प्रतिशत कम तथा ₹10.30 करोड़ की अनुमानित लागत से 6.01 प्रतिशत कम था। न्यायोचितता अनुमानित लागत से 10.14 प्रतिशत अधिक निकाली गई।

उपरोक्त से देखा गया है कि दोनों परियोजनाओं (भाग-I तथा भाग-II) को केवल एक ठेकेदार अर्थात् मैसर्स एटकॉन इंडिया लि0 को दिनांक 03.05.2012 को सौंपा गया था इस प्रकार उपरोक्त वर्णित कारणों पर दो भागों में एन आई टी को विभाजित करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयोजन विफल हो गया था। विभाजन करने का प्रयोजन केवल थोड़े समय में कार्य को पूर्ण करना था।

यह भी नोटिस किया गया कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार करार सं.-22 तथा 23 के मध्य समान मात्रा के लिए समान विशिष्टताओं पर दरों में बड़ा अन्तर थाः-

मद संख्या	विशिष्टता	मात्रा	करार सं.-22 में अनुमोदित दरें		करार सं.-23 में अनुमोदित दर कुल राशि		दर में अन्तर	अतिरिक्त राशि
			दर(₹)	राशि (₹)	दर(₹)	राशि (₹)		राशि (₹)
5ए	300 मि.मी. व्यास आर. सी. सी. पाइप में ज्वाइंट्स इत्यादि की जांच को छोड़कर सीमेंट मोर्टा का कड़ा मिश्रण 1:2 (1 सीमेंट: 2 फाइन रेत) के अनुपात के साथ कालर्स ज्वाइस्टिड के साथ नान प्रेशर एन पी 2 श्रेणी (लाइट ड्यूटी) आर सी सी पाइप को उपलब्ध कराना तथा बिछाना।	10810.00 एम	700 प्रति मीअर	7567000.00	600 प्रति मीटर	6486000.00	+100 करार सं. 22 में + 100 प्रति मीटर	1081000/-
6ए	इंजीनियर-इन-चीफ के निर्देश तथा अनुदेश के अनुसार पूर्ण	34989एम	450 प्रति मीटर	15745050.00	425 प्रति मीटर	14870325.00	करार सं. -22 में	874725/-

	उपकरणों इत्यादि सहित ज्वाइंटिंग समुचित सामग्री सम्मिलित कर अनुमोदित निर्मित तथा गुणवत्ता के एच डी पी ई पाइप (पी ई-80) के वर्किंग प्रेशर 2.5 कि.ग्रा. /सीएम2 को उपलब्ध कराना तथा बिछाना।						+25 प्रति मीटर	
18(बी)	पूर्णत: स्वचलित बैचिंग प्लांट इत्यादि में रेडी मिक्स कंक्रीट के साथ सीमेंट कंक्रीट पटरी को उपलब्ध कराना तथा बिछाना एम-40 ग्रेड कंक्रीट	6401.50 एम3	4194 क्यूबिक मीटर	26847891.00	4480 क्यूबिक मीटर	28678720.00	करार सं. 23 में + 26 क्यूबिक मीटर	1830829/-
20	हीरे के किनारे को काटने वाले ब्लेड के साथ 3 मि.मी. चौड़े तथा 36 मि.मी. ब्यास की हरी सीमेंट कंक्रीट के पटरी इत्यादि को कंक्रीट काटने की मशीन की सहायता से अपेक्षित गहरी तथा चौड़ी नाली को काटते हुए जोड़ों के द्वारा बनाना, 4 मि.मी. चौड़ी तथा 40 मि.मी. गहरी।	96022.50 एम	30 प्रति मीटर	2880675	25 एम	2400562	अनुबंध सं0 22 में +5 प्रति मीटर	480112/-
							कुल	**42.67 लाख**

उपरोक्त वर्णित तालिका में दर्शाए गए अनुसार एकसी विशिष्टताओं तथा एक सी मात्रा हेतु उसी ठेकेदार मै0 एटकॉन इंडिया लि0 के लिए दरों के घट-बढ़ के कारण विभाग द्वारा ₹42.67 लाख की अतिरिक्त राशि अदा की गई।

(II) श्रम वृद्धि के कारण लेखों में 8 लाख रुपये का अति भुगतान निष्पादन

आडिट के दौरान, यह पाया गया कि विभाग ने ठेकेदार को श्रम वृद्धि प्रभार के लिए ₹15.52 लाख की राशि के विरूद्ध ठेकेदार की 23.51 लाख रु0 का भुगतान किया। इसके कारण विभाग ने ठेकेदार की ₹7.9 लाख का अधिक भुगतान किया।

सड़क प्रभाग-II

(III) न.दि.न.परिषद् को रु70.21 लाख की राजस्व वसूली की हानि

लोधी कालोनी में एक.एस.गेटस को चौड़ा करने तथा कंक्रीट सड़कों द्वारा कालोनी सड़कों के सशक्तिकरण तथा चौड़ा करने का कार्य 3.10 करोड़ रु0 की उद्धृत राशि के साथ मार्च 2012 में मै0 रानोक कंस्ट्र0 की

सौंपा गया था। कार्य को आरंभ करने की निधि तथा सम्पूर्णता की तिथि क्रमशः दिनांक 23.2.2012 तथा 22. 3.2013 थी।

ठेकेदार ने रेडी मिक्स कक्रीट प्लांट की स्थापना हेतु अनुबंध अवधि हेतु भूमि का टुकड़ा लगभग (2000 वर्ग मी.)अर्थात् 1/2 एकड़ के आवंटन का अनुरोध किया तथा किराया आधार पर आरएमसी प्लांट हेतु सराय काले खां पर 1/2 एकड़ भूमि को देने हेतु विभाग सहमत हो गया। किराया अध्यक्ष के अनुमोदन से 66,500/- रु0 प्रति मास प्र निर्धारित किया गया। विभाग ने अजुर्न दास कैम्प पर 1/2 एकड़ भूमि की किराए के आधार पर किराया अनिश्चित किया गया।

रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट के लिए अनुबध में वर्णित शर्त सं0 7 अनुसार निम्न प्रकार है:-

ठेकेदार कार्य को सौंपने के 15 दिन के भीतर अनुमोदित आरएमसी प्लांट के अनुमोदन के साथ मालिक/कंपनी का नाम, उसका सीान, क्षमता, तकनीकी स्थापना, अतीत के अनुभव तथा समझोता ज्ञापन की जा को बताते हुए परगमन मिक्सर, पमप इत्यादि के विवरण सहित ऐसे प्लांटों के विवरण सहित अनुमोदित उत्पादनकर्त्ताओं की सूची में से कम से कम दो आरएमसी प्लांट की सूची प्रस्तुत करें। **ठेकेदार को इस परियोजना को पूरा करने हेतु उपरोक्त वर्णित औपचारिकताओं को पूर्ण करे बिना रेडीमिक्स कंक्रीट के क्रय हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी।'' इसलिए अनुबंध में क्लॉज के दृष्टिकोण न.दि.न.परिषद् ठेकेदार की स्थान उपलब्ध कराने लिए दायित्व नहीं है।''**

रिकार्डो की आडिट जांच से निम्नलिखित प्वाइंटों का अवलोकन किया गया:-

1. तद्नुसार अनुबंधों की शर्तों के अनुसार रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट के लिए स्थान उपलब्ध कराने हेतु विभाग की ओर कोई दायित्व नहीं था किन्तु विभाग ने डेरीमिक्स कंक्रीट प्लांट की स्थापना हेतु नाममात्र मासिक किराये पर 1/2 एकड़ उपलबध करवाई।
2. किराया, क्षेत्र के सर्कल रेट को निश्चित किए बिना ₹66,500/- प्रति मास निर्धारित किया गया। ऐसे ही मामले में जहाँ एमओएच, द्वारा 1/2 एकड़ भूमि भूमि का किराया निकाला गया।न.दि.न.परिषद् ने सराय काले खा पर 1/2 एकड भूमि के सर्कल रेट किराए का मूल्य तथा सर्कल रेट के आधार पर विभाग ने ठेकेदार से 6.51 लाख रु0 प्रति मास निकाला है। इस प्रकार, न्यूनतम दरों पर निकाले गए भूमि के किराया, के परिणामस्वरूप ₹5.85 लाख रु0 प्रति मास अर्थात् 12 मासों हेतु ₹70.20 लाख रु0 राजस्व की हानि हुई।

   विभाग ने उनकी टिप्पणियों हेतु पेशकश हेतु अनुरोध किया। कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं किया गया।

2.4.4 वर्ष 2010-2014 के दौरान निविदा दस्तावेजों की जांच में विलम्ब तथा कार्य सौंपना।

के.लो.नि.वि. कार्य नियमावली 2012, के पैरा 20.3.1 के अनुसार, सर्वोच्च प्राथमिकता निविदा की प्राप्ति पर कार्य सौंपने का निर्णय दिया जाना चाहिए। विलम्ब के अवसरों को कम करने हेतु, कार्य नियमावली के

परिशिष्ट-23 में दिए गए टाइम-टेबल अनुसार विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा निविदाओं को प्रक्रियारत करने हेतु अवलोकन किया जाना चाहिए। परिशिष्ट 23 के अनुसार कार्य को सौंपने तथ जांचने हेतु अधिकतम 45 दिनों की अनुमति है।

आडिट के दौरान यह ज्ञात किया गया कि विभाग वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया तथा कार्य को सौंपने तथा निविदा दस्तावेजों की जांच हेतु अधिक समय लिया गया। 26 परियोजनाओं में यह ज्ञात किया गया कि 80 से 240 दिनों तक का समय 45 दिनों के निर्धारित समय के विरूद्ध है।

2.4.5 वर्ष 2010-14 के दौरान अनुबंधों के निष्पादन में विलम्ब

सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 204(v) के प्रावधानों के अनुसार, अनुबंध के उचित निष्पादन के बिना किसी भी प्रकार का कोई कार्य आरंभ नहीं किया जाना चाहिए।

पुन: कार्य आदेश की शर्तों के अनुसार, सफल निविदादाता को कार्य आदेश के जारी करने की 15 दिन के भीतर (₹50/-) पर गैर न्यायिक स्टांप पेपर) एक अनुबंध निष्पादित करना होगा।

आडिट के दौरान यह ज्ञात किया गया कि 30 मामलों में, विभाग निर्धारित अवधि के भीतर ठेकेदार के साथ अनुबंध में नहीं था।

सभी मामलों में, निर्धारित अवधि के बाद अनुबंध के निष्पादन के लिए विभाग की कार्रवाई तथा कार्य के आरंभ के पश्चात् कार्य न्यायोचित नहीं किया गया। के.लो.नि.वि. नियमावली 2012, के क्लॉज 23.2 के तद्नुसार जैसे ही निविदा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा स्वीकृत की गई अनुबंध के निष्पादन में विलम्ब नहीं होना चाहिए।

अनुशंसाएँ

विभाग को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि के.लो.नि.वि. नियमावली 2012 के क्लॉज 23.02 तथा जीएफआर 2005 के नियम 204(V)के प्रावधानों का पालन किया गया है।

2.4.6 कार्य के निष्पादन में असाधारण देरी।

सड़क प्रभागों के बाधा रजिस्टरों की समीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि अधिशासी अभियंता द्वारा प्रमाणित नहीं की गई। इसके अलावा बाधाएँ कार्यकारी अभियंता द्वारा प्रमाणित नहीं किए गए थे। इससे यह ज्ञात होता है कि कार्य सौंपा गया तथा अनियोजित तरीके से निष्पादित किया गया जो सड़क तथा बैक लेनों के सुधार में असाधारण देरी का कारण बना।

तद्नुसार, 21 परियोजनाओं में तीन महीने से दो वर्षों तक की देरी हुई जिससे के.लो.नि.वि. नियमावली 2012 के क्लॉज 29.7 के वैधानिक प्रावधानों के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन होना प्रतीत होता है।

अनुशंसाएँ

विभाग के.लो.नि.वि. 2012 के क्लॉज 29.7 के निदेर्शों का पालन करें। अधिशासी अभियंता मास में कम से कम एक बार बाधा रजिस्टरों की समीक्षा करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि कार्य में बिना किसी विशिष्ट कारण के देरी नहीं हुई है।

2.4.7 सलाहकार के लिए अग्रिम भुगतान

जीएफआर के 159 प्रावधान के अनुसार जोकि निर्धारित करता हैं कि ''सामान्यत: दी गई सेवाओं के लिए अथवा आपूर्तियों के लिए भुगतान केवल सेवाओं के लिए अथवा आपूर्तियों के लिए भुगतान केवल सेवाओं के दिए जाने अथवा आपूर्ति के किए जाने के पश्चात् ही भुगतान किया जाना चाहिए। यद्यपि, अग्रिम भुगतान देना राज्य अथवा केन्द्र सरकार एजेंसी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए 40 प्रतिशत तक अग्रिम भुगतान किया जाना आवश्यक हो गया है।'' सड़क(III) प्रभाग के रिकार्डों के नमूनों की जांच से यह पता चला है कि उपरोक्त मामलों में अग्रिम भुगतान 50% से 100% तक एजेंसियों को किए गए हैं, जोकि जीएफआर के उपरोक्त उक्त प्रावधान का उल्लंघन है।

निम्नलिखित फर्मे परियोजना लागत के 1 तथा 2% तथा 2% की दर से तीसरी पार्टी गुणवत्ता आश्वासन के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया तथा अग्रिम भुगतान एजेंसियों को दिए गए।

सड़क प्रभाग-III

क्र.सं0	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	परामर्शदाता	उद्धृत राशि (₹ करोड़ में)	अग्रिम भुगतान (₹ लाख में)
1.	मोती बाग क्षेत्र में के.लो.नि.वि. से ली गई कालोनी रोड तथा बैंक लेनों का सुधार तथा उन्नयन।	के.आर. आनन्द	सीआरआरआई	7.94	₹19.53 (100%)
2.	किदवई नगर क्षेत्र में के.लो.नि. वि. से ली गई कालोनी रोड तथा बैंक लेनों का सुधार तथा उन्नयन।	दिनेश चन्द्रा आर. अग्रवाल	इंजीनियरिंग कालेज	11.03	₹19.53 (100%)
3.	लक्ष्मी बाई नगर क्षेत्र में के.लो. नि.वि. से ली गई कालोनी रोड तथा बैंक लेनों का सुधार तथा उन्नयन।	के.आर. आनन्द	तकनीकी विश्व विद्यालय दिल्ली	8.36	₹19.53 (100%)

अनुशंसाएँ

विभाग, तृतीय पार्टी गुणवत्ता आश्वासन हेतु परामर्शदाता को भुगतान देने से पूर्व सभी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करें।

2.5 विद्युत प्रभाग:

रोड लाइट डिविजन

2.5.1 ₹8.18 लाख (आर/एल) के काम-नाकाबंदी के पूर्ण होने में अनुचित देरी

अध्यक्ष न.दि.न.परिषद् ने मई 2009 में, सड़क प्रकाश व्यवस्था के सुधार हेतु तथा दर्शनीय रूप देने के लिए दिल्ली हाट के आसपास एचपीएसयू फिटिंग के साथ नई अष्टकोणीय आकार की जीआई शीट का प्रावधान करना अनुमोदित किया। प्रभाग ने मई 2011 में 15.75 लाख रु0 की उद्धृत राशि पर मै0 ज्ञान इंटरप्राइनियर्स को दिल्ली हाट के आसपास पथ प्रकाश पद्धति को सुधार के कार्य को सौंपा। कार्य दिसम्बर 2011 में पुन: सौपा गया। कार्य सौंपने के द्वितीय पत्र प्रारंभिक पत्र के 7 मास के पश्चात् देने का कारण रिकार्ड में नहीं था। तद्नुसार कार्य की पूर्णता की निर्धारित तिथि 20.2.2012 थी। कार्य में आपूर्ति तथा पोलो को फिक्स करना, एचपीएसवी फिटिंग 150 वाट की फिक्सिंग तथा आपूर्ति (54), सोडियम ट्यूब 150 वाट की आपूर्ति (54), पोल की नीव की तैयारी (48), पथ प्रकाश पोल की वायरिंग इत्यादि सम्मिलित है। फरवरी 2012 में अदा किये गये कार्य के प्रथम चालू खाता बिल के अनुसार ठेकेदार ने केवल 3 मदों के कार्य निष्पादन किये गये अर्थात् (i) पोल के नीव की तैयारी (ii) पोलों की फिक्सिंग तथा आपूर्ति तथा (iii) 10.90 लाख की कार्य लागत की अनुसची में सम्मिलित 19 मदों के विरूद्ध 150 वाट की एचपीएसवी फिटिंग की फिक्सिंग तथा आपूर्ति। ठेकेदार को 75% कार्य निष्पादित होने के कारण ₹8.18 लाख अदा किये गये थे।

विभाग द्वारा सर्विस रोड को खुली खुदाई द्वारा केबल बिछाने तथा मेन रोड पर कम खुदाई वाली पद्धति द्वारा केबल को बिछाने के लिए सड़क काटने के हेतु अनुमति के लिए आवेदन किया था। संबंधित सिविल विभाग को केवल 12.12.2011 को केबल कम खुदाई वाली पद्धति हेतु अनुमति दी गई। कार्य आदेश दिनांक 14.12.2011 को जारी किया गया। यद्यपि प्रभाग ने बाद में दिनांक 12.3.2012 को केबल बिछाने से दिल्ली हाट के आसपास उच्चदाब/निम्नदाब इलैक्ट्रिक सर्विस केबल गैस पाईप लाइन, जल आपूर्ति लाइन इत्यादि को क्षतिग्रस्त कर सकती है। इस प्रकार सड़क को काटने के अनुमति के तथ्य कम खुदाई वाली पद्धति के प्रभावकारिता इत्यादि पर विचार किए बिना कार्य को सौंपना अनुमानों के अनुमोदन के समय विचार किया जाना था, जोकि किया नहीं गया।

कार्य की पूर्णता की तिथि 20.2.2012 निर्धारित की गई थी। ठेकेदार ने पत्र दिनांक 19.3.2012 द्वारा दिनांक 31.3.2012 तक समय का अंनतिम विस्तार दिया तथा पुन: पत्र दिनांक 28.3.2012 द्वारा दिनांक 20.4.2012 तक पुन: विस्तार दिया। ठेकेदार ने मार्च 2012 में अनुबंध के बन्द करने हेतु इस तर्क के साथ आवेदन दिया कि सामान तथा श्रम की दरें मार्किट में बढ़ गई है तथा सम्पूर्णता की निर्धारित तिथि के पश्चात् दिया गया विस्तार के.लो.नि.वि. नियमावली की धारा 29 की शर्तो में वैध नहीं था। तत्पश्चात् ज्ञान

इंटरप्रानियर्स के साथ अनुबंध समाप्त हो गया तथा पथ प्रकाश के शेष कार्य हेतु नवीन नि.आ.अधि. विचाराधीन था।

अतः संबंधित सिविल विभाग के साथ खुली खुदाई वाली अथवा कम खुदाई वाली पद्धति के प्रयोग करते हुए केबल के बिछाने के मामले का हल खोजने में अनुचित विलम्ब के कारण दिल्ली हाट के आसपास पथ प्रकाश के सुधार कार्य का अक्टूबर 2013 तक पूर्ण नहीं किया जा सका। कार्य के पूरा न होने में देरी, दिल्ली हाट के आसपास की पथ प्रकाश पद्धति के सुधार के अति उद्देशीय कार्य को विफल किया। अपितृ परिणामस्वरूप कार्य पर खर्च की गई 8.18 लाख की निधि को भी अवरूद्ध किया।

विभाग ने बताया कि उन्होंने शेष कार्य के विरूद्ध आगामी निविदा प्रक्रिया हेतु प्रस्ताव रखा जोकि प्रक्रियारत है। पुनः उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में ठेकेदार को कार्य सौंपने से पूर्व सड़क को काटने की अनुमति प्राप्त करेंगे।

<u>रखरखाव प्रभाग</u>

भवन रखरखाव-I

2.5.2 मयूर भवन में इलैक्ट्रिक वायरिंग फिटिंग तथा फिक्सचर्स का प्रावधान

प्रभाग ने साइट को सौंपने अथवा कार्य सौंपने के पत्र के जारी करने से 10 वे दिन से 7 मास के भीतर कार्य को पूर्ण करने के निर्धारण के साथ 61.24 लाख की उद्धृत लागत पर मयूर भवन के 7वें तल पर इलैक्ट्रिक वायरिंग फिटिंग तथा फिक्सचर्स के प्रावधान हेतु मै0 कमल इलैक्ट्रिकल के साथ दिनांक 15.4.2010 को एक अनुबंध किया।

तत्पश्चात् बिना किसी कोटेशन को आमंत्रित करते हुए उसी ठेकेदार से 7वे तल की छत को भी नया रूप देने के कारण 8वे तल पर भी इलैक्ट्रिकल वायरिंग फिक्सचर्स के प्रावधान करने का निर्णय लिया गया।
8वे तल के वायरिंग का कार्य, 7वे तल के वायरिंग को नियम एवं शर्तो पर 31.68 लाख रु0 की लागत पर मै0 कमल इलैक्ट्रिकल का कार्य भी सौंपा गया। इस प्रकार यह माना गया कि **सभी मदें जोकि 8वे तल पर अपेक्षित थी वही है जोकि 7वे तल पर कमल इलैक्ट्रिकल को कार्य सौंपने हेतु दी गई। 8वे तल हेतु कार्य की बिना निविदा आमंत्रित किए दिया जाना वैधानिक प्रावधानों के विरूद्ध था।**

दो कार्यों के रिकार्डो की जांच से निम्नलिखित का पता चलता है:-

(क) 14.24 लाख रु0 का अतिरिक्त परिहार्य व्यय

मयूर भवन के 7वे तल पर 2X36 डब्ल्यू एफटीएल रिसेस टाइप फिटिंग की आपूर्ति के प्रावधान सहित वायरिंग तथा फिटिंग का कार्य जोकि फाल्स सीलिंग (कृत्रिम छत) में काउंटेड किया गया था। विद्युत प्रभाग ने सिविल प्रभाग को बताया कि ठेकेदार ने पहले ही कार्य स्थल पर 2X36 डब्ल्यू की फिटिंग दी जिसे कि

2X36 डब्ल्यू फिटिंग आकार की फाल्स सिलिंग (कृत्रिम छत) के फ्रम को फिक्स करते हुए, फिटिंग्स को माउटिंड करते हुए किसी भी प्रकार की समस्या से बचने हेतु विचार किया गया। यद्यपि सिविल विभाग 2X2 सीएफएल के ग्रिड आकार को उपलब्ध कराया जिसके लिए 2X36 डब्ल्यू आकार की फिटिंग्स संभाव्य नहीं थी।

अंतत: न.दि.न.परिषद् के अधिकारियों द्वारा दिनांक 21.2.2011 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 7वे तल पर विद्युत प्रभाग द्वारा 2X2 (2X36) डब्ल्यू (एफटीएल) आकार की फिटिंग उपलब्ध कराई जायेगी तथा 2X36 डब्ल्यू (एफटीएल) की विद्यमान फिटिंग जोकि पहले ही ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर लाई गई थी, को 8वे तल पर उपयोग किया जायेगा।

आडिट की जांच से ज्ञात हुआ है कि 8वे तल का विद्युतीय कार्य फिक्सचर्स करते हुए विद्युत विभाग द्वारा की गई केबल वायरिंग के लिए उपलब्ध कराई गई, जोकि उपयोगकर्त्ता विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई चूंकि कृत्रिम छत 8वे तल पर नहीं थी। यद्यपि विद्युत विभाग तथा सिविल प्रभार के मध्य समन्वय की कमी के कारण 2X36 डब्ल्यू की फिटिंग की ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गई जो 7वे तल के कार्य में उपयोग में नहीं लाई गई तथा ये आठवे तल पर प्रयोग में लाई गई जहाँ कोई फिटिंग उपलब्ध नहीं कराई गई, 7वे तल पर फिटिंग्स ₹14.24 लाख की लागत पर लिया गया, जोकि अतिरिक्त परिहार्य व्यय था।

पुन: यह नोटिस किया गया कि विभाग एफटीएल फिटिंग अथवा सीएफएल फिटिग की आवश्यकताओं हेतु विशेष रूप से वर्णित नहीं किया परिणामत: ठेकेदार ने बाद में एफटीएल फिटिंग उपलब्ध कराई, विभाग ने उक्त को स्वीकार नहीं किया।

प्रभाग ने बताया कि उक्त स्थान के पूर्ण रूप से तैयार करने के पश्चात् दोनों तलों को किराये पर दिया गया तथा ₹14.24 लाख की राशि 2 वर्षों के भीतर वसूल की जायेगी। आडिट ने पाया कि ये बाद में ध्यान में आया कि इस विषय की फाइल में रिकार्ड नहीं किया गया था।

(ख) निष्पादन गारण्टी का कम जमा होना तथा जुर्माने की वसूली ना होना

के.लो.नि.वि. कार्य नियमावली 2007 की धारा 20(1) प्रावधान करती है कि ठेकेदार उद्धृत लागत का 5 प्रतिशत का समान राशि जमा करेगा तथा निष्पादन गारंटी के रूप में कार्य की राशि को स्वीकृत करेगा। यह अवलोकन किया गया कि विभाग ₹61.22 लाख की उद्धृत लागत पर मै0 कमल इलैक्ट्रिकल को मयूर भवन के 7वे तल की विद्युतीयकरण के कार्य को सौंपा गया तथा इस प्रकार 3.10 लाख की निष्पादन बैक गारंटी प्राप्त की। तत्पश्चात् 8वे तल का विद्युतीयकरण के कार्य को भी ₹31.68 लाख की लागत पर उन्ही नियमों एवं शर्तों पर ठेकेदार को सौंपा गया।

यद्यपि ₹1.58 लाख रु0 की निष्पादन गारंटी इस कार्य हेतु प्राप्त की जानी अपेक्षित है, पृथक कार्य होने के कारण पृथक अनुमान तैयार किए गए तथा निविदा की गई, निष्पादन गारंटी के कम प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप प्राप्त नहीं की गई।

प्रभाग ने बताया कि 8वे तल का कार्य 7वे तल के विद्यमान अनुबंध के भीतर अतिरिक्त मात्रा के रूप में किया गया। विद्यमान अनुबंध में निष्पादित अतिरिक्त मात्र की राशि के विरूद्ध निष्पादन गारंटी को जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। विभाग का प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है चूंकि कार्य का मूल्य बढ़ा है जिसके परिणामस्वरूप निष्पादन गारंटी की राशि तद्नुसार बढ़ जायेगी।

उपरोक्त कार्य मूलत: 18.10.2011 को पूर्ण हो गया था परिणामत: बाधाओं के लिए भत्ते बनाने के पश्चात् 79 दिनों की देरी हुई। अत: ठेकेदार पर ₹61.32 लाख पर 10 प्रतिशत की दर से ₹6.12 लाख का जुर्माना अदा करने का उत्तरदायी था जोकि ठेकदार के चालू खाता बिलों से प्रभाग द्वारा रोक कर नहीं रखा गया।

शेष भुगतान से जुर्माने की कटौती करने के लिए अनिवार्य अनुपालन आडिट को प्रस्तुत किया गया।

(ग) पात्रता मानदण्ड/औचित्य की तैयारी के लिए अपनायी गई गलत प्रक्रिया (एम/एन)

योग्य पात्रता प्रक्रिया न्यायोचितता (एम/एन) की तैयारी हेतु अपनाई गई गलत विभिन्न ई.एस.एस. रखरखाव उत्तरी प्रभाग पर ₹49.52 लाख रु0 की लागत पर पुराने बैट्री ट्रिपिंग यूनिट के प्रतिस्थापन के लिए प्रस्ताव जनवरी 2011 में प्रभाग द्वारा प्रारंभ किया गया। अध्यक्ष का प्रशासनिक अनुमोदन जून 2011 में प्रदान किया गया। नि.आ.अधि. प्रारूप मु0 अभि0 द्वारा सितम्बर 2011 में अनुमोदित किया गया था। निविदा दिनांक 17.10.2011 को खोली गई थी तथा दो बोलियाँ मै0 साईराम ट्रेडर्स एंड इंजीनियर्स तथा आरपीजी इक्यूपमैंट द्वारा प्राप्त की गई। यह बोलियां इस तक पर नहीं खोली गई कि ''दोनों फर्में पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करती। पुन: यह बताया गया कि इस प्रकार के कार्य नियमित रूप में बृहद स्तर पर निष्पादित नहीं किए गए। निविदाएँ रद्द कर दी गई तथा संशोधित नि.आ.अधि. जारी की गई। संशोधित निविदा में, जोकि दिनांक 11.1.2012 को खोली गई, उन्हीं दो फर्मों ने निविदा उद्धत की तथा न्यूनतम-I को अनुबंध सौंपा गया।

निम्नलिखित अवलोकन किए गए:-

1. जैसाकि प्रभाग जानता था कि इस प्रकार के कार्य नियमित रूप से निष्पादित नहीं किए गए हैं, पात्रता शर्तें सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जानी चाहिए थी जिससे कि इसमें पुन: निविदा करने की आवश्यकयता न हो। यद्यपि, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पुन: यह सिद्ध किया गया कि द्वितीय आमंत्रण में भी उन्हीं दो फर्मों ने उद्धृत किया। इस प्रकार इस मामले में पुन: निविदा करने की कोई आवश्यकयता नहीं थी। पुन: निविदा द्वारा न.दि.न.परिषद् को ₹95,760/- का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

2. वित्त विभाग के अवलोकनों के अपेक्षाकृत न्यायोचित विवरण भी तैयार नहीं किया गया। जबकि यह तथ्य है कि यह एक विशिष्ट कार्य था, पात्रता शर्तें इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए था कि पुन: निविदा की स्थिति नहीं आनी चाहिए थी। क्या प्रभाग ने पात्रता शर्तें उपलब्ध फर्मों तथा पूर्व के अनुभव को ध्यान में रखते हुए बनाई गई, पुन: निविदा की स्थिति को टाला जा सकता था।

अनुशंसा

विशिष्ट कार्यों के मामले में, प्रभाग भविष्य में पूर्व के अनुभवों के आधार पर उपयोगिता तथा उपलब्धता के सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पात्रता शर्तों को तैयार करें। न्यायोचित विवरण अब आगे तैयार किया जाए।

2.5.3 उच्च दरों पर नवयुग स्कूलों में पुरानी एल्यूमिनियम वायरिंग को बदलने हेतु कार्य सौंपना।

वित्तीय वर्ष 2010-11 में, ईई भवन रखरखाव-II (विद्युत) ने सरोजिनी नगर तथा लक्ष्मीबाई नगर में स्थित नवुयग स्कूल में पुरानी एल्यूमिनियम वायरिंग को बदलने के कार्य को किया। दोनों कार्यों से संबंधित विवरण निम्न प्रकार संक्षेप में है:-

इस तरह के आइटम निष्पादित कर दिए जाने थे जोकि समान प्रकृति के थे।

आडिट जांच से ज्ञात होता है कि दोनों कार्य हेतु नि.आ.अधि. हेतु अनुमोदन 8 दिनों के अंतराल में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया गया। अत: प्रभाग दोनों कार्य हेतु एकल निविदा आमंत्रण अधिसूचना चलायमान की जा सकी। जिससे कि निविदा दस्तावेजों को प्रक्रियारत करने हेतु लिया गया समय तथा व्यय को कम किया जाए तथा और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरों को प्राप्त किया जाए। नवुयग स्कूल सरोजनी नगर में एन आई टी के लिए दिनांक 31.3.2010 को अनुमोदित किया गया था किन्तु वेबसाइट पर दिनांक 19.4.2010 को अपलोडिड किया गया, यद्यपि लक्ष्मीबाई नगर में कार्य हेतु नि.आ.अधि. दिनांक 8.4.2010 को अनुमोदित की गई परन्तु किनी कारणों को दर्ज किए बिना दिनांक 07.05.2010 को अपलोडिड की गई।

नवयुग स्कूल सरोजनी नगर तथा नवयुग स्कूल लक्ष्मीबाई नगर के लिए उद्धृत दरों के मध्य वृहद् भिन्नता थी यद्यपि दोनों कार्यों में न्यूनतम बोलीदाता वही फर्म थी अर्थात् मै0 चौहान एण्ड एसोसिएटस। नवयुग स्कूल लक्ष्मीबाई नगर पर कार्य उच्च दरों पर सौंपा गया। भिन्नता के कारण कुल अतिरिक्त लागत निकाली गई दरों में ₹4.20 लाख थी। जबकि वायरिंग के वार्षिक दर अनुबंध के अन्तर्गत उपलब्ध दरें लक्ष्मीबाई नगर, नवयुग स्कूल पर कार्य हेतु अनुमोदित दरों से कम थी।

विभाग ने बताया कि सौंपी गई दरें निविदा तथा कार्य से कार्य में भिन्न होती है। यहाँ किसी नियम में कोई रोक नहीं है कि एक समान निविदा की एक समान दरें होनी चाहिए। यह सत्य है कि यदि विभाग ने इन दोनों एन० आई० टी० को मिला दिया होता, तब और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त होती।

जलापूर्ति प्रभाग

2.5.4 इसी अवधि के दौरान सौंपे गए दो कार्यों में दी गई विभिन्न दरों की अनुमति पर कार्य सौंपा गया।

डिविजन ने कनाट प्लेस के समीप चेम्सफोर्ड रोड पर 150 मि.मी. व्यास वाटर मेन्स ग्रिड उपलब्ध कराने हेतु एक प्रस्ताव आरंभ किया। प्रस्ताव दिनांक 9.6.2010 में प्रारंभिक अनुमान तथा विस्तृत अनुमान के अनुमोदन की प्रत्याशा में, राष्ट्र मण्डल खेल 2010 से पूर्व शौचालयों के परिचालन हेतु आरंभ किया गया।

दिनांक 25.1.2011 को मोहर बंद निविदाए आमंत्रित की गई। विभाग ने निविदाओं की प्रक्रिया में 6 मास से अधिक का समय लिया, जबकि कार्य अत्यावश्यक प्रकृति का था। दिनांक 18.3.2011 को मात्र एक निविदा प्राप्त हुई निविदाएँ प्रक्रिया पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया गया। निविदाओं के द्वितीय आमंत्रण में दो फर्मों ने भाग लिया। वार्ता की गई जो अनुमानित दरों से 32.02 प्रतिशत अधिक थी तथा इस समय न्यायोचित दरें 29.80 प्रतिशत अधिक है। यद्यपि, वर्ष 2011 में सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय लिया कि प्रचार अवधि अल्प थी, इसलिए निविदा दिनांक 2.9.2011 को रद्द की गई। इस प्रकार द्वितीय निविदा आमंत्रण की पूरी प्रक्रिया बेकार हो गई। तृतीय आमंत्रण से निविदासएँ आमंत्रित की गई, तथा अनुमानित लागत की तुलना में 31.86 प्रतिशत अधिक पर मैसर्स विशेष बिल्डर्स को दिसम्बर 2011 में कार्य सौंपा गया। दिनांक 4.4.2012 को कार्य पूर्ण हो गया इस प्रकार अत्यावश्यक प्रकृति का कार्य जोकि राष्ट्रमण्डल कार्यों से पूर्व पूर्ण होना था। दिसम्बर 2011 को सौपा गया तथा अप्रैल 2012 को पूर्ण हुआ। निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के उदासीन ढंग के कारण कार्य के निष्पादन में दो वर्षों का विलम्ब हुआ।

पुनः आडिट ने नोट किया कि एक समान कार्य, पूर्वी किदवई नगर के ई-ब्लॉक से वाटर बूस्टिंग स्टेशन में 150 मि.मी. व्यास की डीआई पाईप लाईन उपलब्ध कराने तथा बिछाने में फरवरी-मार्च 2011 में अनुमानित लागत से 19.85 प्रतिशत अधिक पर श्री राजेश कुमार, ठेकदार द्वारा कार्य निष्पादित किया गया। श्री राजेश कुमार की दरें भी चालू अनुबंध में अंतिम दरों की तुलना में काफी कम थी।

डिविजन ने सूचित किया कि कार्य जून 2010 में प्रारंभ किया गया तथा जूलाई 2010 में प्रारंभिक अनुमान अनुमोदित किया गया। तदुपरांत योजना विंग द्वारा विस्तुत अनुमान की जांच की गई तथा अक्टूबर 2010 को अनुमोदित की गई। अक्टुबर 2010 में राष्ट्रमण्डल खेल भी हुए तथा जुलाई 2010 से कोई नवीन कार्य हेतु नवीन निष्पादन नहीं किया गया। अक्टूबर 2010 से दिसम्बर 2011 के दौरान के समय की न्यायोचितता के बारे में प्रत्युत्तर मौन है अर्थात् तिथि, जिस पर कार्य सौंपा था। पुनः जुलाई से अक्टूबर 2010 तक योजना प्रभाग द्वारा लिया गया समय अधिक था, जैसेकि ये एक छोटा कार्य था तथा अत्यावश्यक प्रकृति का था। जिसे राष्ट्रमण्डल खेलों से पूर्व पूर्ण किया जाना था, व्याख्या करने योग्य नहीं है। डिविजन ने पुनः सूचित किया कि पृथक स्थान पर पृथक एजेंसी के कार्य का अवलोकन सौंपा गया। दोनों मामलों में कार्य की स्थिति भिन्न थी तथा उद्धृत दरें एक दूसरे से तुलनीय नहीं थी। इस स्थिति में यह सूचित किया गया कि अनुलग्नक में वर्णित कुछ मदें विशेष मद को उपलब्ध कराने तथा बिछाने जैसी थी। इन दो कार्यों में कार्य स्थिति भिन्न थीं, यह वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

अध्याय-3

प्रवर्त्तन विभाग

प्रवर्त्तन विभाग की निष्पादित लेखापरीक्षा

3. प्रस्तावना

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् का प्रवर्तन विभाग (विभाग) अनधिकृत अतिक्रमण, होर्डिंग, बैनर्स, साइकिल रिक्शा, आवारा पशु तथा न.दि.न.परिषद् क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग को हटाने हेतु उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त विभाग पार्किंग स्थलों के लाइसैसियों को आवंटित न.दि.न.परिषद् क्षेत्र मं विभिन्न वाणिज्य इकाइयों से लाइसेंस शुल्क के रूप में राजस्व, पुरानी तहबाजारी, थरेजा सत्यापित तहबाजारी, स्टॉल, कियोस्क, पी.सी.ओ. बूथ, टैक्सी बूथ, इत्यादि से राजस्व अर्जित करती है।

3.1.1 संगठनात्मक चार्ट

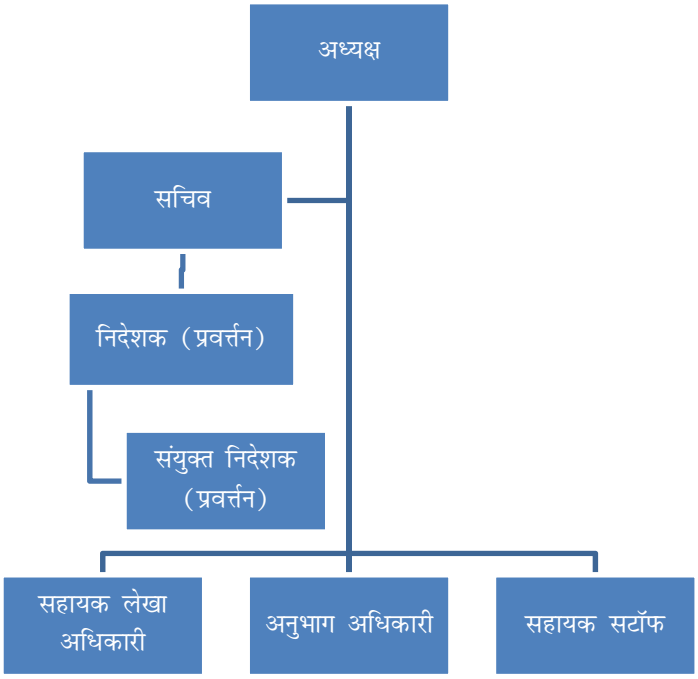

विभाग का कार्य निम्नलिखित दो अनुभागों द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है:-

(i) इंडोर अनुभाग:

इंडोर अनुभाग न.दि.न.परिषद् के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रिकार्डो के रखरखाव जैसे लाइसैंस शुल्क के मासिक भुगतान का संग्रहण तथा मांग का बढ़ना, पार्किंग स्थलों के संबंध में तहबाजारी स्टाल, टैक्सी बूथ तथा पी.सी. ओ. इत्यादि, पार्किंग स्थलों का आवंटन, वैनों तथा क्रेनों की किराए पर लेना, लंगूर इत्यादि के काम पर रखने के लिए उत्तरदायी हैं।

(ii) आउटडोर अनुभाग:

आउटडोर अनुभाग अनधिकृत अतिक्रमण, हॉर्डिंग, बैनर्स, साइकिल रिक्शा, आवारा पशु नगरपालिका भवन पर अनधिकृत पार्किंग वाहन तथा स्कैवटर्स को हटाने पर प्रभार तथा दण्ड लगाना तथा शुल्क का संग्रहण करता है।

3.1.2. विभाग का आय तथा व्यय विवरणिका:-

निम्न पालिका विभाग की पिछले तीन वर्षों की प्राप्तियों की विवरणिका दर्शाती है:

तालिका 3.1 **(₹ लाख में)**

वर्ष	अनुमानित	वास्तविक आंकडे
2011-12	1670	1652.64
2012-13	1402	1453.97
2013-14	1478.92	861.65

निम्न पालिका विभाग की पिछले तीन वर्षों की व्यय प्राप्तियों की विवरणिका दर्शाती है:

तालिका 3.2 **(₹ लाख में)**

वर्ष	अनुमानित	वास्तविक आंकडे
2011-12	130	129.22
2012-13	190.00	186.02
2013-14	140.30	124.75

जैसा कि उपरोक्त से देखा गया कि विभाग की राजस्व प्राप्तियाँ शीघ्रता से (वर्ष 2011-12 में ₹1652.64 लाख से वर्ष 2013-14 में ₹861.65 लाख तक) कमी हुई है। उक्त के लिए विभाग द्वारा कारणों की जांच किया जाना आवश्यक है तथा तद्नुसार उचित कार्रवाई की जाए। राजस्व प्राप्तियों तथा व्ययों का विवरण नीचे दिया गया है:-

विभाग की प्राप्ति प्रोफाइल

(₹ लाख में)

वर्ष	लेखा शीर्ष	प्राप्तियों की श्रेणी	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	घाटा (-) अतिरिक्त (+)
2011-12	1402006	अन्य फीस तथा जुर्माना, प्रोसीक्यूशन फीस	10	5	4.13	(-) 0.87
	1301002	टैक्सी बूथ, पीसीओ बूथ	17	15	10.81	(-)4.19
	1401104	तहबाजारी फीस	80	75	63.94	(-)11.06
	1402005	रिमूवल चार्जिज	90	40	35.34	(-)4.66
	1405016	पार्किंग फीस	1400	1500	1508.25	(+)8.25
	1808007	अन्य प्राप्तियां	15	35	30.17	(-)4.83
		कुल	1612.00	1670	1652.64	(-)17.36
2012-13	1402006	अन्य फीस तथा जुर्माना, प्रोसीक्यूशन फीस	5	6	6.84	(+)0.84
	1301002	टैक्सी बूथ, पीसीओ बूथ	15	9	11.34	(+)2.34
	1401104	तहबाजारी	75	95	117.48	(+)22.48
	1402005	रिमूवल चार्जिस	50	45	44.82	(-)0.18
	1405016	पार्किंग	1600	1212	1248.54	(+)36.54
	1808007	अन्य प्राप्तियां	35	35	24.95	(-)10.05
		कुल	1780	1402	1453.97	(+)51.97
2013-14	1402006	अन्य फीस तथा जुर्माना, प्रोसीक्यूशन फीस	6	6	5.46	(-)0.54
	1301002	टैक्सी बूथ, पीसीओ बूथ	10	11.28	10.04	(-)1.24
	1401104	तहबाजारी	95	95	87.28	(-)7.72
	1402005	रिमूवल चार्जिस	45	50	47.71	(-)2.29
	1405016	पार्किंग	1350	1291.64	701.61	(-)590.03
	1808007	अन्य प्राप्तियां	35	25	9.55	(-)15.45
		कुल	1541	1478.92	861.65	(-) 617.27

विभाग के व्यय का प्रोफाइल

(₹ लाख में)

वर्ष	लेखा शीर्ष	विवरण/	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बचत (-) अतिरिक्त (+)
2011- 12	2304002	ट्रकों/क्रेनों को भाड़ों पर लेना	80.00	79.99	(-)0.01
	2208002	अन्य प्रशासनिक व्यय	50.00	49.23	(-)0.77
	2204002	बीमा प्रभार	-	-	-
		कुल	**130**	**129.22**	**(-)0.78**
2012-13	2304002	ट्रकों/क्रेनो को भाड़ों पर लेना	80.00	79.28	(-)0.72
	2308046	जे.जे. कलस्टर का स्थानातंरण	50.00	48.39	(-)1.61
	2208002	अन्य प्रशासनिक व्यय	60.00	58.35	(-)1.65
	2204002	बीमा प्रभार	-	-	-
		कुल	190.00	186.02	(-)3.98
2013-14	2304002	ट्रकों/क्रेनों को भाड़ों पर लेना	80.00	80.00	-
	2308046	जे.जे. कलस्टर का स्थानातंरण	-	-	-
	2208002	अन्य प्रशासनिक व्यय	60.00	44.58	(-)15.42
	2204002	बीमा प्रभार	0.30	00.17	(-)0.13
		कुल	**140.30**	**124.75**	**(-) 15.25**

3.1.3 आडिट कवरेज

निष्पादन आडिट में 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि से संबंधित विभाग के रिकार्डों की जांच आती है।

3.1.4 आडिट के उद्देश्य

निष्पादन आडिट के उद्देश्यों की जांच की गई थी कि क्या:-

- लाइसैंस शुल्क की मांग, दण्ड, हटाने के प्रभार, तहबाजारी के संबंध में प्रभार, टैक्सी बूथों/स्टैंडस्, पी.सी.ओ. बूथों, अनधिकृत स्कैटर्स, समय-समय पर उठाई गई तथा न.दि.न.परिषद् के नियमों तथा विनियमों तथा नीतियों के अनुसार आती है।
- महत्वपूर्ण रिकार्ड जैसे मांग तथा संग्रहण रजिस्टर, पत्राचार फाइलें, प्राप्त वाऊचरस इत्यादि का उचित रखरखाव किया गया।
- न.दि.न.परिषद् के नियमों तथा विनियमों, दी गई नीतियों के अनुसार अतिक्रमण को हटाना, दण्ड लगाया गया था।
- क्रेनों, रेड वैनों, लंगूरों, मजदूरों को काम में लगाने इत्यादि का व्यय न.दि.न.परिषद् में लागू नियमों तथा विनियमों के अनुसार था तथा ठेकेदारों के साथ किए गए अनुबंध की शर्तों का अनुपालन किया गया।

3.1.5 आडिट मानदण्ड

निष्पादन आडिट के लिए अपनाए गए आडिट मानदण्ड के मुख्य स्रोत थे:

- न.दि.न.परिषद् अधिनियम 1994
- परिषद् प्रस्ताव
- नीतियाँ तथा प्रक्रियाएँ न.दि.न.परिषद् द्वारा अनुमोदित की गई तथा अपनाई गई ।
- समय-समय पर जारी परिपत्र/अनुदेश
- विभिन्न ठेकेदारों/लाइसैंसियों के साथ किए गए अनुबन्ध
- 2005 -जी.एफ.आर. का प्रावधान तथा के.लो.नि.विभाग नियमावली जहाँ लागू हो ।

3.1.6 आडिट पद्धति

निष्पादन आडिट ने निदेशक (प्रवर्तन) के साथ एक प्रवेश बैठक की जिसमें विभाग के कार्य पर निष्पादन आडिट के मानदण्ड तथा क्षेत्र, उद्देश्यों पर विचार-विमर्श किया गया।

आडिट ने आडिट पूछताछ के माध्यम से विभाग की फाइलों/रिकार्डों/मांग तथा संग्रहण रजिस्टरों तथा विभाग द्वारा अपनाई गई विभिन्न नीतियों के कार्यान्वयन को निर्धारित करने हेतु अधिकारियों/कार्यालयों के साथ विचार-विमर्श किया।

एग्ज़िट बैठक दिनाँक 14 अक्टूबर, 2014 को संयुक्त निदेशक (प्रवर्तन) के साथ हुई। विभाग के प्रत्युत्तर, जहां भी प्राप्त किए गए सम्मिलित किए गए।

3.2 आडिट निस्कर्ष

3.2.1 बेहिसाब चालान पुस्तिका (जी-8)

चालान पुस्तिका (जी-8 पुस्तिका) में प्रवर्त्तन विभाग द्वारा किए गए सत्यापित प्राप्तियों के संग्रहण के मौलिक साधन गठित है। इसके द्वारा शुल्क तथा जब्त किए गए सामान/वाहनों इत्यादि के मालिकों द्वारा भण्डारण प्रभार के संबंध में नकद की सभी प्राप्तियाँ की गई । इन पुस्तिकाओं के अनधिकृत रूप से प्रयोग अथवा दुरूपयोग को टालने के क्रम में यह अनिवार्य है कि इन पुस्तकों को प्राधिकृत अधिकारियों की सुरक्षित कस्टडी में रखा गया हैं तथा नियमित अंतरालों पर सत्यापित किया गया है। न.दि.न.परिषद् के पास यद्यपि, वास्तविक राजस्व प्राप्तियों के साथ इन पुस्तिकाओं के लेखा-समाधान तथा जारी करने, कस्टडी, लेखा, प्रत्यक्ष सत्यापन, हेतु कोई दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं किया है।

सरकारी विभागों में इन चालान पुस्तकों के लेखा-समाधान तथा उपयोग, कस्टडी हेतु निम्नलिखित नियम स्थिति हैं।

केन्द्र सरकार खाता (प्राप्तियाँ तथा भुगतान) का नियम 2 प्रावधान करता हैं कि प्राप्ति पुस्तिकाएँ, सरकार की ओर से प्राप्तियों पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी की निजी कस्टडी में ताला चाबी में रखी जानी चाहिए। प्रयोग की गई प्राप्ति पुस्तिकाएँ के काउटंरफोइलस (प्रतिपर्ण) उनकी निजी कस्टडी में रखे जाएगें।

सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 11(1) प्रावधान करता है कि ''उक्त के लिए निर्धारण, संग्रहण, आवंटन, राजस्व तथा अन्य प्राप्तियों में छूट और परित्याग के बारे में विस्तृत नियमों का विनियमन आदि की जिम्मेदारी विभाग की है।

सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 11(2) ''विभागों में कौन से अधिकारी सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने हेतु अपेक्षित हैं तथा जीएआर-6 फार्म में इसकी प्रतियाँ जारी करने हेतु अपेक्षित हैं विभाग विनियम प्राप्ति के उचित लेखों के रखरखाव हेतु तथा प्राप्ति पुस्तिकाओं के जारी करने हेतु प्रावधान होना चाहिए, प्रत्येक अधिकारी को प्राप्ति पुस्तिकाएं जारी करते समय तथा उपयोग की गई पुस्तिकाओं के अधिकारियों के लेखों के साथ जांच की जानी चाहिए, जब वापसी हो।''

सामान्य वित्तीय विनयम 2005 के नियम 16 (1) के जुर्माने: '' प्रत्येक प्राधिकारी के पास जुर्माना लगाने तथा/अथवा वसूलने की शक्ति होनी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि, राशि वसूली गई, पूर्णत: जांची गई तथा खजाने अथवा बैंक में जैसा भी मामला हो जमा की जाए।''

जैसा कि यह पुस्तिकाएँ केवल प्राधिकृत प्राधिकारी की सुरक्षित कस्टडी में रखी जानी अपेक्षित है तथा उपयोग की गई पुस्तकों तथा उपयोग न की गई पुस्तकों का रखरखाव किया जाना चाहिए। चालान पुस्तिकाओं के दुरूपयोग से बचने के लिए, यह प्रत्यक्ष रूप से वर्ष में एक बार कम से कम सत्यापित होना चाहिए।

आडिट, ने यद्यपि अवलोकन किया कि ऐसा किसी लेखे का न तो स्टोर में और न ही हेडक्वाटर (प्रवर्त्तन) में रखरखाव किया गया है। पुनः कोई भी प्रत्यक्ष सत्यापन (2011-12 से 2013-14) की अवधि में नहीं किया गया। चालान राजस्व पुस्तकों का किसी भी प्रकार का दुर्विनियोजन राजस्व के संभाव्य दुर्विनियोजन को बढ़ा सकता हैं, चूंकि एक अति न्यून स्तर का पद्धारी (स्टोरकीपर) जी-8 पुस्तकों की कस्टडी, तथा जारी करने, उपयोग करने हेतु इंडेटिंग हेतु प्राधिकृत किया गया है।

यह चलन में है कि विभाग में स्टोर कीपर सामान्य विभाग को (न.दि.न.परिषद्) इंडेट भेजता हैं। यह पुस्तकें, सामान्य विभाग से प्राप्ति होने पर रखी जाती है तथा स्टोर कीपर द्वारा उपयोग की जाती हैं तथा चालान के विरूद्ध संग्रहित किया गया नकद मुख्य नकद शाखा में जमा किया जाता है। प्रयोग की गई तथा अप्रयुक्त चालान पुस्तकें विभाग के स्टोरकीपर के पास है।

नीचे दी गई तालिका अगस्त 2011 से मार्च 2014 तक की अवधि में विभाग ने सामान्य प्रशासन द्वारा जारी की गई चालान पुस्तिका (जी-8 पुस्तिका) दर्शाती हैं।

तालिका 3.3

	जारी किए गए मास	जी-8 पुस्तक संख्या	पुस्तकों की संख्या	उपयोग की गई जी-8 पुस्तकां का विवरण	अप्रयुक्त जी-8 पुस्तके (खोई हुई)
1	अगस्त 2011	4551-4625	75	4551-4552 (2)	4553-4625 (73)
2	सितम्बर2011	4801-4850	50	4801-4810 (10)	4811-4850 (40)
3	दिसम्बर2011	5051-5100	50	5051-5065 (15)	5066-5100 (35)
4	अप्रैल 2012	5510-5559	50	5510-5530 (21)	5531-5559 (29)
5	मार्च 2014	2501-2547	47	2501-2531 (31)	2532-2547 (16)
कुल			**272**	**79**	**193**

सामान्य प्रशासन द्वारा जारी जैसा कि देखा जा सकता है कि सामान्य प्रशासन द्वारा जारी 272 पुस्तकों में से 79 चालान पुस्तकों को विभाग द्वारा जारी किया गया 193 अप्रयुक्त पुस्तके की स्थिति यद्यपि चालान पुस्तकें के भण्डार खाते के रखरखाव न होने के कारण रिकार्ड में न पाया जाना था।

विभाग ने बताया कि (अक्टूबर 2014) स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि करने के पश्चात् चालान पुस्तिका जारी की गई है। पुनः सूचित किया गया कि संबंधित सहायक को भी निर्देश दिया गया हैं कि चालान पुस्तकों के रिकार्डो तथा उचित लेखों को भी बनाए तथा उच्च प्राधिकारियों को आवधिक विवरण प्रस्तुत करें ।

इसके अलावा, विभाग ने (अगस्त-2015) कहा कि जी-8 बुक्स नं० 4553-4625, 4811-4850 तथा 2532-2547 का एरिया इन्सपैक्टर, गोल मार्किट/स्टोर कीपर द्वारा वेजीटेबल हाट, उद्यान मार्ग/स्टोर्स के लिए उपयोग किया गया तथा तत्पश्चात् समाप्त राशि को परिषद् कोष में उपलब्ध करा दिया गया ।

विभाग ने अभी तक शेष 65 अप्रयुक्त जी-8 बुक्स के खाते में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसका विवरण इस प्रकार से है:-

	जारी करने का मास	आडिट आपत्तियों के अनुसार अप्रयुक्त जी-8 बुक्स	आडिट आपत्तियों के बाद जी-8 बुक्स का विवरण	शेष अप्रयुक्त जी-8 बुक्स का विवरण
1	अगस्त 2011	4553-4625 (73)	4553-4625 (72) सिवाय 4600	4600 (01)
2	सितम्बर2011	4811-4850 (40)	4811-4850 (40)	शून्य
3	दिसम्बर2011	5066-5100 (35)	शून्य	5066-5100 (35)
4	अप्रैल 2012	5531-5559 (29)	शून्य	5531-5559 (29)
5	मार्च 2014	2532-2547 (16)	2532-2547 (16)	शून्य
	कुल	**193**	**128**	**65**

कस्टडी, चालान पुस्तकों के लेखा-समाधान तथा जारी करना सामान्य वित्तीय नियमों में सामंजक्य-पूर्वक होना चाहिए। 193 खोई हुई चालान पुस्तकों का उत्तरदायित्व अवश्य निर्धारित किया जाये ।

3.2.2 पार्किंग स्थल -बकाया देय राशि का संचय

अपने क्षेत्राधिकार में पार्किंग स्थलों का आवंटन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक हैं। विभाग ने 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2013 तक की अवधि हेतु निम्नविवरणानुसार विभिन्न स्थानों पर मासिक लाइसेंस शुल्क पर 4 ठेकेदारों को 5 ग्रुपों में पार्किंग स्थल आवंटित किए है।

तालिका 3.4

	पार्किंग स्थल का नाम	ठेकेदार का नाम	अवधि	वर्ग मी. में क्षेत्र	लाइसैंस शुल्क की दर (प्रतिमास) ₹ लाख में
1	आंतरिक एवं बाहरी सर्किल कनॉट प्लेस -ग्रुप-I	श्री पिन्टू	अप्रैल 2011 से मार्च 2013	19572	34.57
2	कनॉट प्लेस के आसपास ग्रुप- II	मैं० अर्बन सोलूशन		10129	13.62
3	साउथ वेस्ट ग्रुप- III	श्री मोहिन्द्र चौपड़ा		26162	15.17
4	इण्डिया गेट ग्रुप- IV	श्री के.एस. चौहान		22622	19.38
5	बी.के.रोड तथा जनपथ ग्रुप- V	श्री मोहिन्द्र चौपड़ा		17290	38.54

अध्यक्ष, न.दि.न.परिषद् के अनुमोदन से, आवंटियों के लाइसेंस की अवधि (2 जुलाई, 2013) से 31 अगस्त, 2013 तक बढ़ाई गई तथा पुनः (27 अगस्त, 2013) से 31 अक्टूबर, 2013 तक बढ़ा दी गई जैसाकि नइ निविदाओं को अनुबंध अवधि के समाप्त होने के पश्चात् अन्तिम रूप नहीं दिया जा सकता। नई निविदाओं को अन्तिम रूप दिया गया तथा मई 2014 में सौंपा गया, यद्यपि, अध्यक्ष न.दि.न.परिषद् द्वारा नवम्बर, 2013 से अप्रैल 2014 तक अनुबंध के विस्तार के अनुमोदन को बताने हेतु रिकार्ड पर कुछ नहीं था।

आडिट ने अवलोकन किया कि दिनाँक 31 अक्टूबर, 2014 को **अनुलग्नक-XII** में दिए गए अनुसार पार्किंग स्थलों के लाइसेंस शुल्क के संबंध में बाह्य (आउटगोइंग) ठेकेदारों के विरूद्ध कुल ₹9.49 करोड़ की राशि का बकाया था।

इन पाँच पार्किंग स्थलों में से दो की विस्तृत जांच से बकाया शेष की गैर-वूसली/संचयन के निम्नलिखित कारण है:-

(ए) पार्किंग स्थल ग्रुप-II

10129 वर्ग मी.के क्षेत्र के पार्किंग स्थल जो कि कनाट-प्लेस के क्षेत्र में स्थित है का मासिक शुल्क ₹13.62 लाख हैं तथा शेष भाग मैं० अर्बन साल्यूशंस को आवंटित हैं।

लाइसेंसी के साथ किया गया करार का क्लॉज 8 प्रावधान करता हैं कि पार्किंग स्थल का क्षेत्र किसी भी सरकारी प्राधिकारी द्वारा सिविल/खुदाई के कार्य के निष्पादन के कारण प्रभावी है।, संबंधित विभाग की प्राप्ति/रिपोर्ट की स्वीकृति तथा ठेकेदार से नोटिस की प्राप्ति की तिथि से मध्यवर्ती अवधि की समानुपालिक छूट निकाली जाएगी तथा भविष्य की अवधि हेतु ठेकेदार यदानुपात दर पर दी गई लाइसेंस शुल्क के विरूद्ध समंजित किया जाएगा। यद्यपि, रसीद तथा रिपोर्ट की स्वीकृति तक, ठेकेदार आवंटन के समय निर्धारित मूल लाइसेंस शुल्क को निरंतर अदा करेगा। कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् ऐसी ही रिपोर्ट व्यवधानों की वास्तविक अवधि निर्धारित करने हेतु प्रस्तुत की जाएगी। संबंधी विभाग, की रिपोर्ट के आधार पर, निदेशक (प्रवर्त्तन) लाइसेंस शुल्क के पुनः निर्धारण से संबंधित मामलों का निर्णय करेगा।

करार की अवधि, के दौरान कनाट-प्लेस के वृहद् पुर्नरूद्धार कार्य दिल्ली मैंट्रो रेल कॉर्पोरेशन का कार्य कनाट-प्लेस क्षेत्र में चालू हैं। अतः पार्किंग स्थलों को आवंटित क्षेत्र परिवर्तन की शर्त पर था। ठेकेदार द्वारा कटौती की सूचना पर प्रवर्तन विभाग के सिविल विभाग द्वारा समन्वय, कटौती किए गए क्षेत्र को शीघ्रता से पुनः निर्धारित करने तथा उस पर लाइसेंस शुल्क को अन्तिम रूप देने में किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, पार्किंग स्थल के ग्रुप-II तथा ग्रुप-III के ठेकेदार अप्रैल-2011 से मई-2014 तक की अवधि में न.दि.न.परिषद् तथा दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा किए गए मरम्मत, रखरखाव, निर्माण के कार्य हेतु आवश्यक विभिन्न स्थानों पर लगभग प्रभावी क्षेत्र के विषय में प्रवर्तन विभाग को समय-समय पर सूचित किया है। जिसके लिए उन्होंने लाइसेंस शुल्क में यथानुपात छूट हेतु अनुरोध किया हैं।

आडिट ने अवलोकन किया किः

विभाग ने पार्किंग स्थलों के क्षेत्र में वापसी के संबंध में ठेकेदार से सूचना की प्राप्ति पर, करार के प्रचालन के दौरान समय-समय पर न.दि.न.परिषद् से संबंधित अधिशासी अभियंता से पुष्टि की रिपोर्ट मांगी, जोकि निम्न तालिका से प्रदर्शित की गई है:-

तालिका 3.5

	पार्किंग ग्रुप II स्थल/स्थान	वापिस लिया गया क्षेत्र (वर्ग मी. में)	वापसी की अवधि	ठेकेदार द्वारा प्रवर्तन विभाग को सूचना	क्षेत्र की वापसी की पुष्टि हेतु प्रवर्तन विभाग द्वारा सिविल विभाग को सीपी परियोजना की सूचना	क्षेत्र की वापसी की पुष्टि हेतु सिविल विभाग की सीपी परियोजना की प्रवर्तन विभाग को सूचना	फीस की कटौती को अन्तिम रूप देने की तिथि
1	मद्रास होटल के सामने पी-ब्लॉक	1021	5.5.2011 to 22.11.2011	8.4.2011/ 16.5.2011	24.6.2011	16.11.2012	16.04.2014
2	पी.के. रोड तथा चेम्सफोर्ड के मध्य	765	1.4.2011 to 31.8.2012	8.4.2011/ 16.5.2011	24.6.2011	16.11.2012	16.04.2014
3	पी.के. रोड तथा चेम्सफोर्ड के मध्य	806	1.9.2012 to 7.11.2012	8.4.2011/ 16.5.2011	24.6.2011	16.11.2012	16.04.2014
4	सिंधिया हाउस पार्किंग टी.बी.डी. ज्वैलर के सामने	36	1.4.2011 to 14.12.2011	8.4.2011/ 16.5.2011	24.6.2011	16.11.2012	16.04.2014
5	सिंधिया हाउस पार्किंग टी.बी.डी. ज्वैलर के सामने	50	15.12.2011 to 21.1.12	8.4.2011/ 16.5.2011	24.6.2011	16.11.2012	16.04.2014
6	सिंधिया हाउस पार्किंग टी.बी.डी. ज्वैलर के सामने	180	31.1.2012 to 7.11.2012	8.4.2011/ 16.5.2011	24.6.2011	16.11.2012	16.04.2014
7	पालिका प्लेस आर.के. आश्रम मार्ग	814.68	1.4.2011 to 10.4.2011	8.4.2011/ 16.5.2011	24.6.2011	12.12.2012	16.04.2014
8	पालिका प्लेस आर.के. आश्रम मार्ग	874.68	11.4.2011 to 9.8.2011	8.4.2011/ 16.5.2011	24.6.2011	12.12.2012	16.04.2014
9	पालिका प्लेस आर.के. आश्रम मार्ग	1560	10.8.2011 to 1.1.2012	8.4.2011/ 16.5.2011	24.6.2011	12.12.2012	16.04.2014
10	पालिका प्लेस आर.के. आश्रम मार्ग	1785	2.1.2012 to 30.6.2012	8.4.2011/ 16.5.2011	24.6.2011	12.12.2012	16.04.2014
11	पालिका प्लेस आर.के. आश्रम मार्ग	1204	1.7.2012 onwards	8.4.2011/ 16.5.2011	24.6.2011	12.12.2012	16.04.2014
12	शंकर मार्किट	293	1.4.2011 to 25.5.2014	8.4.2011/ 16.5.2011	24.6.2011	12.12.2012	16.04.2014
13	सिंधिया हाऊस फेडरल मोटर्स के सामने	75	4.12.2012 से 28.8.2013	लागू नहीं	03.07.2013	13.2.2014	16.04.2014
14	केएफसी रेस्टोरंट के सामने	240	22/3/2013 से 15.5.2013	लागू नहीं	03.07.2013	13.2.2014	16.04.2014
15	रिवोली सिनेमा के पीछे	200	4.1.2014 to 15.04.2014	लागू नहीं	03.07.2013	13.2.2014	16.04.2014
16	सिंधिया हाउस पार्किंग क्षेत्र	1000	28.8.2013 से 15.12.2013	लागू नहीं	03.07.2013	13.2.2014	16.04.2014
17	सिंधिया हाउस पार्किंग क्षेत्र	180	22.3.2013 से 28.8.2013	लागू नहीं	03.07.2013	13.2.2014	16.04.2014

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि:-

(i) अनुबन्ध की अवधि के दौरान पार्किंग स्थल ग्रुप-।। के मामले में विभिन्न स्थानों पर कुल 17 कार्य मरम्मत/रखरखाव/निर्माण गतिविधियों के अन्तर्गत एक मास से 23 मास की अवधि के दौरान शेष रखी गई है। तथापि, संबंधित अधिशासी अभियंता (ई.ई. सीपी परियोजना) से पुष्टि रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं की गई थी। कार्य के पूर्ण होने के बाद रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण में 2 मास से 12 मास की रेंज का विलम्ब है।

इस बीच, विभाग ने 1, जुलाई 2011, 2, मई 2012 तथा 7, जून 2013 से ठेकेदार को लाइसेंस शुल्क के लिए शेष बकायों की जमा करने के लिए नोटिस जारी किया था। **किन्तु, ई.ई. (सीपी परियोजना) से पुष्टि रिपोर्ट की प्राप्ति में विलम्ब के कारण तथा मरम्मत/रखरखाव/निर्माण कार्य की लंबी अवधि के लिए विभाग ठेकेदार को समय-समय पर प्रभावित क्षेत्र के कारण छूट देने के बाद ₹1.24 करोड़ की बकाया राशि को जमा करने के लिए दिनांक 16 अप्रैल, 2014 को अन्तिम नोटिस जारी कर सकता है ।**

क्या ई.ई. (सीपी परियोजना) ने समय पर रिपोर्ट तैयार की थी, विभाग प्रारंभिक चरण में ठेकेदार को बकाये की सही राशि सूचित कर सकता है तथा करार के प्रावधान के अन्तर्गत ठेकेदार की विरूद्ध उचित कार्रवाई की गई।

आगे, प्रवर्तन विभाग ने अप्रैल 2014 के बाद ठेकेदार से शेष राशि वसूलने के लिए कोई प्रयास नहीं किए हैं।

(ii) करार के क्लाज 6-(ई) तथा क्लाज 6-डी उपबधिंत करते हैं कि ठेकेदार प्रत्येक मास की 7 तारीख तक अग्रीम रूप में लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा, **यदि ठेकेदार द्वारा दो मासों की अवधि हेतु भुगतान नहीं किया गया तो करार स्वतः रद्द हो जाएगा तथा प्रतिभूति जमा जब्त हो जाएगी।**

तथापि, यहां रिकार्ड पर कुछ नहीं था चूंकि विभाग ने इस क्लाज को क्या लागू नहीं किया यद्यपि ठेकेदार सितम्बर, 2011 से ₹11.03 लाख उद्धृत मासिक शुल्क का भुगतान करने के अवियमित रहा था (प्रभावित क्षेत्र के लिए छूट क कारण कम की गई राशि)

(बी) पार्किंग स्थल ग्रुप- III

26162 वर्ग मीटर क्षेत्र का यह स्थल सरोजिनी नगर, मालचा मार्ग, नीति मार्ग आदि के आसपास स्थित है तथा श्री मोहिन्दर कुमार चोपड़ा को ₹15.17 लाख प्रतिमास के लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर अवंटित किया है।

विभाग ने पार्किंग स्थल से क्षेत्र की वापसी के संबंध में ठेकेदार से सूचना मिलने पर करार के संचालन के दौरान समय-समय पर न.दि.न.परिषद् के संबंधित अधिशासी अभियंता से रिपोर्ट की पुष्टि की गई जोकि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया है:-

तालिका **3.6**

	पार्किंग ग्रुप-III स्थल/स्थान	वापस लिया गया क्षेत्र (वर्ग मी. में)	वापसी की अवधि	ठेकेदार द्वारा प्रवर्तन विभाग को सूचना	वापस किए गए क्षेत्र की पुष्टि हेतु सिविल विभाग सड़क प्रभाग से प्रवर्तन विभाग द्वारा दी गई सूचना।	प्रवर्तन विभाग की सिविल विभाग सड़क प्रभाग द्वारा प्रदान किए गए वापसी क्षेत्र की पुष्टि	शुल्क की कटौती को अन्तिम रूप देने की तिथि
1	मालचा मार्ग	1046	21.3.2012 से 31.1.2013	07.05.2012	26.07.2012	28.03.2013	14.11.2014
2	नीति मार्ग	3457	5.1.2013 से 04.04.2013	11.02.2013	25.03.2013	10.05.2013	14.11.2014
3	नीति मार्ग	275	05.04.2013 से 18.05.2014	11.02.2013	25.03.2013	10.05.2013	14.11.2014
4	दिल्ली हाट	2247	18.12.2012 से 18.5.2014	20.12.2012	---	14.12.2012 (दि.मे.रे.निगम)	14.11.2014
5	दिल्ली हाट	577	29.6.2012 से 10.10.2012	20.12.2012	---	14.12.2012 (दि.मे.रे.निगम)	14.11.2014
6	दिल्ली हाट	412	11.10.2012 से 17.12.2012	20.12.2012	---	14.12.2012 (दि.मे.रे.निगम)	14.11.2014

अनुबंध की अवधि के दौरान, मालचा मार्ग, सरोजिनी नगर, नीति मार्ग तथा दिल्ली हाट क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर कुल 6 कार्य 3 मास से 23 मास की अवधि हेतु मरम्मत/रखरखाव/निर्माण कार्यकलापों के लिए बच गई है जैसाकि **अनुलग्नक-XIII** में वर्णित है।

इस तथ्य के बावजूद कि अधिशासी अभियंता (सड़क-4) ने समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत की, विभाग, ठेकेदार से पर्याप्त अवधि (नवम्बर-2014) हेतु शेष बकाये की वसूली को अंतिम रूप देने में असफल रहे। परिणामस्वरूप शेष बकाया राशि ₹1.26 करोड़ का संग्रहण हो गया है। विभाग ने भी बकाये की वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किए हैं वैसे भी उचित अंतराल पर नोटिस जारी नहीं किए गए थे। विभाग ने केवल तीन नोटिस 1 जुलाई, 2011, 2 दिसम्बर 2013 तथा 14 नवम्बर 2014 को जारी किए थे।

यह नोट करने के लिए रोचक था कि यद्यपि ठेकेदार ने अप्रैल 2013 के बाद भुगतान करना बन्द कर दिया था, क्लाज 6(ई) तथा 6(डी) लागू नहीं किए गए थे।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2014) कि ग्रुप 1 से 5 के पार्किंग स्थल के संबंध में वास्तविक लाइसेंस शुल्क निर्धारण में विलम्ब विभिन्न प्राधिकरणों जैसे इंजीनियरिंग (सिविल) इंजीनियरिंग (विद्युत), डीएमआरसी

इत्यादि से रिपोर्ट की देरी प्राप्ति के कारण हुआ था। आगे भी यह कहा गया कि चिंतित फाईले अभी विचाराधीन हैं जब यह वापिस प्राप्त होती है विस्तृत प्रत्युत्तर तैयार किया जाऐगा ।

आगे, विभाग ने (अगस्त 2015) कहा कि विभाग ने सभी दोषियों को वसूली नोटिस जारी कर दिया है तथा शेष बकाया ₹37.32 लाख जमा ब्याज ₹5.06 लाख की वसूली जीआर-1 (श्री पिंटू) के संबंध में प्रतिभूति राशि से वसूली प्रक्रियाधीन है ।

प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है जैसाकि दोषियों के विरूद्ध शेष बकाया अभी तक लम्बित है।

समन्वय, मॉनिटरिंग तथा बकायों की वसूली हेतु मूलभूत पद्धति को स्पाट निर्धारित उत्तरदायित्व के साथ प्हले से ही निश्चित किया जाना चाहिए, इस प्रकार समय पर बकायों की वसूली होती है तथा बकायों के संग्रहण से बचा जाता है।

3.2.3 अन्य लाइसेंसी

पार्किंग स्थलों के अतिरिक्त, न.दि.न.परिषद् ने लाइसेंस आधार पर विक्रेताओं को विभिन्न प्रकार के बूथों/थड़ों/स्टेण्डों को आवंटित किया है। 31, मार्च 2014 को विभिन्न प्रकार के 1127 बूथों/थड़ों/टैक्सी स्टैण्डों को लाइसेंसियों को आवंटित किया है जैसाकि नीचे तालिका में इंगित है।

(i) आडिट ने पाया कि 31, मार्च 2014 को ऐसे 755 लाइसेंसियों के विरूद्ध ₹1.14 करोड़ राशि का लाइसेंस शुल्क बकाया था जैसाकि नीचे तालिका में दिया गया है:-

तलिका 3.7

लाइसेंस का विवरण	लाइसेंसों की संख्या न. दि.न.परिषद् की वेबसाइट के अनुसार	प्रति मास वसूलने योग्य लाइसेंस शुल्क	दोषी लाइसेंसियों की संख्या	दिनांक 31.03.2014 के बकाया राशि (₹लाख में)
थरेजा सत्यापित तहबाजारी	721	₹22 और ₹33 प्रति वर्ग फुट	508	51.11
प्रैम प्लेटफार्म थड़ा	58	₹528	55	24.31
पुरानी तहबाजारी	165	₹22 और ₹33 प्रति वर्ग फुट	114	15.18
टैक्सी स्टॉलस	10	₹1000	7	7.56
साईकिल रिपेयर थड़ा	27	₹22 और ₹33 प्रति वर्ग फुट	19	7.36
मोची थड़ा	44	₹22 और ₹33 प्रति वर्ग फुट	14	1.72
टैक्सी बूथस	82	₹250- ₹1000	34	6.38
पीसीओ बूथस	20	₹22 और ₹33 प्रति वर्ग फुट	4	0.23
कुल	**1127**		**755**	**113.85 ₹1.14 करोड़**

स्रोत: वर्ष 2013-14 के लिए बूथों/थड़ों/स्टैण्डों का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर।

(ii) बकाया दारों के कुल 755 मामलों में से 110 मामलों का एक नमूना बकायों की वसूली न होने के कारणों का पता लगाने के लिए तैयार किया गया तथा ऑडिट में जांच की गई। यह पाया गया था कि दोषियों

को नोटिस त्रुटि की बकाया राशि अथवा अवधि के आधार पर जारी नहीं किए गए किन्तु विशुद्ध रूप से विवेकाधीन आधार पर किया गया था।

(iii) संबंधित सहायक को संयुक्त निदेशक के हस्ताक्षर से दोषी लाइसेंसी को नोटिस जारी करने के लिए प्रस्ताव को आरंभ करने की आवश्यकता है। नोटिस देने के बाद भी यदि लाइसेंसी बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है तो अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से रद्द करने के आदेश जारी किए जाते हैं लाइसेंसी को आदेश दिया जाता है तथ्य क्षेत्र निरीक्षक को थड़े का कब्जा लेने के लिए एक प्रतिलिपि दी जाती है इसके बाद, इन थड़ों को किसी भी पार्टी को आवंटित नहीं किया जाता है। आडिट द्वारा जांचे गए 110 मामलों में 31, मार्च 2014 तक ₹32.50 लाख की राशि का बकाया सम्मिलित है जैसाकि **अनुलग्नक-XIV** में दर्शाया गया है, संयुक्त निदेशक ने केवल 59 नोटिस 45 दाषियों को जारी किए तथा इनमें से केवल 13 लाइसेंस रद्द किए गए जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

तालिका 3.8
दिनांक 31, मार्च 2014 तक कुल दोषी- 755
जांच किए गए मामले- 110

जांचे गए दोषियों के मामलों की संख्या	दिनांक 31, मार्च 2014 को बकाया राशि की रेंज	जांचे गए दोषियों के मामलों की संख्या	अवधि जिस के दौरान नोटिस जारी किए गए थे।	टिप्पणी
53	₹3878 से ₹75241	शून्य	कोई नोटिस जारी नहीं किया गया	
38	₹10296 से ₹95800	7 38	अप्रैल 2012 से मार्च 2013 अप्रैल 2014 से नवम्बर 2014	यद्यपि सभी 31 पार्टियाँ अप्रैल 2013 से दोषी थीं
13	₹5544 से ₹95800	13 पार्टियों को 21 नोटिस	अप्रैल 2012 से मार्च 2013	
13	₹33758 से ₹113620	रद्द करने के आदेश	2012-13 (1) 2013-14 (5) 2014-15 (7)	
कुल 110 नोटिस		**59 नोटिस तथा 13 रद्द करने के आदेश**		

(iv) उपरोक्त से देखा जा सकता है कि विभाग नोटिस/रद्द करने के आदेशों द्वारा वसूली करने में नियमित नहीं था। अप्रैल 2011 से नवम्बर 2014 के दौरान 53 दोषियों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था यद्यपि, मार्च 2014 को उनके विरूद्ध वास्तविक राशि (₹12.75 लाख) बकाया थी। 59 नोटिसों में से 44 दोषियों को नोटिस जारी किए गए थे, 1, अप्रैल 2014 के बाद 31 नोटिस जारी किए गए थे जबकि उनके विरूद्ध वास्तविक राशि (₹9.07 लाख) बकाया थी।

(v) आगे, फाइलों की जांच से पता चला कि यहां दोषियों के लाइसेंसी को रद्द करने की आत्मीयता थी चूंकि 13 थड़ों को रद्द किया गया जहां बकाया राशि के रेंज ₹33758 से ₹113620 थी, जबकि विभाग ने 21 मामलों में रद्द करने के लिए कार्रवाई आरंभ नहीं की थी जहां बकाया राशि अधिक (₹33848 से ₹95800) थी।

(vi) ऐसे मामलों में जहां लाइसेंस शुल्क के भुगतान न होने के कारण लाइसेंसों को रद्द कर दिया था विभाग ने लाइसेंसों को रद्द करने के बाद भी बकाया राशि की वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।

(vii) आडिट ने भी पाया कि टैक्सी स्टैंडों के मामले को छोड़कर, यहां आवंटन पत्रों में लाइसेंस शुल्क के भुगतान में विलम्ब पर ब्याज वसूलने के लिए कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है **जबकि बकायों के विलम्ब से भुगतान/भुगतान न करने की प्रवृति पर रोक लगाने के लिए अनिवार्य धारा है।**

विभाग ने (अक्टूबर, 2014) कहा कि अब मामलों की समीक्षा की जा रही है तथा दोषी पार्टियों को मांग नोटिस जारी किए जा रहे है तथा दोषियों के लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं तथा वास्तविक राशि पहले ही वसूली जा चुकी है। यह भी कहा गया है कि अब विभाग देय बकायों के संग्रहण को कम करने के लिए निगरानी प्रणाली को सरल बनाया जा रहा है तथा विभाग द्वारा कदम उठाये जा रहे हैं एवं इसके परिणाम आडिट को नोट कराये जाएगें।

पुनः विभाग ने बताया कि (अगस्त 2015) दोषियों को समय-समय पर वसूली नोटिस जारी किए गए तथा कुछ शेष बकाया वसूल किए गए ।

विभाग ने (जुलाई 2014 से मार्च 2015) ₹7.74 लाख की राशि वसूल की हैं । यद्यपि, दोषियों के विरूद्ध ₹1.14 करोड़ के बकाया अब तक शेष है।

विभाग को बकायों की वसूली के लिए निगरानी तंत्र के विकास के लिए प्रयास करना चाहिए ।

विभाग को इसकी निगरानी तथा वसूली कार्यविधि को सरल बनाये जाने की आवश्यकता है इस प्रकार समय पर बकायों की वसूली होती है। देय बकायों का रजिस्टर, जारी किए गए नोटिस तथा रद्द करने के आदेश इत्यादि का इलैक्ट्रानिकली रखरखाव किया जाना चाहिए जोकि देय बकायों की प्रभावकारी निगरानी के लिए विभिन्न एमआईएस रिपोर्टों का उत्पन्न करने में विभाग की भी सहायता करेगा। बकाया राशि पर ब्याज की वसूली के प्रावधान को आवंटन पत्रों के नियम एवं शर्तों में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है।

3.2.4.मांग एवं संग्रहण रजिस्टर

मांग एवं संग्रहण रजिस्टर (डी एण्ड सी रजिस्टर) जिसमें लाइसेंस धारी का नाम तथा पता, मासिक लाइसेंस शुल्क, बकाया राशि, पार्किंग स्थल का क्षेत्र तथा स्थान, थड़ों, टैक्सी स्टैण्डों इत्यादि होते है, आवंटियों से बकायें की वसूली तथा निगरानी के लिए महत्वूपर्ण रिकार्ड है। इन रजिस्टरों में त्रुटि, हेर फेर तथा विवेक की कोई गुंजाइश विभाग के निष्पक्ष तथा पारदर्शी कार्यकलापों को उलट देता है। फील्ड कार्मिक द्वारा मांग एवं संग्रहण रजिस्टर के उचित रखरखाव के बिना निगरानी असंभव है।

विभाग वित्तीय वर्ष में 9 श्रेणियों जैसे पार्किंग, थरेजा सत्यापित, ओल्ड तहबाजारी, पी.पी. थड़ा, मोची थड़ा, टैक्सी स्टालों, टैक्सी बूथों, पीसीओ बूथों, सीआरटी के 1132 लाइसेंसों के लिए 9 मांग एवं संग्रहण रजिस्टरों का रखरखाव कर रही है।

चूंकि ये रजिस्टर मूल रिकार्ड है, इनका पूर्णत: रखरखाव तथा निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है। हां इन रिकार्डों में त्रुटि, हेर फेर तथा विवेक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए जिससे विभाग के निष्पक्ष तथा पारदर्शी कार्यकलापों को नहीं उलटेगा।

विभाग द्वारा रखरखाव किए जा रहे मांग एवं संग्रह रजिस्टर की स्कैन प्रतिलिपि नीचे दी गई है।

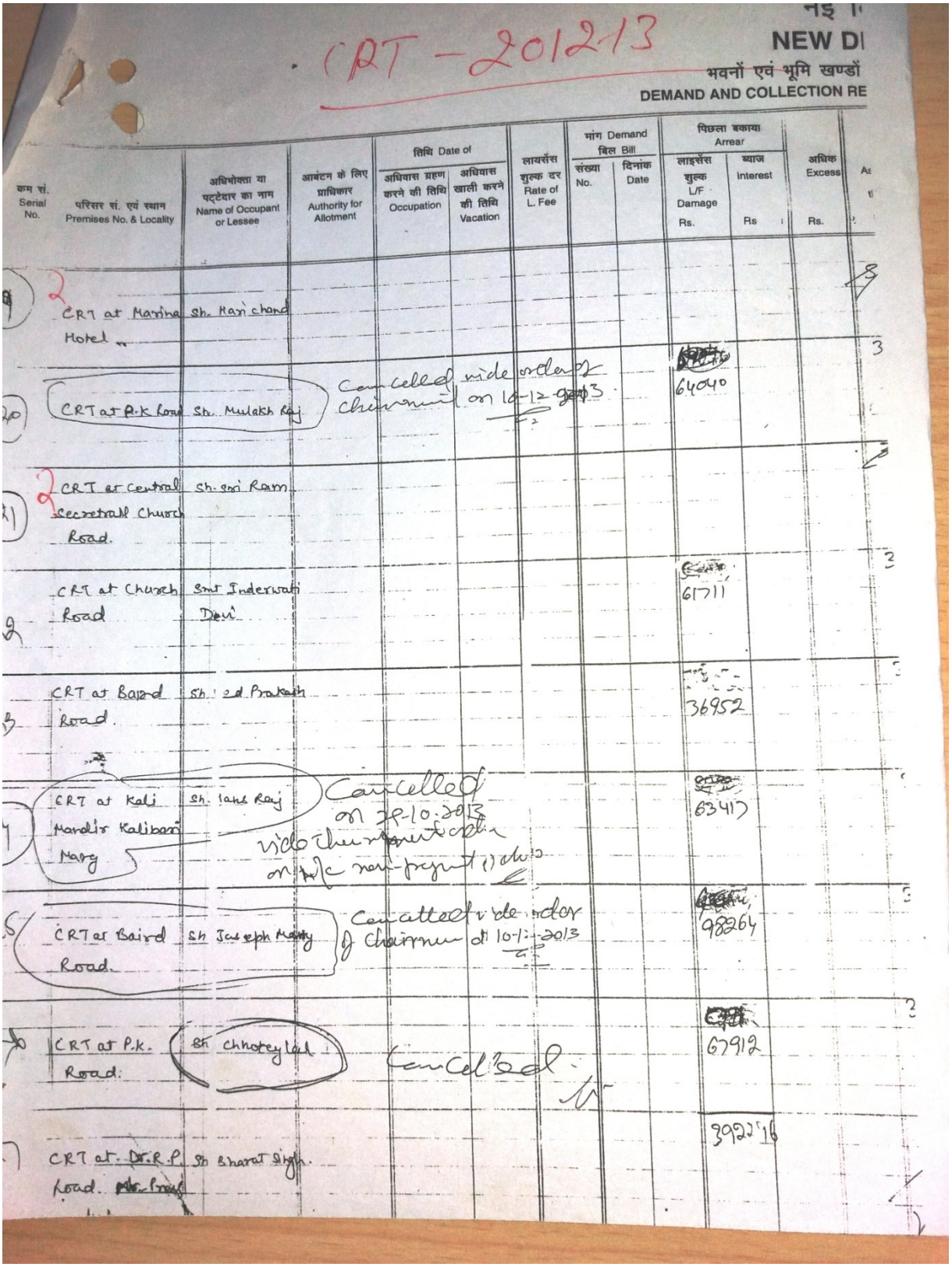

CRT – 2012-13

नई
NEW D
भवनों एवं भूमि खण्डों
DEMAND AND COLLECTION RE

क्रम सं. Serial No.	परिसर सं. एवं स्थान Premises No. & Locality	अधिभोक्ता या पट्टेदार का नाम Name of Occupant or Lessee	आबंटन के लिए प्राधिकार Authority for Allotment	तिथि Date of: अधिवास ग्रहण करने की तिथि Occupation	तिथि Date of: अधिवास खाली करने की तिथि Vacation	लायसेंस शुल्क दर Rate of L. Fee	मांग Demand बिल Bill: संख्या No.	मांग Demand बिल Bill: दिनांक Date	पिछला बकाया Arrear: लाइसेंस शुल्क L/F Damage Rs.	पिछला बकाया Arrear: ब्याज Interest Rs	अधिक Excess Rs.
9	CRT at Marina Hotel	Sh. Hari chand									
10	CRT at P.K. Road	Sh. Mulakh Raj	Cancelled vide order of Chairman on 10-12-2013						64040		
11	CRT at Central Secretrait Church Road.	Sh. Sri Ram									
12	CRT at Church Road	Smt Inderwati Devi							61711		
13	CRT at Baird Road.	Sh. Ved Prakash							36952		
14	CRT at Kali Mandir Kalibari Marg	Sh. Hans Raj	Cancelled on 29-10-2013 vide Chairman order on a/c non-payment [illegible]						63417		
15	CRT at Baird Road.	Sh Joseph Manty	Cancelled vide order of Chairman dt 10-12-2013						98264		
16	CRT at P.K. Road:	Sh Chhotey Lal	Cancelled.						67912		
									392296		
17	CRT at Dr. R.P. Road.	Sh Bharat Singh.									

आडिट द्वारा मांग एवं संग्रह रजिस्टर की जांच से पता चला कि सहायकों द्वारा की गई प्रविष्टियों के आंतरिक नियंत्रण क्रियाविधि में गंभीर त्रुटियाँ हैं जिसका संबंधित अनुभाग अधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया था। अधिलेखन और ओवर राइटिंग को बगैर किसी हस्ताक्षर के किया गया है। परिणामस्वरूप निम्नलिखित अनियमित्ताएं हुई:

(क) मास के अन्त तक बकाया अंत शेष को अगले मासों में गलत आगे बढ़ाया गया था। कुल ऐसे 34 मामलों में अगले मास में अवशेष के लिए किन्हीं कारणों से रिकार्डिंग के बिना पश्चात्तवर्ती मासों में ₹2.08 लाख की राशि कम आगे बढ़ाई गई जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

तालिका 3.9

	थड़े का प्रकार	मांग एवं संग्रहण रजिस्टर की क्रम संख्या	आवंटी का नाम	मास एवं वर्ष	मास का अंत शेष	अगले में लिया गया अवशेष	अंतर (₹)
1	थरेजा सत्यापित	409	दाता सिंह	दिसम्बर- 13	3696	3168	528
2	थरेजा सत्यापित	411	इंदरजीत सिंह	दिसम्बर- 13	4224	0	4224
3	थरेजा सत्यापित	413	जमुना	दिसम्बर- 13	8812	2476	6336
4	थरेजा सत्यापित	415	राम अवतार	दिसम्बर- 13	37092	34056	3036
5	थरेजा सत्यापित	416	जितेन्द्र शर्मा	दिसम्बर- 13	1056	792	264
6	थरेजा सत्यापित	417	वी.पी. सिंह	दिसम्बर- 13	2376	264	2112
7	थरेजा सत्यापित	418	पूरन	दिसम्बर- 13	33408	31296	2112
8	थरेजा सत्यापित	421	स्वामी दास	दिसम्बर- 13	36488	32264	4224
9	थरेजा सत्यापित	422	छागो राम	दिसम्बर- 13	792	396	396
10	थरेजा सत्यापित	424	नारायण	दिसम्बर- 13	1584	528	1056
11	थरेजा सत्यापित	425	राम फल	दिसम्बर- 13	36494	32270	4224
12	थरेजा सत्यापित	287	लक्ष्मी नारायण	सितम्बर- 13	45304	43304	2000
13	थरेजा सत्यापित	11	सुरेश कुमार	मई- 13	2376	396	1980
14	थरेजा सत्यापित	233	शांति देवी	नवम्बर- 13	23760	2376	21384
15	थरेजा सत्यापित	134	उशा	मई- 13	5412	-5412	10824
16	थरेजा सत्यापित	157	योगेश कुमार	फरवरी- 14	1584	-1584	3168
17	थरेजा सत्यापित	548	बनवारी लाल	फरवरी- 14	18612	8612	10000
18	थरेजा सत्यापित	567	राज कुमार	अगस्त- 13	54444	5444	49000
19	मोची थड़ा	22	राम प्रसाद	जुलाई- 13	42850	42630	220
20	मोची थड़ा	27	राम चन्द्र	जुलाई- 13	1807	1510	297
21	पी पी थड़ा	9	जगमोहन	अगस्त- 13	58286	57758	528
22	पी पी थड़ा	7	फूल वती	नवम्बर- 13	51108	51058	50
23	पी पी थड़ा	7	फूल वती	दिसम्बर- 13	51586	51186	400
24	पी पी थड़ा	21	बंसी सिंह	जून- 13	16940	16440	500
25	ओल्ड तहबाजारी (एन)	76	शेलेन्द्र	जनवरी- 14	35621	3562	32059
26	ओल्ड तहबाजारी (एन)	105	सत्यपाल	सितम्बर- 13	14188	-14188	28376

27	ओल्ड तहबाजारी (एस)	1	सुभरती	जुलाई- 13	10560	1056	9504
28	ओल्ड तहबाजारी (एन)	5	नारायण	दिसम्बर- 13	10184	8996	1188
29	ओल्ड तहबाजारी (एन)	10	माम राज	मार्च-14	45342	44679	663
30	ओल्ड तहबाजारी (एन)	37	इच्छा देवी	अगस्त- 13	2376	-2376	4752
31	ओल्ड तहबाजारी (एन)	47	जय प्रकाश गोयल	अप्रैल- 13	356	-356	712
32	ओल्ड तहबाजारी (एन)	73	किशन	जून- 13	528	0	528
33	ओल्ड तहबाजारी (एन)	98	मै0 न्यू फ्रेंड्स	नवम्बर- 13	4950	4680	270
34	ओल्ड तहबाजारी (एन)	122	सुरेश चन्द्र	दिसम्बर- 13	792	-792	1584
				कुल			**208499 ₹2.08 लाख**

क्या यहां पूर्णत: आंतरिक नियंत्रण है, इन अनियमितताओं का प्रारंभिक स्तर पर पता लगाया जा सकता है। जैसे कि मामले गंभीर है, सभी मांग एवं संग्रहण रजिस्टरों की भली प्रकार से समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है तथा ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

विभाग ने (अक्टूबर-2014) कहा कि मांग एवं संग्रहण रजिस्टर के आवश्यक सुधार अब कर दिए हैं। तथापि, की गई कार्रवाई का कोई विवरण आडिट को उपलब्ध नहीं कराया गया।

(ख) परिषद् ने दिनांक 01.04.1986 से खुली तहबाजारी के लिए कनाट प्लेस क्षेत्र के लिए ₹15 प्रति वर्ग फुट प्रति मास की दर से तथा कनाट प्लेस क्षेत्र से अन्य के लिए ₹5 प्रति वर्ग फुट की दर निर्धारित कर दी थी। इन दरों को दिनांक 01.09.2004 से संशोधित कर ₹33 प्रति वर्ग फुट प्रति मास तथा ₹22 प्रति वर्ग फुट प्रति मास क्रमश: कर दिया था।

तथापि, विभाग ने कनाट प्लेस क्षेत्र में स्थित थड़ों के 22 आवंटियों से कनाट प्लेस क्षेत्र से अन्य के लिए लागू लाइसेंस शुल्क की दरें हेतु वसूल की। परिणामस्वरूप, इससे लाइसेंस शुल्क की राशि कम वसूली गई। कम वसूली के प्रभाव के रूप में अप्रैल-2013 से मार्च-2014 की अवधि हेतु आडिट द्वारा निकाली गई राशि ₹48048 प्रति वर्ग की जिसको **अनुलग्नक-XV** में इंगित किया गया है।

विभाग ने (अक्टूबर-2014) कहा है कि मांग नोट संशोधित तथा आवंटियों को शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

विभाग को इन सभी मामले की समीक्षा की जाने की आवश्यकता है तथा इन आवंटियों से की गई कम वसूली को पूर्ण वसूलना।

(ग) अन्य कमियाँ

(i) विभाग ने न.दि.न.परिषद् वेबसाइट पर लाइसेंसियों की सूची डिस्पले की है। तथापि, मांग एवं संग्रहण रजिस्टर में रिकार्ड किये गये 20 लाइसेंसियों (10 ओल्ड तहबाजारी, 7 थरेजा सत्यापित, 2 टैक्सी बूथ, 2 मोची थड़ा तथा 1 प्रैस थड़ा) का विवरण वेबसाइट पर नहीं था।

(ii) मांग एवं संग्रहण रजिस्टर में पृष्ठों को संख्याकित नहीं किया गया था तथा रजिस्टर के प्रथम पृष्ठ पर पृष्ठों की कुल संख्या के संबंध में कोई प्रमाण-पत्र नहीं था (पार्किंग स्थलों, थड़ों, टैक्सी बूथों)

(iii) थड़ों के आकार को रजिस्टरों में इंगित नहीं किया गया था यद्यपि उक्त प्रत्यक्ष रूप से लाइसेंस शुल्क के साथ संबंधित है। थड़ों का आकार उपलब्ध न होने से आडिट सत्यापित नहीं कर सकता कि सही लाइसेंस शुल्क वसूला जा रहा था (साइकिल रिपेयर थड़ा, मोची बूथ, वेजीटेबल, प्रैस, पीसीओ, ओल्ड तहबाजारी, थरेजा सत्यापित, टैक्सी बूथों तथा स्टैंण्डों)

(iv) रजिस्टर में रिकार्ड की गई बकाया राशि तथा मांग राशि का योग गलत था। ऐसी अशुद्धियों के कुछ उदाहरण **अनुलग्नक-XVI** में दर्शाए गए हैं (साइकिल रिपेयर थड़ा, मोची बूथ, वेजीटेबल, प्रेस, पीसीओ, ओल्ड तहबाजारी, थरेजा सत्यापित, टैक्सी बूथों, स्टैंडों)

(v) रजिस्टर में अनेक कटिंग्स तथा ओवर राइटिंग की गई थी जिसको संबंधित अनुभाग अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था। **(अनुलग्नक-XVII)**

यह स्पष्ट है कि इन मौलिक रिकार्ड को संबंधित सहायकों की दया पर छोड़ दिया जाता है तथा विभाग कार्यविधि में किसी स्तर पर कोई जांच तथा शेष विद्यमान नहीं होता है यह वित्तीय व्यवहार के विपरीत है।

आडिट द्वारा इंगित किये जाने पर, विभागीय उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए (नवम्बर-2014) दिशा-निर्देश जारी किए।

पुनः विभाग ने बताया कि (अगस्त 2015) बार-बार हो रही त्रुटियों से बचने हेतु विभाग ने कम्प्यूटराइज्ड डीएण्डसी बनाने हेतु प्रयास किए हैं।

विभाग को रिकोर्ड की कम्प्यूटराइज्ड करने हेतु कठोर प्रयास करना चाहिए ।

उपरोक्त कमियों से बचने के लिए, मांग एवं संग्रहण रजिस्टर को तत्काल डिजिटलाइज्ड (अंकीय) किया जाना चाहिए जिससे अमान्य प्रविष्टियों जैसे गलत आगे बढ़ाना तथा लाइसेंस शुल्क की गलत वसूली की अनुमति नहीं होगी। यह विभाग को लाइसेंसियों से वसूलनीय बकायों की प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट को उत्पन्न करने की भी सुविधा देगा।

विभाग नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 की धारा-225 तथा धारा-226 के प्रावधान के अन्तर्गत नगरपालिका भूमि पर अनधिकृत अतिक्रमण, होर्डिंग्स, बैनर्स, साइकिल रिक्शा तथा अनधिकृत पार्क किए गए वाहनों तथा स्कवैटर्स को हटाने के लिए जिम्मेदार हैं।

एरिया इन्सपैक्टर न.दि.न.परिषद् क्षेत्र से अनधिकृत पार्क किए गए वाहनों तथा अनधिकृत स्कवैटर्स से सामान/वस्तुओं को जब्त करता है तथा लक्ष्मीबाई नगर में स्थित न.दि.न.परिषद् स्टोर में इनको जमा कराते हैं।

इन सामानों के मालिक संबंधित एरिया इन्सपैक्टर उनके द्वारा जब्त सामान/वस्तुओं के सत्यापन के बाद उनकी जब्त की गई वस्तु/सामान/वाहनों को मुक्त कराने के लिए संयुक्त निदेशक (प्रवर्तन) को आवेदन करते हैं। संयुक्त निदेशक (प्रवर्तन) जुर्माना/हटाने/स्टोर प्रभारों को लगाते हैं। स्टोर कीपर हटाने/स्टोर प्रभारों की राशि को एकत्रित करते हैं तथा न.दि.न.परिषद् के मुख्य कोष विभाग में जमा कराता है।

इस संदर्भ में, निम्नलिखित कमियों को देखा गया:-

(क) रेडिंग इन्सपैक्टर ने वाहनों के साथ अनधिकृत पार्किंग क्षेत्र से उठाए गए वाहनों की सूची तैयार नहीं की है। स्टोर कीपर द्वारा उक्त को स्टोर के वाहनों की प्राप्ति पर तैयार किया जाता है। परिणामस्वरूप, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि एरिया इन्सपैक्टर द्वारा जब्त किए गए सभी वाहनों को स्टोर में जमा कराया गया है।

(ख) जब्त वाहनों/सामानो के वस्तुगत सत्यापन को भी जी एफ आर नियम 192(2), नियम 192(3) के अनुपालन[3] को वर्ष में एक बार भी नहीं किया गया है।

(ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा मालिकों पर लगाया गया जुर्माना/हटाने तथा स्टोर प्रभारों में भी ₹100 से ₹5000 की विविधता है। विभिन्न दरों से वसूले जाने के लिए न तो रिकार्ड पर कोई आधार था और न ही ऑडिट को स्पष्ट करने के लिए था।

(घ) अपराधों के संयोजन (न.दि.न.परिषद् अधिनियम की धारा 226 के अन्तर्गत) के रजिस्टर को उप-निदेशक (प्रवर्तन) द्वारा 1 अप्रैल, 2013 के बाद प्रतिहस्ताक्षर नहीं किया गया।

(ड़) मालिकों के आवेदनों का रिकार्ड तथा इन पर उनके सामान को जारी करने के लए उप-निदेशक (प्रवर्तन) से लिए गए अनुमोदन का स्टोर में कोई रखरखाव नहीं था।

इगित करने पर, विभाग ने (नवम्बर-2014) स्टोर कीपर तथा रेडिंग इन्सपैक्टरों को पूर्ण रिकार्ड तथा स्टाक रजिस्टर रखने का निर्देश दिया।

पुन: विभाग ने सूचित किया कि वे (अगस्त 2015) जब्त वाहनों/सामानों के स्टोर रिकार्ड का समुचित रखरखाव कर रहे हैं ।

विभाग ने की गई कार्रवाई, विशेषत: ऑडिट द्वारा की गई टिप्पणियों पर कोई सूचना नहीं दी ।

---

[3] नियम 192 (2) उपबंधित करता है ''सभी उपयोग्य वस्तुओं तथा सामान का एक वर्ष में तथा विसंगतियों का कम से कम एक बार भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए, यदि कोई है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई करने के लिए स्टाक रजिस्टर में रिकार्ड किया जाना चाहिए।''

नियम 192(3)(i) उपबंधित करता है सत्यापन हमेशा सत्यापित की जा रही वस्तु सूची की अभिरक्षा हेतु जिम्मेदार अधिकारी की उपस्थिति में किया जाएगा।

(ii) सत्यापन का प्रमाणपत्र निष्कर्ष के साथ स्टाक रजिस्टर में रिकार्ड किया जाएगा।

(iii) विसंगतियाँ जिसमें बेकार सामान, नुकसान तथा कमी सम्मिलित है यदि कोई है, सत्यापन के दौरान पहचानी गई, को तत्काल उचित कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के नोटिस में लाया जाएगा।

3.2.5 परिषद् निर्णय का अनुपालन न करना

26 अगस्त, 2004 को परिषद् ने तहबाजारी दरों के मुद्दे पर विचार-विमर्श करते समय पाया कि खुली तहबाजारी के अन्तिम बार दरें वर्ष 1986 में निर्धारित की थी जब भूमि की दरें 13000 प्रति वर्ग मीटर थी तथा तथापि भूमि की दरें 57950 प्रति वर्ग मीटर (4.45 गुना) बढ़ गई। तहबाजारी दरें समान रही है। यद्यपि, तहबाजारी दरों में तीव्र वृद्धि को रोकने के लिए, तहबाजारी प्रभारों को 30 प्रतिशत प्रति पांच वर्षों में बढ़ाने का निर्णय लिया गया जिसका अर्थ भूमि की दरों के आधार पर 4.45 गुना के बदले वर्ष 1986 की तुलना में 2001 में 2.2 गुना वृद्धि हुई। तदनुसार, लाइसेंस शुल्क दर दिनांक 01.04.2001 से 01.04.2006 तक सीपी क्षेत्र हेतु ₹33/- प्रति वर्ग फुट तथा अन्य क्षेत्रों के लिए ₹22/- प्रति वर्ग फुट बढ़ाई गई थी। तथापि संशोधित दरें दिनांक 01.09.2004 से लागू थी तथा दिनांक 01.09.2004 से पूर्व कोई बकाया एकत्रित नहीं किया जाना था। यह उन मामलों को भी कवर करेगा जिसमें सर्वोच्च न्यायालय आदेश के अनुसार थरेजा सत्यापित व्यक्तियों को तहबाजारी आवंटित की गई थी।

इस प्रकार, परिषद् के निर्णय के अनुसार, तहबाजारी दरों में 30 प्रतिशत की अगली वृद्धि 1, सितम्बर-2009 को अपेक्षित थी। यद्यपि आडिट ने पाया कि अब तक दरों में कोई संशोधन नहीं किया गया (अक्टूबर-2014)।

आगे, रिकार्डों की जांच से पता चला कि केवल सितम्बर, 2013 में हुआ था जब संबंधित वरिष्ठ सहायक ने तहबाजारी दर के संशोधन के लिए प्रस्ताव की पहल की हालांकि, निदेशक (प्रवर्तन) ने सलाहकार (राजस्व) की सलाह मांगी। इसके प्रत्युत्तर में सलाहकार ने सितम्बर-2013 कहा कि ''सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार के 2009 दिशा-निर्देशों के अनुसार वेंडिग कमेटी के गठन का निर्देश दिया है। उक्त कमेटी की स्थापना मध्य अक्टूबर, 2013 में की जानी है तथा यह कमेटी तहबाजारी प्रभारों को नियत करेगी। हम खुली तहबाजारी के लाइंस शुल्क की प्रतीक्षा करते हैं। तथापि, ऑडिट ने नोट किया कि विभाग ने वेडिंग कमेटी के तहबाजारी शुल्क के संशोधन के लिए किसी प्रस्ताव को नहीं रखा था। आगे, निदेशक (कार्मिक) द्वारा अक्टूबर, 2010 में परिचालित के अनुसार वेडिंग कमेटी के मूलभूत पद्धति में तहबाजारी दरों के संशोधन सम्मिलित नहीं है।

इस प्रकार, तहबाजारी शुल्क के संशोधन के लिए परिषद् निर्णय को देरी से लागू करने के कारण, न.दि.न. परिषद् दिनांक 1 सितम्बर, 2009 से 31 अगस्त 2014 की अवधि के लिए थड़ों के लाइसेंसधारी से ₹96.36 लाख के बढ़े हुए लाइसेंस शुल्क को वसूल नहीं कर सकी जैसाकि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका 3.10 (₹ में)

	थड़ों के प्रकार	वर्ष 2013-14 हेतु लाइसेंस शुल्क मांग	30% वृद्धि की जानी अपेक्षित लाइसेंस शुल्क मांग	प्रति वर्ष कर निर्धारण के अन्तर्गत	पांच वर्षों हेतु कर निर्धारण के अन्तर्गत (01.09.2009 से 31. 08.2014)
1	2	3	4	Col.3-4=5	Col.5x5yrs=6
1	मोची थड़ा	126588	164564	37976	189880
2	साइकिल रिपेयर थड़ा	127908	166280	38372	191860
3	प्रेस थड़ा	361152	469497	108345	541725
4	थरेजा सत्यापित	4603104	5984035	1380931	6904655
5	वेजीटेबल थड़ा	110880	144144	33264	166320
6	ओल्ड तहबाजररी	1094304	1422595	328291	1641455
योग		6423936	8351115	1927179	9635895 यथा ₹96.36 लाख

स्रोत मांग संग्रहण रजिस्टर

विभाग ने (अक्टूबर-2014) सूचित किया कि दरों के संशोधन हेतु मामला उच्च प्राधिकारियों को भेजा गया था हालांकि विलम्ब के लिए आडिट को कोई कारण नहीं दिया गया।

पुन: विभाग ने बताया कि (अगस्त 2015) तहबाजारी प्रभार, न.दि.न.परिषद् योजना में स्ट्रीट वेंडरों के लिए वर्णित स्ट्रीट के लिए निर्धारित किए गए है। जोकि रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रस्तुत किया गया । उक्त अभी सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना है।

विभाग ने परिषद् के निर्णय का अभी तक अनुपालन नहीं किया है।

विभाग को विलम्ब के लिए कारणों की जांच तथा दिनांक 26 अगस्त 2004 के परिषद् के निर्णय के अनुपालन न करने के लिए जिम्मेदारी नियत की जानी चाहिए। विभाग को ऐसे विलम्बों की पुनरावृति को रोकने के उचित लिए कार्यविधि की योजना भी बनानी चाहिए।

3.2.6 निर्दिष्ट समय से परे रेड वैना तथा क्रेनों को किराये पर लेना

विभाग समस्त न.दि.न.परिषद् क्षेत्र से अनधिकृत सामान को उठाना तथा अतिक्रमण को हटा रहा है जिसके लिए 6 रेड वैनों तथा 8 क्रेनों को किराये पर लिया था।

वैनों तथा क्रेनों को किराये पर लेने के लिए करार (क्लाज-8) के नियम एवं शर्तों के अनुसार, संचालन घंटे प्रात: 11 बजे से सांय 8 बजे तक है। इन निर्दिष्ट घंटों से परे वाहनों का प्रयोग किया जाता है अथवा रविवार राजपत्रित अवकाशों पर प्रयोग किया जाता है, इन मामलों में ठेकेदार द्वारा यथानुपात आधार (क्लाज 9) पर अत्यधिक घंटों के लिए भुगतान किया जाना था। इस प्रकार, अंतर्निहित होता है कि वाहनों का सामान्य रूप से कार्यदिवों में प्रात: 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक तथा केवल आपात काल/विशेष अवसरों पर उपयोग किया जाना था हांलाकि यह देखा गया कि विभाग इन किराये के वाहनों का सामान्यत: नित्य प्रात: 9 बजे से रात्रि

8 बजे तक उपयोग किया है इन वाहनों का अक्सर रविवार तथा अवकाश पर भी उपयोग बिना किसी न्यायोचित रिकार्डिंग के तथा निदेशक (प्रवर्तन) के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना भी किया गया।

न.दि.न.परिषद् ने 6 रेड वैनों की ₹91.53 लाख तथा अतिरिक्त घंटों के लिए ₹25.27 लाख के किराये शुल्क का भुगतान किया जोकि 27.60 प्रतिशत है तथा 5 क्रेनों के ₹98.16 लाख तथा अतिरिक्त घंटों के ₹24.71 लाख दिया है जोकि उपरोक्त 9 घंटों के नियमित भुगतान से 25.17 प्रतिशत अधिक है।

विभाग ने (अक्टूबर-2014) कहा कि इस मामले में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन किराया शुल्क का भुगतान करते समय देखा जाना चाहिए।

चूंकि निर्दिष्ट घंटों तथा दिनों से परे इन वैनों तथा क्रेनों का उपयोग केवल आपातकाल स्थितियों में किया जाना था, निर्दिष्ट घंटों तथा दिनों से परे इन वैनों तथा क्रेनों के उपयोग की उचित स्तर पर जांच आवश्यक है।

पुन: विभाग ने सूचित किया कि (अगस्त 2015) कुछ ऐसी आपात् परिस्थितियाँ होती है, जब निविदा आमंत्रण सूचना में वर्णित घण्टों के अलावा अन्य दिनों/रविवार को असंगत घण्टों में रेड वैनों तथा क्रेनों को बुलाना अनिवार्य हो जाता है। कुछ मार्किटें जैसे : सरोजिनी नगर, गोल मार्किट, जनपथ तथा पालिका समाचार रविवार के साथ-साथ राजपत्रित अवकाशों पर भी खुले रहते है। किराए पर लिए गए वाहनों का संबंधित क्षेत्र इस्पेक्टरों द्वारा दिन प्रतिदिन जो आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आवश्यकता होती है तो आपात् स्थिति में भी वाहनों को बुलाया जाता है। यद्यपि ज्यादातर सभी वाहनों को रविवार/राजपत्रित अवकाश के दिन नहीं बुलाया जाता, तथा निविदा आमंत्रण सूचना में निर्दिष्ट समय के अलावा अतिरिक्त घण्टे हेतु निदेशक (प्रवर्तन) सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथानुपात में भुगतान किया जाता है। जिसके अतिरिक्त, निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार, अतिरिक्त घंटों का क्षेत्र इन्सपेक्टर द्वारा सत्यापन तथा एम आई (एच क्यू)/डीडी (प्रवर्तन) द्वारा हस्ताक्षर किए जाते है।

विभाग अतिरिक्त घण्टों के लिए किराया शुल्क का भुगतान, जो नियमित भुगतान से लगभग 27.60 प्रतिशत अधिक है, का स्पष्टीकरण करने में असफल रहा ।

अध्याय-4

निवेश विभाग

निवेश विभाग के निष्पादन आडिट

4. परिचय

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (एक्ट) की धारा 52 के संदर्भ में, आधिक्य निधि जोकि अधिनियम की धारा 50[4] में निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु तत्काल लागू नहीं किया जा सकता है, उसे भारतीय स्टेट बैंक अथवा अन्य अनुसूचित बैंक में जमा करने की आवश्यकता है अथवा अन्य बैंकों में जिसे परिषद् ने चयन अथवा सार्वजनिक प्रतिभूतियों में निवेश किया है।

इस प्रकार, न.दि.न.परिषद् ने अपनी आधिक्य निधि को बैंक में निवेश किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों में आधिक्य निधि के निवेश की मात्रा नीचे तालिका में दर्शाई है:-

तालिका-4.1 (₹ करोड़ में)

वर्ष	अपशेष	वर्ष के दौरान किया गया जमा	वर्ष के दौरान परिपक्व हुई	वर्ष के दौरान किया गया निवल निवेश	वर्ष के अन्त तक निवेशों का अंतशेष
1	2	3	4	5 (3-4)	6 (1 + 4)
2011-12	3734.60	549.63	790.00	-240.37	3494.23
2012-13	3494.23	1608.00	1469.18	138.81	3633.04
2013-14	3633.04	2339.00	2066.81	272.19	3905.23

आडिट ने वर्ष 2005-06 से 2010-11 की अवधि को कवर करते हुए पहले न.दि.न.परिषद् के निवेश निर्णयों पर समान समीक्षा का आयोजन किया तथा इस पर वर्ष 2011 के अन्त तक न.दि.न.परिषद् के लिए वार्षिक आडिट रिपोर्ट में आडिट के निष्कर्ष को सम्मिलित किया गया।

4.1.1 आडिट उद्देश्य

निवेश शाखा द्वारा किए गए निवेश निर्णयों की इस उद्देश्य के साथ छानबीन की गई कि क्या:-

- निधि को परिषद् द्वारा अनुमोदित निवेश नीति के साथ अनुरूपता में निवेश किया गया था।
- सरकारी निधि के निवेश के संबंध में समय-समय से भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों तथा नियमों एवं विनियमों का निवेश ब्रांच द्वारा कड़ाई से पालन किया गया।
- निवेश योग्य निधि आधिक्य का निर्धारण सही किया गया।
- अनुपयोगी, गैर-उपभोग की अवधि तथा गैर-उपभोग के कारण ब्याज की हानि के कारण कोई आधिक्य निधि शेष

[4] अधिनियम के प्रावधानों तथा नियमों विनियमों तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए उप-नियमों के सभी धनराशि, प्रभारों तथा नकद के लिए आवश्यक है, अथवा जिस भुगतान के लिए अधिनियम के किसी अन्य प्रावधानों द्वारा अथवा अपेक्षित द्वारा अथवा स्वीकृत विधिवत् निर्देश किया है।

- अन्य बैंकों द्वारा दिए गए उच्च दरों की तुलना में कम ब्याज दर पर आधिक्य निधि का निवेश; जिससे ब्याज की हानि
- चयनित बैंकों के बीच ब्याज की श्रेष्ठ दर प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए गए;
- कोई असुरक्षित निवेश किया गया।

4.1.2 आडिट का कार्यक्षेत्र तथा आडिट कार्य प्रणाली

निवेश के रिकार्डों की जांच से नवम्बर-दिसम्बर, 2014 में आडिट किया गया तथा वर्ष 2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिए फंड ब्रांच ने जांच की कि न.दि.न.परिषद् के सर्वश्रेष्ठ हित में सरकारी नियमों तथा विनियमों एवं परिषद् की निवेश नीति के अनुसार आधिक्य निधि का निवेश किया जा सकता है।

4.1.3 आडिट मानदण्ड

मुख्य आडिट मानदण्ड किए गए;

- न.दि.न.परिषद् अधिनियम 1994 में संबंधित प्रावधान।
- समय-समय पर परिषद् की निवेश नीतियों का अनुमोदन किया गया।
- परिषद् प्रस्ताव
- किए गए निवेशों पर रिटर्न, जोखिम, लिक्विडिटी ताकि नरिपक्वता को ध्यान में रखते हुए अधिकतम रिटर्न के लिए सर्वश्रेष्ठ अभ्यास
- सार्वजनिक क्षेत्र संस्थाओं द्वारा आधिकय निधि के निवेश हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश

4.2 आडिट निष्कर्ष

4.2.1 आधिक्य निधि के निर्धारण में कमी

निवेश नीति के अनुसार (1996), वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक समिति सूचीबद्ध बैंकों के साथ एफडी/सीडी करने का निर्णय लेगी। समिति द्वारा पखवाडे में एक बार बैठक की जानी चाहिए तथा निधि के निवेश के लिए सभी निर्णयों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ रिकार्ड किया जाना चाहिए।

आडिट ने उदाहरणों को देखा जहां बैठकों की कार्यवाही में निवेश समिति द्वारा दिए गए निर्णयों में आधिकय निधि को निवेश करने के निर्णय में स्पष्टीकरण/तर्क का आभाव था। इनफलो/आउटफलो विवरणों में निर्धारित कोई समस्त निवेशयोग्य निधि के स्थान पर न.दि.न.परिषद् खाते के चालू खाते में दर्शाये बुक बेलेसों की राशि के लिए आधिक्य निधि का निवेश किया गया। जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

(क) इनफलो/आउटफलो अनुसूचियों पर आधारित निर्धारित किए गए समसत आधिक्य निधि के अनदेखी कर नकद/बैंक में रखे गए शेष के लिए आधिकय निधि का निवेश किया गया जैसाकि नीचे दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

इनफलो/आउटफलो अनुसूची पर आधारित निर्धारण की अवधि	निवेश की तिथि	निवेश के लिए उपलब्ध राशि (इनफलो/आउटफलो अनुसूची [5] के अनुसार)	वास्तविक निवेश किया गया	कम निवेश की गई राशि (कुशन के रूप में रखी जाने वाली ₹3 करोड़ को छोड़कर)
18-4-11 से 30-4-11	20-4-11	79.67	30.00	46.00
16-5-12 से 31-5-12	18-5-12	88.29	30.00	11.00
16-9-12 से 30-9-12	20-9-12	71.95	50.00	18.00
16-10-12 से 31-10-12	16-10-12	55.04	25.00	27.00
17-12-12 से 31-12-12	17-12-12 और 28-12-12	310.49	260.00 30.00	17.00
			योग	**119.00**

यहां रिकार्ड पर कुछ नहीं था कि क्यों कम राशि का निवेश किया गया।

(ख) एस बी आई की कारपोरेट लिक्विड टर्म डिपोजिट स्कीम के अन्तर्गत निवेश एक चालू खाता उत्पाद के उच्च मूल्य के गैर व्यक्तिगत ग्राहकों के ऐसे वर्ग को कवर करता जिनके निवेश के लिए आधिक्य निधि है, किन्तु उसी समय लिक्विडीटी की सुविधा आवश्यक है। चैक के भुगतान के लिए चालू खाते में पर्याप्त शेष के मामले में राशि की कमी रिवर्स स्वीप सुविधा के माध्यम से सी एल टी डी से अनिश्चित हो गई है। एक वर्ष तक की अवधि के लिए सी एल टी डी के अन्तर्गत सावधि जमा के लिए समयपूर्व वापसी के लिए कोई जुर्माना नहीं है।

निवेश समिति ने एस बी आई के साथ सी एल टी डी में आधिक्य निधि का निवेश करने का निर्णय लिया है जब भुगतानों की प्रत्याशित आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए निधि पर्याप्त नहीं है। इस सुविधा का लाभ उठाने से न.दि.न.परिषद् समय तक अपने चालू खाते में पड़ी आधिक्य निधि पर ब्याज अर्जित करते हैं, भुगतान करने के लिए निधि की आवश्यकता होती है।

आडिट ने निम्नलिखित उदाहरणों को देखा है जहां निवेश समिति ने एस बी आई के साथ सीएलटीडी में निवेश योग्य निधि की समस्त राशि को निवेश नहीं किया तथा अपने निर्णय के समर्थन में बैठकों की उनकी कार्रवाई में कुछ वर्णित नहीं किया गया था। चूंकि सीएलटीडी में निवेश की गई निधि को किसी जुर्माने के बिना किसी भी समय वापस, किया जा सकता है, कम राशि निवेश पर ब्याज की हानि के लिए वित्तीय व्यय सहित चालू खाते में रखी समस्त राशि को निवेश न करने का निर्णय जैसाकि नीचे दिया गया है:

[5] चालू खाते में पड़ी धनराशि सहित।

(₹ करोड़ में)

इनफलों/आउटफलों अनुसूची पर आधारित निर्धारण की अवधि	निवेश की तिथि	एसबीआई के साथ चालू खाते में बैंक शेष के अनुसार निवेश योग्य राशि	एसबीआई के साथ सीएलटीडी में किया गया निवेश	ब्याज एवं अवधि जिसके लिए निवेश किया गया	कम निवेश की गई राशि (एक प्रैक्टिस के रूप में रखी जाने वाली ₹3 करोड़ का छोड़कर
16-7-12 से 31-7-12	26-7-12	127.33	100.00	8% 90 दिनों के लिए	24.00
01-11-12 से 15-11-12	05-11-12	94.04	50.00	7.5% 90 दिनों के लिए	41.00
22-2-13 से 28-2-13	25-2-13	100.00	75.00	7.5% 10 दिनों के लिए	22.00
16-03-13 से 31-03-13	18-03-13 और 22-3-13	135.72	100.00 (50+50)	7.5%for 30 दिन & 15 दिन	32.00
16-05-13 से 31-05-13	27-05-13	140.00	75.00	7.5% 15 दिनों के लिए	62.00
				योग	**181.00**

विभाग ने बताया कि (अगस्त 2015) वह वेतन, पेंशन के संवितरण के संबंध में महीने के अन्त में प्रत्याशित तत्काल देयता के दृष्टिगत आधिक्य निधि को आंकना तथा निवेश करना होगा तथा पावर/वाणिज्य विभाग द्वारा विद्युत के थोक क्रय के प्रत्याशित भुगतान में वृहद् देयताओं में भी आंकना तथा निवेश करना होगा, जोकि प्राय: आगामी मास के प्रथम सप्ताह में किया जाता है।

प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है जैसाकि आधिक्य निधि का सभी प्रत्याशित प्राप्तियों/देनदारियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पखवाड़े में निर्धारिण किया जाता है। इसके अलावा ₹3 करोड़ की राशि को निवेश योग्य राशि निकालते समय कुशन के रूप में अलग कर दिया गया है। इस प्रकार, आधिक्य राशि (कुशन के रूप में रखी जाने वाली ₹3 करोड़ की राशि को छोड़कर) पर कम निवेश द्वारा ब्याज की हानि न्यायोचित नहीं है।

4.2.2 निधि के निवेश में विलम्ब

चलन के अनुसार, निवेश विभाग विभिन्न सूचीबद्ध बैंकों के साथ आधिक्य निधि निवेश करता है जिन्होंने निधि का निर्धारण अर्थात् प्रत्येक मास की 1 तथा 16 के बाद प्रत्येक पखवाड़े के पहले पांच दिनों के भीतर निधि के निवेश के लिए मतलब निवेश उप-समिति की अनुशंसाओं पर ब्याज की उच्चतम दरें उद्धृत की थीं। आडिट ने पाया कि निवेश विभाग ने इनफलो/आउटफलो अनुसूचियों के रूप में प्रत्येक पखवाड़े में निधि की उपलब्धता का निर्धारण किया है। तथापि, निवेश समिति की बैठकों के आयोजन में 11 दिनों तक का विलम्ब हुआ है निधि के निवेश में विलम्ब के परिणामस्वरूप अप्रैल 2011 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान 54 मामलों में ₹2.35 करोड़ के ब्याज की हानि हुई जोकि समय[6] पर निधि के निवेश से परिषद् द्वारा अर्जित किया जा सकता था। **(अनुलग्नक- XVIII)**

[6]पाक्षिक निधि के निर्धारण के बाद 5 दिनों को छोड़कर जोकि समिति की बैठकों के आयोजन के लिए विभाग का चलन है।

विभाग ने (अगस्त 2015) कहा कि पखवाड़े के दौरान उपलब्ध होने वाली वास्तविक समाप्त राशि का निवेश उपयुक्त नहीं है किन्तु हमने तत्काल प्रत्याशित भविष्य की देनदारियों के लिए प्रावधान रखे हैं।

निधि के निवेश में विलम्बों तथा निवेश न की जाने वाली राशि से संबंधित पैरा के रूप में प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है।

4.2.3 ब्याज की उच्च दर के प्रस्ताव को अनदेखा कर ब्याज की न्यून दर को स्वीकार करना।

आधिक्य निधि के निवेश के संबंध में दिनांक 13.10.2011 के संक्षिप्त नोट 209 तथा नीति (2005) के अनुसार, स्टेट बैंक आफ इंडिया को अन्य सूचीबद्ध बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहिए तथा निवेश योग्य निधि को केवल उच्चतम उद्धृत दरों के आधार पर छोड़ना चाहिए क्योंकि ब्याज की न्यूनतम दर पर एस बी आई में ₹400 करोड़ के निवेश के साथ निधि की कोई अतिरिक्त सुरक्षा नहीं है।

आडिट ने देखा कि निवेश समिति ने अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (इंडियन ओवरसीज बैंक 8.80 प्रतिशत की दर पर) द्वारा दिए गए उच्चतम ब्याज दर की पेशकश को अनदेखा कर स्टेट बैंक आफ इंडिया में ₹30.01 करोड़ का निवेश करने का निर्णय इस आधार पर लिया कि सभी बैंकों में से उच्चतम निवल मूल्य के साथ एसबीआई हमारा मुख्य बैंकर है। परिणामस्वरूप ₹42.50 लाख के ब्याज की हानि का विवरण नीचे दिया गया है:-

बैठक की कार्यवाही	निधि का निवेश				उच्चतम दरों की पेशकश को अनदेखा किया गया।	ब्याज की उच्चतम दर को अनदेखा करने के कारण ब्याज की हानि
	बैंक का नाम	निवेश की गई राशि	ब्याज की दर	अवधि		
08.07.2013	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	30.01 करोड़	8.75 %	4 वर्ष 11 मास 29 दिन	समिति ने इंडियन ओवरसीज बैंक में 8.80 प्रतिशत की दर पर निधिव का निवेश करने पर विचार नहीं किया।	₹7.50 लाख

आगे, निवेश समिति ने ब्याज की उच्चतम दर को भी अनदेखा किया तथा न्यूनतम दर पर निवेश करने का निर्णय इस आधार पर किया कि निवल मूल्य उच्चतम था या धारणा थी कि भविष्य में ब्याज दर कम हो जाए। उदाहरण इस प्रकार है:-

बैठक की कार्यवाही	निधि का निवेश				उच्चतम दरों की पेशकश को अनदेखा किया गया।	ब्याज की उच्चतम दर को अनदेखा करने के कारण ब्याज की हानि
	बैंक का नाम	निवेश की गई राशि	ब्याज की दर	अवधि		
04.09.2012	बैंक ऑफ बड़ौदा	3.50 करोड़	9.25 %	1-3 वर्ष	इसी अवधि में 9.30% की दर पर विजया बैंक की ब्याज की उच्चतम दर को अनदेखा किया गया।	₹0.52 लाख
05.10.2012	एक्सिस बैंक (निजी बैंक)	40 करोड़	9.10%	4 वर्ष 11 मास 29 दिन	1 से 3 वर्षों की अवधि हेतु ₹4.00 करोड़ तक 9.25% की दर पर बैंक ऑफ बड़ौदा (पब्लिक बैंक) की उच्चतम दर को अनदेखा किया गया।	₹1.80 लाख

नीति से ये विचलन उप समिति के लिए विभाग द्वारा (मार्च 2014) दिया गया था।

विभाग ने (अगस्त 2015) कहा कि निवेश समिति ने ब्याज की दर उद्धृत करने वाले सभी बैंकों में से उच्चतम निवल मूल्य के साथ उनके मुख्य बैंकर एस बी आई में ₹30.01 करोड़ के निवेश का निर्णय लिया।

विभाग ₹30.01 करोड़ का निवेश 8.75 प्रतिशत की दर पर एस बी आई के साथ करने के स्थान पर इण्डियन ओवरसीज बैंक के साथ 18 मास की अवधि हेतु ₹9.99 करोड़ तक निवेश पर 8.80 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज का लाभ अर्जित करने में असफल रहा। ये ₹3.50 करोड़ का निवेश 9.25 प्रतिशत की दर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के स्थान पर विजया बैंक के साथ 400 दिनों की अवधि के लिए ₹5 करोड़ के निवेश पर 9.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज का लाभ को अर्जित करने तथा ₹40 करोड़ का निवेश 9.10 प्रतिशत की दर पर एक्सिस बैंक के स्थान पर बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 01-03 वर्ष की अवधि के लिए ₹4 करोड़ के निवेश पर 9.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज का लाभ अर्जित करने के निवेश प्र मौन बने रहे।

4.2.4 निवेश नीति से संबंधित मुद्दे

अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीयकृत बैंकों के एनपीए में वृद्धि, सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों के विनिवेश आसन्न, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देशों में परिषद् ने मार्च 2002 में निवेश नीति की समीक्षा की। यह निर्णय लिया गया कि:-

- निवेश किसी अनुसूचित बैंक अर्थात् सीआरआईएसआईएल तथा आईसीआरए जैसी दो घरेलू रेटिंग एजेंसियों द्वारा स्थापित क्रेडिट रेटिंग तथा आरबीआई द्वारा विहित कैपीटल एडीक्वेसी रेशों मानदण्डों, निर्दिष्ट न्यूनतम निवल मूल्य के साथ भारत में सम्मिलित बैंक में किया जा सकता है।

- न.दि.न.परिषद् निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने के क्रम में, परिषद् ने प्रत्येक बैंक में ₹150 करोड़ की कैपिंग की सीमा की भी सिफारिश की। तथापि, स्टेस बैंक ऑफ इंडिया को इस सीमा से छूट दी गई थी।
- सार्वजनिक प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में, परिषद् ने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित के रूप में अन्य वित्तीय विलेखो तथा सार्वजनिक प्रतिभूतियों में संभावना को जांच के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु सिफरिश की है।
- आर्थिक नीतियों के लगातार परिवर्तन के कारण, यह भी सिफारिश की गई थी कि निवेश नीति की प्रति वर्ष समीक्षा की जाए।

आडिट ने पाया कि यद्यपि निवेश नीति की वर्ष 2003, 2005, 2006 तथा 2010 में समीक्षा की गई थी, वर्तमान निवेश नीति में दी गई निम्नलिखित अनुशंसाओं को अभी (दिसम्बर-2014) लागू किया जाना है।

(I) क्रेडिट रेटिंग के संबंध में प्रावधान का गैर पालन करना

निवेश नीति (2005) अनुबंधित करती है कि निवेश किए जाने योग्य निधि की सुरक्षा तथा पर्याप्त सुनिश्चित करने के लिए सी आर आई एस आई एल तथा आई सी आर ए की क्रेडिट रेटिंग द्वारा सूचीबद्ध बैंकों पर विचार किया जाना चाहिए जोकि आर बी आई द्वारा अनुमोदित दो सबसे स्थापित रेटिंग एजेंसी है।

आडिट ने पाया कि निवेश ब्रांच ने राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंकों के संबंध में क्रेडिट रेटिंग पर विचार नहीं किया था। निजी बैंकों की क्रेडिट रेटिंग सी आर आई एम आई एल तथा आई सी आर ए अर्थात् दो के स्थान पर क्रेडिट एजेंसी द्वारा सिंगल रेटिड पर विचार किया गया था।

आडिट ने 11 निजी बैंकों की वर्तमान सी आर आई एस आई एल तथा आई सी आर ए क्रेडिट रेटिंग्स की भी जांच की गई (वेबसाइट से 15 जनवरी 2015 को डाउनलोड) जोकि नीचे दिया गया है:-

	निजी बैंक	आईसीआरए रेटिंग	सीआरआईएसआईएल रेटिंग
1	एक्सिस बैंक	दीर्घकाल अवधि एएए अल्पकाल अवधि ए1 + (स्थिर)	जमा ए1+ (स्थिर) का प्रमाणपत्र
2	आईएनजी वैश्य बैंक	नहीं दिया गया	एफ ए ए ए/स्थिर (पुनः पुष्टि की)- एफ डी/ जमा ए1+ स्थिर का प्रमाणपत्र
3	इंडसडंड बैंक	ए ए + (स्थिर)	अल्पकाल जमा पी 1+ (स्थिर जमा ए1+(स्थिर) का प्रमाणपत्र
4	डीसीबी बैंक	अल्पकाल ए1+ (स्थिर)	जमा ए1+(स्थिर) का प्रमाणपत्र
5	एचडीएफसी बैंक	अल्पकाल ए1+(स्थिर)	ए ए ए (स्थिर)
6	आई सी आई सी आई बैंक	दीर्घकाल अवधि ए ए ए, मध्यकाल अवधि एम ए ए ए, अल्पकाल अवधि ए1+ (स्थिर)	परपेचुअल टायर आई बांड ए ए (स्थिर) ए1+(स्थिर) प्रमाणपत्र के माध्यम से पास
7	जे एंड के बैंक	नहीं दिया गया	नहीं दिया गया
8	कर्नाटका बैंक	दीर्घकाल अवधि ए (स्थिर), अल्पकाल अवधि ए1+	नहीं दिया गया

9	करूर वैश्य बैंक	दीर्घकाल अवधि ए+(सकारात्मक), अल्प काए अवधि ए1+	नहीं दिया गया
10	कौटक महिन्द्रा बैंक	दीर्घकाल अवधि ए ए ए (स्थिर)	लोअर टायर 11 एंड अपर टायर 11 ब्रांडस (एलटी) ए ए ए, (स्थिर) एफडी/जमा ए1+ (स्थिर) का प्रमाणपत्र
11	येस बैंक	अल्पकाल अवधि एए+ (स्थिर)	प्रमाणपत्र (पीटीसीएस) माध्यम से पास के अन्तर्गत ए प्रोवीजनल रेटिंग

तालिका दर्शाती है कि आई एन जी वैश्य, कर्णाटका बैंक तथा करूर वैश्य बैंक को सी आर आई एम आई एल द्वारा रेट दिए गए हैं। जे एंड के बैंक को दोनों में से किसी भी रेटिंग एजेंसी द्वारा रेट नहीं किया गया है। येस बैंक को आई सी आर ए द्वारा रेटिड किया गया तथा सी आर ई एस आई एल ने एक प्रोविजनल रेटिंग निश्चित की है।

क्रेडिट रेटिंग के मुद्दे को भी अंतिम समीक्षा के दौरान उठाया गया था। निवेश ब्रांच ने (मार्च-2014) में प्रत्युत्तर दिया कि एक बार बैंक जब न.दि.न.परिषद् के साथ सूचीबद्ध हो जाता है तो वह केवल उक्त रेटिंग के आधार पर वापस नहीं लिया जा सकता है जबकि न.दि.न.परिषद् की निधि पहले से ही ऐसे बैंकों में निवेश की गई है तथा अन्य सभी पैरामीटरों को पूरा किया गया है।

आडिट का विचार है कि क्रेडिट रेटिंग बैंकों ने निवेश की गई निधि को सुरक्षा को निर्णित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मानदण्ड हैं अप्रैल 2014 में हुई अपनी बैठक में स्कैन ने भी निवेश नीति की समीक्षा अथवा रेटिंग मानदण्ड का सख्ती से अनुपालन करने का विभाग को निर्देश दिया। तथापि, स्कैन के उक्त निर्देशों का अभी तक (दिसम्बर-2014) लागू किया जाना है।

विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि प्राधिकरण की इच्छा है कि विभाग, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की निवेश नीति पर विचार तथा अन्तिम रूप देने के लिए परिषद् के समक्ष मामला प्रस्तुत करने से पूर्व सभी संबंधित तथ्यों का विस्तार से अध्ययन करे। न.दि.न.परिषद् को निवेश नीति की समीक्षा हेतु ऑडिट द्वारा दी गई सलाह तथा स्थिति के अवलोकन पर कार्रवाई की जाएगी ।

विभाग को परिवर्तित मापदंड की ओर, निवेश नीति की समीक्षा/अंतिम रूप देने तक मौजूद नीति में जैसा कि वर्णित है, क्रेडिट रेंटिग मानदंड को लेना चाहिए ।

(II) कैपिंग सीमा के ऊपर किए गए निवेश

आडिट ने देखा कि आधिक्य राशि को अपनी कैपिंग सीमा से अधिक तथा उपर बैंकों में निवेश किया गया है यहां तक कि बैंकों में आधिक्य निधि का निरन्तर निवेश का विवरण जिनकी कैपिंग सीमा पहले से ही अधिक हो गई थी जिसे नीचे दर्शाया है।

(₹करोड़ में)

बैंक का नाम	निवेश की तिथि	निवेश की गई राशि	पहले से निवेश की गई राशि के अतिक्ति	परिपक्व निवेश की राशि कम	निवल निवेश	विद्यमान कैपिंग सीमा 25% सहित	कैपिंग सीमा से अधिक निवेश
येस	20-12-2011	50.00	272.00	0	322.00	312.50	9.5
	06-01-2012	4.00	322.00	0	326.00	312.50	13.5
	09-01-2012	50.60	326.00	0	376.60	312.50	64.10
	06-03-2012	2.00	376.60	0	378.60	312.50	66.10
	12-03-2012	0.85	378.60	0	379.45	312.50	66.95
	09-04-2012	15.50	379.45	60.00	334.95	312.50	22.45
कर्नाटका	01-04-2011	0	350.00	10.00	340.08	312.50	28.30
	30-09-2012	0	340.08	20.00	320.08	312.50	08.30
	20-11-2012	6.45	320.08	13.00	314.25	312.50	1.75
कैनरा	21-05-2013	760.118	259.47	0	1019.59	1000.00	19.59

पूर्व में विभाग ने कहा कि कैपिंग सीमा से परे निधि की राशि के अधिक ब्याज अर्जित करने के लिए एफडीआरस के पुनर्निर्धारण के कारण निवेश किया गया था।

तथापि उद्धृत उदाहरण इंगित करते है कि नियत कैपिंग सीमा से अधिक तथा उपर बैंकों में निधि का निवेश करने की प्रथा अब तक जारी है यद्यपि यहां उपरोक्त मामलों में एफडीआर के पुनर्निर्धारण का कोई मामला नहीं था।

विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि इन बैंकों के साथ मूल राशि कैंपिग सीमा के अन्तर्गत थी, किन्तु ब्याज की ऊँची दरों को लगाने के लिए ब्याज के साथ सभी निवेशों का पुनर्गठन किया गया, जिसके कारण, मूल राशि उनकी कैंपिग सीमाओं से परे बढ़ गई, इसलिए, मुख्य कैंपिग सीमा की अनदेखी नहीं की गई थी । न.दि.न.परिषद् के पास इन मामलों का कोई विकल्प नहीं था, किन्तु बढ़ी हुई दरों पर पुनर्गठन एक ही बैंक के साथ किया जा रहा था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, विभाग अप्रैल-2014 में न.दि.न.परिषद् में लेखा परीक्षा संबंधी स्थाई समिति द्वारा जारी की गई अनुशांसाओं के बावजूद कैंपिग सीमा में संशोधन करने में विफल रहा है।

(III) सार्वजनिक प्रतिभूतियों तथा वित्तीय विलेखों में निवेश

अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों तथा अनुमोदित निवेश नीति के बावजूद, विभाग सार्वजनिक प्रतिभूतियों तथा अन्य वित्तीय विलेखों में निवेश करने की संभावना का पता लगाने नहीं आया जैसाकि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है। आधिक्य निधि का समस्त पोर्टफोलियो बैंकों में विशेषकर निवेश किया जा रहा था।

विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि परिषद् का उद्देश्य उस अवधि के लिए आधिक्य निधि को पार्क करना है, जब वास्तव में किसी भी कार्य का निर्वहन करने की आवश्यकता नहीं है और न ही लाभ के लिए निवेश करने की आवश्यकता है। परिपक्वता की लंबी अवधि के लिए निवेश के परिणाम की संभावना है कि ईमानदारी से अपने कार्य का निर्वहन करने के लिए परिषद् के साथ उचित समय पर निधि उपलब्ध नहीं होगी ।

आडिट ने अनुभव किया कि निवेश नीति को इस पर अपनी आगामी समीक्षा पर विचार विमर्श किया जाए।

(IV) वर्षवार आधार पर निवेश नीति की समीक्षा न करना।

मार्च 2002 में निवेश नीति की समीक्षा करते समय परिषद् ने इच्छा व्यक्त की कि आर्थिक नीतियों में लगातार परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, उक्त की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जानी चाहिए। तथापि आडिट ने पाया कि वर्षवार आधार पर नीति की समीक्षा नहीं की जा रही है। 12 वर्षों की अवधि में केवल चार बार नीति क समीक्षा (2003, 2005, 2006 तथा 2010) की गई थी।

विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि परिषद् का निर्णय प्राप्त करने से पूर्व प्रस्ताव तथा तथ्यों का व्यापक अध्ययन करने के लिए कुछ समय हेतु निवेश नीति की समीक्षा के लिए ड्राफ्ट एजेंडा लम्बित हो । आडिट की सलाह तथा वरीयता के आधार पर सभी संबंधित तथ्यों एवं योग्यता को ध्यान में रखते हुए, परिषद् की निवेश पालिसी की निकट भविष्य में समीक्षा की जाएगी।

विभाग को निवेश समिति की समीक्षा हेतु अनिवार्य प्रयास किए जाने चाहिए चूंकि उक्त की समीक्षा 2010 से नहीं की गई ।

(V) डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कम निवेश

विभाग ने 2010 में निवेश नीति की समीक्षा करते समय डीपीई दिशानिर्देशों पर विचार नहीं किया है। तत्पश्चात् नीति की समीक्षा नहीं की गई है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वित्तीय सेवाओं के विभाग ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा निर्देशों के आधार पर सभी मंत्रालयों/विभागों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों के मुख्य अधिकारियों को (अगस्त-2008, फरवरी-2009 और जुलाई-2012[7]) निर्देश दिये कि अपनी आधिक्य निधि के 60% भाग को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखें और जमा पूँजी पर दरों (अल्पावधि के लिए भी) में मनमाने वृद्धि करने में लगे बैंकों में अनैच्छिक प्रतियोगिता को रोकने के लिए थोक जमा पूँजियों के लिए सम्पूर्ण बोलियां आमंत्रित करने के कार्य को बन्द करें।

लेखा परीक्षा ने यह पाया है कि विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को छोड प्राईवेट बैंकों को प्राथमिकता दे रही है। वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान पिछले तीन वर्षों में 60% से अधिक निधि का प्राइवेट बैंकों

[7] डीओ सं. 7/150/2008- बी ओ ए दिनांक 18 जुलाई 2012 तथा डीपीई/दिशानिर्देश/III/37 द्वारा सं. डीपीई/18(2)/08-वित्त दिनांक 24 फरवरी 2009

में निवेश किया गया है। ₹3985.07 करोड़ का वर्तमान निवेश (24.11.2014) कुल निवेश का 59% निकलता है। **(अनुलग्नक-XIX)** संक्षिप्त स्थिति निम्न प्रकार से है:

(₹ करोड़ में)

	प्राइवेट बैंकों का नाम	निवेश राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निवेश राशि
1	यस बैंक	*247.00*	इलाहबाद बैंक	*9.00*
2	जे एण्ड के बैंक	500.00	आंध्रा बैंक	5.00
3	एक्सिस बैंक	335.00	बैंक ऑफ इंडिया	20.00
4	इंडसडंड बैंक	236.00	केनरा बैंक	990.00
5	कर्नाटका बैंक	239.01	कारपोरेशन बैंक	20.00
6	करूर वैश्य बैंक	251.00	इंडियन ओवरसिज बैंक	9.99
7	इंग वैश्य बैंक	327.07	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	30.01
8	फेडरल बैंक	50.99	स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकौर	165.00
9	दक्षिण भारत बैंक	80.00	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	20.00
10	डीसीबी बैंक	100.00	विजय बैंक	280.00
11	-	0	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	70.00
	कुल	**2366.07**	**कुल**	**1619**
कुल निवेश का प्रतिशत		**59%**	**कुल निवेश का प्रतिशत**	**41%**

विभाग ने बताया कि (अगस्त 2015) प्राइवेट बैंको में 60 प्रतिशत की निधि का निवेश स्वयं व्यक्त करता है कि पब्लिक सैक्टर बैंकों की तुलना में निजी बैंकों ने न.दि.न.परिषद् निधि के निवेश हेतु अधिकतम प्रति स्पर्धात्मक दरे प्रस्तुत की है तथा इस प्रकार प्राइवेट बैंकों के साथ निवेश परिषद् की विद्यमान निवेश नीति के अनुसार है। आडिट द्वारा दर्शाए गए अवलोकन, परामर्श तथा संदर्भ परिषद् की विद्यमान निवेश नीति की समीक्षा करते समय देखे जाऐगे।

विभाग के इससे पूर्व कहीं और दिए विवरण में विसंगति हैं, जिसके द्वारा यह बताया गया कि एस.बी.आई. उनका चीफ बैंकर (पैरा 4.2.3) हैं। जे. एण्ड के. बैंक भी चीफ बैंकर हैं। जिसके पास अधिकतम निवेश हैं, सभी बैंकों में कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं है येस बैंक में केवल एकमात्र क्रेडिट रेटिंग हैं।

ऑडिट का विचार है कि निवेश नीति के उल्लंघन में प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दरों को अर्जित करने के लिए निवेश की गई राशि को बताया जाए ।

आधिक्य निधि को निवेश करते समय, विभाग डीपीई दिशानिर्देशों के आधार पर वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया ।

(VI) सूचीबद्ध बैंकों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा न करने व कम बैंकों के हिस्सा लेने के कारण अपर्याप्त प्रतियोगिता।

(ए) निवेश नीति के मानदण्डों के अनुसार बने बैंक की नामिका को निवेश नीति (2005) के आधार पर अध्यक्ष, न.दि.न.परिषद् को अनुमोदन हेतु प्राधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा ने नोट किया है कि 51 सूचीबद्ध बैंकों में से (स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक 8 राष्ट्रीयकृत बैंक 19, निजी बैंक 23 और एक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक यथा (आईडीबीआई) न.दि.न.परिषद् ने 35 बैंकों का पैनल तैयार किया है। (1998 में 11 बैंक, 2002, 2003 और 2004 में 10 बैंक, 2007 और 2008 में 5 बैंक, 2010 में 2 बैंक, 2013 और 2014 में 2 बैंक)। यद्यपि पर्याप्त धनराशि निवेश की गयी थी परन्तु विभाग ने और अधिक बैंकों में निवेश के लिए तथा दूसरे वित्तीय संस्थानों को बोली प्रक्रिया/ नामिका के लिए प्रयास नहीं किये।

(बी) बिना यह अपेक्षा किये कि नामिक वाले बैंक अपनी कैपिंग सीमा में पहुंच गये हैं, निवेश नीति (2005) के अनुसार सभी नामिका वाले बैंकों से कोटेशन आमंत्रित किये जाने चाहिए।

वर्तमान में 35 नामिका वाले बैंकों में से 30 या 31 बैंकों से दरें आमंत्रित की गयी हैं, केवल 4-5 बैंक इस तर्क पर छोड़े गये कि उनकी कैपिंग सीमा समाप्त हो गयी है। 30-31 बैंकों में से केवल 6 से 21 बैंकों से प्रतिउत्तर प्राप्त किये गए तथा इनमें बहुमत प्राईवेट बैंकों का था। वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में एवं सीमित प्रतियोगिता होने से 8 बैंकों, 20 बैंकों और 21 बैंकों में निवेश किया गया जैसा कि **अनुलग्नक-XX और अनुलग्नक-XXI** में दिखाया गया है।

नामिका वाले बैंकों की वित्तीय परिणाम निकलने के बाद प्रतिवर्ष उनकी समीक्षा की जाए। यह जरूरी है पात्रता मापदण्ड के सत्यापन के लिए नामिका वाले बैंकों की समीक्षा आवश्यक है। यथा- निवल सम्पत्ति, पर्याप्त अनुपात, बैकों की क्रेडिट दर जबकि नामिका वाले बैंकों की प्रतिवर्ष समीक्षा होनी चाहिए परंतु नियमित रूप से नहीं हो रही है एवं अप्रैल 2010 के बाद कोई समीक्षा नहीं हुई।

विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि संशोधित मानदण्ड यथा निवल मूल्य पर्याप्तता अनुपात सूचीबद्ध बैंकों से प्राप्त बैंकों की क्रेडिट रेंटिग, वार्षिक आडिट वित्तीय विवरणों का हिस्सा है तथा यह सुनिश्चित किया गया कि इस संबंध में कोई प्रतिकूल रिर्पोटिंग नहीं है, इसलिए न.दि.न.परिषद् का सुरक्षा निवेश कोष भविष्य के लिए सुनिश्चित किया जा सकता है। यद्यपि, लेखापरीक्षा की सलाह अनुसार प्रत्येक वर्ष सूचीबद्ध बैंकों की समीक्षा भविष्य में सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाएगे ।

विभाग को वर्ष के आधार पर सूचीबद्ध बैंकों की समीक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए जैसाकि अप्रैल 2010 से समीक्षा नहीं हुई है।

4.2.5 बैंकों के मध्य निधियों का गैर-प्रभाजन

निवेश नीति 2005 के अनुसार, यदि दो या उससे ज्यादा बैंकों द्वारा प्रस्तुत दरे बराबर या 5 मूल बातों से भिन्न न हों तो उन दोनों बैंकों के मध्य बराबर या उनकी निवल सम्पत्ति और सामान्य कैप जमा 25% की शर्त पर निवेश योग्य निधि प्रभाजन कर दिया जाए।

बैंकों की निवल सम्पत्ति के अनुपात में एक जैसी ब्याज दर प्राप्त होने पर भी उन बैंक में निधि उस अनुपात में निवेश नहीं की गयी, यह बात लेखा परीक्षा से पता चली।

(ए) निवेश समिति ने निर्णय लिया कि बिना निवल सम्पत्ति के अनुपात में चार बैंकों में ₹783.50 करोड़ रुपये निवेश किये जाएं और इस निर्णय के बारे में कोई टिप्पणी नहीं दी गयी। निधि का निर्णय नीति के अनुसार निवल सम्पत्ति के अनुपात में किया जाए, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:

(₹ करोड़ में)

बैठक की कार्यवृत्त	निधि का निवेश				बैंक की कुल सम्पत्ति	कुल निवल सम्पत्ति के अनुपात में निवेश किया जाना है	आधिक्य/कम राशि निवेशित
	बैंक का नाम	राशि का निवेश	ब्याज की दर	निवेश अवधि			
21-5-2013	केनरा बैंक	760.00	9%	1 वर्ष 11 माह 29 दिन	24878.00	367.39	+392.61
	कारपोरेशन बैंक	5.00	9%	4 वर्ष 11 माह 29 दिन	9565.69	141.26	-136.26
	कर्नाटका बैंक	8.50	9%	2 वर्ष	2857.08	42.19	-33.69
	यूनियन बैंक	10.00	9%	2 वर्ष 11 माह 29 दिन	15755.13	232.66	-222.66

(बी) निवेश समिति ने निर्णय लिया कि निवल सम्पत्ति के अनुपात की बजाय 6 बैंकों में ₹61.50 करोड़ अधिकतम ब्याज राशि प्राप्त करने के आधार पर निवेश नीति के आधार पर निम्न विवरण के अनुसार निवेश किया ।

(₹ करोड़ में)

बैठकी कार्यवृत्त	निधि का निवेश				बैंक की कुल सम्पत्ति	कुल निवल सम्पत्ति के अनुपात में निवेश किया जाना है	आधिक्य/ कम राशि निवेशित
	बैंक का नाम	राशि का निवेश	ब्याज की दर	निवेश अवधि			
22-05-2013	विजया बैंक	25.00	9.10%	1 वर्ष	4081.49	5.22	+ 19.78
	कोरपोरेशन	5.00	9.10%	555 दिन	9565.69	24.46	- 14.46
	कोरपोरेशन	5.00	9%	4 वर्ष 11 माह 29 दिन	–यही–		
	फैडरल बैंक	0.99	9%	2 वर्ष 11 माह 29 दिन	6239.27	7.98	- 6.99
	कर्नाटका	15.51	9%	2 वर्ष	2857.08	3.66	+ 11.86
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10.00	9%	2 वर्ष 11 माह 29 दिन	15755.13	20.18	- 10.16
	कुल	61.5			24851.48	61.47	
21-12-2012	कर्नाटका	100.00	9.05%	5 वर्ष	2857.08	15.00	+85.00
	केनरा	50.00	9.05%	1 वर्ष 11 माह 29 दिन	24878.00	135.00	-85.00

विलम्ब समीक्षा के दौरान वह मामला पुनः उठाया गया। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है जिसे सम्बंधित अधिकारियों द्वारा बारीकी से देखी जानी चाहिए।

विभाग ने बताया कि (अगस्त 2015) निवेश समिति ने ब्याज की उसी दर को प्रस्तुत करते हुए बैंकों के मध्य अधिक्य निधि के प्रभाजन का निर्णय लिया ।

विभाग ने यद्यपि, बैंकों के मध्य निधि का प्रभाजन करते हुए बैंकों को निवल महत्व पर विचार नहीं किया ।

लेखा विभाग

5.1 स्वीकार्य अवधि की समाप्ति के बाद बढ़ी दरों पर परिवारिक पेंशन का भुगतान करने के कारण ₹19.76 लाख का अधिक भुगतान।

केन्द्रीय नागर सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार बढ़ी दरों पर परिवारिक पेंशन सात वर्षों की अवधि तक या उस दिन तक जब कि दिवंगत व्यक्ति 67 वर्षों का हो जाता, या जब तक जीवित रहे जो भी पहले हो, देय है। पुन: 6वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के पश्चात्, सरकारी कर्मचारी के सेवा के दौरान मृत्यु होने और जिसका परिवार 1, जनवरी 2006 को बढ़ी पारिवारिक पेंशन प्राप्त करता हो, के मामले में बढ़ी पेंशन की अवधि 7 साल से 10 साल तक बढ़ गयी। पेंशन की बढ़ी दर से सामान्य दर में परिवर्तन होना स्वचालित है क्योंकि पेंशन पेमेंट आर्डर (पीपीओ) में यह अपने आप रिकार्ड हो जाता है और बैंक को तदनुसार पारिवारिक पेंशन का भुगतान करना होता है।

पेंशन अनुभाग के आडिट के दौरान लेखा परीक्षा विभाग ने पूर्व कर्मचारियों को पेंशन के अधिक भुगतान की घटनाएं नोट की हैं, क्योंकि वहां बढ़ी पेंशन को एक निर्धारित अवधि के बाद सामान्य पेंशन तक घटाने को और मानीटर करने के लिए कोई पद्धति नहीं है। ऐसे सभी मामलों को वार्षिक आडिट रिपोर्ट (2005 का पैरा 2.2, 2009 का पैरा 5.2 और 2011 के पैरा 3.1 व 3.2) उल्लेखित किया जा रहा है।

न.दि.न.परिषद् में आडिट पर स्थाई समिति की बैठक के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय को इस बारे में जानकारी दी गयी जिस पर अध्यक्ष न.दि.न.परिषद् ने (अप्रैल 2014) में विभाग को निर्देश दिया कि आई.टी. विभाग के परामर्श से बैंक को इलैक्ट्रोनिक पारेषण के आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु विसंगति की समस्या को (मई, 2014 के अंत तक) हल किया जाना चाहिए।

तथापि उक्त स्थाई समिति में दिए गये आदेश के अनुसार मामले को हल करने के लिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी। पेंशन के अनुवर्ती अवधि के रिकार्ड की टेस्ट चैक से आडिट को मालूम हुआ कि 25 पेंशनरों के मामले में स्वीकार्य अवधि के समाप्त होने पर पेंशन दर को सामान्य दर तक घटाया नहीं गया जिस कारण उस अवधि की बढ़ी पेंशन दर देय हैं जिस कारण ₹19.76 लाख का अधिक भुगतान देय है। **(अनुलग्नक- XXII)** उसकी वसूली किये जाने की जरूरत है।

दस्तावेजों के टेस्ट चैक से इन मामलों के सामने आने के बाद सभी मामलों की समीक्षा जरूरी है और अधिक किये गये भुगतान की वसूली की जरूरत है।

आडिट में खुलासा होने के बाद (जून-2015) बैंक ने पारिवारिक पेंशन से मासिक किश्तों में वसूली करनी शुरू कर दी है।

तथापि, विभाग को अभी तक संचारण प्राप्त करने और भुगतान पर इस तरह बचने के लिए बैंकों के साथ डाटा का मिलान करने के लिए एक पूर्ण प्रमाण इलेक्ट्रोनिक प्रणाली विकसित करनी है। ₹19.76 लाख की वसूली भी शीघ्रता से किए जाने की जरूरत है।

अध्याय-6

सिविल इंजीनियरिंग विभाग

6.1 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को भूखण्ड हस्तांतरित करने के सम्बन्ध में ₹6.98 करोड़ की वसूली में विलम्ब।

सेक्टर-14, द्वारिका फेस-2 में टाईप-4 के 440 क्वार्टरों के निर्माण के लिए 2.79 हेक्टेयर भूखण्ड दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा न.दि.न.परिषद् को (मई-1996) आवंटित किया था। भूखण्ड वास्तविक रूप से सितम्बर-1997 में न.दि.न.परिषद् को सौंप दिया गया, भूखण्ड का 15 वर्षों तक कोई इस्तेमाल नहीं किया और ना ही उस पर कोई निर्माण हुआ। रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के माननीय उपराज्यपाल ने अप्रैल, 2012 में न.दि.न.परिषद् को निर्देश दिया कि उक्त भूखण्ड को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को सौंप दें। इस प्रकार नवम्बर, 2012 को उक्त भूखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्व विद्यालय को सौंप दिया गया। इस समय तक न.दि.न. परिषद् उक्त भूखण्ड पर ₹1.91 करोड़ व्यय कर चुका था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

	व्यय का विवरण	**राशि (₹लाख में)**
1.	हट का नवीकरण	1.98
2.	चार दीवारी का निर्माण	11.23
3.	मस्टरोल एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	2.42
4.	भू किराया	147
5.	सुरक्षा कर्मी	28.14
	योग	**190.77**

यथा ₹1.91 करोड़

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को भूखण्ड हस्तांतरित करते समय माननीय उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय विधि विश्व विद्यालय को निर्देश दिया कि न.दि.न.परिषद् द्वारा उस पर किये व्यय की क्षतिपूर्ति करें, जिस पर राष्ट्रीय विधि विश्व विद्यालय सहमत था। इस प्रकार न.दि.न.परिषद् ने व्यय राशि पर ब्याज जोड़कर ₹7.09 करोड़ राशि की मांग की परन्तु राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने कुल व्यय ₹7.09 करोड़ की व्यय मांग की बजाय चारदीवारी पर हुए वास्तविक व्यय की राशि ₹11.23 लाख का भुगतान किया। शेष राशि के दावे के मामले को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने दिसम्बर, 2013 में सरकार के विधि, न्याय व विधायी कार्य (एलआई एण्ड एलए) विभाग को अग्रसरित कर दिया। इस मामले पर उन्होंने मुख्य सचिव, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार से पूर्व अनुमति ले ली थी, टिप्पणी (अप्रैल, 2014) इस प्रकार से है:-

1. प्रथम दृष्टि में दावे की जिम्मेदारी का विर्धारण राष्ट्रीय विधि विश्व विद्यालय द्वारा ठीक से किया जाए और तदनुसार भुगतान किया जाए।
2. जिन मदों का भुगतान करने का औचित्य राष्ट्री विधि विश्व विद्यालय के लिए बनता है, केवल उन्हीं पर ही वास्तविक दावे की गणना के लिए विचार किया जाए।
3. जब संस्थान बना भी नहीं था, उस अवधि का भूमि किराया ₹1.47 करोड़ राष्ट्रीय विधि विश्व विद्यालय द्वारा भुगतान करने की जरूरत नहीं है। 1996 और उसके बाद का भूमि किराये का दावा।
4. सरकारी से सरकारी लेन-देन होने के कारण कम्पाउंड ब्याज व भू-किराया प्रभार के ₹5.19 करोड पर सहमति नहीं हो सकती।

यद्यपि, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार के न्याय एवं विधायी कार्य (एलजे एवं एलए) एवं विधि विभाग से टिप्पणियाँ प्राप्त हुए एक वर्ष से ज्यादा बीत गया, परन्तु दावा में संशोधन नहीं हुआ। अतः जून, 2015 में दुबारा प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार भूमि खण्ड की शेष राशि अभी तक वसूल नहीं की जा सकी।
चूंकि उक्त राशि काफी बड़ी है, अतः विभाग को उक्त राशि की वसूली के लिए यथेचित कदम उठाने की जरूरतं है।

6.2 दिल्ली ट्रांस्को लि0 को हस्तांतरित परियोजना पर व्यय हुए ₹12.45 लाख की वसूली नहीं।

हरीश चन्द्र माथुर लेन पर 220 केवी बिजली सव-स्टेशन स्थापित करने के लिए न.दि.न.परिषद् ने भूमि व विकास कार्यालय (एल एण्ड डीओ) शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार से ₹20,12,810 की लागत पर ₹0.9149 एकड़ अगस्त 1999 में खरीदा। इस लागत के अलावा न.दि.न.परिषद् को प्रति वर्ष ₹50,320 जमीन का भुगतान करने की जरूरत थी।

तदानुसार, जुलाई 2004 को हुई बैठक में सचिव (पावर), भारत सरकार ने निर्णय लिया कि राज्य पारेषण उपयोगिता होने के कारण सबस्टेशन दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाना है। उस समय तक न.दि.न.परिषद् ने इस परियोजना पर निम्न व्यय किया-

	व्यय का विवरण	राशि (in ₹)
1.	भूमि लागत	20,12,810
2.	कुल भूमि किराया	3,52,240
3.	प्लाट चारदीवारी बनाने पर व्यय	5,49,398
4.	हरीश चन्द्र, माथुर लेन में (24) झुग्गियों को बसाने पर व्यय	6,96,000
	योग	**36,10,448**
		यथा ₹36.10 लाख

चूँकि सचिव (विद्युत), भारत सरकार के अनुमोदन पर उक्त परियोजना दिल्ली ट्रांस्को लि0 को उनकी लागत पर उन्हें हस्तांतरित किया जा चुका है, परन्तु सम्पूर्ण परियोजना पर न.दि.न.परिषद् ने व्यय किया है जो दिल्ली ट्रांस्को लि0 से वसूल किया जाना है।

यद्यपि भूमि व विकास कार्यालय द्वारा मई, 2010 में भूमि की राशि ₹20,12,810/- लौटा दी थी और अगस्त, 2007 तक का दिया भू-किराया ₹3,52,240/- परिषद् ने बट्टे-खाते में डाल दिया, ₹12.45 लाख व्यय किए (₹5,49,398) चारदीवारी पर (₹6,96,000) जे.जे. कलस्टर को बसाने में व्यय की राशि 7 वर्ष के अंतराल के बाद भी दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड से वसूल नहीं की गई ।

आडिट को पता चला कि दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड से राशि वसूली के लिए विभाग ने पर्याप्त कोशिश नहीं की रिकार्ड जांच से पता चला कि जून-2010 के बाद वसूली के लिए कोई कागजी कार्रवाई नहीं की गयी।

विभाग ने बताया कि (अक्टूबर, 2014) दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड राशि वापसी के लिए मुख्य जिम्मेदारी इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग विभाग की है जिसे अगस्त, 2011 में अनुस्मारक दिया गया था और उसके बाद संबंधित कार्यकारी इंजीनियर न.दि.न.परिषद् की सेवा से सेवा-निवृत्त हो गया, उसके बाद इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग विभाग से पुनः कोई लिखित कार्रवाई नहीं की जा सकी।

इस प्रकार विभाग की निष्क्रियता और इलैक्ट्रानिक इंजीनियरिंग विभाग से तालमेल में कमी के कारण दिल्ली ट्रांस्को लि0 से ₹12.45 लाख की वसूली नहीं की जा सकी।

यह मामला विभाग के समक्ष जनवरी, 2015 में रखा गयाः वहां से उत्तर की प्रतीक्षा है (जून, 2015)

अध्याय-7

वाणिज्यिक विभाग

7.1 अस्थायी कनैक्शन के सम्बंध में ₹4.27 करोड़ की बकाया की वसूली नहीं।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् का वाणिज्यिक विभाग अपने उपभोक्ताओं को विवाह, धार्मिक समारोह, निर्माण गतिविधि, प्रदर्शनी, संस्कृतिक कार्यक्रम आदि की जरूरत के लिए अस्थायी बिजली के कनैक्शन प्रदान करता है।

दिल्ली विद्युत आपूर्ति संहिता की धारा-19 (vii) के अनुसार एक समय में 3 महीने तक के लिए अस्थायी कनैक्शन दिया जाता है जिसे आवश्यकता पड़ने पर फिर से बढ़ाया जा सकता है। पुनः इसी संहिता की धारा 49(1) में यह प्रावधान भी है कि लाईसेंसधारक बकाया भुगतान न करने की स्थिति में उसे 15 दिन का डिस्कनेक्शन नोटिस जारी किया जाए। उसके बाद लाईसेंसधारक को दिए नोटिस की अवधि के बाद उसकी सर्विस लाईन/मीटर को हटा कर या जैसा लाईसेंसधारी सही समझे वह किया जाता है।

विभाग द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार (मई-2014) 151 उपभोक्ताओं पर ₹4.27 करोड़ बकाया थे, जिन्हें अस्थाई कनैक्शन दिए गये थे, जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष	**वर्तमान उपभोक्ताओं की संख्या**		**डिस्केनक्टिड उपभोक्ताओं की संख्या**		**राशि (₹में)**
2012-13	संख्या	राशि (₹में) (क)	संख्या	राशि (₹में) (ख)	योग (क + ख)
	36	12,62,553	26	3,57,85,122	3,70,47,675 (62 कनैक्शन)
2013-14	32	40,75,956	57	15,75,756	56,51,712 (89 कनैक्शन)
योग	68	53,38,509	83	3,73,60,878	4,26,99,387 (151 कनैक्शन)
					यथा ₹4.27 करोड़

आडिट द्वारा पूछने पर विभाग ने (मई-2014) बताया कि:-

(क) वर्ष 2012-13 के 62 अस्थाई कनैक्शनों में से ₹12.62 लाख राशि के 36 कनैक्शनों को काटा गया और बकाया वसूली के लिए कार्यवाही की गयी थी।

(ख) वर्ष 2012-13 के शेष 26 कनैक्शनों के बारे में, जिनमें ₹3.57 करोड़ बकाया है, विभाग ने विश्वास दिखाया दिलाया कि उनकी प्रतिभूति राशि में से प्राथमिकता के आधार पर बकाया समंजित कर वसूल की जाएगी।

(ग) इसी प्रकार वर्ष 2013-14 में 89 अस्थायी कनैक्शनों में से 15 कनैक्शनों का ₹24.27 लाख बकाया है जो कि न.दि.न.परिषद् के ठेकेदार थे और विद्युत अभियंता (वाणिज्य) के विचाराधीन है।

(घ) वर्ष 2013-14 के ₹16.48 लाख बकाया के 17 कनैक्शनों के मामले अधिशासी अभियंता (वाणिज्य) अनुभाग को डिस्कनैक्शन के लिए भेजे गये हैं।

(ड़) वर्ष 2013-14 में ₹15.75 लाख शेष 57 अस्थाई कनैक्शन मामलों में डिस्कनेक्शन किया गया और विभाग द्वारा उनकी प्रतिभूति राशि को समंजित करके बकाया वसूली को प्राथकिता के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।

चूँकि अस्थाई कनैक्शन 3 मास के लिए जारी किये जाते हैं कुल ₹4.27 करोड़ की बकाया राशि को देखकर विभाग द्वारा इस सम्पदा डिसकनैक्शन करने व प्रतिभूति राशि में से बकाया समंजित करने के लिए कार्यवाही नहीं की जो कि फण्ड में रूकी पड़ी है।

यह मामला जून 2014 में सम्बंधित विभाग को सूचित किया गया उनके प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है (जून-2015)

अध्याय-8

विद्युत इंजीनियरिंग विभाग

8.1 खराब ट्रांसफार्मरों की आपूर्तिकर्ता से ₹30.96 लाख क्षतिप्रभार की वसूली में आसाधारण विलम्ब

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने आयल टाइप ट्रांसफार्मरों को ड्राई टाईप ट्रांसफार्मरों से बदलने का निर्णय लिया इस प्रकार अक्टूबर-2009 में ₹4.98 करोड़ ड्राई टाईप ट्रांस्फार्मरों की खरीद के लिए मैसर्स एम्कस इम्पेक्स इलेक्ट्रीकल्स प्रा0 लिमिटेड अहमदाबाद को आपूर्ति आदेश दिया।

तत्पश्चात् राजपथ (फेस-4) के उत्तर व दक्षिण में 51 आयलटाईप ट्रांसफार्मरों के स्थान पर 1000 (केवीए) के ड्राई टाईप ट्रांसफार्मरों को बदलने के लिए मै0 कन्ट्रोल वैल स्वीचगेयर (जुलाई-2010) को ₹1.33 करोड़ (₹1,32,86,000) की लागत से काम सौंपा गया और 24 ट्रांसफार्मरों को बदलने का कार्य मैं0 न्यू दिल्ली ट्रेडर्स (अप्रैल-2012) को ₹13.25 लाख की लागत पर सौंपा गया।

इन सभी ट्रांसफार्मरों में से 60 ट्रांसफार्मर्स अल्प समय में ही लगाने के बाद खराब/जल गये और इस प्रकार अनेक ठेकेदारों द्वारा उन्हें बदला गया। जिस पर ₹30.96 लाख रुपये व्यय हुए।

जले हुए ट्रासफार्मरों पर हुए व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:-

	विवरण	अवधि	राशि (₹ में)
1	13 ट्रांसफार्मर्स बदले गये, ₹50,000/- प्रति की दर से	2010-11	6,50,000
2	19 ट्रांसफार्मर्स बदले गये, ₹48,800/- प्रति की दर से	सितम्बर से नवम्बर 2011	9,27,200
3	04 ट्रांसफार्मर्स बदले गये, ₹48,500/- प्रति की दर से	जनवरी से फरवरी 2012	1,94,000
4	15 ट्रांसफार्मर्स बदले गये, ₹55,200/- प्रति की दर से	2012-2013	8,28,000
5	09 ट्रांसफार्मर्स बदले गये, ₹55,200/- प्रति की दर से	2012-2013	4,96,800
	योग		30,96,000
			यथा ₹30.96 लाख

आडिट ने पाया कि ये ट्रांसफार्मर्स 36 माह की गारंटी अवधि के अंदर ही जल गये/खराब हो गये और इनके बदलने व ठीक करने पर किए गये व्यय को मूल आपूर्तिकर्ता यथा- मैं0 एमक्स इम्पेक्स इलेक्ट्रीक्लस प्रा0 लि0 से वसूल किये जाने की जरूरत थी, जो कि दो वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद अभी तक नहीं वसूली गयी।

विभाग के पूछने पर उसने (जुलाई-2014) में बताया कि मैं0 एमक्स इम्पेक्स इलेक्ट्रीक्लस प्रा0 लि0 से उसके बकाया में से वसूली के लिए अधिशासी अभियंता (एस-1) को मामला अग्रसरित किया गया। इसके अलावा विभाग उक्त आयोग्य ठेकेदार की वसूली के लिए विलम्ब के औचित्य को स्पष्ट नहीं कर सका। मामलों की जांच से यह बात पता चला कि आगामी निविदाओं में भाग लेने के लिए विभाग ने उक्त ठेकेदार के खिलाफ ब्लैक लिस्ट/अयोग्य घोषित करने के लिए कोई कार्यवाहीं नहीं की।

यह मामला विभाग के समक्ष सितम्बर-2014 में लाया गया और (जून-2015 तक कोई उत्तर नहीं मिला।

8.2 जमा कार्यों में हुए अधिक्य व्यय की वसूली नहीं।

अ.भा.आ. संस्थान, रेलवे और विदेशी दूतावासों आदि विभिन्न प्राधिकारियों की तरफ से न.दि.न.परिषद् ने अनेक जमा कार्य किये हैं। परंतु कार्यकारी विभाग को जमा कार्यों के कार्य निष्पादन से पूर्व व बाद में कानूनी प्रावधानों का अनुपालन करना होता है। इस संबंध में प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:-

(क) जब कभी कोई जमा कार्य किया जाना होता है, तो कार्य की जिम्मेदारी लेने से पूर्ण जमा राशि पहले प्राप्त हो जानी चाहिए।

(ख) जमा कार्य स्वायत्त निकाय का होने की स्थिति में, पर वित्तीय सहायता पूर्णत: सरकारी अनुदान से आता है, उस स्थिति में कुल जमा कार्य की अनुमानित राशि का 1/3 राशि अग्रिम जमा करना सुनिश्चित कर लिया जाए। उसके बाद मासिक कार्य की प्रगति रिपोर्ट के साथ मासिक बिल जमा करके उक्त कार्य पर व्यय हुई राशि की वापस प्रतिपूर्ति की जाए अंतिम अनुमानित व्यय के भाग के समंजन के लिए रखी कुल लागत का 1/3 जमा राशि को वैसे ही उक्त समंजन हेतु सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

(ग) कार्यकारी अभियंता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी समय कार्य की प्रगति का व्यय उक्त जमा राशि से अधिक नहीं होना चाहिए। जब की कार्यकारी अभियंता को उक्त भुगतान की प्राप्त में संदेह-सा लगे, तो उसे अपने मुवक्किल को सूचित करदेना चाहिए कि यदि बिल का भुगतान नहीं मिला तो कार्य बन्द किया जाएगा और कार्य बन्द होने पर अनुबंध की किसी प्रकार की जिम्मेदारी मुवक्किल की होगी। मुवक्किल के साथ इस प्रकार का पत्र-व्यवहार करने की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को भी देनी चाहिए।

(घ) यह जरूरी है कि कार्यकारी अभियंता जमा कार्य के अपने लेखे तुरन्त तैयार कर ले ताकि न.दि.न. परिषद् और मुवक्किल के लेखा पुस्तकों में राशि लम्बे समय तक संमंजित होने से लटके न रहें।

विद्युत इंजीनियरिंग डिविजन (सी-1 और 2) 2012-14 अवधि के जमा कार्यों के रजिस्टर की जांच से पता चला (31 मार्च, 2014) कि इस विभिन्न जमा कार्यों पर इन डिविजनों द्वारा ₹47.33 लाख की राशि खर्च की गई जो कि लम्बी विधि से अपने मुवक्किलों से वसूल नहीं हुई। **(अनुलग्नक-XXIII)**

जमा कार्यों पर आधिक्य राशि व्यय करने और उसकी वसूली न करने के लिए डिविजन से कारण जानने के लिए सितम्बर-2014 और नवम्बर-2014 में लिखा गया, जिसकी अभी प्रतीक्षा है।

8.3 अवास्तविक मांग के आधार पर भण्डार वस्तुओं की खरीद से ₹11.58 लाख निधि अवरूद्ध

विद्युत अभियंता के विभाग के विभिन्न डिविजनों द्वारा मांगी गई सामग्री की खरीद के लिए विद्युत अभियंता विभाग के स्टोर डिविजन जिम्मेदार है।

आडिट को पता चला कि सी-1, सी-2 और सी-4 डिविजनों (उपयोगकर्ता डिविजन) से प्राप्त इंडेटों के आधार पर विद्युत अभियंता विभाग के स्टोर डिविजन-2, ने मई 2007 में एच टी एक्स एल पी ई केबल साईज 70 मि.मी. वर्ग/3सी 3019 मीटर की खरीद की जिसमें से केवल 498 मीटर केबल उपयोगकर्ता डिविजनों ने सात वर्षों में उपयोग किया और 2521 मीटर केबल (नवम्बर-2014) से स्टोर में शेष पड़ी है जिससे यह पता चलता है कि उपयोगकर्ता डिविजन द्वारा रखी मांग अवास्तविक थी।

इस बात का खुलासा करने पर उक्त विभाग ने (अगस्त-2014) में स्वीकार किया कि उपयोगकर्ता डिविजन की मांग अवास्तविक होने के कारण उन्होंने केबल का उपयोग नहीं किया। विभाग ने (नवम्बर-2014) में इस बात की पुष्टि की कि 2521 मीटर केबल साईज 70 मि.मी. वर्ग/3सी जिसकी कीमत ₹11.58 लाख थी स्टोर में पड़ी रही और उनके उपयोग की संभावना कम है क्योंकि (i) इस केबल से सम्बन्धित कार्य पूर्ण हो चुका है। (ii) न.दि.न.परिषद् क्षेत्र में सिस्टम में उन्नयन होने के कारण, 70 मि.मीटर वर्ग/3सी का उपयोग का उत्थान बहुत कम हो गया है। तथापि विभाग इस सम्बंध में सूचित करने में असफल रहा कि (क) क्या ₹11.58 लाख की बिना किसी लाभ का व्यय करने की अवास्तवितक मांग की जिम्मेदारी किसकी निश्चित की गई है। (ख) इस प्रकार की पुर्नवृत्ति रोकने के लिए विभाग द्वारा किये उचित उपाय और (ग) क्या इस नुकसान को बट्टे-खाते में डालने या निपटान के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

जुलाई 2015 में विभाग ने पुनः दोहराया कि उक्त केबल की खरीद सी-1, सी-2 और सी-4 डिविजनों की मांग पर की गयी थी तथा उपयोगकर्ता/योजना डिविजनों ने प्रार्थना की कि इस केबल में उपयोग की संभावना बतायें।

तथ्य यह है कि:-

(क) चूंकि आठ वर्ष का समय बीत गया, उपयोगकर्ता डिविजनों द्वारा केबल नही उठाई गयी।

(ख) केबल की अवास्तविक मांग की जिम्मेदारी करने की जिम्मेदारी अभी विभाग को नियत करनी है।

(ग) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए किये गये उपायों को बताने में विभाग असफल रहा।

सम्पदा विभाग

9.1 खान मार्किट के दुकान मालिकों से ₹1.01. करोड़ के दुरूपयोग प्रभार की वसूली/अंतिम रूप देने की कार्यवाही नहीं।

भूमि व विकास कार्यालय से न.दि.न.परिषद् को खान मार्किट सहित 10 मार्किट हस्तांतरित करने के लिए शहरी विकास विभाग ने मार्च, 2006 में अधिसूचित किया (एल एण्ड डी ओ) अधिसूचना के अनुसार हस्तांतरण के बाद न.दि.न.परिषद् इस क्षेत्र की दुकानों या फ्लेटों के लाईसेंसर या लीज प्रदाता के रूप में काम करेगा और भूमि व विकास कार्यालय, सम्पदा निदेशालय और के.लो.नि.वि. के समान शक्तियों का प्रयोग करेगा।

न.दि.न.परिषद् अधिनियम की धारा-363 में यह प्रावधान है कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति पर कोई वसूली योग्य, शुल्क, लागत, व्यय फीस, दर या किराया या किसी अन्य प्रकार लेखा बकाया होने पर उसे वसूल किया जाए।

सम्पदा-2 विभाग के दस्तावेज की टेस्ट चैक करने पर पता चला कि खान मार्किट के आवसीय फ्लैट का 27, 29 और 30 के मालिकों ने इन्हें वाणिज्यिक में बदल दिया है और तदनुसार सम्पदा-2 विभाग ने क्रमशः सितम्बर 2011, सितम्बर 2011 और जनवरी-2011 में दुरूपयोग/क्षतिपूर्ति शुल्क के भुगतान के लिए डिमांड नोटिस जारी किये हैं। इन सम्पतियों पर कुल डिमांड राशि ₹1.01. करोड़ निकलती है। **(अनुलग्नक-XXIV)** इन सम्पतियों की आडिट से पता चला है कि न तो इस डिमांड का भुगतान किया गया है, और न वसूली या बंदोबस्त के लिए विभाग ने कोई कार्यवाही की है।

उक्त मामला निदर्शनात्मक मांग है। विभाग को सभी मामला की जांच करने और इसके मैकॅनिज्म की ठीक मानिटरिंग करके प्रवाहपूर्ण बनाने की आवश्यकता है।

यह मामला विभाग की सूचना में अप्रैल 2015 को लाया गया, उत्तर की प्रतीक्षा है (जून-2015)

पालिका आवास विभाग

10.1 लाईसेंस फीस की दरों के संशोधन में असामान्य देरी के कारण रहने वालों से ₹27.99 लाख की कम वसूली

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के पालिका आवास विभाग ने एनडीएमसी की उपलब्धता और लागू लाइसेंस फीस के भुगतान के अधीन अपने कर्मचारियों को एनडीएमसी के आवास आवंटित करता है। न.दि.न.परिषद् के पास आज की तारीख में टाइप-I से टाइप-V तक अलग-अलग श्रेणियों के 3347 क्वाटर है ।

परिषद् के प्रस्ताव (अप्रैल 1998) की शर्तों पर आवासीय आवंटन और लाईसेंस शुल्क की वसूली के सम्बंध में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों को जारी होने की तिथि से स्वत: की लागू समझा जाए।

सम्पदा निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने (नवम्बर-2013) 1 जुलाई, 2013 से लाईसेंस शुल्क की दरों में संशोधन कर दिया जोकि पूरे देश में आवासीय परिसरों के लिए देय है।

आडिट ने पाया कि भारत सरकार द्वारा जुलाई 2013 से दरों में संशोधन के फलस्वरूप विभाग ने लाईसेंस फीस की दरों में संशोधन नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप दिसम्बर-2014 तक लाईसेंस फीस में ₹27.99 लाख की कम वसूली हुई **(अनुलग्नक-XXV)** जो पालिका आवासों में रहने वालों से वसूला जाना था।

बात सामने आने पर विभाग ने (फरवरी-2015) में बताया कि केन्द्रीय बिलिंग अनुभाग को सूचित किया कि न.दि.न.परिषद् के आवासों में रहने वालों से उनके वेतन में से बढ़ी लाईसेंस फीस की संशोधित दरें जुलाई 2013 से वसूली जाए।

भारत सरकार द्वारा लाईसेंस फीस में जुलाई 2013 से संशोधित बढ़ोतरी की वसूली करने में हुए असामान्य देरी के बारे में विभाग औचित्य साबित करने में विफल रहा, जिसके फलस्वरूप ₹27.99 लाख (दिसम्बर-2014) तक की वसूली उनमें रहने वालों से नहीं हुई।

18 मास की अवधि बीत जाने पर भी संशोधि दरों पर वसूली नहीं हुई। पालिका आवास विभाग और केन्द्रीय बिलिंग अनुभाग के मध्य तालमेल को पुख्ता किये जाने की जरूरत है।

यह मामला उक्त विभाग को मार्च 2015 में भेजा गया, उनके उक्त की प्रतीक्षा है। (जून-2015)

सम्पत्ति कर विभाग

11.1 निर्धारिती से मिला चैक अस्वीकृत होने के कारण ₹4.84 करोड़ सम्पत्ति कर की प्राप्ति नहीं।

केन्दीय सरकार लेखा (प्राप्ति व भुगतान) नियम 1983 के नियम 19(1)(बी) में यह व्यवस्था है कि कोई चैक या ड्राफ्ट अस्वीकृत होने की स्थिति में इस स्थिति की सूचना संबंधित व्यक्ति को नकद भुगतान करने के लिए भेजी जानी चाहिए और उक्त अस्वीकृत चैक/ड्राफ्ट संबंधित व्यक्ति को वापिस कर देना चाहिए।

आगे, परक्राम्य विलेख अधिनियम 1881, की धारा 138, में समय समय पर किए गए संशोधन के अनुसार, अनुबंधित किया जाता है कि चैक के यथा समय में भुगतान करने वाला अथवा धारक, जैसा भी मामला हो, अप्रदत्र के रूप में चैक की वापसी के संबंध में बैंक से उसके द्वारा सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर चैक के आहरणकर्ता (ड्रॉअर) को लिखित में नोटिस देते हए उक्त राशि के भुगतान हेतु मांग करता है, तथा यदि ऐसे चैक के आहरणकर्ता (ड्रॉअर) का भुगतान करने वाले को उक्त राशि का भुगतान करने में असफल होने पर, अथवा, जैसा भी मामला हो, चैक के यथा समय से धारक को, उक्त नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर, ऐसे व्यक्ति को अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए प्रतिबद्ध माना जाएगा ।

अस्वीकृत चैकों के रजिस्टर की जांच के दौरान आडिट ने पाया कि वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान (2012-13 में ₹2.84 करोड़ के 118 चैक, 2013-14 में ₹2.14 करोड़ के 145 चैक) ₹4.98 करोड़ के 263 चैक निर्धारिती ने सम्पत्ति कर के भुगतान को पालिका परिषद् के नाम से जमा किये थे। इसमें से ₹14.29 लाख की वसूली हुई और मार्च 2014 तक ₹4.84 करोड़ (₹4.98 करोड़ - ₹0.14 करोड़) शेष रह गये। **(अनुलग्नक- XXVI)** पुनः इस बात का पता चला कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ विभाग ने वार्त्ता साधन अधिनियम के अन्तर्गत कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की।

इस प्रकार विभाग को दोषी निर्धारितयों के खिलाफ यथोचित कार्यवाही करने की जरूरत है और वापसी प्राप्त चैकों की राशि ₹4.84 करोड़ की वसूली के लिए प्रभावशाली कदम उठायें।

उक्त मामला विभाग को नवम्बर-2014 में भेजा गया था, स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है। (जून-2015)

अध्याय-12

परिवहन विभाग

12.1 ऊँची दरों पर डीजल की खरीद, परिणाम स्वरूप ₹30.41 लाख की हानि।

विभागीय वाहन के चलाने के लिए 100% अग्रिम भुगतान करने पर मै0 इंडियन आयल कार्पोरेशन लि0 से सीधे थोक में न.दि.न.परिषद् का यातायात विभाग डीजल (एचएसडी) खरीदता है।

आडिट ने पाया कि वर्ष 2013-14 में यातायात विभाग ने 30 अवसरों पर कुल 3,60,000 लीटर डीजल (12000 लीटर प्रत्येक बार) खरीदा है, डीजल की पूर्व मार्किट खुदरा कीमत की तुलना में काफी ऊंची दरों पर यह खरीद की गयी है।

आडिट द्वारा जुलाई 2013 में स्पष्ट करने के बावजूद विभाग ने डीजल की थोक खरीद की अपनी आदत नहीं छोड़ी और परिषद् को बिना अतिरिक्त लाभ पहुंचाए ऊंची कीमत पर खरीद की है।

पूर्व फुटकर खरीद मार्किट कीमत की तुलना में वर्ष 2013-14 में डीजल की थोक खरीद पर अतिरिक्त व्यय करने पर कुल ₹30.41 लाख अतिरिक्त व्यय हुआ। **(अनुलग्नक-XXVII)**

यह मामला फिर से विभाग के समक्ष जनवरी 2015 और अप्रैल 2015 में लाया गया ।

आडिट द्वारा बताने के बावजूद विभाग ने (मई-2015) में बताया कि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) वर्ष 2013-14 में मै0 आई.ओ.सी. पर बल्क दरों पर खरीदा गया था और इस समय डीजल के थोक कीमत फुटकर की बजाय सस्ती है।

संस्तुति की जाती है कि विभाग डीजल खरीदते समय यह सुनिश्चित कर ले कि वह मार्किट में अधिक सस्ती दर पर मिल रहा है।

अध्याय-13

बिना दावे के जमाओं पर सामान्य टिप्पणी

(सिविल और विद्युत इंजीनियरिंग विभाग)

13.1 सरकारी खजाने में ₹5.13 करोड़ जमा प्रतिभूति का हस्तांतरण/वापसी नहीं।

प्राप्ति व भुगतान नियम के नियम-189(1) में यह तय किया गया है कि प्रत्येक वर्ष मार्च समाप्ति पर (ए) प्रत्येक लेखा वर्ष में 25 रुपये से अधिक बिना दावे की जमा न हो, या वर्ष की समाप्ति के बजाय वर्ष के दौरान आंशिक पुनः भुगतान जमाओं में अल्प अवशिष्ट शेष और (बी) सभी जमा या शेष उपरोक्त राशि से आधिक्य, तीन लेखा पूर्ण वर्षों से बिना दावा की राशि को समेकित-निधि के अंतर्गत सरकार के पास जमा किया जाएगा। इस सम्बंध में जमा रजिस्टर में आवश्यक टिप्पणी अनिवार्यतः लिख दी जाए। जमाओं के मामले में विभागीय अधिकारियों द्वारा विस्तृत लेखा विवरण रखा जाए, जमाओं और छूटे बकायों की एक सूची उनके द्वारा तैयार करके संगत निर्देशों के अनुपालन में एक प्रति लेखा अधिकारी को भेजी जाएगी।

विद्युत इंजीनियरिंग विभाग और सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रतिभूति/धरोहर राशि जमा रजिस्टर के परीक्षण जांच करने के दौरान आडिट ने पाया कि तीन पूर्ण वित्तीय वर्षों से ₹5.81 करोड़ की राशि बिना किसी दावे के जमा है और आज तक परिषद् के लेखे में जमा नहीं की गयी। यह राशि न तो न.दि.न.परिषद् को हस्तांतरित ही की है और न ही ठेकेदारों को लौटाई या संबंधित कार्यों में संजित नहीं हुई।

ऑडिट के इंगित किए जाने पर ठेकेदारों/परिषद् खाते में विभाग द्वारा ₹67.70 लाख (सिविल इंजीनियरिंग - ₹28.92 लाख और विद्युत इंजीनियरिंग- ₹38.78 लाख) की राशि का तबादला हुआ ।

₹5.13 करोड़ (सिविल इंजीनियरिंग-₹2.74 करोड़ और विद्युत इंजीनियरिंग- ₹2.39 करोड़) **अनुलग्नक-XXVIII** कि राशि अभी भी समायोजित की जानी थी ।

अध्याय-14

लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियाँ

आडिट द्वारा नियमित अनुवर्ती कार्यवाही करने और खुलासा होने पर विभिन्न विभागों ने निम्न वसूलियाँ प्राप्त की (जून-2015)

	विभाग	वसूली का संक्षिप्त विवरण	प्राप्त राशि (₹करोड़ में)
1.	सम्पत्ति कर	दोषी निर्धारितियों से पिछले सम्पत्ति कर की वसूली।	125.79
2.	वास्तुविद एवं पर्यावरण	सेलूलर आपरेटरों से विलम्ब से भुगतान प्राप्त होने के कारण जुर्माना शुल्क एवं अनुमति शुल्क की वसूलियाँ ।	0.63
3.	प्रवर्तन	विज्ञापन एजेन्सियों से लाईसेंस शुल्क के बकाये की वसूली।	1.58
4.	वित्त एवं लेखा	पेंशन संबंधी लाभों के आधिक्य/फालतू भुगतान की वसूली।	0.07
		योग	**128.07**

यथा ₹128 करोड़

(वर्षा तिवारी)
मुख्य लेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक

अनुलग्नक-I

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष पर प्रतिकूल शेष दर्शाने वाले लेखाशीर्ष

देयताएं

अध्याय-1 (भाग-II)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	वर्णन	(₹ राशि में)
1	3117002	नई पेंशन योजना 2004	3943872 डेबिट
2	3501001	देय आपूर्त्तिकर	135529048 डेबिट
3	3501004	विशिष्ट योजनाओं के प्रति भुगतान योग्य	126247 डेबिट
4	3501007	खर्चों के खिलाफ देय	64158 डेबिट
5	3501101	निवल भुगतान योग्य वेतन	70,10,94,692 डेबिट
6	3501102	निवल मजदूरी देय	25,95,235.00 डेबिट
7	3501104	देय पेंशन	23436 डेबिट
8	3501107	भुगतान योग्य कल्याण खर्चे	8219718 डेबिट
9	3501108	भुगतान योग्य एसएलजीआईएस (स्त्रोत पर)	849175 डेबिट
10	3501112	स्त्रोत पर सीजीईआईएस/यूटीजीआईएस(ओ)	6300 डेबिट
11	3501113	स्त्रोत पर सीजीईआईएस/डीजीएचएस(ओ)	4775 डेबिट
12	3501114	स्त्रोत पर सीपीएफ(ओ)पीएफओ(ओ)	70106 डेबिट
13	3501115	स्त्रोत पर बैंक ऋण वसूली (ओ)	5000 डेबिट
14	3501117	स्त्रोत पर सीपीए/सीपीए इन्ट(ओ)	10000 डेबिट
15	3501120	स्त्रोत पर सोसायटी रिकवरी (ओ)	327964 डेबिट
16	3501122	स्त्रोत पर इलैक्ट्रिक और पानी	1901 डेबिट
17	3501124	स्त्रोत पर जीपीएफ एडवांस/जीपीएस(ओ)यूपीएच(ओ)	1036740 डेबिट
18	3501125	स्त्रोत पर समूह बीमा (ओ)	686 डेबिट
19	3501126	स्त्रोत पर जीवन बीमा, 1,2,3, एनडीएमसी	15300 डेबिट
20	3501127	स्त्रोत पर मंटोला बैंक कर्ज वसूली, एनडीएमसी	12782 डेबिट
21	3501132	स्त्रोत पर कोर्ट संलग्नक (ओ)	703873 डेबिट
22	3501134	सचिव क्रेडिट और बचत सोसायटी न.दि.न.परिषद्	28277792 डेबिट
23	3501136	सी एंड टी इलैक्ट्रिक स्त्रोत पर सोसायटी रिकवरी (न.दि.न.परिषद्)	12865913 डेबिट
24	3501137	स्त्रोत पर जीपीएफ कटौती	165848690 डेबिट
25	3501138	स्त्रोत पर आयकर(टीडीएस), न.दि.न.परिषद्	82406533 डेबिट
26	3501139	स्त्रोत पर जनता एक्सीडेंट इंश्योरेंस, न.दि.न.परिषद्	925 डेबिट
27	3501140	स्त्रोत पर 1,2,3, जीवन इंश्योरेंस, न.दि.न.परिषद्	9694840 डेबिट
28	3501141	स्त्रोत पर मन्टोला बैंक लोन रिकवरी, न.दि.न.परिषद्	1908580 डेबिट
29	3501143	स्त्रोत पर पीपीएफ टायर-I कटौती, न.दि.न.परिषद्	6755516 डेबिट
30	3501145	स्त्रोत पर हितकारी फण्ड, न.दि.न.परिषद्	2707190 डेबिट
31	3502008	सैस (कल्याण सैस एक्ट 1996)	7332186 डेबिट
32	3502014	आयकर संग्रहण (स्त्रोत पर)	695300 डेबिट
		योग	1173134473 डेबिट यथा ₹117.31 करोड़

अनुलग्नक- II

मार्च 2014 अंत वर्ष तक प्रतिकूल शेष दर्शाते हुए लेखाशीर्ष

परिसम्पत्तियाँ

अध्याय-1 (भाग- II)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	वर्णन	(₹ राशि में)
1	4301036	हस्तगत शेष : बिजली मीटर	1000868 करोड़
2	4311033	निजी परिसम्पत्तियां : प्राप्य - 2 वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्ष से अधिक नहीं	1481773306 करोड
3	4311036	निजी परिसम्पतियां : प्राप्त - 5 वर्ष से अधिक	5187244952 करोड
4	4313045	एलआईसी शुल्क मार्किट से /शापिंग कॉम्पलैक्स/दुकानों से प्राप्य	1112690194 करोड
5	4313046	हर्जाना/दुरूपयोग चार्ज प्राप्य	41500391 करोड
6	4502101	भारतीय स्टेट बैंक	809847985 करोड
7	4502205	बिल्लर सुविधा उद्देश्य के लिए आईसीआईसी बैंक	46810 करोड
8	4601001	ब्याज धारी -गृह भवन अग्रिम	10346253 करोड
9	4601002	ब्याज धारी-वाहन अग्रिम	3968854 करोड
10	4601003	ब्याज धारी-कम्प्यूटर अग्रिम	127756 करोड
11	4601004	ब्याज धारी-कोई अन्य अग्रिम (उल्लेख करें)	278 करोड
12	4601007	ब्याज धारी-यात्रा अग्रिम	932831 करोड
13	4604004	पट्टा किराया	51243 करोड
14	4604006	स्थायी परिसम्पत्तियों के लिए	7752514 करोड
15	4605007	उपयोग सेवाओं के लिए सरकारी एजेंसियों को अग्रिम	140552955 करोड
16	4606001	बिजली	470000000 करोड
17	4606003	पानी	33721 करोड
		योग	926,78,70,913 यथा ₹926.79 करोड़

अनुलग्नक- III

अध्याय-1 (भाग- II)

पूंजीगत कार्य में प्रगति, न कि पूंजी की व्यवस्था करना		
सीओए	संख्या	(₹ राशि में)
4121001	9	243932753
4121002	25	1179346791
4121003	15	9389139
4121004	12	16680960
4121005	1	65164
4121006	12	700987535
4122001	10	16498641
4122002	11	26619061
4122003	4	1783412791
4122004	5	47780096
4122006	1	32346386
4122007	12	11025844
4123002	1	4338849
4124000	3	29360579
4124001	69	16488382
4124002	35	473987
4124003	20	77858
4124004	14	2001722
4124005	32	30610104
4124006	28	90799175
4124007	18	44930871
4124008	23	44450447
4124009	13	52572428
4124010	13	205617122
4124011	7	6581425
4124012	10	6881197
4124013	7	65044655
4124014	1	1632075
4129012	2	25519752
4129031	4	57081319
4129033	2	75443
कुल	419	4752622551 यथा ₹475.26 करोड़

अनुलग्नक-IV

प्रगति में कार्य की सूची

अध्याय-1 (भाग-II)

भवन रखरखाव-I

क्र. सं.	कार्य का नाम	सीओए (डब्ल्यूआईपी)	राशि आर बिल के अनुसार भुगतान किया	डीओएस	डीओसी	सीओए लगाया जाये (मुख्य शीर्ष)
1	21/1स्टेडियम का सुधार - तालकटोरा स्टेडियम का सुधार (चारदीवारी का निर्माण)	4124010	10225368	13.06.2009	18.05.2010	4102000
2	पालिका धाम हाउसिंग कॉम्पलैक्स का सुधार	4124005	11525997	03.01.2009	12.05.2010, एमबी. सं. 11605,9761,9766	4102004
3	रोहिणी के स्टाफ क्वार्टरों का सुधार	4124005	3948637	18.10.2012	17.10.2013 एमबी.11637/P83	4102004
4	रोहिणी एक्सटेंशन सैक्टर 11 के 256 एनडीएमसी स्टाफ क्वार्टरों का सुधार	4124005	17677473	30.10.2012	29.03.2014 एमबी. -06	4102004
5	27/सुधार/सब-स्टेशन के लिए विशेष मरम्मत (सिविल कार्य)	4124009	340207	09.11.2009	23.12.2009	
	योग		**43717682**			

भवन रखरखाव-II

क्र. सं.	कार्य का नाम	सीओए (डब्ल्यूआईपी)	राशि आर बिल के अनुसार भुगतान किया	डीओएस	डीओसी	सीओए लगाया जाये (मुख्य शीर्ष)
1	पालिका आवास हाउसिंग कॉम्पलैक्स, सरोजिनी नगर का सुधार	4124005	1261273	05.10.2012	04.10.2013 एमबी. 10979,11160,11140	4102004
2	20/10/ बापू धाम-धोबीघाट का सुधार	4124005	1168667	25.07.2013	15.03.2013एमबी. 4083,11023 , 11105	
3	21/ चरक पालिका अस्पताल का सुधार	4124005	2867432	10.05.2012	08.03.2013 एमबी. 11110, 10963, 10181,7877,111109	4102002

4	नवयुग स्कूल नार्थ वैस्ट मोतीबाग का सुधार	4124001	324086	07.01.2014	06.04.2014 एमबी. 3561/पी-100	4102007
5	27/1/निर्माण/एक्सवाई ब्लाक, सरोजिनी नगर के फ्लैटों का उन्नयन	4124005	881826	18.04.2013	17.08.2013एमबी. -9088/पी-100	4102004
6	पालिका ग्राम हाउसिंग कॉम्पलैक्स, सरोजिनी नगर का सुधार (अन्तिम भुगतान नहीं बनाया)	4124005	1063826	03.04.2013	13.02.2014	4102004
	योग		**2849300**			

सिविल रोड प्रभाग-II

क्र. सं.	कार्य का नाम	सीओए	राशि आर बिल के अनुसार भुगतान किया	डीओएस	डीओसी	सीओए लगाया जाये
1	महानगरीय शहर के केन्द्र में पार्किंग स्थल के निर्माण	4124002	2427470	21.01.2008	06.02.2009 एमबी सं05868, 8009	
2	जामनगर हाउस में फुटपाथ का सुधार तथा उपलब्ध आरएमसी	4124002	6794633	16.12.2010	14.06.2011 (कम्पूयटराईजड एमबी)	4103004
	योग		9222103			

सिविल रोड प्रभाग- IV

क्र. सं.	कार्य का नाम	सीओए	राशि आर बिल के अनुसार भुगतान किया	डीओएस	डीओसी	सीओए लगाया जाये
1	41/8 मंदिर मार्ग की सड़क स्कैपिंग (बागबानी सहित)	4124002	18521368	16.11.2009	12.11.2010	4103000
2	41/8 मंदिर मार्ग की सड़क स्कैपिंग (बागबानी सहित)	4124002	53735766	19.11.2009	28.09.2011	4103000
3	41/10 ओल्ड आर.के.आश्रम मार्ग की सड़क स्कैपिंग (पार्क स्ट्रीट से काली बाड़ी मार्ग तक)	4124002	18332645	16.11.2009	30.09.2010सीएमबी सं.3	4103000
4	सीपीडब्ल्यूडी कालोनी पार्क का पुनर्विकास आर-4 प्रभाग खण्ड के अधीन	4124013	7225908	22.12.2012	30.07.2013 सीएमबी 004	4101003
5	34/1/सर्विस रोड लेन/बायलेनस की रिसर्फेसिंग सीआर-4 प्रभाग के अधीन	4124002	63145564	15.05.2011	29.06.2012	4103000
6	15/19 बापूधाम, संजय कैम्प, अशोका होटल और अशोका पुलिस लाईन में पोर्टा केबिन का निर्माण	4124008	2271732	14.10.2013	18.02.2014 सीएमबी 02	4102005

7	41/8 मंदिर मार्ग की सड़क स्कैपिंग (बागबानी सहित)	4124002	53735766	19.11.2009	28.09.2011	4103000
8	35/6 नर्सरी मधुलीमय मार्ग पर पैदल-पथ का सुधार तथा चारदीवारी का निर्माण	4124002	979540	07.11.2013	06.03.2014 एमबी 10872 & 11945/पी- 59 से 60	4103004
9	23/19 मधुलीमय मार्ग,नीति मार्ग तथा सत्यमार्ग से रेल म्यूजियम गोल चौराहे, सुनहरी बाग रोड शेष भाग तक शांति पथ का सुधार।	4124002	7559735	20.07.2013	19.03.2014 सीएमबी 004	4103004
10	एस.पी.मार्ग पंचशील मार्ग पर	4124002	350969	18.7.2013	एमबी 10885/ पी-36 से 37	
11	सड़क स्कैपिंग		1921853	29.05.2010	04.09.2010	
12	न.दि.न.परिषद् क्षेत्र में सड़कों का सशक्तिकरण - सड़क-4 प्रभाग के क्षेत्र में लेन उपलेनों का पुर्नसतहीकरण।	4124002	63145564	15.05.2011	29.06.2012	4103000
13	41/6 तीस जनवरी लेन तथा समीप के गोल चौराहे का सड़क सौंदर्यकरण।	4124002	79538224	22.02.2009	08.01.2011 एमबी सं011943 पी01 से98	4103000
14	विभिन्न स्थान पर 21/2 वर्षा जल संचयन	4124002	623605	22.12.2012	21.02.2013 एमबी सं011962/P-71 TO72	
	योग		**371088239**			

<u>सिविल रोड प्रभाग- V</u>

प्रगति पर कार्य की सूची (4124002)

क्र. सं.	योजना/कार्य का नाम	आरएबिल के अनुसार अदा राशि	डीओएस	डीओसी	सीओए लगाया जाये	(₹ राशि में)
1	वर्ष 2012-13 में सड़क-5 प्रभाग में न.दि.न.परिषद् में निकास पद्धति का संवर्धन।	1845395	25.03.2013	14.09.2013 videएमबी सं.11070 pg.82/83	4103005	1845395
2	24/13 सैक्टर-I डीआईजेड क्षेत्र, गोल मार्किट में मदर डेयरी के सामने तथा तालकटोरा लेन में अंर्तयोजक पेवर्स को बिछाने का प्रावधान।	551448	25.10.2013	24.01.2014 एमबी सं. 11866/P-23		551448
3	24/18, सेक्टर-IV डीआईजेड क्षेत्र के लेन में सीसी चैनल स्लैब तथा सी सी अर्न्तयोजक पेवर्स, आर.सी.सी. पाइपों को बिछाने का प्रावधान।	1652141	27.10.2013	26.02.2014 पेज 86/4788		1652141
4	35/7 सड़क-V प्रभाग के क्षेत्राधिकार में लेनों उपलेनों का पुर्नसतहीकरण।	8723605	30.04.2006	06.11.2006 एमबी 6938 P48/48	4103000	8723605
5	25/20, 1 से 17 ब्लाक सेक्टर 11 डीआईजेड क्षेत्र गोल मार्किट पर 250,300 तथा 450 मि.मी. व्यास आरसीसी पाइपों का प्रावधान करते हुए निकास पद्धति को बिछाने का प्रावधान।	1339825	03.03.2008	30.06.2008 एमबी 9479	4103101	1339825

6	25/20, 1 से 17 ब्लाक सेक्टर 11 डीआईजेड क्षेत्र गोल मार्किट पर 250,300 तथा 450 मि.मी. व्यास आरसीसी पाइपों का प्रावधान करते हुए निकास पद्धति को बिछाने का प्रावधान।	2345385	10.06.2013	09.10.2013 एमबी9491/P-65	4103000	2345385
7	1/6 सीआर-5 के अंतर्गत न.दि.न.परिषद् क्षेत्र में खेल मैदान का विकास	2244131	10.02.2012	31.07.2012		2244131
	योग	**18701930**				**18701930**

विद्युत निर्माण प्रभाग- V

<u>प्रगति में काम की सूची (सीओए:4124001)</u>

क्र. सं.	योजना	कार्य विवरण	ठेकेदार और अनुबंध राशि	अदा की गई सकल राशि	डीओएस	डीओसी	एम.बी.संख्या
1.	94/ नई दिल्ली सिटी सेंटर चरण-II का निर्माण	इलैक्ट्रिकल संस्थापन उपलब्ध कराना	मै0 गोयल इलैक्ट्रिक वर्क्स – ₹50,56,620/-	85,11,416/-	24.07.2008	24.11.2010	03/2010 at P. 87-97
2	94/ नई दिल्ली सिटी सेंटर फेस-II का निर्माण	ब्लाक बी एंड सी में एचवीएसी पद्धति का प्रावधान	मै0 ईटीए इंजीनियरिंग (प्रा0)लि. – ₹8,02,76,786/-	11,78,67,283	08.09.1999	07.09.2000	11/2008,16/2010, 17/2011
3	92 इलैक्ट्रोनिक पार्किंग में दिशा-निर्देशन तथा प्रबन्धन पद्धति का प्रावधान i)पालिका पार्किंग	इलैक्ट्रोनिक पार्किंग दिशा-निर्देशन तथा प्रबन्धन का प्रावधान	मै0 आटो पास इण्डिया - अनुबंध वेल्यू ₹ 2,58,84,884/-	2,78,58,544/-	15.03.2010	01/06/2011	15/2010 at P-34
	योग			15,42,37,243/-			

<u>उद्यान</u>

प्रगति पर कार्य की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	सीओए	राशि	डीओएस	डीओसी	लगाया गया सीओए	राशि (₹ में)
1	28/1 आवासीय कालोनियों में पार्कों का विकास (उद्यान कार्य)	4124013	601767	05.12.2013	15.01.201	4101003	601767
2	31/1 मुख्य सड़कों के पास हरित पट्टी का विकास	4124013	116973	01.11.2013	30.11.2013	4101003	116973
3	31/3 उद्यान विभाग द्वारा न.दि.न.परिषद् स्कूलों में पार्कों का विकास	4124013	507107	02.04.2013	04.05.2013	4101003	507107
4	31/1 मुख्य सड़कों के पास हरित पट्टी का विकास	4124013	657493	15.11.2013	13.01.2014	4101003	657493

5	31/1 मुख्य सड़कों के पास हरित पट्टी का विकास	4124013	644859				
6	21/1 फेसिंग कम्पाउंडिंग वॉल सहित तथा जलापूर्ति के संवर्धन सहित नेहरू पार्क का विकास	4124013	1405996	14.11.2013	28.12.2013एमबी 12738	4101003	1405996
7	36/2 पुरानी पाइप लाइनों का प्रतिस्थापन तथा हाईडेंटस का प्रतिस्थापन	4124013	263871	04.04.2014	03.05.2014 एमबी 10821 P/72	4101003	263871
8	31/1 मुख्य सड़कों सहित हरित पट्टियों का विकास	4124013	179366	28.12.2013	26.01.2014	4101003	179366
9	35/4 पुराना किला नर्सरी का सुधार	4124013	236783	09.07.2013	08.08.2013	4101003	236783
	कुल		**4614215**				

अनुलग्नक-V

अध्याय-1 (भाग-II)

बैंक समाधान इकाई	
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्	
मार्च - 2014 को बैंक समाधान ब्यान में संशोधन	
31/3/14 के रूप में नकद पुस्तिका के अनुसार शेष राशि समापन	1,431,735,252.37
जोड़े : 01.04.05 पर प्लस, मार्च 2014 तक समायोजन के लिए	23,208,535.58
उप योग	1,454,943,787.95
जोड़ना : एनडीएमसी चैकों को जारी किया लेकिन मार्च 2014 तक भुनाया नहीं	455,544,401.94
कम : मार्च 2014 तक बैंक द्वारा दिए गए अतिरिक्त डेबिट	(222,649,172.00)
जोड़े : मार्च 2014 में बैंक द्वारा अतिरिक्त क्रेडिट एफोरेडिड लेकिन रोकड़ बही में नहीं लिया	522,335,017.77
जोड़े : शून्य से प्रविष्टि 14.11.08 रोकड़ बही में नहीं लिया	76,725.00
जोड़े : शून्य से प्रविष्टि सं. 2372 ₹1449/- रोकड़ बही में लिया लेकिन एक्सिस बैंक में नहीं दिखाया गया	1,449.00
जोड़े : शून्य से प्रविष्टि सं. 2855 ₹559/- रोकड़ बही में लिया लेकिन एक्सिस बैंक में नहीं दिखाया गया	559.00
जोड़े : 22.4.10 रोकड़ बही में डायरेक्ट क्रेडिट कम लिया गया	700,000.00
जोड़े: एम.ई नं. 139 दि0 29.8.11 ₹2651 एक्सिस बैंक एम.ई दिनांक 9/8/11 ₹265/- से मेल नहीं खाता।	2,651.00
जोड़े : कैश बुक दि. 27/10/11 में क्रेडिट परामर्श संक्षेप में लिया गया।	3.00
जोड़े : दि0 25/08/12 अधिक का सक्रिय क्रेडिट दि0 25/08/12 के साथ मेल नहीं खाता।	510.36
दि0 25/08/12 नियमित अधिक दिनांक 24/08/12 निधि क्लीनियरिंग	750.00
जोड़े : 22.4.10 रोकड़ बही में डायरेक्ट क्रेडिट	600,000.00
जोड़े : दावा रहित राशि दि0 27.12.12	3,250.00
जोड़े: दिसम्बर 12 क्रेडिट साईड में राशि मेल नहीं खाती	24,881.00
जोड़े : अधिक निधि दि0 22.01.13	93,300.00
जोड़े : अधिक निधि दि0 15.02.13	440.00
जोड़े : अधिक निधि दि0 18.02.13	110.00
जोड़े : अधिक निधि दि0 22.02.13	804,789.00
जोड़े : अधिक निधि दि0 22.02.13	56,612.00
जोड़े : अधिक निधि दि0 23.02.13	2,660,246.00
जोड़े : निधि दि0 18.02.13	11,912,366.00
जोड़े : अधिक निधि दि0 06.03.13	300.00
जोड़े : अधिक निधि दि0 07.03.13	1,218,983.00
जोड़े : अधिक निधि दि0 21.03.13	2,750.00
जोड़े : अधिक निधि दि0 25.02.13	7,166.00
जोड़े : अधिक निधि दि0 18.02.13	3,300,533.00
जोड़े : अधिक निधि दि0 19.02.13	1,939.00
जोड़े : अधिक निधि दि0 20.02.13	4,678.00
जोड़े : अधिक निधि दि0 21.02.13	3,752.00

जोड़े : अधिक निधि दि0 22.02.13	115,856.00
जोड़े : अधिक निधि दि0 12.04.13	30.00
जोड़े : दि0 15.06.13 पर संकलन द्वारा फरवरी-13 की नकदी मिलान	619,721,763.58
जोड़े : निधि नियमित 21.5.13	17,696.70
जोड़े : 21.6.13 निधि स्पष्ट	22,879.00
जोड़े : निधि नियमित 21.5.13	2,000.00
जोड़े : लघु/अति का 24.6.13	47,163.00
जोड़े : निधि नियमित 26.06.13	132,705.00
जोड़े : एम.एक्स सं. 148 दि0 11.7.13 सी बुक में लिया लेकिन एक्सिस बैंक में नहीं दिखाया	14,745.00
जोड़े : एम.एक्स सं. 149 दि0 11.7.13 सी बुक में लिया लेकिन एक्सिस बैंक में नहीं दिखाया	705.00
जोड़े : एम.एक्स सं. 150 दि0 11.7.13 सी बुक में लिया लेकिन एक्सिस बैंक में नहीं दिखाया	1,417.00
जोड़े : निधि नियमित 06.08.13	2,698.00
जोड़े : निधि नियमित 17.08.13	19,612.00
जोड़े : निधि नियमित 23.08.13	140.00
जोड़े : लापता अति निधि	276.00
जोड़े : एम.एक्स सं. 171 दि0 22.08.13 सी बुक में लिया लेकिन एक्सिस बैंक में नहीं दिखाया	1,301.00
जोड़े : निधि नियमित 02/09/13	20,966.00
जोड़े : निधि नियमित 05/03/13	7,253.00
जोड़े : बाल निधि (27/8/13) 3/9/13	2,648.00
जोड़े: दिनांक 1/10/13 निधि 78 लापता 78 ईडी चैक सं. 844544/511221	120,445.00
जोड़े : दिनांक 23/10/13 लापता निधि सीएलआर 21,22,23/10/13	414.00
जोड़े : निधि नियमित 24.10.13	534,248.00
जोड़े : दिनांक 17.10.13 लापता राशि चैक नं. 40426	3.00
जोड़े : दिनांक 21.11.13 फण्ड एस. नगर चैक 853884	1,167.00
जोड़े : फण्ड 78 लापता 78 ईडी दि0 22.11.13	17,515.00
जोड़े : फण्ड नियमित एसबीएस 23.11.13	13,981.00
जोड़े : एम.ई.162 दि0 07/11/13 सी बुक में लिया लेकिन एक्सिस बैंक में नहीं दिखाया	8,581.00
जोड़े : एम.ई.389 दि0 28/11/13 सी बुक में लिया लेकिन एक्सिस बैंक में नहीं दिखाया	20,671.00
जोड़े : एम.ई.390 दि0 28/11/13 सी बुक में लिया लेकिन एक्सिस बैंक में नहीं दिखाया	4,510.00
जोड़े : एम.ई.391 दि0 28/11/13 सी बुक में लिया लेकिन एक्सिस बैंक में नहीं दिखाया	4,825.00
जोड़े : एम.ई.392 दि0 28/11/13 सी बुक में लिया लेकिन एक्सिस बैंक में नहीं दिखाया	639.00
जोड़े : 78 लापता अतिरिक्त निधि दि0 29/11/13	5.00
जोड़े : 78 लापता अतिरिक्त निधि दि0 11/12/13	500.00
जोड़े : 78 लापता अतिरिक्त निधि दि0 17/12/13	6,398.00
जोड़े : अतिरिक्त निधि चैक सं. 107356	1,532.00
जोड़े : विविध राशि	2,792.00
जोड़े : एम.ई. 46 दिनांक 3/01/14 कैश बुक में अतिरिक्त लिया **(3282-3882 = 600)**	600.00
जोड़े : एम.ई. 131 दि0 06/01/14 कैश बुक में अतिरिक्त लिया लेकिन ए. बैंक में नहीं दिखाया	385.00
जोड़े : एम.ई. 222 दि0 13/03/14 कैश बुक में अतिरिक्त लिया लेकिन दि0 06/02/14, को एक्सिस बैंक में नहीं दिखाया 28/2/14 को लिया	1,063.00
सकल कुल	2,852,524,906.30

कमः चैक एवं नकद जमा किए गए किन्तु मार्च-2014 तक बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं किए गए।	(159,93,78,838.95)
कम : अस्वीकृत/वापिस भुगतान न किए गए चैक, चैक बुक प्रभार तथा अन्य।	(2,620,955.87)
बैंक प्रभार डेबिट किए गए किन्तु मार्च-2014 तक कैश-बुक में नहीं लिए गए।	
कम : ₹42259/-का चैक नं. 465251 दि0 13/02/09 रद्द किया गया तथा उसके स्थान पर गलत जारी किया गया।	(42,259.00)
कैश बुक के व्यय से कटौती।	
कम : व्यय रजिस्टर के बगैर व्यय से दिनांक 24.3.09 को माइनस एन्टी की कटौती।	(8,640.00)
व्यय रजिस्टर में पूरा विवरण	
कमः एक बैंकर चैक का दिनांक 1.09.09 को व्यय से गलत कटौती की गई।	(2,600.00)
कैश-बुक से डेबिट किया गया, विवरण नहीं दिया गया।	
कम : चैक नं. 225679, दिनांक 20.5.09 को दिनांक 9/10/09 को व्यय से गलत कटौती की गई।	(25,000.00)
दिनांक 25/05/09 को बैंक से पहले ही डेबिट किया गया।	
कम : 31/10/09 को प्राप्ति रजिस्टर में ₹1765300/- लिया गया अधिक कुल : ₹1665300/- के स्थान पर :	(100,000.00)
कम :उक्त में दिनांक 23/11/09 को व्यय से दिनांक30/09/09 को चैक नं0610859 से गलत कटौती की गई	(46,800.00)
दिनांक 8/10/09 को बैंक से पहले ही काटा गया।	
कम : उक्त में दिनांक 4/12/09 को व्यय से दिनांक 1/10/09 को चैक नं0 610918 से गलत कटौती की गई।	(1,300.00)
दिनांक 8/10/09 को बैंक से पहले ही डेबिट किया गया।	
उक्त में दिनांक 8/12/09 को व्यय से चैक नं0 776682 दिनांक 11/11/09 से गलत कटौती की गई।	(78,000.00)
दिनांक 12/11/09 को बैंक से पहले ही डेबिट की गई।	
कम : कैश बुक में दि0 12.5.10 चैक सं. 467683 दि0 12/11/09 द्वारा गलती से रद्द किया गया।	(31,564.00)
कम : कैश बुक में रद्द कर दिया दि0 28.5.10 द्वारा चैक सं. 605096 दि0 22/04/10	(5,000.00)
कम : अधिक निकालना (दिनांक 3/2/11 को पूर्ण होने पर फरवरी-10 को निकाला गया अंतर।)	(376,086,291.49)
कम : कम निकालना (दिनांक 3/2/11 को पूर्ण होने पर फरवरी-10 को निकाला गया अंतर।)	66,792,106.92
कम : माइनस 79 लापता 79ईडी लैस बुकड दिनांक 18/1/12	(0.15)
कम : कम दावे दि0 28/08/12	(27,000.00)
कम : दि0 21/08/12 में शेष निधि क्लीरिंग	(2.10)
कम : दि0 28/09/12 में शेष निधि क्लीरिंग	(500.00)
कम : दि0 21/09/12 में शेष निधि क्लीरिंग	(1.00)
कम : लघु दावा चैक सं0 934384 दि0 06/09/12	(30.00)
कम : 23/11/12 धारणाधिकार की कमी	(500.00)
कम : लघु दावा चैक सं.40514&444314 dt.17/11/12	(13.00)
कम : रेहन रूप में चिन्हित 09-18/10/12	(375.00)
कम : दि0 23/01/13 में निधि क्लीरिंग	(1,875.00)
कम : दि0 28/12/12 को पता लगाई गई निधि	(540,439.00)
कम : दिनांक 29/1/13 को नियमित रूप से कम दिनांक 28/1/13 को क्लीरिंग के अंतर्गत निधि।	(2,651.00)
कम : कम दावे दि. 16/2/13	(100.00)

कम : दि0 25/02/13 में निधि समायोजन	(20,096,983.00)
Less :ch.no.727937 dt.31/07/07was wrongly can.on 22/2/13	(2,500.00)
कम : दि0 26/06/13 निधि समायोजन के अधीन	(52,860,151.00)
कम : दि0 20/6/13 को शेष निधि कलीरिंग	(975.00)
कम : दि0 21/06/13 को शेष निधि कलीरिंग	(122,015.00)
कम : दि0 24/6/13 को शेष निधि कलीरिंग	(125,265.00)
कम : दि0 25/6/13 को शेष निधि कलीरिंग	(126,343.00)
कम : दि0 18/6/13 को शेष निधि कलीरिंग	(621.00)
कम : रेहन रूप में चिन्हित 22/6/13	(1,250.00)
कम : निपटान दि0 22/6/13	(6,379.64)
दि0 25/07/13 निधि समायोजन के अधीन	(62,780.00)
कम : निधि 25/07/13	(13,764.10)
कम : 12/07/13 लघु क्लेम निधि	(8,811.00)
दि0 13/08/13 निधि समायोजन के अधीन	(15,534.00)
कम : लघु/अतिरिक्त दि0 17/8/13	(12,972.00)
कम : लघु/अतिरिक्त राशि दि0 24/08/13	(8,388.00)
कम : रेहन् रूप में चिन्हित दि0 24/08/13	(625.00)
कम : दि0 26/08/13 निधि समायोजन के अधीन	(29,387.00)
कम : दि0 21/08/13 निधि समायोजन के अधीन	(1.00)
कम : दि0 **24/9/13** लघु/अतिरिक्त **ch. 25792 of amt 1897/1879**	(18.00)
कम : **80** लापता निधि दि0 **19/11/13**	(5,555.00)
कम : दि0 **14/10/13** निधि लापता 80ईडी **ch.474176**	(8,569.00)
कम : **80** लापता निधि दि0 **19/11/13**	(47,940.00)
कम : **80** लापता निधि दि0 **21/11/13**	(14.00)
कम : **80** लापता निधि दि0 **22/11/13**	(1,794.00)
कम : **80** लापता निधि दि0 **23/11/13**	(26,421.00)
कम : **80** लापता निधि दि0 **25/11/13**	(40.00)
कम : **80** लापता निधि दि0 **27/11/13**	(2,790.00)
कम : **80** लापता निधि घटा करें दि0 **16/12/13**	(9,030.00)
कम : **80** लापता निधि घटा करें दि0 **19/12/13**	(2,735.00)
कम : दि0 26/12/13 निधि समायोजन के अधीन	(3,820.00)
कम : दि0 27/03/13 निधि समायोजन के अधीन	-241,335.00
कम : दि0 28/2/14 एक्सिस बैंक द्वारा दिये गये कम सीआरडी	(450,000.00)
कम : दि0 28/2/14 एक्सिस बैंक द्वारा दिये गये कम सीआरडी	(0.67)
कम : दि0 28/2/14 एक्सिस बैंक द्वारा दिये गये कम सीआरडी	(421.60)
कम : गलत राशि के साथ चैक आरटीडी	(6.00)
कम : चैक नं0 615434 दि0 20/01/14 गलत अप्रैल 2014 में रिवर्स गलत कैनसल	(54,212.00)
कम : डी.डी चैक न. 105780 दिनांक 13/11/13	(1,000.00)
योग	(86,59,65,831.65)
दिनांक 31/03/14 जमा शेष	(86,59,65,831.65)
Diff	

अनुलग्नक - VI

नहीं हटाई गई स्टोर आइटमस

अध्याय-1 (भाग-II)

खाते का कोड	कार्य शीर्ष	जमा शेष 31.03.2010	जमा शेष 31.03.2014
4301000	स्टॉक इन हैण्ड : स्टोर	9927598.03	9927598.03
4301020	स्टॉक इन हैण्ड : मैडीसिन स्टोर	6662452	6662452
4301021	स्टॉक इन हैण्ड : मैडीसिन चरक पालिका अस्पताल	10560	10560
4301025	स्टॉक इन हैण्ड : होम्योपैथिक डिस्पेंसरियां	695832	695832
4301031	स्टॉक इन हैण्ड : बल्ब टयूब लाईटस	106374	106374
4301062	स्टॉक इन हैण्ड : सीमेंट	18784	18784
4301065	स्टॉक इन हैण्ड : अन्य	48776	48776
4301070	स्टॉक इन हैण्ड : अन्य जनरल स्टोर	21318806.90	21318806.9
4301077	स्टॉक इन हैण्ड : अन्य नॉन-कन्जूमएबल स्टोर	44316793	44316793
4302000	स्टॉक इन हैण्ड : ढीला उपकरण	18730	18730
4302001	स्टॉक इन हैण्ड : प्लांट एवं मशीनरी	52979	52979
	योग	44388502	44388502

अनुलग्नक -VII

अनुबंध प्रबंधन पर पूर्ववर्त्ती आडिट रिपोर्ट का सार
अध्याय -2 (पैरा 2.1.1)

क्र.सं.	समाप्त वर्ष की रिपोर्ट	पैरा सं. तथा विषय	मामले का सार
1	मार्च-2007	(बीओटी) बनाओ, चलाओ और सौपों आधार पर बस-क्यू-शेल्टर के निर्माण तथा रखरखाव के अनुबंध प्रबन्धन पर पैरा 2 पीए (कार्य की अवधि 1998-2007)	न.दि.न.परिषद् में कार्य के प्रारम्भ पर निर्णय में लगातार परिवर्तन के परिणामस्वरूप सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के अन्तर्गत बीओटी पर बस-क्यू-शेल्टर के निर्माण के लिए एक नीति नहीं है । न.दि.न.परिषद् द्वारा ड्राइंग/सुविधाएं उपलब्ध कराने में विलम्ब से अनुबंध के कार्य के प्रारम्भ/पूर्णता में विलम्ब तथा राजस्व के पारिणामिक हानि न.दि.न.परिषद् उपार्जित कर सकती है। स्थल का चयन तथा स्थानीय निकायों (ट्रेफिक पुलिस, डीटीसी) से बेबाकी प्राप्त करने में विफलता से कार्य में 16 मासों का विलम्ब हो गया। सुविधाभोगी को उद्धृत निविदा नियम एवं शर्तों के उल्लंघन में पाँच वर्ष का अनुचित लाभ प्रदान किया गया था। कार्य के समापन में विलम्ब के लिए सुविधाभोगी से लिक्विडेटिड डेमेनिस वसूले नहीं गये जोकि उसके ऊपर आरोप्य थे। निविदा प्रक्रिया के लिए तथा परियोजना हेतु बोली को अन्तिम रूप देने तथा करार तैयार करने के लिए स्वतंत्र अभियंता को बिना आवश्यकता के विज्ञापन के लिए चुना गया था। इस प्रयोजन हेतु गठित संचालन समिति के रूप में परियोजना निगरानी त्रुटिपूर्ण थी जोकि अपेक्षित के रूप में तथा नियमित रूप से पूरा नहीं किया तथा सुविधाभोगी द्वारा प्रस्तुत खातों को भी जिसमें न.दि.न.परिषद् द्वारा वहन की जाने वाली देनदारी के निर्धारण की भी जांच नहीं की।
2	मार्च 2007	भवन रखरखाव प्रभागों के कार्यकलाप पर पैरा 3 पीए (कार्य की अवधि 2001-07)	वार्षिक मरम्मत तथा रखरखाव अनुमानों के अनुमोदन में विलम्ब। प्रभागों द्वारा किसी विवरण रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया जो सत्यापित करे कि कब तथा क्या हाल ही में मरम्मत/रखरखाव किया गया है। कार्य के विभाजन के मामलों की बड़ी संख्या है । अनुबंध कुछ ठेकेदारों को सौंपे गए थे। भवन रखरखाव-1 में 733 कार्य आदेश, 335 कार्य ठेकेदारों के साथ थे। भवन रखरखाव-II प्रभाग में 748 कार्य आदेशों में से 327 कार्य आदेश 9 फर्मों को प्राप्त किये थे। इसलिए अनुबंध सौंपने में पारदर्शिता संदेहास्पद थी।

3	मार्च-2007	पैरा 6.1 परिहार्य अतिरिक्त व्यय (नवयुग स्कूल मंदिर मार्ग का निर्माण) (अवधि 2005)	बोली वैधता अवधि के अन्दर स्वीकृति के लिए निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के परिणामस्वरूप पश्चात्वर्त्ती निविदा प्रक्रिया में प्राप्त की गई । उच्च बोली (₹11.66 लाख) के कारण अतिरिक्त व्यय हुआ।
4	मार्च-2007	पैरा 6.2 परिहार्य अतिरिक्त व्यय (सेवा मार्गो, कालोनी, सड़कों तथा उपलेनों का पुर्नसतहीकरण)(व्यय की अवधि 2005/2006)	बोली वैधता अवधि के अन्दर स्वीकृति के लिए निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के परिणामस्वरूप पश्चात्वर्त्ती निविदा प्रक्रिया में प्राप्त की गई । उच्च बोली (₹16.51 लाख) के कारण अतिरिक्त व्यय हुआ।
5	मार्च-2007	पैरा 6.3 परिहार्य अतिरिक्त व्यय (सेवा मार्गो, कालोनी, सड़कों तथा उपलेनों का पुर्नसतहीकरण)	बोली वैधता अवधि के अन्दर स्वीकृति के लिए निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के परिणामस्वरूप पश्चात्वर्त्ती निविदा प्रक्रिया में प्राप्त की गई । उच्च बोली (₹85.94 लाख) के कारण अतिरिक्त व्यय हुआ।
6	मार्च 2007	पैरा 6.4 स्पोटस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया (एसएआई) से शेष बकायों की वसूली न होना।	जब भी जमा कार्यो को लिया जाता है, तब प्रयोजक प्राधिकरण से अग्रिम में अनुमानित लागत राशि प्राप्त की जानी अपेक्षित है। न.दि.न.परिषद् डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विविंग पूल कॉम्पलैक्स का रखरखाव करती है। इस संबंध में एसएआई से दिनांक 2001 से 2007 तक की अवधि हेतु 1.36 करोड़ का बकाया न.दि.न.परिषद् द्वारा प्राप्त नहीं किया गया।
7	मार्च 2007	पैरा 9.1 परिहार्य आधिक्य व्यय (खम्बों के क्रय में) अवधि 2003)	न.दि.न.परिषद् के विद्युत विभाग ने 12.25 लाख के अधिक व्यय के, वैधता तिथि के अन्दर वितरण खम्बों के क्रय हेतु निविदा स्वीकृत नहीं की।
8.	मार्च 2008	पैरा 3.1 विहित सीमा से परे विचलन क्लॉज के अभ्यास द्वारा सामग्री की उपलब्धता में अनियमितताएं (अवधि 2006-07)	स्टोर (सिविल) विभाग द्वारा सामग्रियों के क्रय हेतु करार में विचलन क्लॉज समान नियम एवं दरों पर अतिरिक्त मात्रा के क्रय पर 20 प्रति0 की सीलिंग वर्णित करता है। यद्यपि स्टोर डिविजन ने आरम्भिक आवश्यकताओं के खराब अनुमान इंगित करते हुए समान अनुबंध के अन्तर्गत 112.5 प्रति0 की सीमा तक अतिरिक्त मात्रा का क्रय किया।
9	मार्च 2009	न.दि.न.परिषद् का सड़क रखरखाव पर पैरा 2 पीए (सड़कों की वार्षिक मरम्मत तथा रखरखाव)	वर्ष 2004-05 से 2008-09 की अवधि के दौरान कई बार समय बीतने के कारण जैसे-ठेकेदारों की संशोधित भरती पॉलिसी पर विचार न करना, निविदाओं में अनुमोदित शर्तों पर सहयोग न करना निविदाओं की कार्यवाही में विलंब, कोडल प्रावधानों का पालन न होना, इत्यादि, लगातार पुनः निविदा हुई। निर्धारित अनुसार निविदाओं का प्रचार-प्रसार नहीं किया गया। वार्षिक अनुमानों के अनुमोदन में विलंब हुआ, सौंपे गए अनुबंध अनुमानों से अधिक थे। महत्वपूर्ण रजिस्टर जैसे बजट/व्यय नियंत्रण रजिस्टर, रोड हिस्ट्री रजिस्टर, सड़कों के सावधिक निरीक्षण पर रिपोर्ट इत्यादि नहीं बनाये गये। गुणवत्ता नियंत्रण प्राधिकरणों की टिप्पणी पर समझौता न होने के कारण

			फाइनल बिलों के लम्बित होने में वृद्धि हुई । सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किए बगैर 20 प्रतिशत अनुज्ञेय सीलिंग के अधिक्य में अतिरिक्त एवं अधिक कार्य हुआ।
10	मार्च 2009	पैरा 3 पी ए सूची प्रबन्धन (विद्युत)	केबलों की अधिक उपलब्धता, आवश्यकता का अयथार्थवादी अनुमान इंगित करती है। स्विचबोर्डों की प्राप्ति इन्डेन्टिंग विभाग तथा स्टोर विभाग के मध्य खराब समन्वय के कारण उपयोग में नहीं लाया जा सका। स्टोर द्वारा प्राप्त, 22 वर्षों तक निष्क्रिय पड़े रहे केबल, विद्यमान स्टॉल में लिए बगैर प्राप्त की गई। सामग्रियाँ, डिविजनों को आधिक्य में जारी की गई, बजाय जिन डिविजनों ने इन सामानों का आर्डर दिया था। अनुपयोगी भण्डार, बगैर जारी लिए स्टोर में पड़ा रहा।
11	मार्च 2009	पैरा 7.1 परियोजना के निष्पादन में विलंब के कारण वृद्धि प्रभारों पर 102.74 लाख का परिहार्य व्यय।	संशोधन, फिनिशिंग, प्लाबिंग/सैनीटरी तथा अग्निशमन प्रतिबंध कार्यों हेतु अनुबंध में, इनसे जुड़े अन्य कार्यों में विलंब हुआ जैसे-विभिन्न प्रकार के स्टोन टैक्सचर, अग्नि खोज प्रणाली, वाटर प्रूफिंग तथा विकास कार्यों इत्यादि के अनुमोदन परिणामस्वरूप विलंब से 102.74 लाख की लागत में वृद्धि हुई।
12	मार्च 2009	पैरा 7.2 कार्यों का विभाजन	ई ई वाटर सप्लाई ने ठेकेदारों को एक समान कार्य को इकट्ठा करने के बजाय उसी दिन कार्यों का विभाजन कर उन्हें सौंप दिया।
13.	मार्च 2009	पैरा 11.1 जमा कार्यों में अधिक व्यय की गैर-वसूली	सी-IV विद्युत ने जमा कार्य का वर्ष 2002-09 में उत्तरदायित्व लिया तथा जमा कार्य के अधिक खर्च हुए ₹ 26.89 लाख को वसूल करने में असफल रहा।
14.	मार्च 2010	पैरा 4.1 निविदा आमंत्रण अधिसूचना के प्रारूप में कमी परिणामतः अतिरिक्त व्यय	निविदा आमंत्रण अधिसूचना का ई-टेंडरिंग की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किए बिना तथा मात्रता मानदण्ड को निर्दिष्ट न करने से पारम्परिक पद्धति के द्वारा प्राप्त निविदाएं रद्द हुई तथा परिणामतः देरी/अति व्यय हुआ।
15	मार्च 2010	पैरा 4.2 स्वीकृत अनुमान के विरूद्ध भण्डारों की अनियमित उपलब्धियाँ	इलैक्ट्रिकल स्टोर में ₹ 2 करोड़ की राशि की आवश्यकता से अधिक अग्रिम खरीद की तथा यह 8 वर्षों की अवधि के लिए अनुयुक्त रूप से भण्डार में रखे थे।
16	मार्च 2010	पैरा 4.3 भण्डारों की प्राप्ति पर ₹ 26.09 लाख का परिहार्य अतिरिक्त व्यय	डीजीएस एंड डी दर अनुबंधों पर फर्मों की पेशकश की अनदेखी करते हुए विद्युत विभाग ने अधिकतम छूट की पेशकश की, अतिरिक्त व्यय के लिए अग्रणी अन्य फर्म द्वारा अधिकतम दरों की पेशकश स्वीकार की।
17	मार्च 2011	पैरा 4.1 के.लो.नि.वि. द्वारा ₹ 23.00 लाख की ओर से निष्पादित कार्य की लागत की गैर-वसूली	न.दि.न.परिषद् ने सी-हेक्सागन के फुटपाथ के कार्य का उत्तरदायित्व लिया जोकि के.लो.नि.वि. इस शर्त पर प्रारम्भिक रूप से सौंपा गया कि कार्य के इस भाग का व्यय के.लो.नि.वि. से वसूला जायेगा। कार्य के उक्त भाग के नवीनीकरण की लागत ₹ 23.00 लाख थी। ₹ 23.00 लाख की प्रतिपूर्ति लेने हेतु

			मामला के.लो.नि.वि. के साथ नहीं उठाया गया।
18	मार्च 2011	पैरा 4.2 विशिष्ट उद्देश्य हेतु न.दि.न.परिषद् को आवंटित भूमि एक दशक से अनुपयुक्त रखी हुई है	विद्युत विभाग उपयोगी विभाग से निकलवाने के पुनरीक्षण, प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु मार्च 2003 से 10 वर्ष से अधिक का समय लगा दिया तथा पुनः अनुमान को संशोधित किया जोकि चेतावनी पूर्ण तथा अनुचित था। परिणामस्वरूप इलैक्ट्रिक सब-स्टेशनों के गठन तथा विभिन्न स्थानों पर मातृ एवं शिशु कल्याण के उद्देश्य हेतु भूमि अधिग्रहीत की गई।
19	मार्च 2011	पैरा 4.3 चर्च रोड पर इलैक्ट्रिक सब-स्टेशन के निर्माण में अनुचित देरी	इलैक्ट्रिक सब-स्टेशन के निर्माण हेतु किराए पर प्लाट आवंटित किया गया जो 16 से अधिक वर्षों हेतु अनुपयुक्त पड़ा था तथा वित्त मंत्रालय के अनधिकृत कब्जे में था।
20	मार्च 2011	पैरा 5.1 ठेकेदार की ओर से खर्च किए गए व्यय की गैर-वसूली	चार केबलों तथा स्तंभो को लगाने हेतु क्षति के लिए ठेकेदार से ₹ 6.15 लाख बकाया थे, जोकि बाद में विभाग द्वारा ठीक से लगाए गए, की वसूली नहीं की गई।

अनुलग्नक-VIII

जाँच के लिए अनुपलब्ध फाईलों की सूची
अध्याय-2 (2.1.6)

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	एग्रीमेंट संख्या	कार्य का नाम	उद्धृत राशि (₹लाख में)	ठेकेदार का नाम
1	भण्डार	06/ भण्डार /2012-13	सिन्थैटिक एनीमल पेंट की आपूर्ति	46.8	मै0 ब्रिट पेन्ट एंड कैमीकल
2	भण्डार	29/ भण्डार /2012-13	रोड मार्किंग पेंट की आपूर्ति	21.59	मै0 ब्रिट पेन्ट एंड कैमीकल
3	बीएम-1	10/ईई/बीएम-1/2010-11	पालिका निकेतन हाउसिंग कॉम्पलैक्स गोल मार्किट का सुधार	48.88	मै0 के.के. कंस्टªक्शन
4	बीएम-1	14/ईई/ बीएम -1/2010-11	रोहिणी हाउसिंग कॉम्पलैक्स में शेष फ्लैटों में स्टील अलमारी का प्रावधान/लगाना	27.17	मै0 एस.आर.स्टील फर्नीचर
5	बीएम-1	39/ईई/ बीएम-1/2010-11	मिनी स्टेडियम बिल्डिंग सहित एनपी सी.सै0स्कूल का रखरखाव कार्य	30.94	मै0 आर.के.जैन एंड सन्स
6	बीएम-1	42/ईई/ बीएम -1/2010-11	रोहिणी हाउसिंग कॉम्पलैक्स में रखरखाव कार्य	18.85	मै0 एस बी एसोसिएट
7	बीएम-1	53/ईई/ बीएम -1/2010-11	शहीद भगत सिंह प्लेस गोल मार्किट में रखरखाव कार्य	43.82	मै0 आर.के.जैन एंड सन्स
8	बीएम -1	54/ईई/ बीएम 1/2010-11	नवयुग स्कूल मंदिर मार्ग में एल्यूमिनियम स्लाईडिंग कप बोर्ड का प्रावधान/लगाना	10.96	मै0 एस.के. इन्डस्टªीज
9	बीएम -1	57/ईई/ बीएम -1/2010-11	मोहनसिंह प्लेस में रखरखाव कार्य	32.75	मै0 एस बी एसोसिएट
10	बीएम -1	60/ईई/ बीएम -1/2010-11	पालिका प्लेस कॉम्पलैक्स में रखरखाव कार्य	27.95	मै0 एक्सपर्ट कंस्टªक्शन
11	बीएम -1	67/ईई/ बीएम -1/2010-11	हैवलैक स्कवेयर में रखरखाव कार्य	13.97	मै0 आर.के.जैन एंड सन्स
12	बीएम -1	06/ईई/बीएम -1/2011-12	मेजर ध्यानचद स्टेडियम कॉम्पलैक्स में रखरखाव कार्य	72.96	मै0 आर.के.जैन एंड सन्स
13	बीएम -1	07/ईई/ बीएम -1/2011-12	श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वीमिंग पूल कॉम्पलैक्स में रखरखाव कार्य	62.03	मै0 आर.के.जैन एंड सन्स
14	बीएम -1	08/ईई/ बीएम -1/2011-12	शहीद भगत सिंह प्लेस में रखरखाव कार्य	46.97	मै0 आर.के.जैन एंड सन्स
15	बीएम -1	06/ईई/ बीएम -1/2012-13	नागरिक सुविधा केन्द्र गोल मार्किट में रखरखाव कार्य	10.57	मै0 आर.के.जैन एंड सन्स

16	बीएम -1	**19/ईई/ बीएम -1/2012-13**	भगतसिंह मार्किट फ्लैट्स गोल मार्किट में सुधार	**38.07**	मै0 आर.के.जैन एंड सन्स
17	बीएम -1	**20/ईई/ बीएम -1/2012-13**	पालिका वास हाउसिंग कॉम्पलैक्स,आर.के.आश्रम मार्ग का बाह्य पुर्नरुद्धार एवं उन्नयन	**34.67**	मै0 ए.एंड ब्रदर्स
18	बीएम -I	**24/ईई/ बीएम - I /2012-13**	टाइप- I, II एवं IV हैवलैक स्कवेयर स्कूल का सुधार	**12.78**	मै0 दीप कंस्ट्रक्शन
19	बीएम - I	**36/ईई/ बीएम - I /2012-13**	वर्षाजल हारवेस्टिंग भवन रखरखाव-I	**31.17**	मै0 आरसीसी डैवलोपरस लि0
20	सी-III	**07/ईई/सी- III /2012-13**	लक्ष्मी बाई नगर में बहुउद्देशीय जिम का निर्माण	**15.58**	मै0 ग्रांड स्लम प्रा. लि.
21	सी-III	**10/ईई/सी- III /2012-13**	लक्ष्मी बाई नगर में बहुउद्देशीय जिम का निर्माण	**7.7**	मै0 कीरत इन्टर नेशनल
22	बीएम -III	**23/ईई/बीएम-III /2010-11**	सीडब्ल्यूसी हाउसिंग कॉम्पलैक्स लोदी कालोनी में टैरेस तथा दीवारों, स्नानागरों में जलरोधी उपचार का प्रावधान	**18.12**	मै0 जेबीएम इंजी0 लि0
23	बीएम -III	**07/ईई/बीएम-III /2010-11**	पालिका निवास हाउसिंग कॉम्पलैक्स लोदी रोड का सुधार	**131.31**	मै0 राई बिल्डर्स
24	बीएम -III	**18/ईई/बीएम-III/2011-12**	पालिका क्लब सत्या मार्ग का सुधार	**22.54**	मै0 भूपिन्द्र गुपल
25	बीएम -III	**10/ईई/बीएम-III /2012-13**	एन पी स्कूल तिलक मार्ग में जलरोधी उपचार का प्रावधान	**8.02**	मै0 पीटर पी प्रा0 लि0
26	बीएम -III	**45/ईई/बीएम-III /2012-13**	ईएसएस संख्या-3 हरीश चन्द्र माथुर लेन का नवीनीकरण	**19.19**	मै0 विजय त्यागी
27	बीएम -II	**61/ईई/बीएम-II/2010-11**	प्रसूती एवं शिशु कल्याण केन्द्र सरोजनी नगर का सुधार	**26.6**	मै0
28	बीएम-पीके	**44/ईई/बीएम/पीके/2010-11**	चन्द्र लोक बिल्डिंग जनपथ का सुधार	**2019.17**	मै0 आर.के.जैन एंड सन्स
29	बीएम-पीके	**09/ईई//पी.के./2010-11**	पालिका केन्द्र का सुधार	**435.6**	मै0 आर.के.जैन एंड सन्स
30	बीएम-पीके	**19/ईई/बीएम/पीके/2010-11**	पालिका केन्द्र का सुधार	**222.69**	मै0 आर.के.जैन एंड सन्स
31	बीएम-पीके	**92/ईई/बीएम/पीके/2010-11**	पालिका कुंज हाउसिंग कॉम्पलैक्स करबला का बाह्य पुर्नउद्धार	**46.48**	मै0 नवनीत ब्रदर्स
32	बीएम-पीके	**27/ईई/बीएम/पीके/2011-12**	सामुदायिक केन्द्र मालचा मार्ग का सुधार	**137.25**	मै0 वीरभान मित्तल

33	बीएम-पीके	47/ईई/बीएम/पीके/2011-12	पालिका केन्द्र के शौचालयों का नवीनीकरण	55.54	मै0 शिव गायत्री कंस्ट्रक्शन कं0
34	बीएम-पीके	53/ईई/बीएम/पीके/2012-13	सामुदायिक केन्द्र बाबर रोड का पुनर्विकास	162.94	मै0 आर.के.जैन एंड सन्स

अनुलग्नक -IX

भवन रखरखाव-I (सिविल) द्वारा लिए गए सुधार कार्यों की सूची
अध्याय -2 [पैरा 2.3.1(ii)]

क्र. सं.	करार सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (मूल/संशोधित	निविदा राशि	कार्य की न्यायोचितता
1.	25/ईई बीएम-I/एबी/2012-13	रोहिणी, सैक्टर-XI के 256 स्टॉफ क्वार्टरों का सुधार।	₹3.61 करोड़/ ₹2.79 करोड़	₹1.90 करोड़ (मै0 मथरा दास आहूजा एंड सन्स)	कॉम्पलैक्स का निर्माण वर्ष 2000 के दौरान मोसाइक/प्लेन सीमेंट फर्श के साथ किया गया।
2.	26/ईई बीएम-I/एबी/2012-13	रोहिणी के 256 फ्लैटों में कुकिंग स्लैब के अन्तर्गत फ्रेम तथा शटर्स में डोर स्टॉपर्स उपलब्ध कराना तथा लगाना।	₹49.95 लाख/ ₹57.06लाख	₹43.78 लाख (मै0 एस.के. इण्डस्ट्रीज)	128 फ्लैटों के पीवीसी दरवाजों को बदलना, जहाँ ये उपलब्ध थे, वहाँ पर शेष 128 फ्लेटों में नये उपलब्ध कराए गये।
3.	02/ईई(बीएम-I)/एबी/2010-11	लाल बहादुर सदन कॉम्पलैक्स का संरचनात्मक पुनर्वास/अग्रभाग का पुनःउद्धार।	₹2.65 करोड़/₹2.64 करोड़	₹3.29 करोड़ (मै0 इण्डिया गुनाइंटिंग कं.)	बारातघर सहित हाउसिंग कॉम्पलैक्स का सुधार संरचनात्मक पुनर्वास हेतु लिए गए कार्य।
4.	20/ईई(बीएम-I)/2012-13	आर.के.आश्रम मार्ग, पालिका आवास हाउसिंग कॉम्पलैक्स का सुधार	₹26.81 लाख/ ₹26.21लाख	₹34.66 लाख (मै0 ए एंड एन ब्रदर्स)	आर.के.आश्रम मार्ग, पालिका आवास हाउसिंग का उन्नयन तथा अग्रभाग का पुनः उद्धार
योग				₹361.87	

अनुलग्नक-X

ठेकेदारों से जुर्माने की गैर-वसूली
अध्याय -2 [पैरा 2.4.1(VI)]

क्र. सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	उद्धृत राशि (₹ में)	वर्ष	श्रम रिपोर्ट की सं0	₹200 प्रति श्रम रिपोर्ट की दर पर जुर्माने की गैर-वसूली
			सड़क प्रभाग -I			
1	क्ले रोड, बापा नगर, नई दिल्ली का सुधार तथा उन्नयन	स्वास्तिक कंस्ट्रक्शन कं.	**23529517.00**	**2011**	**24**	**4800.00**
2	बी.के.रोड से कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली के मध्य टॉलस्टाय मार्ग पर निकास पद्धति का सुधार	एस.के. कंस्ट्रक्शन	**433125.00**	**2011**	**6**	**1200.00**
3	बी.के.रोड से के.जी.मार्ग, नई दिल्ली तक हेली रोड पर निकास पद्धति का सुधार	भजन लाल एंड कं0	**1562130.00**	**2011**	**12**	**2400.00**
4	फिरोजशाह रोड तथा 8 अन्य सड़कों के फुटपाथों का सुधार	सूरी ब्रदर्स	**32846271.00**	**2010**	**32**	**6400.00**
5	हेली लेन, कनॉट-लेन, पंडित रवि शुक्ला लेन इत्यादि की लेनों/उपलेनों की साइड की पटरियों तथा फुटपाथों का सुधार	यतेन्द्र सिंह	**13674578.00**	**2010**	**26**	**5200.00**
	परियोजना की कुल सं0 5 ठेकेदार द्वारा श्रमरिपोर्ट की कुल सं0 प्रस्तुत नहीं की गई =**100** ₹20000 का जुर्माना प्रति श्रम रिपोर्ट = **100x200** अनुसार @ **₹200** पर वसूल किया गया था।					
			सड़क प्रभाग -II			
6	आर- I प्रभाग के अंतर्गत क्ले. रोड की अमीन लेनों का पुर्नसतहीकरण	चौधरी कंस्ट्रक्शन कं.	**26559025.00**	**2011**	**28**	**5600.00**
	परियोजनाओं की कुल सं0 1 ठेकेदार द्वारा श्रम रिपोर्ट की कुल सं0 प्रस्तुत नहीं की गई =**28** श्रम रिपोर्ट = **28x200** के अनुसार ₹200 की दर से **₹5600/-** का जुर्माना वसूल किया गया था।					
			सड़क प्रभाग -III			
7	मदर टैरेसा क्रीसेंट रोड में स्ट्रीट स्क्रेपिंग	के.आर.आनन्द	**97596319.00**	**2010**	**36**	**7200.00**

8	लक्ष्मी बाई नगर में ग्रिट वाश प्लास्टर का प्रावधान करते हुए सुरक्षा ब्रिक वाल का सुधार	दीप कंस्ट्रक्शन	**31.85** लाख	**2010**	**8**	**1600.00**
9	लक्ष्मी बाई नगर में के.लो.नि.वि. से ली गई क्ले रोड तथा बैक साइड लेन का सुधार एवं उन्नयन	के.आर.आनन्द	**8.16** करोड़	**2011**	**24**	**4800.00**
10	लक्ष्मी बाई नगर, नई दिल्ली में एम एस रेलिंग के साथ सुरक्षा ब्रिक वॉल का निर्माण	सिरोही कंस्ट्रक्शन	**47.91** करोड़	**2010**	**8**	**1600.00**
11	पूर्व किदवई नगर, नई दिल्ली में के.लो.नि.वि. से ली गई क्ले रोड तथा बैक साइड लेन का सुधार एवं उन्नयन	दिनेश चन्द्र आर अग्रवाल	**11.30** करोड़	**2011**	**24**	**4800.00**
12	नेताजी नगर, नई दिल्ली में के.लो. नि.वि. से ली गई क्ले रोड तथा बैक साइड लेन का सुधार एवं उन्नयन	एम.वी ओमिनी	**11.23** करोड़	**2011**	**24**	**4800.00**
13	नेताजी नगर, नौरोजी नगर तथा सरोजिनी नगर क्षेत्र-1 में के.लो.नि. वि. से ली गई क्ले रोड तथा बेक साइड लेन का सुधार एवं उन्नयन	बिपिन कुमार	**8.16** करोड़	**2011**	**24**	**4800.00**
	परियोजना की कुल सं0 **7** ठेकेदार द्वारा श्रम रिपोर्ट की कुल सं0 प्रस्तुत नहीं की गई **=148** श्रम रिपोर्ट **= 148x200** के अनुसार ₹200 की दर से **₹29600/-** का जुर्माना वसूल किया गया था।					
	सड़क प्रभाग -IV					
14	साउथ एवेन्यू के पार्क में एमएस रेलिंग के साथ रैड सैंड स्टोन के द्वारा विद्यमान पार्कों का सुधार	देवेन्द्र कुमार	**68.12** लाख	**2012**	**12**	**2400.00**
15	डी- **I**, डी- **II** फ्लैटों, विनय माग, नई दिल्ली में पार्कों का सुधार	विशेष बिल्डर्स	**1.19** करोड़	**2011**	**16**	**3200.00**
16	डी- **I** डी- **II** फ्लैटों, विनय मार्ग में के.लो.नि.वि. से ली गई क्ले रोड तथा बैक साइड लेन का सुधार एवं उन्नयन	हिमगिरी कंस्ट्रक्शन	**1.84** करोड़	**2011**	**12**	**2400.00**

परियोजना की कुल सं0 **3** ठेकेदार द्वारा श्रमरिपोर्ट की कुल सं0 प्रस्तुत नहीं की गई =**40** श्रम रिपोर्ट के अनुसार 200 की दर से 8000/- का जुर्माना वसूल किया गया था = **40x200**						
सड़क -V						
17	सैक्टर- **I** तथा **III** डीआईजेड क्षेत्र गोल मार्किट, नई दिल्ली में के.लो. नि.वि. से ली गई क्ले रोड तथा बेकसाइड लेन का सुधार एवं उन्नयन।	संजीव कुमार एंव ब्रदर्स	**57439093.00**	**2011**	**24**	**4800.00**
18	शिवाजी बस ट्रमिनल का सुधार	मैनी कंस्ट्रक्शन कं0	**7734305.00**	**2010**	**17**	**23600.00**
परियोजना की कुल सं0- **2** ठेकेदार द्वारा श्रम रिपोर्ट की कुल सं0 प्रस्तुत नहीं की गई =**41** श्रम रिपोर्ट के अनुसार ₹200 की दर से ₹8200/- का जुर्माना वसूल किया गया था। = **41x200**						
योग						**91600.00**

अनुलग्नक -XI

अनुबंध के क्लॉस 10(सी) के अंतर्गत श्रम वृद्धि के संबंध में ठेकेदार को भुगतान
अध्याय -2 [पैरा 2.4.2(I)]

सड़क प्रभाग-I					
क्र. सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार को किया गया भुगतान ₹ में	ठेकेदार की श्रम वृद्धि का भुगतान	श्रम वृद्धि प्रभारों की प्रतिशतता	करार की अनुसूची एफ में श्रम धारक का प्रावधान
1	आर-1 प्रभाग के अन्तर्गत भूमिगत पैदलपथ का रखरखाव	2871369/-	196661/-	6.84	श्रम धारक अनुसूची एफ में निर्दिष्ट नहीं किया गया।
2	काका नगर कालोनी, तिलक लेन में शेष तैयार पार्कों का सुधार	3348259/-	211098/-	6.30	-यही-
3	भगवानदास रोड के प्रवेश पर टेबल टॉप क्रासिंग का निर्माण	1205421/-	58147/-	4.82	-यही-
4	सैंट्रल वर्ज का सुधार	3657079/-	73944/-	2.02	-यही-
	योग		539850 लाख		

सड़क प्रभाग- II					
क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की कुल वेल्यू	ठेकेदार की श्रम वृद्धि का भुगतान	श्रम वृद्धि प्रभारों की प्रतिशतता	करार की अनुसूची में श्रम धारक का प्रावधान
1	लोधी कालोनी, I तथा II एवेन्यू पर विद्यमान फुटपाथ का सुधार	68.29 लाख	282678/-	4.14 प्रतिशत	श्रम धारक अनुसूची एफ में निर्दिष्ट नहीं किया गया।
2	पंडारा रोड कालोनी में पार्कों तथा खुले स्थल पार्कों का सुधार	47.18 लाख	170645/-	3.62 प्रतिशत	-यही-
3	भारती नगर में विद्यमान चारदीवारी का सुधार	37.39 लाख	123188/	3.29 प्रतिशत	-यही-
	योग		576511		

सड़क प्रभाग-III					
क्र.सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार को किया गया भुगतान	ठेकेदार की श्रम वृद्धि का भुगतान	श्रम वृद्धि प्रभारों की प्रतिशतता	करार की अनुसूची में श्रम धारक का प्रावधान
1	नेताजी नगर में के.लो.नि.वि. से ली गई कालोनी सड़कों, बेकलेनों का सुधार एवं उन्नयन	11.90 करोड़	1.32 करोड़	11.09	श्रम धारक अनुसूची एफ में निर्दिष्ट नहीं किया गया।
2	लक्ष्मी बाई नगर में ग्रिट वाश प्लास्टर उपलब्ध कराकर विद्यमान सुरक्षा दीवारों का सुधार	36.65 लाख	4.15 लाख	11.5	-यही-
3	लक्ष्मी बाई नगर के क्वार्टर (363-756) के पिछली ओर एम एस रेलिंग के साथ ईटों की सुरक्षा दीवार का निर्माण।	46.90 लाख	3.37 लाख	7 प्रतिशत	-यही-
4	भूमिगत पैदलपथ का रखरखाव	27.57 लाख	1.43 लाख	5 प्रतिशत	-यही-
5	नेताजी नगर, नौरोजी नगर तथा सरोजिनी नगर क्षेत्र में वर्तमान फुटपाथ का सुधार	4.54 करोड़	15.52 लाख	3.42	-यही-
6	मोतीबाग क्षेत्र, नई दिल्ली में के. लो.नि.वि. से ली गई कालोनी रोड, बैंक लेन का सुधार तथा उन्नयन।	8.23 करोड़	14.05 लाख	1.70	-यही-
7	पूर्वी किदवई नगर में के.लो.नि.वि. से ली गई कालोनी रोड, बैंक लेन का सुधार एवं उन्नयन	9.34 करोड़	9.76 लाख	1.04	-यही-
8	लक्ष्मीबाई नगर में के.लो.नि.वि. से ली गई कालोनी रोड, बैंक लेन का सुधार एवं उन्नयन	7.16 करोड़	6.50 लाख	.91 प्रतिशत	-यही-
9	नेताजीनगर, नई दिल्ली के डी एंड एफ ब्लॉक टाइप-ाा क्वार्टरों की पिछली लेनों, सुरक्षा दीवार का निर्माण।	59.47 लाख	1.91 लाख	0.32 प्रतिशत	-यही-
	योग		1.89 करोड़		

परियोजनों की कुल संख्या-16 तथा कुल भुगतान राशि ₹1.94 करोड़

अनुलग्नक- XII

अध्याय-3 (पैरा.3.2.2)

पार्किंग स्थल के संबंध में बकाया लाईसेंस शुल्क का विवरण

क्र.सं.	पार्किंग स्थल का नाम	ठेकेदार का नाम	वर्गमि0 में पार्किंग का क्षेत्र	लाईसेंस फीस की दर (प्रतिमास) (₹ में)	31/03/2014 से बकाया लाईसेंस फीस			विवरण
					लेट फीस (₹ में)	ब्याज (₹ में)	कुल (₹ में)	
1	इन्नर तथा आउटर सर्कल, कनॉट प्लेस, ग्रुप- I	श्री पिन्टू	**19572**	**3456999**	**1331737**	**289587**	**1621324**	जून, 2014 तक बकाया है। 5 जून 2014 को कब्जा वापस ले लिया है और नए ठेकेदार को दिया। अंतिम सूचना अभी तक जारी किया जा रहा है।
2	कनॉट प्लेस के आसपास ग्रुप- II	मै0 अरबन सोलूशन	**10129**	**1362500**	**13464417**	**1713736**	**15178153**	8.10.2014 को बकाया राशि निकाली गई है दिनांक 25.5.2014 को डीआईएमआईएस को साइट सौंपी गई। ठेकेदार को 26 अप्रैल 2014 को अन्तिम नोटिस जारी किया।
3	साउथ वैस्ट, ग्रुप- III	श्री मोहिंदर चोपड़ा	**26162**	**1516888**	**10995041**	**1565699**	**12560740**	अक्टूबर,2014 को बकाया राशि निकाली गई है दिनांक 19 मई, 2014 को डीआईएमआईएस को साइट सौंपी गई। 14.11.2014 को अन्तिम नोटिस जारी किया।
4	इण्डिया गेट ग्रुप-IV	श्री के.एस. चौहान	**22622**	**1937998**	**18526049**	**1854953**	**20381002**	दिनांक मई, 2014 को बकाया राशि निकाली गई है दिनांक मई, 2014 को डीआईएमआईएस को साइट सौंपी गई। पार्किंग क्षेत्र के निर्धारण के संबंध में विवाद मध्यस्थता करने के लिए सौंप दिया। अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा है।
5	बी.के.रोड एवं जनपथ ग्रुप-V	श्री मोहिन्द्र चोपड़ा	17290	**3853788**	**41766078**	**3342699**	**45108777**	फरवरी, 2014 को बकाया राशि निकाली गई है दिनांक मई, 2014 को डीआईएमआईएस को साइट सौंपी गई। ठेकेदार को 16 अप्रैल 2014 को अन्तिम नोटिस जारी किया।
	कुल				**86083322**	**8766674**	**94849996**	

अनुलग्नक -XIII

अध्याय-3 {पैरा.3.2.2(बी)}

बकाया मरम्मत/रखरखाव/निर्माण गतिविधियों के तहत बने

पार्किंग स्थल	संबंधित विभाग	स्थान	वापिस ले लिया क्षेत्र	वापिस की अवधि महीनों में	वापिस की अवधि	पुष्टि की तारीख ई. डी. के लिए भेजा	विलम्ब यदि कोई
ग्रुप नं. II	ई.ई.सी.पी.प्रोजेक्ट	मद्रास होटल के पीछे पी ब्लाक	1021	6	5.5.2011 to 22.11.2011	16.11.2012	12
		पी.के.रोड तथा चैम्सफोर्ड रोड के मध्य	765	17	1.4.2011 to 31.8.2012	16.11.2012	2
		पी.के.रोड तथा चैम्सफोर्ड रोड के मध्य	806	2	1.9.2012 to 7.11.2012	16.11.2012	-
		टी.बी.डी ज्वैलर्स के सामने सिन्धियां हाउस	36	8	1.4.2011 to 14.12.2011	16.11.2012	-
		टी.बी.डी ज्वैलर्स के सामने सिन्धियां हाउस	50	1	15.12.2011 to 21.1.12	16.11.2012	10
		टी.बी.डी ज्वैलर्स के सामने सिन्धियां हाउस	180	9	31.1.2012 to 7.11.2012	16.11.2012	-
		पालिका प्लेस आर.के.आश्रम मार्ग	814.68	-	1.4.2011 to 10.4.2011	5.10.2011	6
		पालिका प्लेस आर.के.आश्रम मार्ग	874.68	3	11.4.2011 to 9.8.2011	5.10.2011	2
		पालिका प्लेस आर.के.आश्रम मार्ग	1560	4	10.8.2011 to 1.1.2012	6.9.2012	8
		पालिका प्लेस आर.के.आश्रम मार्ग	1785	6	2.1.2012 to 30.6.2012	6.9.2012	
		पालिका प्लेस आर.के.आश्रम मार्ग	1204	23	1.7.2012 to 25.5.2014	6.9.2012	-
		पालिका प्लेस आर.के.आश्रम मार्ग	293		1.4.2011 to 25.5.2014	12.12.2012	-
		फैडरल मोटर्स के सामने सिन्धियां हाउस	75 वर्ग.मी.	7	4.12.2012 to 28.8.2013	13.2.2014	5 मास
		केएफसी रेस्टोरेन्ट के सामने	240 वर्ग.मी.	1	22/3/2013 to 15.5.2013	13.2.2014	9 मास
		रिवौली सिनेमा के पीछे	200 वर्ग.मी.	1	4.1.2014 to 10.2.214	13.2.2014	-
		सिन्धिया हाउस पार्किंग एरिया	1000 वर्ग.मी.		28.8.2013 to 15.12.2013	13.2.2014	2 मास
		सिन्धिया हाउस पार्किंग एरिया	180 वर्ग.मी.		22.3.2013 to 28.8.2013	13.2.2014	5 मास
ग्रुप III	ई.ई.आर-IV	मालचा मार्ग	1046	10	21.3.2012 to 31.1.2013	28.3.2013	2
		सरोजिनी नगर मार्किट	9455	-	6.5.2012 Permanently		
		नीति मार्ग	3457 275	15	5.1.2013 to 18.5.2014	10.5.2013	-
		दिल्ली हॉट	2247	23	18.12.2012 to 18.5.2014	10.5.2013	
		दिल्ली हॉट	577	3	29.6.2012 to 10.10.2012	5.1.2013	3
		-यही-	412	6	11.102012 to 17.12.2012	5.1.2013	-

अनुलग्नक- **XIV**

नोटिस का विवरण

अध्याय-3 [पैरा.3.2.3(iii)]

₹ राशि में

जहां मामले कोई नोटिस जारी नहीं किये गये थे								
क्र.सं.	टाइप	लाईसेंस का नाम	मासिक फीस	राशि 31.03.14 बकाया	नोटिस की तारीख	राशि सूचना के अनुसार	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
1	222	गंगा राम	528	3878				
2	221-M-04	रामकुमार	264	3960				
3	152-M-04	राम लखन	396	5940				
4	152-M-03	अनिल कुमार	396	6276				
5	153-M-09	राम सुन्दर	396	8426				
6	109-M-01	कश्मीर सिंह	264	8448				
7	303-M-01	बृज नाथ सिंह	264	12022				
8	108-T-24	लता	792	12355				
9	166-T-43	प्यारे लाल	528	12672				
10	166-T-23	तेज मोहम्मद	528	13892				
11	405-M-03	राम सिंह	264	14510				
12	134-M-08	दौलत राम	396	16632				
13	170-M-01	मिठाई लाल	264	16900				
14	218-T-04	रविन्द्र	528	16928				
15	218-T-05	अरन कुमार सिंह	528	16928				
16	166-T-03	भूदेव	528	17952				
17	145-M-02	पन्ना लाल	396	18408				
18	178-T-02	देवेन्द्र पाल	528	21152				
19	118-T-01	दिनेश प्रसाद	792	21173				
20	134-M-32	प्रेम नाथ	396	21772				
21	305-M	रामेश्वर	264	22036				
22	134-T-05	लीला	792	22422				
23	IOB-T-09	नन्दराम	792	23046				
24	401-T-02	भूदेव	528	24292				
25	108-T-36	शकुन्तला	792	24552				
26	218-T-10	बिल्लूराम	792	25356				
27	134-T-04	शोभा	792	25810				
28	114-M-01	कुन्दन सिंह	396	29200				
29	156-S-02	रज्जोमल	792	29304				
30	112-M-02	सिर्फ नाथ	396	29700				
31	108-T-31	लक्ष्मी	792	29778				
32	126-M-06	मूर्ति देवी	396	30090				
33	170-T	मोहिन्द्र कौर	528	31790				

34	515-M-01	पूरन	264	32088				
35	ओल्ड तहबाजारी साउथ -40	अनीष अहमद	352	32384				
36	401-T-09	मनोज कुमार	792	75241				
	योग			7,57,313				

अगस्त-2007 के बाद मामले नोटिस नहीं जारी किये गये थे

क्र.सं.	टाइप	लाईसेंसी का नाम	मासिक फीस	राशि 31.03.14 बकाया	नोटिस की तारीख	राशि सूचना के अनुसार	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
1	115-S-02	नरेश कुमार गुप्ता	792	44528	31.12.07	18216		
2	508-T-03	रामफल	528	33854	24.11.05	14970		
3	112-T-02	मेवा राम	792	37920	09.11.05 22.06.07	16488 12672		
4	211-T-01	मिश्रीलाल	528	68160	21.11.05	14832		
5	137-M-03	रनबीर सिंह	396	47875	05.05.06	9804		
6	401-T-08	राजेन्द्र	528	49104	24.11.05	15600		
7	125-T-01	विनोद कुमार	792	23346	22.11.05 03.05.06	7848 3960		
8	173-T-01	स्वामी दास	528	33848	21.11.05	23520		
9	134-M-16	नवीन कुमार	396	8256	23.11.05	5424		
10	151-T-01	नारद सिंह चौहान	792	12672	16.05.06	5544		
11	141-T-03	सुनील	264	12640	10.07.07	7238		
12	155-M-02	पट्टा	396	10660	08.11.05	12428		
13	218-T-08	बी बी बट्ट	792	30394	20.12.05 20.08.07	7920 14156		
14	168-M-01	राम शंकर यादव	264	12204	21.11.05	10272		
15	134-T-07	सरदार सिंह	792	39204	10.11.05 22.06.07	15168 30216		
16	144-M-02	सुरेश	264	16734	03.05.06	3244		
17	204-T-01	राम बहादुर	528	37018	20.08.07	13728		
				5,18,417				

प्रथम बार नोटिस जारी किया गया

क्र.सं.	टाइप	लाईसेंसी का नाम	मासिक फीस	राशि 31.03.14 बकाया	नोटिस की तारीख	राशि सूचना के अनुसार	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
1	108-T-10	उमेद भाई	240	5544	28.05.14	5544		
2	T-01	प्रेम चन्द	240	7128	27.06.14	7128		
3	T-11	भूप राम	240	7128	27.06.14	7128		
4	M-04	राजू शर्मा	240	9772	17.06.14	9772		
5	P-15	शंकर लाल	240	11088	27.06.14	11088		
6	10B-T-49	जय सिंह	240	11880	28.05.14	11880		

7	202-T-16	मन्नू	792	12672	27.06.14	12672		
8	202-T-10	लालाराम	792	12672	27.06.14	12672		
9	201-M-03	मनोहर लाल	264	12144	05.12.14	14256		
10	T-06	फूलन देवी	240	14256	27.06.14	14256		
11	134-T-06	सुरेश कुमार		9504	05.12.14	15840		
12	108-T-08	कंवर	792	16184	28.05.14	16184		
13	जटिल मामले	बाबू लाल	264	16478	25.11.14	18854		
14	202-T-04	राम बाबू	240	19800	08.09.14	19800		
15	108-T-09	हीरा	792	21452	28.05.14	21452		
16	126-M-02	रामचरण	396	19008	05.12.14	22176		
17	108-T-5	सुरजू	240	22698	28.05.14	22698		
18	202-T-07	हरी सिंह	792	23048	27.06.14	23048		
19	111-M-02	ओम प्रकाश जैन	396	22276	05.12.14	25444		
20	202-T-03	शिव प्रसाद	792	26136	08.09.14	26136		
21	202-T-08	सुख बीर सिंह	240	27640	08.09.14	27640		
22	नार्थ -117	ठाकुर पाल सिंह	264	37854	26.11.14	39702		
23	202-M-02	अशोक कुमार	396	48374	27.05.14	48374		
24	202-T-05	एस सी गुप्ता	792	48394	08.09.14	48394		
25	नार्थ -31	इन्द्र सैन	396	51660	16.11.14	54432		
26	T-17	अशोक कुमार	240	63176	27.06.14	63176		
	योग			5,77,966				

2012-13 से 2014-2015 के दौरान नोटिस जारी किया

क्र.सं.	टाइप	लाईसेंसी का नाम	मासिक फीस	राशि 31.03.14 बकाया	नोटिस की तारीख	राशि सूचना के अनुसार	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
1	150-S-02	राज कुमार	792	5544	11.12.12	11088		
2	IOB-T-12	इन्द्रजीत	792	10296	20.10.05 01.12.14	10848 16632		
3	पुरानी तहबाजारी नार्थ -144	रती राम	264	15068	18.09.12 27.12.12 26.11.14	12428 13220 14540		
4	134-M-26	राम लाल	396	17028	19.04.06 05.12.14	5944 19404		
5	पुरानी तहबाजारी नार्थ -20	सरवन लाल	594	17560	18.09.12 21.12.12 21.02.13	16272 8056 9244		
6	पुरानी तहबाजारी नार्थ -40	सामग्री देवी	396	18128	27.12.12 18.09.12 19.02.13 26.11.14	26792 25604 27584 20900		
7	108-T-13	शारदा	792	18968	19.02.13 26.11.14	34848 53856		

8	108-T-12	शान्ता	792	18968	27.09.07 28.05.14	7128 18968		
9	221-T-01	राजा राम	528	19118	22.02.13	22022		
10	पुरानी तहबाजारी नार्थ -38	सावित्री देवी	792	21544	18.09.12 19.12.12 19.02.13 01.09.14	30496 32872 34456 21544		
11	पुरानी तहबाजारी नार्थ-146	योगिन्द्र शर्मा	396	28512	18.09.12 19.02.13	20988 22968		
12	206-T-02	छोटे लाल	528	33262	18.11.05 01.12.14	18072 37486		
13	108-T-25	लैला	792	35778	19.02.13 24.11.14	23106 35778		
14	134-M-38	शंकर लाल	396	38620	22.11.05 05.12.14	6144 41788		
15	218-T-17	धनपत	528	42048	25.02.13 26.11.14	33600 46272		
16	202-T-20	तेजपाल सिंह	792	55440	25.02.13 08.09.14	42768 55440		
17	125-T-06	शोभा जैन	792	74498	10.11.05 21.02.13	11088 72078		
18	202-T-19	विनोद सिंह	792	95800	22.11.05 25.02.13	16608 83136		
				566180				

रद्द किये गये मामले

क्र.सं.	टाइप	लाईसेंसी का नाम	मासिक फीस	राशि 31.03.14 बकाया	नोटिस की तारीख	राशि सूचना के अनुसार	वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
1	ओल्ड तहबाजारी साउथ -17	नरेन्द्र कुमार गुप्ता	264	33758	15.04.14 30.07.14	33758 34540	03.09.14 को रद्द	अधिक बकाया राशि के कारण
2	पीसीओ-7	सुरेन्द्र कुमार	527	36409	06.02.13 11.03.13		05.06.13 को रद्द	भुगतान न होना एवं मृत्यु
3	नार्थ -10	माम राज	792	44679	09.05.05 06.07.11 18.09.12 30.11.12 19.02.13 12.11.13	15953 16832 31088 32672 34256 39800	22.08.14 को रद्द	भुगतान न होना एवं मृत्यु
4	नार्थ-71	सावित्री देवी	528	47520	02.05.05 03.08.06 17.11.11 18.09.12 19.12.12	30304 5808 32736 37488 39072	23.09.14 को रद्द	अधिक बकाया राशि के कारण

					19.02.13 03.09.14	40128 47250		
5	एमटी-12	पन्ना लाल	297	54468	06.03.12 09.07.12		04.09.12 को रद्द	भुगतान न होना एवं मृत्यु
6	साउथ-26	शंकर जीत गुप्ता	396	56004	24.11.06 01.07.11 23.05.14 28.07.14	20532 41748 56004 57192	03.09.14 को रद्द	अधिक बकाया राशि के कारण
7	एमटी-19	धान चन्द	297	58658	06.03.12 09.07.12 03.09.12		17.05.13 को रद्द	भुगतान न होना एवं मृत्यु
8	डी एंड सी - 24	हंस राज	374	70523	29.02.12	59303	06.12.13 को रद्द	भुगतान न होना एवं मृत्यु
9	डी एंड सी - 22	इन्द्रावती	374	70687	29.12.11 15.02.13 27.09.13	57597 65825 67695	23.07.14 को रद्द	भुगतान न होना एवं मृत्यु
10	डी एंड सी - 20	मुलख राज	374	73016	29.02.12 15.02.13	59926 68154	09.01.14 को रद्द	अधिक बकाया राशि के कारण
11	डी एंड सी -3	त्रिलोक नाथ	374	75050	29.02.12 15.02.13	66202 70188		रा.म.खेल में ध्वस्त
12	नार्थ-57	हर नरेण	528	95283	02.05.05 03.08.06 14.11.11 18.09.12 19.12.12 19.02.13 06.11.13	38256 64320 79971 85261 86835 87891 91587	22.08.14 को रद्द	भुगतान न होना एवं मृत्यु
13	ओल्ड तहबाजारी नार्थ -92	गंगा शंकर	528	113620	24.09.07 18.09.12 21.12.12 19.02.13	71380 103580 105172 106228	11.09.14 को रद्द	अधिक बकाया राशि के कारण
				8,29,675				
110		सब योग		3249551				

अनुलग्नक- **XV**

लाईसेंस फीस की वसूली के तहत

अध्याय-3 [पैरा.3.2.4 (ख)]

₹ राशि में

क्र.सं.	थड़ों का प्रकार	डी एंड सी रजिस्टर क्रम संख्या	आंवटी का नाम	पता	क्षेत्र वर्ग. मी.	कनॉट प्लेस क्षेत्र के लिए लाईसेंस शुल्क (01.09.04 से 31.08.14)	कनॉट प्लेस क्षेत्र के अलावा अन्य के लिए लाईसेंस शुल्क (01.09. 04 से 31.08.14) तक	विलम्ब शुल्क की दर में अंतर	01.04.13 से 31.03.14 से कम लाईसेंस फीस वसूल की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ओल्ड तहबाजारी	144	श्री रती राम	मद्रास होटल के पीछे	12	33	22	11	1584
2	ओल्ड तहबाजारी	45	श्रीमती हरदवारी	जनपथ लेन	16	33	22	11	2112
3	थरेजा सत्यापित	302	श्री दिनेश कुमार	कनॉट प्लेस	24	33	22	11	3168
4	थरेजा सत्यापित	338	श्री अमरीश कुमार	अशोका यात्री निवास	24	33	22	11	3168
5	थरेजा सत्यापित	339	श्री नरेश गुप्ता	अशोका यात्री निवास	12	33	22	11	1584
6	थरेजा सत्यापित	340	श्री प्रेम सिंह	अशोका यात्री निवास	12	33	22	11	1584
7	थरेजा सत्यापित	341	श्री सुरेश	अशोका यात्री निवास	12	33	22	11	1584
8	थरेजा सत्यापित	342	श्री सर्जन सिंह	अशोका यात्री निवास	12	33	22	11	1584
9	थरेजा सत्यापित	343	श्री राम शंकर	अशोका यात्री निवास	24	33	22	11	3168
10	थरेजा सत्यापित	344	श्री मनोहर लाल	अशोका यात्री निवास	12	33	22	11	1584
11	थरेजा सत्यापित	345	श्री जीत सिंह	अशोका यात्री निवास	12	33	22	11	1584
12	थरेजा सत्यापित	346	श्री अमीर चन्द	अशोका यात्री निवास	12	33	22	11	1584
13	ओल्ड तहबाजारी	140	श्रीमती रूकमणी देवी	कलावती अस्पताल	12	33	22	11	1584
14	ओल्डतहबाजारी	141	श्री मोहन लाल	कलावती अस्पताल	18	33	22	11	2376
15	ओल्डतहबाजारी	142	श्री राज कुमार	कलावती अस्पताल	18	33	22	11	2376
16	थरेजा सत्यापित	350	श्री रविन्द्र कुमार	कलावती अस्पताल	24	33	22	11	3168
17	थरेजा सत्यापित	349	श्री सतीश कुमार	कलावती अस्पताल	24	33	22	11	3168
18	थरेजा सत्यापित	351	श्री अरूण कुमार	कलावती अस्पताल	24	33	22	11	3168
19	थरेजा सत्यापित	354	श्री ताराचन्द	कलावती अस्पताल	12	33	22	11	1584
20	थरेजा सत्यापित	355	श्री त्रेवनल प्रसाद	कलावती अस्पताल	12	33	22	11	1584
21	थरेजा सत्यापित	356	श्री आर.के.गुप्ता	कलावती अस्पताल	12	33	22	11	1584
22	थरेजा सत्यापित	357	श्री भगवान दास	कलावती अस्पताल	24	33	22	11	3168
									48048

अनुलग्नक- **XVI**

डी.एंड.सी. रजिस्टर में गलत योग का उदाहरण

अध्याय-3 [पैरा 3.2.4 (ग) (iv)]

क्र.सं.	मास एवं वर्ष	थड़ों के प्रकार	रजिस्टर क्र. सं.	आवंटी का नाम	गलत योग	सही योग
1	अप्रैल-14	मोची थड़ा	23	बाला देवी	26461	26261
2	नवम्बर-12	सी.आर.टी.	3	त्रिलोक नाथ	69066	70236
3	दिसम्बर-11	सी.आर.टी.	25	जोसफ मैरी	97142	67142
4	मार्च-12	सब्जी थड़ा	4	रेवती राम	18672	18762
5	अगस्त-13	पुरानी तहबाजारी	108	चिरंजी लाल	6956	2732
6	मई-13	पुरानी तहबाजारी	107	कृष्ण कुमार वर्मा	8448	Nil
7	मई -13	पुरानी तहबाजारी (एस)	35	अनिल कुमार	1056	704
8	मई -13	पुरानी तहबाजारी (एस)	36	तारा चन्द	6820	6755
9	मई -13	पुरानी तहबाजारी (एस)	37	मुख राज	33228	32876
10	मई -13	पुरानी तहबाजारी (एस)	38	गुरमीत सिंह	3155	2803
11	मई -13	पुरानी तहबाजारी (एस)	39	अमर सिंह	4948	4596
12	मई -13	पुरानी तहबाजारी (एस)	40	अनीष अहमद	28864	28512
13	मई -13	पुरानी तहबाजारी (एस)	43	मो0 सिकन्दर	1408	1056
14	जुलाई -13	पुरानी तहबाजारी (एस)	39	अमर सिंह	9511	5652
15	सितम्बर-13	पुरानी तहबाजारी (एस)	49	मोहिन्द्र कुमार	5488	34962

अनुलग्नक- **XVII**

डी एंड सी रजिस्टर में काटने/अधिलेखन के उदाहरण

अध्याय-3 [पैरा 3.2.4 (ग) (v)]

क्र.सं.	मास एवं वर्ष	थड़ों के प्रकार	रजिस्टर क्र. सं.	आवंटी का नाम
1	*अप्रैल-12*	*मोची थड़ा*	*22*	*राम प्रशाद*
2	*मई-12*	*मोची थड़ा*	*21*	*राम सिंह*
3	*अप्रैल-13*	थरेजा सत्यापित	*339*	*नरेश गुप्ता*
4	*अप्रैल-13*	थरेजा सत्यापित	*363*	*राजा राम*
5	*अप्रैल-13*	थरेजा सत्यापित	*364*	*उदय राम*
6	*अप्रैल-13*	थरेजा सत्यापित	*402*	*अर्जुन*
7	*दिसम्बर-13*	*साईकिल रिपेयर थड़ा*	*10*	*सोम प्रकाश*
8	*जनवरी-14*	*साईकिल रिपेयर थड़ा*	*14*	*श्रीमती लक्ष्मी देवी*
9	*मार्च-14*	*साईकिल रिपेयर थड़ा*	*16*	*सुभाष चन्द्र*
10	*दिसम्बर-13*	*साईकिल रिपेयर थड़ा*	*30*	*जोगिन्द्र सिंह*
11	*मई-13*	*पीसीओ बूथ*	*7*	*सुरेन्द्र सिंह*
12	*मार्च-14*	*पीसीओ बूथ*	*8*	*हरी प्रकाश*
13	*अगस्त-13*	*पीसीओ बूथ*	*14*	*श्रीमती आशा जस्सल*
14	*अप्रैल-12*	*पीसीओ बूथ*	*20*	*अनुराग*

डी.एंड.सी रजिस्टर का स्त्रोत

अनुलग्नक- **XVIII**

वर्ष 2011-14 के लिए निधि के निवेश में विलम्ब के कारण ब्याज की हानि

अध्याय-4 (पैरा 4.2.2) (₹ करोड़ में)

वर्ष 2011-12 के लिए निधि के निवेश में विलम्ब के कारण ब्याज की हानि									
इनफलो/आउटफलो पर आधारित निधि का निर्धारण अनुसूची पाक्षिक	**इन्वैस्टेबल फण्ड**	**बैठक की कार्यवाही की तिथि/निवेश**	**बैंकों के नाम**	**निवेश राशि**	**ब्याज की दर प्रतिशत**	**अवधि**	**फण्ड**	**05 दिनों से परे दिनों में निधि के निवेश में विलम्ब**	**ब्याज की हानि**
16.06.11	49.25	21.06.2011	येस बैंक	40	10.16	1 वर्ष	सामान्य निधि	1	0.011134247
01.01.12	71.91	09.01.2012	जे एंड के. बैंक	20	9.95	1 वर्ष	सामान्य निधि	4	0.021808219
		09.01.2012	येस बैंक	50	9.92	1 वर्ष	सामान्य निधि	4	0.054356164
16.03.12	67.25	21.03.2012	बैंक आफ बड़ौदा	50	11.06	1 वर्ष	सामान्य निधि	1	0.015150685
						योग			0.102449315
वर्ष 2012-13 के लिए धन के निवेश में देरी करने के कारण ब्याज की हानि									
इनफलो/आउटफलो पर आधारित निधि का निर्धारण पाक्षिक पर तैयार की गई अनुसूची	**इन्वैस्टेबल फण्ड**	**बैठक की कार्यवृत की तिथि/निवेश**	**बैंकों के नाम**	**निवेश राशि**	**ब्याज की दर प्रतिशत**	**अवधि**	**निधि**	**05 दिनों से परे दिनों में निधि के निवेश में विलम्ब**	**ब्याज की हानि**
16.06.12	68.33	22.06.2012	आईसीआईसीआई	68	9.96	13 महीनें	सामान्य निधि	**2**	0.037111233
01.08.12	41.73	08.08.2012	यस	32	9.55	1 साल	सामान्य निधि	**3**	0.025117808
01.08.12		08.08.2012	आईडीबीआई	18	9.26	1 साल 11 महीने 29 दिन	सामान्य निधि	**3**	0.013699726
16.08.12	48.8	21.08.2012	आईसीआईसीआई	40	9.3	1 साल 2 महीने 30 दिन	सामान्य निधि	**1**	0.010191781
01.09.12	39.76	10.09.2012	कारपोरेशन	80	9.25	1 साल 11 महीने 28 दिन	सामान्य निधि	**5**	0.101369863
01.10.12		10.10.2012	आईडीबीआई	250	9	15 महीने	सामान्य निधि	**5**	0.308219178

16.11.12	34.28	29.11.12	एक्सिस बैंक	25	9.1	4 साल 11 महीने 29 दिन	सामान्य निधि	**4**	0.024931507
01.12.12	30.51	10.12.2012	एक्सिस बैंक	50	9.1	5 साल	सामान्य निधि	**5**	0.062328767
01.12.12	29.87	14.12.2012	विजया	4.999	9.1	1 साल	सामान्य निधि	**9**	0.011216934
01.12.12		14.12.12	ओबीसी	5.001	9	23 महीने	सामान्य निधि	**9**	0.01109811
01.12.12		14.12.12	केनरा	10	9	23 महीने	सामान्य निधि	**9**	0.022191781
16.12.12		21.12.2012	कारपोरेशन	5	9.25	444 दिन	सामान्य निधि	**1**	0.001267123
16.12.12		21.12.12	केनरा	50	9.05	4 साल 11 महीने 29 दिन	सामान्य निधि	**1**	0.01239726
16.12.12		21.12.12	कर्नाटका	100	9.05	5 साल	सामान्य निधि	**1**	0.024794521
16.12.12	29.08	31.12.2012	कारपोरेशन	5	9.25	444 दिन	सामान्य निधि	**11**	0.013938356
16.12.12		31.12.2012	एक्सिस	25	9.1	1 साल 30 दिन	सामान्य निधि	**11**	0.068561644
01.01.13	106.65	07.01.2013	स्टेट बैंक आफ पटियाला	50	9.1	1 साल 11 महीने 30 दिन	सामान्य निधि	**2**	0.024931507
01.01.13	56	10.01.2013	फैडरल	15	9.11	1 साल	सामान्य निधि	**5**	0.018719178
01.01.13		10.01.2013	आईडीबीआई	45	9.1	15 महीने	सामान्य निधि	**5**	0.05609589
16.01.13	220.29	21.12.2012	कर्नाटका	100	9.25	5साल	सामान्य निधि	**1**	0.025342466
16.01.13		23.01.2013	फैडरल	25	9.12	1साल	सामान्य निधि	**3**	0.018739726
01.02.13	5.36	11.02.13	फैडरल	5	9.26	1 साल 2 दिन	सामान्य निधि	**6**	0.007610959
01.03.13	34.49	11.03.13	केनरा	75	9.67	1 साल 11 महीने 30 दिन	सामान्य निधि	**6**	0.119219178
						कुल राशि			1.019094496

वर्ष 2013-14 के लिए धन के निवेश में देरी करने के लिए ब्याज की हानि									
इनफलो/आउटफलो पर आधारित निधि का निर्धारण पाक्षिक पर तैयार की गई अनुसूची	इन्वैस्टेबल फण्ड	बैठक की कार्यवाही की तिथि/निवेश	बैंकों के नाम	निवेश राशि	ब्याज की दर प्रतिशत	अवधि	निधि	05 दिनों से परे दिनों में निधि के निवेश में विलम्ब	ब्याज की हानि
01.04.13		09.04.13	केनरा	50	9.1	4 साल 11 महीने 29 दिन	सामान्य निधि	**4**	0.049863014
01.05.13	15.23	06.05.13	विजया	25	9.25	1साल	सामान्य निधि	**1**	0.006335616
16.05.13	990.09	21.05.13	केनरा	760	9	1 साल 11 महीने 30 दिन	सामान्य निधि	**1**	0.18739726
16.05.13		21.05.13	कारपो.	5	9	4 साल 11 महीने 30 दिन	सामान्य निधि	**1**	0.001232877
16.05.13		21.05.13	कारपो.	5	9.1	555 दिन	सामान्य निधि	**1**	0.001246575
16.05.13		21.05.13	कर्नाट.	8.5	9	2 साल	सामान्य निधि	**1**	0.00209589
16.05.13		21.05.13	यूनियन	10	9	2 साल 11 महीने 30 दिन	सामान्य निधि	**1**	0.002465753
16.05.13		22.05.13	विजया	25	9.1	1 साल	सामान्य निधि	**2**	0.012465753
16.05.13		22.05.13	कारपो.	5	9	4 साल 11 महीने 29 दिन	सामान्य निधि	**2**	0.002465753
16.05.13		22.05.13	कारपो.	5	9.1	555 दिन	सामान्य निधि	**2**	0.002493151
16.05.13		22.05.13	कर्नाट.	15.51	9	2 साल	सामान्य निधि	**2**	0.007648767
16.05.13		22.05.13	यूनियन	10	9	2 साल 11 महीने 29 दिन	सामान्य निधि	**2**	0.004931507

16.05.13		22.05.13	फैडरल	0.99	9	2 साल 11 महीने 29 दिन	सामान्य निधि	**2**	0.000488219
16.05.13		28.05.13	एसबीआई	75	7.5	15 दिन	सामान्य निधि	**8**	0.123287671
01.06.13	48.73	11.06.13	कर्नाट.	50	9	2 साल	सामान्य निधि	**1**	0.012328767
16.06.13	297.83	21.06.13	इन्डसइनड	200	9.11	1 साल 1 महीने	सामान्य निधि	**1**	0.049917808
16.06.13		26.06.13	कर्नाट.	40	9	2 साल	सामान्य निधि	**5**	0.049315068
01.07.13	44.67	08.07.13	कर्नाट.	5	9	3 साल	सामान्य निधि	**3**	0.00369863
01.07.13		08.07.13	आईओबी	9.99	8.8	18 महीने	सामान्य निधि	**3**	0.007225644
01.07.13		08.07.13	एसबीआई	30.01	8.75	4 साल 11 महीने 29 दिन	सामान्य निधि	**3**	0.021582534
16.09.13	58.76	30.09.13	यूनियन	58	10.05	1 साल	सामान्य निधि	**10**	0.15969863
01.10.13	6.04	15.10.13	आन्ध्रा	5	9.4	444 दिन	सामान्य निधि	**10**	0.012876712
01.01.14	380.26	10.01.14	करूर वी	115	9.51	1 साल	सामान्य निधि	**5**	0.149815068
01.01.14		10.01.14	यस	144	9.45	2 साल	सामान्य निधि	**5**	0.186410959
01.01.14		10.01.14	जेएंडके	111	9.31	1 साल	सामान्य निधि	**5**	0.141563014
01.01.14		10.01.14	कर्नाट.	5	9.5	2 साल	सामान्य निधि	**5**	0.006506849
01.02.14	36.24	07.02.14	जेएंडके	35	9.55	1 साल	सामान्य निधि	**2**	0.018315068
						योग			1.223672562

अनुलग्नक- **XIX**

पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कुल निवेश

अध्याय-4 [पैरा 4.2.4(v)]

(₹ करोड़ में)

बैंक का नाम	निवेश का वर्ष	बैंक में निवेश राशि	एनडीएमसी द्वारा किए गए कुल निवेश	कुल निवेश के बाहर बैंक में निवेश का प्रतिशत
यस बैंक	2011-12	355.45	670.83	
	2012-13	167.50	1857.75	
	2013-14	274.38	2640.75	
	कुल	797.33	5169.33	15.42
जेएंडके बैंक	2011-12	79.00		
	2012-13	50. 80		
	20`3-14	233.50		
	कुल	363.30	5169.33	7.02
एक्सिस बैंक	2012-13	479.00		
	2013-14	77.15		
	कुल	556.15	4498.50	12.36
इन्डसइन्ड बैंक	2011-12	146.45		
	2012-13	49.00		
	2013-14	225.10		
	कुल	420.55	5169.33	8.13
कर्नाटका बैंक	2012-13	106.45	1857.75	
	2013-14	176.71	2640.75	
		283.16	4498.50	6.29
करूर व्यासया बैंक	2013-14	296.49	2640.75	11.23
			कुल	60.45

निजी तथा पब्लिक सैक्टर बैंकों में वर्तमान निवेश (दिसम्बर 2014)

	प्राइवेट बैंक के नाम	राशि निवेश	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का नाम	राशि निवेश
1	यस बैंक	247.00	इलाहाबाद बैंक	9.00
2	जेएंडके बैंक	500.00	आन्ध्रा बैंक	5.00
3	एक्सिस बैंक	335.00	बैंक आफ इण्डिया	20.00
4	इन्डसइन्ड बैाक	236.00	केनरा बैंक	990.00
5	कर्नाटका बैंक	239.01	कारपोरेशन बैंक	20.00
6	करूर वैश्य बैंक	251.00	इण्डियन ओवरसीज बैंक	9.99
7	इंग वैश्य बैंक	327.07	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	30.01
8	फैडरल बैंक	50.99	स्टेट बैंक आफ त्रेवनकोर	165.00
9	साउथ इण्डियन बैंक	80.00	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	20.00
10	डीसीबी बैंक	100.00	विजय बैंक	280.00
11	-	0	स्टेट बैंक आफ पटियाला	70.00
	कुल	2366.07	कुल	1619
कुल निवेश का प्रतिशत		59%	कुल निवेश का प्रतिशत	41%

अनुलग्नक -**XX**

बैंकों में वर्षवार निवेश

अध्याय-4 [पैरा 4.2.4(vi)(बी)]

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	निवेश	क्र.सं.	बैंक का नाम	निवेश	क्र.सं.	बैंक का नाम	निवेश
2011-12			**2012-13**			**2013-14**		
1	आन्ध्रा बैंक	2	1	इलाहाबाद बैंक	0.18	1	इलाहाबाद बैंक	7
2	बैंक आफ बड़ोदा	58.88	2	आन्ध्रा बैंक	28.5	2	आन्ध्रा बैंक	0.48
3	फैडरल बैंक	10.25	3	एक्सिस बैंक	479	3	एक्सिस बैंक	77.15
4	एचडीएफसी बैंक	2	4	बैंक आफ बड़ौदा	15.37	4	बैंक आफ इण्डिया	0.09
5	इन्डसइन्ड बैंक	146.45	5	बैंक आफ इण्डिया	0.88	5	केनरा बैंक	865.2375
6	जम्मू एवं कश्मीर बैंक	79	6	केनरा बैंक	60	6	कारपोरेशन बैंक	34
7	स्टेट बैंक आफ त्रवेनकोर	5.75	7	सैंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	17	7	फैडरल बैंक	0.99
8	येस बैंक	355.45	8	कारपोरेशन बैंक	111	8	आईडीबीआई बैंक	3.45
	कुल	659.78	9	फैडरल बैंक	50.63	9	इण्डियन ओवरसीज बैंक	9.99
			10	एचडीएफसी बैंक	22.5	10	इन्डसइन्ड बैंक	225.1
			11	आईसीआईसीआई बैंक	64.93	11	जम्मू एवं कश्मीर बैंक	233.5
			12	आईडीबीआई बैंक	472.5	12	कर्नाटका बैंक	176.716
			13	इन्डसइन्ड बैंक	49	13	करूर व्यासया बैंक	296.49
			14	जम्मू एवं कश्मीर बैंक	50.8	14	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	30.01
			15	कर्नाटका बैंक	106.45	15	स्टेट बैंक आफ पटियाला	7.5
			16	ओरिन्टल बैंक आफ कामर्स	7.041	16	स्टेट बैंक आफ त्रेवनकोर	4.47
			17	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	50	17	यूबीआई	58.195
			18	स्टेट बैंक आफ पटियाला	63	18	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	20
			19	स्टेट बैंक आफ त्रेवनकोर	9	19	विजया बैंक	316
			20	विजया बैंक	32.469	20	येस बैंक	274.38
			21	येस बैंक	167.5		कुल	2640.749
				कुल	1857.75			

अनुलग्नक -**XXI**

वर्ष 2011-14 के दौरान आमंत्रित की गई कोटेशनस

अध्याय-4 {पैरा 4.2.4 (vi) (बी)}

वर्ष 2011-12 के दौरान आमंत्रित की गई कोटेशनस		
बैठक की कार्यवाही की तिथि	आमंत्रित की गई कोटेशन	जवाब वाले बैंकों की संख्या
06.04.11	32	15
20.04.11	30	16
28.04.11	32	16
05.05.11	32	18
01.06.11	32	21
06.06.11	32	16
21.06.11	29	14
05.07.11	32	18
22.07.11	32	20
01.08.11	32	18
18.08.11	32	16
01.09.11	32	14
16.09.11	32	16
20.10.11	32	16
04.11.11	32	14
11.11.11	32	15
18.11.11	32	16
05.12.11	32	14
09.12.11	32	16
15.12.11	32	16
20.12.11	30	18
06.01.12	32	19
09.01.12	32	14
18.01.12	30	21
02.02.12	32	18
15.02.12	32	12
06.03.12	32	12
12.03.12	32	14
21.03.12	32	20
वर्ष 2012-13 के दौरान आमंत्रित की गई कोटेशनस		
04.04.12	30	15
09.04.12	29	13
03.05.12	29	17
07.05.12	29	15
14.05.12	29	14
18.05.12	29	18
24.05.12	28	10
22.06.12	28	13
28.06.12	28	12
05.07.12	28	15
09.07.12	28	9
16.07.12	28	12

20.07.12	**28**	**8**
23.07.12	**28**	**6**
26.07.12	**28**	**10**
01.08.12	**29**	**11**
08.08.12	**29**	**14**
16.08.12	**28**	**14**
21.08.12	**28**	**11**
04.09.12	**28**	**15**
07.09.12	**28**	**9**
10.09.12	**28**	**14**
18.09.12	**28**	**13**
20.09.12	**28**	**9**
01.10.12	**28**	**14**
05.10.12	**28**	**13**
10.10.12	**28**	**11**
18.10.12	**28**	**11**
22.10.12	**28**	**13**
05.11.12	**28**	**10**
12.11.12	**28**	**9**
20.11.12	**30**	**17**
29.11.12	**30**	**15**
06.12.12	**30**	**19**
10.12.12	**29**	**14**
12.12.12	**30**	**15**
14.12.12	**30**	**13**
17.12.12	**30**	**15**
19.12.12	**29**	**15**
20.12.12	**29**	**15**
21.12.12	**29**	**16**
31.12.12	**29**	**15**
07.01.13	**30**	**13**
10.01.13	**31**	**20**
18.01.13	**30**	**17**
23.01.13	**31**	**17**
28.01.13	**31**	**13**
04.02.13	**31**	**17**
11.02.13	**31**	**19**
15.02.13	**31**	**14**
18.02.13	**31**	**18**
22.02.13	**31**	**21**
वर्ष 2013-14 के दौरान आमंत्रित की गई कोटेशनस		
02.04.13	**31**	**10**
03.04.13	**31**	**11**
04.04.13	**31**	**18**
09.04.13	**31**	**14**
17.04.13	**31**	**17**
22.04.13	**31**	**14**
30.04.13	**31**	**12**
01.05.13	**31**	**15**

06.05.13	**31**	**18**
08.05.13	**31**	**13**
15.05.13	**31**	**12**
21.05.13	**31**	**13**
22.05.13	**30**	**15**
27.05.13	**30**	**10**
05.06.13	**30**	**14**
07.06.13	**30**	**14**
11.06.13	**30**	**14**
21.06.13	**30**	**19**
26.06.13	**30**	**14**
28.06.13	**30**	**13**
08.07.13	**30**	**14**
22.07.13	**30**	**11**
24.07.13	**30**	**13**
01.08.13	**30**	**16**
05.08.13	**30**	**17**
06.08.13	**30**	**17**
30.08.13	**30**	**12**
02.09.13	**30**	**12**
25.09.13	**30**	**12**
07.10.13	**30**	**14**
08.10.13	**30**	**17**
14.10.13	**30**	**11**
21.10.13	**31**	**13**
23.10.13	**31**	**10**
04.11.13	**31**	**11**
07.11.13	**31**	**10**
14.11.13	**31**	**10**
20.11.13	**31**	**13**
03.12.13	**31**	**14**
23.12.13	**30**	**9**
03.01.14	**30**	**12**
10.01.14	**30**	**18**
28.01.14	**30**	**11**
05.02.14	**30**	**15**
07.02.14	**30**	**13**
17.02.14	**30**	**14**
04.03.14	**30**	**16**
11.03.14	**30**	**10**

अनुलग्नक -**XXII**

पारिवारिक पेंशन का अधिक भुगतान - ₹19.76 लाख

अध्याय-5 (पैरा 5.1)

क्र.सं	पारिवारिक पेंशनर का नाम श्री/श्रीमती	पीपीओ नं.	भूतपूर्व कर्मचारी की मृत्यु की तिथि	पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दर (₹)	पारिवारिक पेंशन की साधारण दर (₹)	अधिक भुगतान की वसूली की अवधि	अति भुगतान की राशि (₹)	वसूली कुल राशि (अप्रैल 2015 तक) (₹)	संतुलन प्राप्त किया (कालम- 8 कालम-9)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	सुमेरा	3760	29.01.02	6017	3613	30.01.12 to28.02.15	140076	8100	131976
2.	विमला देवी	3908	24.01.02	5922	3553	25.01.12 to28.02.15	133981	73600	60381
3.	निर्मला देवी	4008	21.10.02	5791	3500	22.10.12 to28.02.15	125451	6600	118851
4.	पुष्पलता कश्यप	4182	10.06.03	12091	7255	11.06.13 to31.01.15	189040	109040	80000
5.	निर्मला देवी	4039	15.09.02	7345	4407	16.09.12 to28.02.15	166818	9000	157818
6.	कृष्णा देवी	4108	27.09.02	10961	6577	28.09.12 to28.02.15	245902	48500	197402
7.	समिता	4150	02.10.03	4962	3500	03.10.12 to31.01.15	51653	10000	41653
8.	कमला	4040	23.07.02	7204	4325	24.07.12 to28.02.15	178144	8700	169444
9.	रानी देवी	3334	20.11.00	6368	3797	21.11.10 to 8.02.15	209556	8100	201456
10.	सुमन	4034	27.10.02	5537	3500	28.10.12 to 8.02.15	83657	8100	75557
11.	कृष्णा देवी	4092	13.05.03	5825	3500	14.05.13 to 8.02.15	78123	8100	70023
12.	लक्ष्मी देवी	4208	26.06.03	4859	3500	27.06.13 to28.02.15	34545	10050	24495
13.	बटटू	3714	08.06.01	5537	3500	09.06.11 to 8.02.15	125468	8100	117368
14.	भगवती देवी	4439	14.09.03	5922	3553	15.09.13 to 8.02.15	67800	Nil	67800

15.	गुड्डी	4406	09.02.03	4736	3500	10.02.13 to28.02.15	59809	7200	52609
16.	प्रदीप कुमार महाजन	3972	16.10.02	7006	4204	17.06.12 to 8.02.15	173302	8700	164602
17.	ओम वती	4517	27.12.03	9830	5899	28.12.13 to 8.02.15	113270	12000	101270
18.	सीता	4381	16.11.02	4548	3500	17.11.12 to28.02.15	29211	20176	9035
19.	माया देवी	4392	19.04.03	8194	4917	20.04.13 to 8.02.15	144904	10200	134704
						कुल	**2350710**	**374266**	**1976444**
								यथा ₹19.76 लाख	

अनुलग्नक- **XXIII**

सी-1 तथा सी-2 प्रभाग (विद्युत) द्वारा अधिक व्यय

अध्याय- 8 (पैरा 8.2)

क्र.सं.	आईटम सं.	अनुमान सं.	जमा कार्य का विवरण	विद्युत प्रभाग	अधि व्यय (₹ में)
1.	2/2	**नहीं**	एआईआईएमएस (एम्स) के विभिन्न भवनों को टेलेजिंग इलैक्ट्रीक लैण्ड के लिए स्थापित किए जाने वाले टाइप एस/ओ पर एल.टी. आउटगोइंग पैनल लगाना।	**सी-I**	16,248.48
2.	25	(इ-32/2000)	सीएटी भवन, कॉपरनिक्स मार्ग, नई दिल्ली में एच.टी. कनैक्शन का प्रावधान।	**सी-I**	97,216.05
3.	3/18	**नहीं**	फिनलैण्ड एम्बेसी, चाणक्यपुरी को इलैक्ट्रीक कनैक्शन का प्रावधान।	**सी-I**	52,129.26
4.	22/42	(इ-71/2001)	1 रैड क्रास रोड पर अतिरिक्त लोड मांग को पूरा करने के लिए एस/एस क्षमता का संवर्धन।	**सी-I**	1,03,029.86
5.	5	**इ-22/2004/इइ(पी)**	एआईआईएमएस के प्रस्तावित लाण्ड्री एवं वर्कशाप भवन में एक विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना।	**सी-II**	2,23,415
6.	8	**इ-12/2006/इइ(पी)**	न्यू पोस्ट वार्ड, एम्स के इलैक्ट्रीक स्वीचिंग स्टेशन को एचटी फीड की व्यवस्था तथा 3 नग 1000 केवीए के स्वीचिंग स्टेट संस्थापना के 3 ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर की स्थापना ।	**सी-II**	7,42,792
7.	17	**इ -16/2008/इइ(पी)**	जवाहर लाल नेहरू भवन, 23-डी जनपथ को एचटी फीड का प्रावधान	**सी-II**	14,36,094
8.	25	**इ -30/2000/इइ(पी)**	जी.एम.भवन, नार्दन रेलवे, बड़ौदा हाउस पर अतिरिक्त लोड की स्वीकृति	**सी-II**	2,17,501
9.	32	**इ -29/2009/इइ(पी)**	एयर हैड क्वार्टर, वायु भवन, नई दिल्ली पर अतिरिक्त 2400 के डब्ल्यू लोड	**सी-II**	2,94,684
10.	40	**इ -16/2009/इइ(पी)**	सब स्टेशन बोर्ड लेन तथा इलैक्ट्रीक लेन से विदेश संचार भवन, बंगला साहिब रोड से एचटी केबलों को बदलना	**सी-II**	15,35,480
11.	43	**इ -30/2000/इइ(पी)**	जी.एम.भवन, नार्दन रेलवे, बड़ौदा हाउस पर अतिरिक्त लोड की स्वीकृति	**सी-II**	15,381
				कुल राशि	**47,33,970.65**
					यथा ₹47.33 लाख

अनुलग्नक -**XXIV**

बकाया नुकसान तथा दुरूपयोग प्रभार का विवरण

अध्याय- 9 (पैरा 9.1)

(अ) फ्लैट नं. 27, खान मार्किट

मालिक का नाम	अवधि	दुरूपयोग शुल्क (₹ में)
श्री मधु देव (एचयूएफ)	01.04.04 to 23.06.04 @ 66567 p.a.	15320
	24.06.04 to 14.01.05 @ 56546 p.a.	31759
	15.01.05 to 24.01.08@ 56546 p.a.	171187
	25.01.08 to 19.01.11@ 1069795 p.a.	3194730
	20.01.11 to 07.02.11@ 1165868 p.a.	60689
	08.02.11 to 14.01.12@ 2335156 p.a.	2181611
	कुल	5655296
	$1/10^{th}$	565530
	कुल (अवधि)	6220826
	अवधि	**क्षति शुल्क (₹ में)**
	24.06.04 to 14.01.05 @ 12090 p.a.	6658
	15.01.05 to 24.01.08 @ 12090 p.a.	36601
	25.01.08 to 19.01.11 @ 67510 p.a.	201605
	20.01.11 to 07.02.11 @ 66048 p.a.	3438
	08.02.11 to 14.01.12 @ 132096 p.a.	123410
	कुल	371712
	ब्याज /जुर्माना शुल्क	1869
	कुल (ब)	373581
		बढ़ी जमीन का किराया (ई.जी.आर) (₹ में)
	01.04.04 to 11.07.04 @ 10204 p.a.	2852
	12.07.04 to 14.01.05 @ 12727p.a.	6520
	10% interest on EGR w.e.f.01.04.04 to 14.01.05 (पुरानी दरों पर)	226
	10% interest on EGR w.e.f. 12.07.04 to 14.01.05 (नई दरों पर)	334
	15.01.05 to 14.01.12 @ 12727 p.a.	89089
	10% interest on EGR w.e.f. 15.01.05 to 14.01.12	33408
	कुल (स)	**132429**
		अतिरिक्त जमीन का किराया(ए.जी.आर) (₹में)
	01.04.04 to 14.01.05 @ 8715 p.a.	6900
	10% interest on AGR w.e.f. 01.04.04 to 14.01.05	690
	15.01.05 to 14.01.12 @ 8715 p.a.	61105
	10% interest on AGR w.e.f. 15.01.05 to 14.01.12	22877
	कुल (द)	**91472**
	योग (अ+ब+स+द)	**6818308**
		यथा ₹68.18 लाख

(ब) फ्लैट नं. 29, खान मार्किट

मालिक का नाम	अवधि	दुरूपयोग शुल्क
श्री अनिल मलिक	**20.01.11 to 07.02.11 @ 247102 p.a.**	**12863**
	08.02.11 to 14.01.12 @ 494309 p.a.	**461806**
	कुल	**474669**
	1/10th उपर का जुर्माना	**47467**
	कुल (ब)	**522136**
	अवधि	क्षति शुल्क (₹ में)
	27.01.10 to 19.01.11 @ 448662 p.a.	**224946**
	20.01.11 to 07.02.11 @ 373197 p.a.	**19427**
	08.02.11 to 14.01.12 @ 746394 p.a.	**697316**
	कुल (ब)	**941689**
	सकल कुल (अ+ब)	**1463825**
		यथा **₹14.64** लाख

(स) फ्लैट नं. 30, खान मार्किट

मालिक का नाम	अवधि	दुरूपयोग शुल्क
मैसर्स आर्चिवर्स प्रा.लि.	**15.07.05 to 24.01.08 @ 6164 p.a.**	**15604**
	25.01.08 to 27.01.11 @ 114371 p.a.	**344053**
	कुल	**359657**
	1/10th उपर का जुर्माना	**35966**
	कुल (अ)	**395623**
	अवधि	क्षति शुल्क (₹ में)
	15.07.05 to 24.01.08 @ 95749 p.a.	**242389**
	25.01.08 to 27.01.11 @ 401792 p.a.	**1208678**
	कुल (ब)	**1451067**
	सकल कुल (अ +ब)	**1846690**
		यथा **₹18.47** लाख

कुल बकाया राशि = **₹1.01** करोड़ **(₹68.18** लाख + **₹14.64** लाख + **₹18.47** लाख**)**

अनुलग्नक- **XXV**

लाईसेंस फीस की कम वसूली - ₹27.99 लाख

अध्याय-10 (पैरा 10.1)

क्वाटर्स के प्रकार	क्वाटर्स की संख्या	30.06.2013 तक लागू लाईसेंस फीस	01.07.2013 के बाद लागू लाईसेंस फीस	अन्तर	बकाया राशि 01.07.2013 से 31.12.2014 (18 महीने) [कालम नं. 2 x कालम नं. 5] x 18 मास
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
I	1049	115	135	20	377640
	84	145	170	25	37800
	458	205	245	40	329760
II	62	205	245	40	44640
	113	380	450	70	142380
	515	260	310	50	463500
	341	310	370	60	368280
	18	235	280	45	14580
III	103	310	370	60	111240
	357	380	450	70	449820
	47	420	500	80	67680
	1	525	625	100	1800
	12	340	405	65	14040
	1	740	875	135	2430
	11	410	485	75	14850
IV	58	420	500	80	83520
	66	525	625	100	118800
V	2	740	875	135	4860
	5	790	935	145	13050
	8	820	970	150	21600
	1	900	1065	165	2970
	35	980	1160	180	113400
कुल	**3347**			कुल	**2798640**
					यथा ₹27.99 लाख

अनुलग्नक- **XXVI**

अस्वीकृत चैकों का विवरण

अध्याय-11 (पैरा 11.1)

मास	अस्वीकृत चैकों की कुल संख्या	अस्वीकृत चैकों की कुल राशि (₹ में)	निर्धारिती द्वारा जमा राशि (₹ में)	अस्वीकृत चैकों की राशि अस्पष्ट (₹ में)
2012-13				
अप्रैल	**14**	**1420703**	**89799**	**1330904**
मई	**9**	**2135077**	**-**	**2135077**
जून	**1**	**24124**	**-**	**24124**
जुलाई	**2**	**23211**	**-**	**23211**
अगस्त	**1**	**6000**	**-**	**6000**
सितम्बर	**4**	**2152456**	**-**	**2152456**
अक्टूबर	**40**	**6105710**	**728612**	**5377098**
नवम्बर	**9**	**10330708**	**201771**	**10128937**
दिसम्बर	**11**	**3292744**	**203124**	**3089620**
जनवरी	**12**	**444489**	**66957**	**377532**
फरवरी	**3**	**492105**	**-**	**492105**
मार्च	**12**	**1955305**	**138799**	**1816506**
कुल (अ)	**118**	**28382632**	**1429062**	**26953570**
2013-14				
अप्रैल	**22**	**7341715**	**-**	**7341715**
मई	**3**	**356843**	**-**	**356843**
जून	**-**	**-**	**-**	**-**
जुलाई	**-**	**-**	**-**	**-**
अगस्त	**1**	**59480**	**-**	**59480**
सितम्बर	**-**	**-**	**-**	**-**
अक्टूबर	**3**	**408992**	**-**	**408992**
नवम्बर	**-**	**-**	**-**	**-**
दिसम्बर	**13**	**-**	**-**	**-**
जनवरी	**53**	**6227763**	**-**	**6227763**
फरवरी	**38**	**5726861**	**-**	**5726861**
मार्च	**12**	**1316612**	**-**	**1316612**
कुल (ब)	**145**	**21438266**	**-**	**21438266**
कुल अस्पष्ट राशि (अ +ब)	**263**	**49820898**	**1429062**	**48391836**
				यथा **₹4.84** करोड़

अनुलग्नक- **XXVII**

थोक में डीजल की खरीद पर अतिरिक्त व्यय

अध्याय-12 (पैरा 12.1)

क्र.सं.	दिनांक	मात्रा खरीदी (लीटर में)	बल्क में डीजल दरें (₹)	रिटेल में डीजल दरें (₹)	अन्तर (₹)	कुल राशि (₹ में)
1.	11.04.13	12000	54.84	48.63	6.21	74520
2.	23.04.13	12000	54.78	48.67	6.11	73320
3.	03.0.5.13	12000	51.81	48.67	3.14	37680
4.	15.05.13	12000	51.81	49.69	2.12	25440
5.	27.05.13	12000	52.76	49.69	3.07	36840
6.	07.06.13	12000	54.61	50.25	4.36	52320
7.	15.06.13	12000	54.61	50.25	4.36	52320
8.	05.07.13	12000	58.79	50.26	8.53	102360
9.	13.07.13	12000	58.79	50.84	7.95	95400
10.	26.07.13	12000	60.41	50.84	9.57	114840
11.	06.08.13	12000	60.72	51.4	9.32	111840
12.	14.08.13	12000	60.72	51.4	9.32	111840
13.	29.08.13	12000	61.74	51.4	10.34	124080
14.	10.09.13	12000	64.45	51.97	12.48	149760
15.	21.09.13	12000	67.45	51.97	15.48	185760
16.	30.09.13	12000	67.45	51.97	15.48	185760
17.	12.10.13	12000	63.52	52.54	10.98	131760
18.	26.10.13	12000	63.25	52.54	10.71	128520
19.	06.11.13	12000	62.97	53.1	9.87	118440
20.	21.11.13	12000	63.06	53.1	9.96	119520
21.	30.11.13	12000	63.06	53.1	9.96	119520
22.	14.12.13	12000	63.87	53.67	10.2	122400
23.	30.12.13	12000	64.36	53.78	10.58	126960
24.	09.01.14	12000	63.52	54.34	9.18	110160
25.	23.01.14	12000	62.61	54.34	8.27	99240
26.	06.02.14	12000	61.95	54.91	7.04	84480
27.	14.02.14	12000	61.95	54.91	7.04	84480
28.	28.02.14	12000	62.97	54.91	8.06	96720
29.	18.03.14	12000	62.34	55.48	6.86	82320
30.	29.03.14	12000	62.34	55.48	6.86	82320
					कुल	**3040920**
						यथा **₹30.41** लाख

अनुलग्नक- **XXVIII**

लावारिस ईएमडी/प्रतिभूति जमा
अध्याय-13 (पैरा 13.1)

क्र.सं.	प्रभाग का नाम	आडिट अवधि	राशि (₹)
	विद्युत इंजीनियरिंग विभाग		
1.	33 केवी विद्युत रखरखाव	2013-2014	754006
2.	11 केवी विद्युत स्टोर	2013-2014	5892157
3.	सी- **II** विद्युत	2012-2014	17221418
		कुल (अ)	**23867581**
	सिविल इंजीनियरिंग विभाग		
1.	बीएम- **III**, सिविल	2013-2014	1701096
2.	बीएम- **II** , सिविल	2013-2014	2523784
3.	रोड-**IV** सिविल	2012-2014	5717315
4.	रोड- **II** , सिविल	2012-2014	2203162
5.	सी-1, सिविल	2012-2014	616341
6.	बीएम- **I**, सिविल	2012-2014	4418120
7.	सीवरेज रखरखाव	2013-2014	1635168
8.	सी-**III** सिविल	2013-2014	1415955
9.	रोड-**V** सिविल	2012-2014	5182578
10.	रोड-**III** सिविल	2012-2014	2015725
		कुल (ब)	**27429244**
		कुल राशि (अ + ब)	**51296825** **यथा ₹5.13 करोड**